दृष्टि The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

दिसंबर भाग-1
2020

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **7**

- गैर-कानूनी धर्मांतरण पर उत्तर प्रदेश सरकार का अध्यादेश 7
- उन्नत भारत अभियान योजना 8
- लैंगिक अंतराल और न्यायपालिका में संवेदीकरण 9
- झारखंड में तंबाकू पर प्रतिबंध 11
- मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा 12
- मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करने हेतु पहलें 14
- तकनीकी वस्त्र के लिये एक समर्पित निर्यात संवर्धन परिषद 17
- शहद में मिलावट 18
- पुलिस थानों में CCTV: SC 19
- गैर-निवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार 20
- जम्मू-कश्मीर तथा लेह-कारगिल में वक्फ बोर्ड 22
- 64वाँ महापरिनिर्वाण दिवस 23
- चिकित्सा आपूर्ति और मेक इन इंडिया 24
- सत्यता और हेट स्पीच 25
- राजमार्ग के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु केंद्र की शक्ति 27
- जनसंख्या और विकास पहल में भागीदार 28
- परिसीमन के लिये सुझाव 30
- 3D प्रिंटिंग तकनीक के विकास हेतु नीति 31
- राज्यों के पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता योजना 33

नोट :

- भारत में वाहन बीमा 34
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -5 35
- राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 2020' 37

आर्थिक घटनाक्रम 40

- रेलवे का विद्युतीकरण 40
- नगर निगम बॉण्ड 41
- न्यूनतम समर्थन मूल्य और उसका निर्धारण 42
- लॉटरी, जुआ और सट्टेबाज़ी पर कर संबंधी नियम 44
- मौद्रिक नीति: RBI 46
- संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्द्धन पुरस्कार 2020 48
- जैविक कृषि क्षेत्र: लक्षद्वीप 49
- ब्याज माफी की मांग 51
- प्रवासी श्रमिकों का डेटाबेस 52

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 55

- चीन-नेपाल द्विपक्षीय सहयोग 55
- SCO ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी 56
- OIC द्वारा भारत की कश्मीर नीति की आलोचना 58
- बांग्लादेश के पृथक द्वीप पर रोहिंग्या 60
- भारत-स्विट्ज़रलैंड संबंध 61
- विशेष चिंता वाले देश 63
- सार्क चार्टर दिवस 64
- आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (ADMM-PLUS) 65

नोट :

- मोरक्को और इज़राइल के सामान्य होते संबंध 66
- भारत-उज़्बेकिस्तान आभासी शिखर सम्मेलन 68
- सैन इसिड्रो आंदोलन: क्यूबा 70
- इज़राइल-भूटान संबंध 71

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 73

- इन्फ्लूएंज़ा और बैक्टीरियल संक्रमण 73
- कैंसर जीनोम एटलस सम्मेलन, 2020 74
- चीन का कृत्रिम सूर्य 75
- शनि और बृहस्पति का महासंयुग्मन 76
- रोबोटिक सर्जरी 77
- हवाना सिंड्रोम 80
- भारत में महामारी के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने की दर में वृद्धि 81
- पी ओवेल मलेरिया 83
- 3D प्रिंटिंग तकनीक के विकास हेतु नीति 84
- राज्यों के पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता योजना 86

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण 88

- वैश्विक जलवायु स्थिति पर अनंतिम रिपोर्ट 88
- मलय विशालकाय गिलहरी 90
- ग्रेट बैरियर रीफ और जलवायु परिवर्तन 91
- नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना 92
- ओडिशा में हाथी गलियारे 94
- जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 96
- उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, 2020 97

नोट :

- चरम जलवायु घटनाएँ और भारत 99
- पेरिस जलवायु समझौते के पाँच वर्ष 101
- मिरिस्टिका स्वैम्प ट्रीफ्रॉग 103

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन 105

- पूर्वोत्तर में कोयला खनन 105
- अल-नीनो और सूखा 107

सामाजिक न्याय 110

- हिडन एपिडेमिक (डायबिटीज) 110
- दिव्यांगजन सहायता शिविर 111
- मनरेगा के तहत काम की मांग में वृद्धि 113
- आदि महोत्सव-मध्य प्रदेश 114
- विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 115
- भाँग: मादक पदार्थों की सूची से बाहर 116
- ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020 118
- कोविड-19 तथा अत्यंत गरीबी : UNDP 120
- आयुर्वेद और सर्जरी 121
- थारू जनजाति 123
- त्वरित उपयोग अनुमोदन: COVID-19 टीका 124
- मानवाधिकार दिवस 126
- वैश्विक स्वास्थ्य अनुमान 2019 128
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज़ के लिये लैंसेट सिटिज़न्स कमीशन 130
- बाल विवाह और महामारी 131

नोट :

कला एवं संस्कृति **134**

- हम्पी मंदिर में अवस्थित पत्थर के रथ 134
- सिंधु घाटी सभ्यता का आहार 136
- अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020 138

आंतरिक सुरक्षा **140**

- राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता केंद्र 140
- माओवादी खतरे से निपटने हेतु आवश्यक कदम 141

दृष्टि The Vision

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

गैर-कानूनी धर्मांतरण पर उत्तर प्रदेश सरकार का अध्यादेश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गैर-कानूनी धर्मांतरण की समस्या से निपटने के लिये एक अध्यादेश जारी किया गया है, जिसके तहत विवाह के लिये धर्मांतरण को गैर-जमानती अपराध घोषित करते हुए कारावास के साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म पवित्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020

- इस अध्यादेश के तहत विवाह के लिये धर्मांतरण को गैर-जमानती अपराध घोषित कर दिया गया है तथा इसके तहत प्रतिवादी को यह प्रमाणित करना होगा कि धर्मांतरण विवाह के उद्देश्य से नहीं किया गया था।
- इस अध्यादेश के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को धर्मांतरण के लिये दो माह पूर्व ज़िला मजिस्ट्रेट को एक नोटिस देना होगा।
- यदि किसी मामले में एक महिला द्वारा केवल विवाह के उद्देश्य से ही धर्म परिवर्तन किया जाता है, तो ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।
- इस अध्यादेश के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में आरोपी को न्यूनतम एक वर्ष के कारावास का दंड दिया जा सकता है, जिसे पाँच वर्ष के कारावास और 15 हज़ार रुपए के जुर्माने तक बढ़ाया जा सकता है।
- हालाँकि यदि किसी नाबालिक, महिला अथवा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति का गैर-कानूनी तरीके से धर्मांतरण कराया जाता है तो ऐसे मामलों में कम-से-कम तीन वर्ष के कारावास का दंड दिया जा सकता है, जिसे 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- इस अध्यादेश के तहत सामूहिक धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है, सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में कम-से-कम तीन वर्ष के कारावास का दंड दिया जा सकता है, जिसे 50,000 रुपए के जुर्माने के साथ 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- साथ ही इसके तहत धर्मांतरण में शामिल सामाजिक संस्थानों के पंजीकरण को रद्द किये जाने का प्रावधान भी किया गया है।

विवाह और धर्मांतरण पर उच्चतम न्यायालय का मत:

- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह स्वीकार किया है कि जीवन साथी के चयन के मामले में एक वयस्क नागरिक के अधिकार पर राज्य और न्यायालयों का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है यानी सरकार अथवा न्यायालय द्वारा इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।
- भारत एक 'स्वतंत्र और गणतांत्रिक राष्ट्र' है और एक वयस्क के प्रेम तथा विवाह के अधिकार में राज्य का हस्तक्षेप व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
- विवाह जैसे मामले किसी व्यक्ति की निजता के अंतर्गत आते हैं, विवाह अथवा उसके बाहर जीवन साथी के चुनाव का निर्णय व्यक्ति के "व्यक्तित्व और पहचान" का हिस्सा है।
- किसी व्यक्ति द्वारा जीवन साथी चुनने का पूर्ण अधिकार कम-से-कम धर्म से प्रभावित नहीं होता है।

संबंधित पूर्व मामले:

वर्ष 2017 का हादिया मामला

- हादिया मामले में निर्णय देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 'अपनी पसंद के कपड़े पहनने, भोजन करने, विचार या विचारधाराओं और प्रेम तथा जीवनसाथी के चुनाव का मामला किसी व्यक्ति की पहचान के केंद्रीय पहलुओं में से एक है।' ऐसे मामलों में न तो राज्य और न

नोट :

ही कानून किसी व्यक्ति को जीवन साथी के चुनाव के बारे में कोई आदेश दे सकते हैं या न ही वे ऐसे मामलों में निर्णय लेने के लिये किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं।

के. एस. पुत्तुस्वामी निर्णय (वर्ष 2017) :

- किसी व्यक्ति की स्वायत्तता से आशय जीवन के महत्त्वपूर्ण मामलों में उसकी निर्णय लेने की क्षमता से है।

लता सिंह मामला (वर्ष 1994) :

- इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि देश एक बड़े बदलाव के दौर से गुज़र रहा है और इस दौरान संविधान तभी मज़बूत बना रह सकता है जब हम अपनी संस्कृति की बहुलता तथा विविधता को स्वीकार कर लें।
- अंतर्धार्मिक विवाह से असंतुष्ट रिश्तेदार हिंसा या उत्पीड़न का सहारा लेने की बजाय सामाजिक संबंधों को तोड़ने' का विकल्प चुन सकते हैं।

सोनी गेरी मामला, 2018 :

- इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों को 'माँ की भावनाओं या पिता के अभिमान' के आगे झुककर 'सुपर-गार्ज़ियन' की भूमिका निभाने से आगाह किया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट 2020 के सलामत अंसारी-प्रियंका खरवार केस:

- अपनी पसंद के साथी को चुनना या उसके साथ रहने का अधिकार नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। (अनुच्छेद-21)
- न्यायालय ने यह भी कहा कि विवाह के लिये धर्मांतरण के निर्णय को पूर्णत: अस्वीकृत करने के विचार के समर्थन से जुड़े अदालत के पूर्व फैसले वैधानिक रूप से सही नहीं हैं।

आगे की राह:

- ऐसे कानूनों को लागू करने वाली सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ये किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित न करते हों और न ही इनसे राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुँचती हो; ऐसे कानूनों के लिये स्वतंत्रता और दुर्भावनापूर्ण धर्मांतरण के मध्य संतुलन बनाना बहुत ही आवश्यक है।

उन्नत भारत अभियान योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उन्नत भारत अभियान योजना (Unnat Bharat Abhiyan Scheme- UBA) की प्रगति से संबंधित एक समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई।

प्रमुख बिंदु:

बैठक की मुख्य विशेषताएँ: केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने निम्नलिखित बातों पर जोर दिया:

- सभी गाँवों के बीच तीन से पाँच सामान्य मुद्दों की पहचान करें जिनमें से कुछ स्थानीय मुद्दों पर आधारित हों तथा इन पर काम करें।
- अधिक-से-अधिक गाँवों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से इस योजना के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिये।
- UBA का उपयोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के संबंध में स्कूल के शिक्षकों को संवेदनशील बनाने में किया जाना चाहिये।
- एक पोर्टल की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया जो विभिन्न संस्थानों के लिये एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा।
- राज्यवार अध्ययन कर UBA के तहत निर्धारित मापदंडों जैसे कि साक्षरता में सुधार, स्वास्थ्य सेवा आदि के बारे में लक्ष्य निर्धारित करें।

उन्नत भारत अभियान:

- इस अभियान की औपचारिक शुरुआत वर्ष 2014 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी।
- इसका उद्देश्य पाँच गाँवों के एक समूह के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) को जोड़ना है, ताकि ये संस्थान अपने ज्ञान के आधार पर इन ग्रामीण समुदायों की आर्थिक और सामाजिक बेहतरी में योगदान दे सकें।

नोट :

- इसमें गाँवों के समग्र विकास के लिये दो प्रमुख डोमेन शामिल हैं - मानव विकास और वस्तुगत (आर्थिक) विकास।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (IIT, Delhi) को UBA योजना के लिये राष्ट्रीय समन्वय संस्थान (National Coordinating InStitute- NCI) के रूप में नामित किया गया है।

मुख्य उद्देश्य:

- ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के मुद्दों की पहचान करने हेतु HEI के संकाय और छात्रों को संलग्न करना तथा उन मुद्दों का स्थायी समाधान खोजना।
- मौजूदा नवीन तकनीकों को पहचानना और उनका चयन करना, प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन को सक्षम करना या लोगों की ज़रूरत के अनुसार नवीन समाधानों के लिये कार्यान्वयन विधियों को विकसित करना।
- HEI को विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के सुचारु कार्यान्वयन के लिये विकासशील प्रणालियों में योगदान की अनुमति देना।

उन्नत भारत अभियान 2.0:

- उन्नत भारत अभियान 2.0, उन्नत भारत अभियान 1.0 का उन्नत संस्करण है। इसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया था।
- UBA 1.0 एक प्रकार से निमंत्रण मोड था जिसमें भाग लेने वाले संस्थानों को UBA का हिस्सा बनने के लिये आमंत्रित किया गया था।
- जबकि UBA 2.0, उन्नाव भारत अभियान कार्यक्रम का चुनौती मोड है, जहाँ सभी HEI को कम-से-कम 5 गाँवों को अपनाना आवश्यक है। वर्तमान में UBA 2.0 मोड चल रहा है।

लैंगिक अंतराल और न्यायपालिका में संवेदीकरण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के महान्यायवादी के.के. वेणुगोपाल ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल एक लिखित सुझाव में न्यायपालिका के सदस्यों के बीच लिंग संवेदीकरण को बढ़ाने की आवश्यकता पर विशेष ज़ोर दिया है।

- उन्होंने उच्चतर न्यायपालिका में लंबे समय से महिला न्यायाधीशों की संख्या में बनी हुई कमी को भी रेखांकित किया।

प्रमुख बिंदु :

पृष्ठभूमि :

- उच्चतम न्यायालय ने यौन अपराधियों के लिये ज़मानत की शर्तें निर्धारित करते हुए महान्यायवादी और अन्य लोगों से पीड़ितों के प्रति लिंग संवेदनशीलता में सुधार के तरीकों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने को कहा था।
- गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय की पीठ ने ऐसे यौन अपराध के अपराधी जो आगे चलकर पीड़ितों का और अधिक उत्पीड़न करते हैं, के लिये न्यायालयों द्वारा जमानत की शर्तों के निर्धारण के संदर्भ में विचार आमंत्रित किये थे।
- हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यौन अपराध के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत की शर्त के रूप में पीड़ित से राखी बंधवाने की बात कही थी।

न्यायपालिका में लैंगिक अंतराल पर डाटा:

- वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मात्र दो महिला न्यायाधीश है, जबकि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद के लिये 34 सीटें आरक्षित हैं, इसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आज तक किसी भी महिला न्यायाधीश को नियुक्त नहीं किया गया है।
- देश के उच्चतम न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों में निर्धारित 1,113 की क्षमता के विपरीत केवल 80 महिला न्यायाधीश ही कार्यरत हैं।
- इन 80 महिला न्यायाधीशों में से उच्चतम न्यायालय में मात्र 2 और अन्य देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में कार्यरत हैं, यह संख्या कुल न्यायाधीशों का मात्र 7.2% ही है।
- देश के 26 न्यायालयों (उच्च न्यायालय सहित) के डेटा के अध्ययन से पता चलता है कि देश में सबसे अधिक महिला न्यायाधीशों की संख्या हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय (कुल 85 न्यायाधीशों में से 11 महिला न्यायाधीश) में है, इसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय दूसरे स्थान

नोट :

पर है जहाँ कुल 75 में से 9 महिला न्यायाधीश हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में 8-8 महिला न्यायाधीश हैं।

- मणिपुर, मेघालय, पटना, त्रिपुरा, तेलंगाना, और उत्तराखंड उच्च न्यायालय में कोई भी महिला न्यायाधीश कार्यरत नहीं है।
- वर्तमान में न्यायाधिकरणों या निचली अदालतों में महिला न्यायाधीशों की संख्या का आँकड़ा एकत्र करने के लिये कोई भी केंद्रीय प्रणाली नहीं है।
- वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मामले में वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल 403 पुरुष वरिष्ठ अधिवक्ताओं की तुलना में केवल 17 महिलाएँ ही हैं।
- इसी प्रकार दिल्ली उच्च न्यायालय में 229 पुरुषों के मुकाबले केवल 8 वरिष्ठ महिला अधिवक्ता और बॉम्बे उच्च न्यायालय में 157 पुरुषों के मुकाबले केवल 6 वरिष्ठ महिला अधिवक्ता हैं।

न्यायपालिका में महिला प्रतिनिधित्त्व का महत्त्व:

- वर्ष 2030 का सतत् विकास एजेंडा और सतत् विकास लक्ष्य (विशेष रूप से लक्ष्य-5 और 16) लैंगिक समानता और न्यायपालिका जैसे सार्वजनिक संस्थानों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की वैश्विक ज़िम्मेदारी को रेखांकित करते हैं।
- महिला न्यायाधीशों के लिये समानता प्राप्त करना न केवल इसलिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह महिलाओं का अधिकार है बल्कि यह और अधिक न्यायसंगत कानून व्यवस्था की स्थापना के लिये भी आवश्यक है। महिला न्यायाधीश न्यायपालिका को मज़बूत बनाने के साथ-साथ न्याय प्रणाली के प्रति जनता के विश्वास को बनाए रखने में सहायता करती हैं।
- न्यायपालिका महिलाओं न्यायाधीशों का प्रवेश न्यायाप्रणाली को और अधिक पारदर्शी, समावेशी तथा लोगों (जिनके जीवन को वे प्रभावित करते हैं) के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
- महिला न्यायाधीश न्यायालयों की वैधता में वृद्धि करती हैं, साथ ही एक सशक्त संदेश भी देती है कि न्यायालय न्याय का सहारा लेने वालों के लिये सुलभ और हमेशा खुले हैं।
- महिला न्यायाधीश अपने न्यायिक कार्यों में उन अनुभवों को लाती हैं जो इसे और अधिक व्यापक तथा सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।
- महिलाओं की उपस्थिति से अधिनिर्णयन में अधिक व्यापकता आती है, क्योंकि महिला न्यायाधीश ऐसे विचार सामने लाती हैं, जिस पर उनकी अनुपस्थिति में ध्यान नहीं दिया गया होता और इस प्रकार चर्चा का दायरा बढ़ जाता है, जो गैर-विचारशील या अनुचित निर्णयों की संभावनाओं को रोकता है।
- इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कि कैसे कानून और नियम लैंगिक रूढ़ियों पर आधारित हो सकते हैं, या वे महिलाओं और पुरुषों पर कैसे अलग-अलग प्रभाव डाल सकते हैं, एक लैंगिक परिप्रेक्ष्य, अधिनिर्णयन की निष्पक्षता को बढ़ाता है, जो अंततः पुरुषों और महिलाओं दोनों को लाभान्वित करता है।

सुझाव:

- न्यायालयों को यह स्पष्ट करना चाहिये कि इस तरह की टिप्पणी (मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुद्दा) पूर्णतः अस्वीकार्य है और यह पीड़ित तथा संपूर्ण समाज को व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुँचा सकती है।
- आवश्यक है कि न्यायालयों द्वारा जारी किये जाने वाले आदेश कुछ निश्चित न्यायिक मानकों के अनुरूप हों, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि भविष्य में इस प्रकार की टिप्पणियाँ न की जाएँ।
- सर्वोच्च न्यायालय को निचली अदालतों और न्यायाधिकरणों में महिला न्यायाधीशों के आँकड़ों के संग्रह से संबंधित दिशा-निर्देश देने चाहिये, साथ ही विभिन्न उच्च न्यायालयों में भी वरिष्ठ अधिवक्ताओं से संबंधित डेटा भी एकत्र किया जाना चाहिये।
- न्यायपालिका के सभी स्तरों पर महिलाओं का अधिक-से-अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिये, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय भी शामिल है और यदि संभव हो तो इस पहल की शुरुआत भी सर्वोच्च न्यायालय से ही की जानी चाहिये।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है, जो वरिष्ठ हों अथवा जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझा जाए।

नोट :

- अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है, जो वरिष्ठ हों अथवा जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझा जाए। ध्यातव्य है कि CJI के अलावा अन्य किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति के लिये CJI के साथ परामर्श करना बाध्यकारी है।
- आवश्यक है कि न्यायपालिका में सभी आवश्यक पदों पर महिलाओं के कम-से-कम 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्त्व के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, साथ ही सभी अधिवक्ताओं को लिंग संवेदीकरण के विषय पर प्रशिक्षित करना आवश्यक है।
- रुढ़िवादी और पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण वाले न्यायाधीशों को यौन हिंसा के मामलों से निपटने के लिये लिंग संवेदीकरण के विषय पर प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है, ताकि वे ऐसे मामलों में महिलाओं के प्रति संवेदनशील हो सकें।

आगे की राह:

- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आदेश और इसी तरह के अन्य उदाहरण यह स्पष्ट करते हैं कि न्यायालयों को तत्काल हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार का महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायपालिका का है और यौन हिंसा से जुड़े मामलों में अधिक संतुलित एवं सशक्त दृष्टिकोण की ओर एक लंबा रास्ता तय करना है।
- एक न्यायालय के लंबे समय से स्थापित जनसांख्यिकी को बदलने से संस्थान को एक नई रोशनी में विचार करने के लिये और अधिक उत्तरदायी बनाया जा सकता है तथा संभावित रूप से आगे आधुनिकीकरण एवं सुधार की ओर अग्रसर हो सकता है। चूँकि न्यायालय की संरचना अधिक विविध हो जाती है, इसलिये इसकी प्रथागत प्रथाएँ कम होती जाती हैं, फलस्वरूप पुराने तरीके जो अक्सर व्यवहार के अस्थिर संहिता या केवल जड़ता पर आधारित होते हैं, अब पर्याप्त नहीं हैं।

झारखंड में तंबाकू पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में झारखंड सरकार ने एक आदेश द्वारा राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के लिये किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद के उपभोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- अध्यादेश के माध्यम से राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिये तंबाकू के सेवन से परहेज संबंधी एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य बना दिया है।
  - ज्ञात हो कि धूम्रपान और धुआँ रहित तम्बाकू उत्पादों में सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा या सुपारी के साथ-साथ हुक्का, ई-सिगरेट आदि को भी शामिल किया जाएगा।
- यह निर्णय राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की एक बैठक में लिया गया है, जिसका उद्देश्य सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, (COTPA) 2003 के प्रावधानों को सही ढंग से लागू करना है।
- यह आदेश 1 अप्रैल, 2021 से लागू किया जाएगा।
- आदेश के उल्लंघन के मामले में दंड के प्रावधान पर कोई स्पष्टता नहीं है।
- सरकार कर्मचारियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिये पंचायत स्तर के संस्थानों में भी लोगों को जागरूक करने हेतु तंबाकू नियंत्रण पर चर्चा आयोजित करेगी।
  - ज़िला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को प्रत्येक ग्राम सभा की बैठक में तंबाकू नियंत्रण पर चर्चा आयोजित करने को कहा गया है।
- राज्य में प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों के प्रवेश को रोकने के लिये पुलिस को चेकपोस्टों पर सतर्कता बढ़ाने का भी आदेश दिया गया है।
- इससे पहले भी अप्रैल 2020 में झारखंड सरकार ने कोविड-19 संक्रमण में वृद्धि की संभावना को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था।

नोट :

भारत में तंबाकू नियंत्रण:

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन:

- भारत ने वर्ष 2004 में WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (WHO Framework Convention on Tobacco Control) की रुपरेखा के तहत समझौते की पुष्टि की थी।

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003:

- इसके द्वारा वर्ष 1975 के सिगरेट एक्ट को बदला गया जो काफी हद तक वैधानिक चेतावनियों तक ही सीमित था और इसमें गैर-सिगरेट उत्पादों को शामिल नहीं किया गया था।
- वर्ष 2003 के अधिनियम के माध्यम से सिगार, बीड़ी, पाइप तंबाकू, हुक्का, चबाने वाला तंबाकू, पान मसाला और गुटखा को भी इसमें शामिल किया गया।

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, 2008:

- उद्देश्य: तंबाकू की खपत को नियंत्रित करना और तंबाकू से होने वाली मौतों को कम करना।
- कार्यान्वयन: इस कार्यक्रम को तीन स्तरीय संरचना (i) केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ (ii) राज्य स्तर पर राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ और (iii) ज़िला स्तर पर ज़िला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन नियम, 2020:

- यह संशोधन सभी तंबाकू उत्पादों पर चित्रित चेतावनियों के साथ निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों का नया सेट प्रदान करता है।

एम-सेसेशन (mCessation) कार्यक्रम:

- यह तंबाकू को प्रतिबंधित करने के लिये मोबाइल प्रौद्योगिकी पर आधारित एक पहल है।
- भारत ने वर्ष 2016 में सरकार की 'डिजिटल इंडिया' पहल के हिस्से के रूप में टेक्स्ट संदेशों (Text MeSSageS) का उपयोग कर एम-सेसेशन (mCeSSation) कार्यक्रम शुरू किया था।

प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981:

- यह अधिनियम धूम्रपान को वायु प्रदूषक के रूप में मानता है।

केबल टेलीविज़न नेटवर्क संशोधन अधिनियम, 2000:

- यह भारत में तंबाकू और शराब से संबंधित विज्ञापनों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाता है।
- भारत सरकार ने **खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006** के तहत विनियम जारी किये हैं, जिनमें यह निर्धारित किया गया है कि तंबाकू या निकोटीन का उपयोग खाद्य उत्पादों में नहीं किया जा सकता है।

मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने छात्रों को अपनी मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु रोडमैप तैयार करने के लिये एक कार्य दल (Task Force) का गठन किया है।

प्रमुख बिंदु:

- कार्य दल-
  - अध्यक्षता: इसकी स्थापना सचिव, उच्च शिक्षा, अमित खरे की अध्यक्षता में की जाएगी।

नोट :

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण- छात्र अपनी मातृभाषा में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे- चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून आदि में आगे बढ़ सकें, को प्राप्त करना है।
- यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का हिस्सा है जो कक्षा 8 तक क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने और पाठ्यक्रम को एक ऐसी भाषा में तैयार करने पर केंद्रित है कि वह छात्र के लिये सहज हो।
- कार्य: यह विभिन्न हितधारकों द्वारा दिये गए सुझावों को ध्यान में रखेगा और एक माह में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

- क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने का कारण
  - रचनात्मकता को बढ़ाना: यह देखा गया है कि मानव मस्तिष्क उस भाषा में सहजता से ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होता है जिसमें वह बचपन से सोच-विचार का आदी होता है।
  - जब छात्रों को क्षेत्रीय भाषाओं में समझाया जाता है, विशेषकर मातृभाषा में तो वे विचारों की अभिव्यक्ति या उसे सरलता से ग्रहण कर लेते हैं।
  - कई देशों द्वारा अभ्यासरत: विश्व के कई देशों में कक्षाओं में शिक्षण कार्य विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाता है, चाहे वह फ्राँस, जर्मनी, रूस या चीन जैसे देश हों, जहाँ 300 से अधिक भाषाएँ और बोलियाँ हैं।
  - समावेशी बनाना: यह सामाजिक समावेशिता, साक्षरता दर में सुधार, गरीबी में कमी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में मदद करेगा। समावेशी विकास के लिये भाषा एक उत्प्रेरक का कार्य कर सकती है। मौजूदा भाषायी बाधाओं को हटाने से समावेशी शासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- **मुद्दे:** क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिये शिक्षकों को ऑडियो ट्रांसलेशन टूल्स से तकनीकी सहायता के अलावा अंग्रेज़ी, पाठ्यपुस्तकों और क्षेत्रीय भाषाओं में संदर्भ सामग्री के साथ-साथ शाब्दिक माध्यम में कुशल होने की आवश्यकता होगी।
  - क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिये सरकार की पहलें
  - हाल ही में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु एक मुख्य पहल है।
  - वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (Commission for Scientific and Technical Terminology-CSTT) क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के प्रकाशन को बढ़ावा देने हेतु प्रकाशन अनुदान प्रदान कर रहा है।
  - इसकी स्थापना वर्ष 1961 में सभी भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दावली विकसित करने के लिये की गई थी।
  - केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (Central Institute of Indian Languages- CIIL), मैसूर के माध्यम से राष्ट्रीय अनुवाद मिशन (National Translation Mission- NTM) का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में निर्धारित विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकों का आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है।
  - CIIL की स्थापना वर्ष 1969 में शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत की गई थी।
  - भारत सरकार द्वारा लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये 'लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिये योजना' (SPPEL) का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
  - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) देश में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने का प्रयास करता है और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लुप्तप्राय भाषाओं हेतु केंद्र की स्थापना से संबंधित योजना के तहत कुल नौ केंद्रीय विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
  - हाल ही में केरल राज्य सरकार द्वारा शुरू किये गए 'नमथ बसई' कार्यक्रम ने राज्य के जनजातीय बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु मातृभाषाओं को अपनाने में सहायता प्रदान कर महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है।
- वैश्विक प्रयास
  - वर्ष 2018 में चीन के चांग्शा (ChangSha) शहर में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन- यूनेस्को (UNESCO) की 'युएलु घोषणा' (Yuelu Proclamation) ने अल्पसंख्यक भाषाओं और विविधता की रक्षा के लिये दुनिया भर के देशों का मार्गदर्शन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

नोट :

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2019 को 'स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष' के रूप में घोषित किया था।
- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वदेशी भाषाओं का संरक्षण, उनका समर्थन करना और उन्हें बढ़ावा देना है।

स्थानीय भाषाओं की रक्षा हेतु संवैधानिक और कानूनी अधिकार

- **अनुच्छेद 29** (अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण) यह उपबंध करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा।
- अनुच्छेद 120 (संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा) संसदीय कार्यवाही हेतु हिंदी या अंग्रेज़ी भाषा के उपयोग का प्रावधान करता है, लेकिन साथ ही संसद सदस्यों को अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान करता है।
- भारतीय संविधान का भाग XVII, अनुच्छेद 343 से 351 तक आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है।
  - अनुच्छेद 350A (प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा): इसके मुताबिक प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषायी अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेंगे।
  - अनुच्छेद 350B (भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये विशेष अधिकारी): भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अधीन भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करने और इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।
  - अनुच्छेद 351 (हिंदी भाषा के विकास के लिये निदेश) केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिये निर्देश जारी करने की शक्ति देता है।
- भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है: असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगू, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी।
- शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के मुताबिक जहाँ तक संभव हो शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिये।

आगे की राह

- दुनिया भर के विभिन्न देशों ने अपनी मातृभाषा को सफलतापूर्वक अंग्रेज़ी के साथ प्रतिस्थापित कर दिया है, और वे विश्व-स्तरीय वैज्ञानिकों, शोधकर्त्ताओं, अनुसंधानकर्त्ताओं और विचारकों को तैयार करने में सक्षम हैं। भाषा की बाधा केवल तभी तक रहती है जब तक कि संबंधित भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों को उस भाषा में ज्ञान के सृजन हेतु उचित प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, अत: आवश्यक है कि सरकार द्वारा स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिये उन भाषाओं में मूल वैज्ञानिक लेखों और पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहित किया जाए।
- साथ ही कई अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि यदि बच्चों को छोटी उम्र में ही सिखाया जाए तो वे कई सारी भाषाएँ सीख सकते हैं। इस तरह अंग्रेज़ी भाषा के ज्ञान को नज़रअंदाज किये बिना भी क्षेत्रीय भाषाओं में बच्चों को उच्च-स्तरीय ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। यह याद रखना महत्त्वपूर्ण है कि अंग्रेज़ी ऐसी एकमात्र भाषा नहीं है, बल्कि यह उन भाषाओं में से एक है, जो कि बच्चों को विश्व में भागीदार बनने और उसका अनुभव करने में मदद कर सकती है।

मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करने हेतु पहलें

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने सीवर लाइनों और सेप्टिक टैंकों की मैनुअल सफाई की खतरनाक प्रथा को समाप्त करने और मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देने के लिये दो प्रमुख पहलों की घोषणा की है।

- केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सीवर लाइनों और सेप्टिक टैंकों की मशीनीकृत सफाई को अनिवार्य बनाने के लिये कानून में संशोधन की घोषणा की गई है, वहीं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज की शुरुआत की है।

नोट :

- प्रमुख बिंदु
  - कानून में संशोधन: घोषणा के मुताबिक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राष्ट्रीय कार्ययोजना के हिस्से के रूप में 'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020' को प्रस्तुत किया जाएगा।
  - इस राष्ट्रीय कार्ययोजना का उद्देश्य मौजूदा सीवेज सिस्टम को आधुनिक बनाना; सेप्टिक टैंक की मशीनीकृत सफाई के लिये मैला और सेप्टेज प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करना, मैले का परिवहन और उपचार; नगरपालिकाओं को अत्याधुनिक तकनीक प्रदान करना और मोबाइल हेल्पलाइन के साथ स्वच्छता प्रतिक्रिया इकाइयों की स्थापना करना है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- **मशीनीकृत सफाई:** प्रस्तावित विधेयक में सीवर लाइनों और सेप्टिक टैंकों की मशीनीकृत सफाई को अनिवार्य करने का प्रावधान किया गया है, साथ ही विधेयक के तहत इस कार्य में शामिल कर्मियों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और किसी भी दुर्घटना की स्थिति में मुआवज़ा प्रदान करने की बात भी कही गई है।
- **दंड:** इस विधेयक में जुर्माने की राशि और कारावास की अवधि को बढ़ाकर हाथ से मैला ढोने (मैनुअल स्कैवेंजिंग) की कुप्रथा पर रोक लगाने वाले कानून को और अधिक कठोर बनाने का प्रस्ताव किया गया है।
  - वर्तमान में किसी भी व्यक्ति को सीवर लाइनों और सेप्टिक टैंकों की सफाई के खतरनाक काम में बिना अनिवार्य सुरक्षा उपकरणों के शामिल करने पर पाँच वर्ष तक का कारावास या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों सज़ा का प्रावधान है।
- **कोष:** विधेयक के तहत सीवर लाइनों और सेप्टिक टैंकों की मशीनीकृत सफाई के लिये आवश्यक उपकरणों की खरीद हेतु ठेकेदारों या नगरपालिकाओं को पैसा देने के बजाय सीधे श्रमिकों को धन मुहैया कराने का निर्णय लिया गया है।

सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज

- लॉन्च: सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज का शुभारंभ 19 नवंबर, 2020 को विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर देश भर के 243 प्रमुख शहरों में किया गया है।
- उद्देश्य: सीवरों और सेप्टिक टैंकों की मैनुअल सफाई की प्रथा को समाप्त करना और मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देना।
- पात्रता: राज्यों की राजधानियाँ, शहरी स्थानीय निकाय और सभी स्मार्ट सिटीज़ इस चैलेंज में हिस्सा लेने के लिये पात्र होंगे।
- पुरस्कार: शहरों को तीन उप-श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा। ये हैं- 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर, 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहर और 3 लाख तक की आबादी वाले शहर। तीनों उप-श्रेणियों में सभी विजेताओं को कुल 52 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी।

'मैनुअल स्कैवेंजिंग' का अर्थ

- परिभाषा: मैनुअल स्कैवेंजिंग का आशय किसी व्यक्ति द्वारा बिना सुरक्षा उपकरणों के अपने हाथों से मानवीय अपशिष्ट (Human Excreta) की सफाई करने या ऐसे अपशिष्टों को सर पर ढोने अथवा नालियों, सीवर लाइनों और सेप्टिक टैंकों की सफाई करने की प्रथा से है।

चिंताएँ

- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) के अनुसार, बीते 10 वर्षों में सीवर लाइन और सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए देश भर में कुल 631 लोगों की मौत हो गई।
  - वर्ष 2019 में ऐसे सबसे अधिक सफाई कर्मचारियों की मौत हुई थी, जिनकी संख्या बीते पाँच वर्ष में सबसे अधिक है।
  - वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण होने वाली मौतों में 61 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली थी।
- सीवेज लाइन और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिये मशीनीकृत प्रणालियों की शुरुआत के बावजूद इस प्रक्रिया में अभी भी मानवीय हस्तक्षेप जारी है।
- वर्ष 2018 में एकत्र किये गए आँकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में कुल 29,923 लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग के कार्य में शामिल हैं, जो कि भारत के किसी भी अन्य राज्य से सबसे अधिक है।

नोट :

मैनुअल स्कैवेंजिंग की व्यापकता का कारण

- **उदासीन मनोवृत्ति:** कई अध्ययनों में राज्य सरकारों द्वारा इस कुप्रथा को समाप्त कर पाने में असफलता को स्वीकार न करना और इसमें सुधार के प्रयासों की कमी को एक बड़ी समस्या बताया है।
- **आउट सोर्सिंग:** कई बार स्थानीय निकाय द्वारा सीवर की सफाई का कार्य निजी ठेकेदारों को सौंप दिया जाता है। इनमें से अधिकांश निजी ठेकेदार सफाई कर्मियों की सुरक्षा और स्वच्छता का सही ढंग से ध्यान नहीं रखते हैं।
  - प्राय: यह देखा जाता है कि ऐसे निजी ठेकेदारों के साथ कार्य करने वाले सफाई कर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में ये ठेकेदार पीड़ित के साथ किसी भी प्रकार के संबंध से इनकार कर देते हैं।
- **सामाजिक कारण:** इस प्रकार की प्रथा अक्सर जाति और वर्ग से प्रेरित होती है।
  - यह भारत की जाति व्यवस्था से भी जुड़ी है, जहाँ तथाकथित निचली जातियों से इस प्रकार के काम की उम्मीद की जाती है।
  - कानून द्वारा मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त कर दिया गया है, हालाँकि इसके साथ जुड़े भेदभाव और जातिगत पहचान को अभी भी समाप्त किया जाना शेष है।

संबंधित पहलें

- 'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' में अस्वच्छ शौचालयों के निर्माण एवं रखरखाव तथा किसी भी व्यक्ति को मैनुअल स्कैवेंजिंग के कार्य में संलग्न करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है।
  - इसके तहत नगरपालिका द्वारा हाथ से मैला ढोने वाले लोगों की पहचान और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने का भी उपाय किया गया है।
- वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश के माध्यम से सरकार को यह निर्देश दिया था कि वह वर्ष 1993 के बाद से मैनुअल स्कैवेंजिंग कार्य करने के दौरान मरने वाले सभी लोगों की पहचान करे और उनके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवज़ा प्रदान करे।
- वर्ष 1993 में भारत सरकार द्वारा 'मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम' लागू किया गया, जिसके माध्यम से देश में हाथ से मैला ढोने की प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया तथा इसे संज्ञेय अपराध मानते हुए ऐसे मामलों में एक वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
  - यह अधिनियम देश में शुष्क शौचालयों के निर्माण को भी प्रतिबंधित करता है।
- वर्ष 1989 के अत्याचार निवारण अधिनियम ने भी सफाई कर्मचारियों के लिये काफी महत्त्वपूर्ण कार्य किया है, ज्ञात हो कि भारत में सफाई कर्मचारियों के रूप में कार्य करने वाले 90 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति (SC) से हैं।
- संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के प्रत्येक नागरिक को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है।

आगे की राह

- पहचान और प्रत्यक्ष हस्तक्षेप: सफाई कर्मियों को किसी भी प्रकार की सुविधा प्रदान करने से पूर्व यह आवश्यक कि उनकी सही ढंग से पहचान की जाए। सही गणना के बिना लोगों को लक्षित करना काफी मुश्किल होगा।
- स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाना: 15वें वित्त आयोग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में चिह्नित किये जाने और स्मार्ट सिटीज़ तथा शहरी विकास के लिये उपलब्ध धन मैनुअल स्कैवेंजिंग की समस्या को हल करने के लिये एक मज़बूत अवसर प्रदान करता है।
- सामाजिक जागरूकता: मैनुअल स्कैवेंजिंग से जुड़े सामाजिक पहलुओं से निपटने से पहले यह स्वीकार किया जाना चाहिये कि आज भी यह कुप्रथा जाति और वर्ण व्यवस्था से जुड़ी हुई है, साथ ही इसके पीछे के कारकों को समझना भी आवश्यक है।
- सख्त कानून की आवश्यकता: यदि सरकार द्वारा किसी कानून के माध्यम से राज्य एजेंसियों के लिये मशीनीकृत उपकरण और स्वच्छता सेवाएँ प्रदान करना अनिवार्य बना दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में श्रमिकों के अधिकारों की अनदेखी करना और भी मुश्किल हो जाएगा।

नोट :

तकनीकी वस्त्र के लिये एक समर्पित निर्यात संवर्धन परिषद

चर्चा में क्यों ?

वस्त्र मंत्रालय ने एक समर्पित निर्यात संवर्धन परिषद (Export Promotion Council- EPC) के गठन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- तकनीकी वस्त्रों के लिये निर्यात संवर्धन परिषद का गठन राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का एक भाग है।
  - परिषद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और उसके विकास के संबंध में केंद्र सरकार के सभी निर्देशों का पालन करेगी।

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन:

- इसे फरवरी 2020 में 1480 करोड़ रु के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था। ।
- इसका उद्देश्य देश को तकनीकी वस्त्रों में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थान देना है और घरेलू बाज़ार में तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ाना है।
- इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक घरेलू बाज़ार के व्यापार को 40 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 50 बिलियन अमरीकी डॉलर तक ले जाना है।
- यह वर्ष 2020-2021 से चार वर्षों के लिये लागू किया जाएगा तथा इसके चार घटक हैं:
  - प्रथम घटक: यह 1,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अनुसंधान, विकास और नवाचार पर केंद्रित है।
    - जियो-टेक्सटाइल, कृषि- टेक्सटाइल, चिकित्सा-टेक्सटाइल, मोबाइल-टेक्सटाइल और खेल- टेक्सटाइल एवं जैवनिम्नीकरण तकनीकी टेक्सटाइल के विकास पर आधारित अनुसंधान अनुप्रयोग दोनों पर आधारित होगा।
    - अनुसंधान गतिविधियों में स्वदेशी मशीनरी और प्रक्रिया उपकरणों के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
  - द्वितीय घटक: इसका उद्देश्य तकनीकी वस्त्रों के लिये बाज़ार में प्रचार और विकास करना है।
  - तृतीय घटक: इसका उद्देश्य तकनीकी वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाकर वर्ष 2021-22 तक 20,000 करोड़ रुपए करना है जो वर्तमान में लगभग 14,000 करोड़ रुपए है साथ ही प्रतिवर्ष निर्यात में 10 प्रतिशत औसत वृद्धि सुनिश्चित करना है।
  - चतुर्थ घटक: यह शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास पर केंद्रित है।
- मिशन के कार्यान्वयन के लिये वस्त्र मंत्रालय में 'मिशन निदेशालय' (MiSSion Directorate) क्रियाशील है।

भारतीय तकनीकी वस्त्र संबंधी डाटा:

- भारतीय तकनीकी वस्त्र खंड का अनुमानित आकार 16 बिलियन अमरीकी डॉलर का है जो 250 बिलियन अमरीकी डॉलर के वैश्विक तकनीकी वस्त्र बाज़ार का लगभग 6% है।
- विकसित देशों में 30% से 70% के स्तर के मुकाबले भारत में तकनीकी वस्त्रों का प्रवेश स्तर 5% से 10% तक कम होता है।

तकनीकी वस्त्र

- तकनीकी वस्त्र ऐसे वस्त्र सामग्री और उत्पाद हैं जो मुख्य रूप से सौंदर्य संबंधी विशेषताओं के बजाय तकनीकी प्रदर्शन तथा कार्यात्मक गुणों के लिये बनाए जाते हैं।
- तकनीकी वस्त्र वे कार्यमूलक वस्त्र हैं जिन्हें वस्त्रों के विभिन्न क्षेत्रों जैसे- ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग और निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य, औद्योगिक सुरक्षा (फायर प्रूफ जैकेट), व्यक्तिगत सुरक्षा (बुलेट प्रूफ जैकेट, हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट गियर) और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के साथ-साथ विभिन्न उद्योगों में उपयोग किया जाता है।
- प्रयोग के आधार पर, 12 तकनीकी वस्त्र खंड हैं:
- एग्रोटेक, मेडिटेक, बिल्डटेक, मोबिल्टेक, क्लोथेक, ओईटेक, जियोटेक, पैकटेक, हॉमटेक, प्रोटेक, इंडुटेक और स्पोर्टेक।

नोट :

उदाहरण

- मोबिलटेक (Mobiltech) वाहनों में सीट बेल्ट और एयरबैग, हवाई जहाज की सीटों जैसे उत्पादों को संदर्भित करता है।
- जियोटेक (Geotech), जो संयोगवश सबसे तेजी से उभरता हुआ खंड है, जिसका उपयोग मृदा आदि को जोड़े रखने में किया जाता करता है।

शहद में मिलावट

चर्चा में क्यों ?

- विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (Centre for Science and Environment) द्वारा की गई एक जाँच से भारत में कई प्रमुख ब्रांडों द्वारा बेचे जाने वाले शहद में चीनी के सिरप की मिलावट के बारे में पता चला है।
  - CSE एक गैर-लाभकारी संगठन है, जो कि मुख्यत: सार्वजनिक हित के विषयों पर अनुसंधान करता है।

प्रमुख बिंदु

जाँच- परिणाम:

- विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (CSE) द्वारा किये गए परमाणु चुंबकीय अनुनाद (Nuclear Magnetic ReSonance) परीक्षण में 13 में से 10 ब्रांडों के नमूने फेल हो गए।
  - अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत परमाणु चुंबकीय अनुनाद (NMR) परीक्षण में डाबर, पतंजलि, बैद्यनाथ, हितकारी और एपिस हिमालय जैसे भारत के ब्रांडों के शहद के नमूने फेल हो गए।
- परीक्षण के मुताबिक, शहद का कारोबार करने वाली भारतीय कंपनियाँ शहद में मिलावट के लिये चीन से संश्लेषित चीनी सिरप (Sugar SyrupS) का आयात कर रही हैं।
  - CSE ने अपनी जाँच में चीन के ऐसे कई वेब पोर्टल्स का पता लगाया जो फलों के रस से निर्मित ऐसे चीनी सिरप का प्रचार कर रहे थे, जिसे मिलावट के परीक्षण के दौरान पकड़ना काफी मुश्किल होता है।
  - चीन की कंपनियों ने CSE को सूचित किया कि भले ही शहद में 50 से 80 प्रतिशत तक मिलावट क्यों न की जाए वह शहद फिर भी भारतीय नियमों के तहत निर्धारित मानकों पर खरा उतरेगा और परीक्षण में सफल हो जाएगा।
    - मौजूदा भारतीय नियमों के मुताबिक, शहद के परीक्षण के दौरान यह जाँच की जाती है कि शहद में C4 चीनी (गन्ने से प्राप्त चीनी) या C3 चीनी (चावल से प्राप्त चीनी) के साथ मिलावट की गई है अथवा नहीं।
- ज्ञात हो कि इस प्रकार की मिलावट ने उन मधुमक्खी पालकों की आजीविका को भी नष्ट कर दिया जो शुद्ध शहद बनाते हैं, क्योंकि चीनी-सिरप शहद प्राय: आधे मूल्य पर उपलब्ध हो जाता है।

प्रभाव:

- रोगाणुरोधी और सूजनरोधी (Antimicrobial and Antiinflammatory) गुण के कारण लोगों द्वारा शहद का अधिक सेवन किया जाता है।
- इस जाँच के अनुसार, बाज़ार में बिकने वाले अधिकांश शहद में चीनी की मिलावट की जाती है। इसलिये शहद के बजाय लोग अधिक चीनी खा रहे हैं, जो कोविड-19 के जोखिम के साथ ही मोटापे के को भी बढ़ाएगा।

परमाणु चुंबकीय अनुनाद

- यह एक ऐसा परीक्षण है जो आणविक स्तर पर किसी उत्पाद की संरचना का पता लगा सकता है।
- यह रसायन विज्ञान की एक विश्लेषणात्मक तकनीक है जिसका उपयोग नमूने की सामग्री और शुद्धता के साथ-साथ इसकी आणविक संरचना को निर्धारित करने तथा गुणवत्ता नियंत्रण और अनुसंधान में किया जाता है।
- भारतीय कानून के तहत ऐसे शहद के लिये NMR परीक्षण आवश्यक नहीं है जिसका विपणन स्थानीय स्तर पर किया जाता है, लेकिन निर्यात के मामले में यह परीक्षण आवश्यक है।
- हाल के NMR परीक्षण योगज (Additive) का पता लगाने में सक्षम होने के बावजूद मिलावट की मात्रा का पता लगाने में असफल रहे।

आगे की राह

नोट :

- सुदृण मानकों, परीक्षण और ट्रेसबिलिटी के माध्यम से भारत में इसके प्रवर्तन को मज़बूत करने की आवश्यकता है।
- सरकार को उन्नत तकनीकों का उपयोग कर नमूनों का परीक्षण करवाना चाहिये और इस जानकारी को सार्वजनिक करना चाहिये ताकि उपभोक्ता जागरूक हों और उनके स्वास्थ्य को नुकसान न हो।
- चीन से शुगर सिरप और शहद का आयात बंद कर देना चाहिये तथा अन्य देशों (सिरप लॉन्ड्रिंग) के माध्यम से भी इसके आयात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।
- आवश्यक है कि कंपनियों द्वारा शहद के पारंपरिक स्रोतों जैसे- मधुमक्खी पालन आदि के माध्यम से शहद की प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये, जिससे मधुमक्खी पालकों को भी लाभ प्राप्त होगा और इस क्षेत्र को एक नया स्वरूप दिया जा सकेगा।

पुलिस थानों में CCTV: SC

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिये कहा है कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन में CCTV (CloSed-Circuit TeleviSion) कैमरे लगाए जाएँ।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि:

- डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2015) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि मानवाधिकारों के हनन की जाँच के लिये हर थाने और जेल में CCTV लगाए जाएँ।
- 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय (The MiniStry of Home AffairS) को जाँच के दौरान अपराध स्थल की वीडियोग्राफी का उपयोग करने हेतु एक केंद्रीय पर्यवेक्षण निकाय (Central OverSight Body) गठित करने को कहा।
- सर्वोच्च न्यायालय ने पाया है कि अधिकांश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस थानों में CCTV नहीं लग पाए हैं।

नवीनतम दिशा-निर्देश:

- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन के सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं, मुख्य द्वार, लॉक-अप, गलियारों, लॉबी तथा रिसेप्शन पर CCTV कैमरे लगाए जाएँ। साथ ही लॉक-अप कमरों के बाहर के क्षेत्र में भी कोई स्थान खुला नहीं छोड़ा जाए।
- सीसीटीवी सिस्टम को नाइट विज़न से लैस किया जाना चाहिये और इसमें ऑडियो के साथ-साथ वीडियो फुटेज की व्यवस्था भी होनी चाहिये। साथ ही केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये ऐसे सिस्टम खरीदना अनिवार्य होगा जिससे कम-से-कम एक साल से अधिक समय के लिये डेटा का भंडारण किया जा सके।
- केंद्र सरकार द्वारा **केंद्रीय जाँच ब्यूरो** (Central Bureau of InveStigationS), **प्रवर्तन निदेशालय** (Enforcement Directorate) और **राष्ट्रीय जाँच एजेंसी** (National InveStigation Agency) सहित उन सभी जाँच एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे तथा रिकॉर्डिंग उपकरण लगाए जाने चाहिये जिन्हें पूछताछ एवं गिरफ्तारी का अधिकार प्राप्त है।
  - पर्यवेक्षण निकाय का कार्यान्वयन राज्य और ज़िला स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिये।
- **संवैधानिक आयाम:** सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान दिशा-निर्देश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) में निहित मौलिक अधिकार को प्रतिष्ठापित करते हैं।
  - **अनुच्छेद 21:** इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।
  - अनुच्छेद 21 के विस्तृत दायरे को सर्वोच्च न्यायालय ने **उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य** (1993) मामले में विस्तार से बताया है तथा सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं दिये गए निर्णय के आधार पर अनुच्छेद 21 के तहत कुछ अधिकारों की सूची प्रदान की है, इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

नोट :

- विदेश जाने का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तीकरण का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, विलंबित फाँसी के खिलाफ अधिकार, हिरासत में मृत्यु के खिलाफ अधिकार, सार्वजनिक फाँसी के विरुद्ध अधिकार, डॉक्टरों की सहायता, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, प्रत्येक बच्चे को पूर्ण विकास का अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार।

हिरासत में हिंसा से संबंधित डेटा:

- **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो** (According to National Crime Records Bureau) के आँकड़ों के अनुसार, भारत में वर्ष 2001-2018 के बीच इस प्रकार की 1,727 मौतें दर्ज की गईं जिनके लिये केवल 26 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया था।
- 2018 में ऐसी 70 मौतों में से केवल 4.3% मौतों के लिये ही पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया था जहाँ हिरासत के दौरान पीटे जाने से मौतें हुई थीं।
- अभिरक्षा (Custodial) में मौतों के अलावा 2000-2018 के बीच पुलिस के खिलाफ 2,000 से अधिक मानवाधिकार उल्लंघन के मामले भी दर्ज किये गए थे जिनमें केवल 344 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया था।
- **यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन** (United Nations Convention Against Torture) का भारत हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, जिसके तहत राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में अत्याचार को रोकने के लिये प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता होती है। यह देशों को अपने नागरिक उन देशों में भेजने से मना करता है, जहाँ यह आशंका होती है कि उन्हें यातना झेलनी पड़ सकती है।

CCTV:

- यह एक टेलीविज़न प्रणाली है जिसमें संकेतों को सार्वजनिक रूप से प्रसारित नहीं किया जाता है बल्कि निगरानी और सुरक्षा उद्देश्यों हेतु इसका उपयोग किया जाता है।
- घटक: इसमें सिर्फ आधारभूत घटक शामिल होते हैं जो बहुत ज़्यादा उपकरणों से नहीं जुड़े होते हैं। इनमें एक कैमरा (लेंस के साथ), केबल, एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (Digital Video Recorder) या नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (Network Video Recorder) और एक वीडियो मॉनिटर शामिल हैं।

सुरक्षा उपयोग:

- यह आतंकवाद और अन्य सुरक्षा खतरों को रोकने के लिये एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा नियंत्रक है।
- न्याय के लिये सबूत उपलब्ध करने के साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और इलेक्ट्रॉनिक खतरों का पता लगाने में भी CCTV का उपयोग महत्त्वपूर्ण है।

गैर-निवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India- ECI) ने कानून और न्याय मंत्रालय को सूचित किया है कि वह अगले वर्ष असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में होने वाले चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलट सिस्टम (ET-PBS) का प्रयोग गैर-निवासी भारतीय (NRI) के लिये करने हेतु "तकनीकी और प्रशासनिक रूप से तैयार है"।

प्रमुख बिंदु:

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2013 और 2014 में ECI ने कई सांसदों, उद्योगपतियों, मंत्रियों के अनुरोध करने और सर्वोच्च न्यायालय (SC) में गैर-निवासी भारतीयों द्वारा याचिका दायर करने के बाद संभावित विकल्पों की तलाश शुरू कर दी थी।
- वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद मुख्य रूप से तीन विकल्पों का अध्ययन करने के लिये एक 12 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था:

नोट :

- डाक द्वारा मतदान।
- विदेशों में भारतीय मिशनों पर मतदान
- ऑनलाइन वोटिंग।

- समिति ने ऑनलाइन मतदान से इनकार कर दिया। इसके पीछे उनका मत था कि यह "मतदान की गोपनीयता" को खत्म कर सकता है, इसके अलावा पर्याप्त संसाधनों के अभाव के कारण विदेशों में भारतीय मिशनों पर मतदान करने के प्रस्ताव को भी रद्द कर दिया।
- वर्ष 2015 में पैनल ने समिति से सिफारिश की कि NRIs को व्यक्तिगत रूप से मतदान के अलावा "ई-पोस्टल बैलट और प्रॉक्सी वोटिंग जैसे अतिरिक्त वैकल्पिक विकल्प" दिये जाएँ।
  - प्रॉक्सी वोटिंग के तहत एक पंजीकृत मतदाता अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग एक प्रतिनिधि के माध्यम से कर सकता है।
  - वर्तमान में भारत में रहने वाले मतदाताओं (सेवा मतदाता) की कुछ श्रेणियों के लिये डाक मतपत्रों की अनुमति है, जिसमें शामिल हैं:
    - सशस्त्र बलों के सदस्य।
    - किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य, जो उस राज्य के बाहर सेवारत हैं।
    - भारत सरकार के अधीन किसी पद पर भारत के बाहर कार्यरत व्यक्ति।
- वर्ष 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NRIs के लिये प्रॉक्सी वोटिंग अधिकारों पर प्रस्ताव पारित किया और जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 में संशोधन के लिये एक विधेयक लाया गया।
- हालाँकि 16वीं लोकसभा के विघटन होने के कारण यह बिल राज्यसभा में निरस्त हो गया और इस प्रस्ताव को दोबारा नहीं लाया गया।
  - ECI ने गैर-निवासी भारतीयों के लिये प्रॉक्सी वोटिंग के बजाय केवल पोस्टल मतदान के अधिकार पर ज़ोर दिया।
  - विदेशी मतदाताओं को पोस्टल मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिये सरकार को केवल चुनाव नियम, 1961 में संशोधन करने की आवश्यकता है। इसके लिये संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

NRIs के लिये वर्तमान मतदान प्रक्रिया:

- NRIs के लिये मतदान का अधिकार जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 में संशोधन के माध्यम से वर्ष 2011 में पुर:स्थापित किया गया था।
- एक NRIs पासपोर्ट में उल्लेखित अपने निवास स्थान के निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकता है।
- वह केवल व्यक्तिगत रूप से मतदान कर सकता है और मतदान केंद्र पर अपनी पहचान सिद्ध करने के लिये उसे अपने पासपोर्ट की मूल प्रति उपलब्ध करानी होगी।

NRIs मतदाताओं के पास वर्तमान शक्ति:

- संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 2015 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की प्रवासी आबादी विश्व में सबसे ज़्यादा (16 मिलियन) है।
  - यद्यपि भारत में मतदाताओं के रूप में पंजीकृत एक लाख से कुछ ही अधिक प्रवासी भारतीयों के साथ NRI मतदाताओं का पंजीकरण बहुत कम है।
- वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में उनमें से लगभग 25,000 लोग मतदान करने के लिये भारत आए।

पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान की प्रक्रिया:

- पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान में रुचि रखने वाले किसी भी NRI को चुनाव की अधिसूचना के पाँच दिन के अंदर मतदान के बारे में निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer-RO) को सूचित करना होगा।
  - संसदीय या विधानसभा क्षेत्र का RO संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के संचालन के लिये ज़िम्मेदार होता है।
- इस तरह की सूचना प्राप्त करने के बाद RO इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैलेट पेपर भेजेगा।
- NRI मतदाता बैलेट पेपर का प्रिंटआउट लेकर उस पर अपनी पसंद को चिह्नित करेंगे और इसे देश के राजनयिक या कांसुलर प्रतिनिधि द्वारा नियुक्त एक अधिकारी द्वारा सत्यापित घोषणा पत्र के साथ वहाँ भेज दिया जाएगा जहाँ का वह NRI निवासी है।

राजनीतिक पक्ष:

- समिति ने राष्ट्रीय राजनीतिक दलों और विदेश मंत्रालय (MEA) से NRIs के संबंध में विदेश में वोट डालने के लिये विचार किये जा रहे विकल्पों पर सलाह ली थी।

नोट :

- राजनीतिक दलों में केवल एनसीपी ने पूर्ण समर्थन व्यक्त किया है और बीएसपी, भाजपा तथा सीपीआई के अनुसार, समय की कमी के कारण डाक मतपत्र एक व्यवहार्य विकल्प नहीं था। कॉन्ग्रेस पोस्टल बैलेट को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजने के पक्ष में नहीं थी।

गैर- निवासी भारतीय (Non Resident Indian- NRI)

- 'अनिवासी भारतीय' (Non-ReSident Indian-NRI) का अर्थ ऐसे नागरिकों से है जो भारत के बाहर रहते हैं और भारत के नागरिक हैं या जो नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7(A) के दायरे में 'विदेशी भारतीय नागरिक' कार्डधारक हैं।
- आयकर अधिनियम के अनुसार, कोई भी भारतीय नागरिक जो "भारत के निवासी" के रूप में मानदंडों को पूरा नहीं करता है, वह भारत का निवासी नहीं है और उसे आयकर देने के लिये अनिवासी भारतीय माना जाता है।
- ध्यातव्य है कि 1 फरवरी, 2020 को प्रस्तुत बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आवासीय स्थिति (ReSidential StatuS) के आधार पर व्यक्तियों की कर-क्षमता का निर्धारण करने के लिये मापदंड और अवधि को संशोधित किया था।
- संशोधित नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति को तब भारत का साधारण निवासी (ReSident) माना जाएगा, जब वह पिछले वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 120 दिनों के लिये भारत में रहा हो, यह अवधि पूर्व में 182 दिन थी।

जम्मू-कश्मीर तथा लेह-कारगिल में वक्फ बोर्ड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जम्मू-कश्मीर और लेह-कारगिल में वक्फ बोर्ड के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई।

प्रमुख बिंदु:

- जम्मू-कश्मीर और लेह-कारगिल में वक्फ संपत्ति की संख्या हज़ारों में है और वक्फ की इन संपत्तियों का पंजीकरण करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
  - इन वक्फ बोर्ड संपत्तियों के डिजिटलीकरण और जिओ टैगिंग/जीपीएस मैपिंग का कार्य भी शुरू हो चुका है।
- केंद्र सरकार 'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम' (Pradhan Mantri Jan VikaS Karyakram- PMJVK) के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर व लेह-कारगिल में सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक गतिविधियों के लिये वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर आधारभूत अवसंरचना तैयार करने हेतु पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी।
  - प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों को बेहतर सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना (विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में) उपलब्ध कराना है ताकि पिछड़ेपन के मापदंडों के संदर्भ में राष्ट्रीय औसत और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच के अंतर को कम किया जा सके।
    - पूर्ववर्ती बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (Multi-Sectoral Development Programme- MSDP) को प्रभावी कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2018 से प्रधानमंत्री जन विकास कार्यकम के रूप में पुनर्गठित तथा पुनर्नामित किया गया है।

केंद्रीय वक्फ परिषद (Central Waqf Council)

- केंद्रीय वक्फ परिषद एक सांविधिक निकाय है तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1964 में 'वक्फ अधिनियम, 1954' में किये गए प्रावधानों के तहत की गई थी।
- यह एक सलाहकारी निकाय है जो वक्फ बोर्डों और औकाफ (Auqaf) के नियत प्रशासन से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है।
  - औकाफ (Awkaf/Auqaf), अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है संपत्ति।
  - परिषद में एक अध्यक्ष (जो वक्फ का प्रभारी केंद्रीय मंत्री भी होता है) तथा अधिकतम 20 सदस्य होते हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।

नोट :

- प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है, जिसमें एक अध्यक्ष, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक या दो व्यक्ति, मुस्लिम विधायक और सांसद, राज्य बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्य, इस्लामी धर्मशास्त्र तथा मुतवली (MutawaliS) के मान्यता प्राप्त विद्वान शामिल होते हैं।

64वाँ महापरिनिर्वाण दिवस

चर्चा में क्यों ?

डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि 6 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष महापरिनिर्वाण दिवस (Mahaparinirvan DiwaS) के रूप में मनाया जाता है।

- परिनिर्वाण जिसे बौद्ध धर्म के लक्ष्यों के साथ-साथ एक प्रमुख सिद्धांत भी माना जाता है, यह एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु के बाद मुक्ति अथवा मोक्ष। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिब्बाण सुत्त (Mahaparinibbana Sutta) के अनुसार, 80 वर्ष की आयु में हुई भगवान बुद्ध की मृत्यु को मूल महापरिनिर्वाण माना जाता है।
- बौद्ध नेता के रूप में डॉ. अंबेडकर की सामाजिक स्थिति के कारण उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जाना जाता है।

प्रमुख बिंदु

- जन्म: 14 अप्रैल, 1891 को मध्य प्रांत (अब मध्य प्रदेश) के महू में।

संक्षिप्त परिचय:

- डॉ. अंबेडकर एक समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री, लेखक, बहु-भाषाविद और तुलनात्मक धर्म दर्शन के विद्वान थे।
  - वर्ष 1916 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने।
- उन्हें भारतीय संविधान के जनक (Father of the Indian ConStitution) के रूप में जाना जाता है। वह स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून/विधि मंत्री थे।

संबंधित जानकारी:

- वर्ष 1920 में उन्होंने एक पाक्षिक (15 दिन की अवधि में छपने वाला) समाचार पत्र 'मूकनायक' (Mooknayak) की शुरुआत की जिसने एक मुखर और संगठित दलित राजनीति की नींव रखी।
- उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा (1923) की स्थापना की, जो दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रचार-प्रसार हेतु समर्पित थी।
- वर्ष 1925 में बॉम्बे प्रेसीडेंसी समिति द्वारा उन्हें साइमन कमीशन में काम करने के लिये नियुक्त किया गया था।
- हिंदुओं के प्रतिगामी रिवाज़ों को चुनौती देने के लिये मार्च 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह (Mahad Satyagraha) का नेतृत्त्व किया।
- वर्ष 1930 के कालाराम मंदिर आंदोलन में अंबेडकर ने कालाराम मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि दलितों को इस मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। इसने भारत में दलित आंदोलन शुरू करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- उन्होंने तीनों **गोलमेज सम्मेलनों** (Round-Table ConferenceS) में भाग लिया।
- वर्ष 1932 में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ **पूना समझौते** (Poona Pact) पर हस्ताक्षर किये, जिसके परिणामस्वरूप वंचित वर्गों के लिये अलग निर्वाचक मंडल (सांप्रदायिक पंचाट) के विचार को त्याग दिया गया।
    - हालाँकि दलित वर्गों के लिये आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 तथा केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18% कर दी गई।
  - वर्ष 1936 में वह बॉम्बे विधानसभा के विधायक (MLA) चुने गए।
  - 29 अगस्त, 1947 को उन्हें संविधान निर्मात्री समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
  - उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनने के प्रधानमंत्री नेहरू के आमंत्रण को स्वीकार किया।

नोट :

- उन्होंने हिंदू कोड बिल (जिसका उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार लाना था) पर मतभेदों के चलते वर्ष 1951 में मंत्रिमंडल से त्याग-पत्र दे दिया।
- वर्ष 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया।
- 6 दिसंबर, 1956 को उनका निधन हो गया।
- वर्ष 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
- चैत्य भूमि भीमराव अंबेडकर का एक स्मारक है जो मुंबई के दादर में स्थित है।

- महत्त्वपूर्ण कृतियाँ: समाचार पत्र मूकनायक (1920), एनिहिलेशन ऑफ कास्ट (1936), द अनटचेबल्स (1948), बुद्धा ऑर कार्ल मार्क्स (1956), बुद्धा एंड हिज़ धम्म (1956) इत्यादि।

उद्धरण:

- "लोकतंत्र केवल सरकार का एक रूप नहीं है। यह मुख्य रूप से जुड़े रहने का एक तरीका है, संयुग्मित संचार अनुभव का। यह अनिवार्य रूप से साथी पुरुषों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का दृष्टिकोण है।"
- "मैं एक समुदाय की प्रगति को उस प्रगति डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है।"
- "मनुष्य नश्वर है। उसी तरह विचार भी नश्वर हैं। एक विचार को प्रचार-प्रसार की ज़रूरत होती है जैसे एक पौधे को पानी की ज़रूरत होती है। अन्यथा दोनों मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे।"

चिकित्सा आपूर्ति और मेक इन इंडिया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रेल मंत्रालय ने 'उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग' (DPIIT) से लिखित में भारत के बाहर निर्मित कुछ चिकित्सा वस्तुओं विशेष रूप से कोविड-19, कैंसर आदि के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाओं और उपकरणों आदि की खरीद के लिये छूट की मांग की है।

- DPIIT वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय विभाग है।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि

- अगस्त 2020 में उत्तर रेलवे ने रेलवे बोर्ड को औपचारिक रूप से लिखित में यह सूचित किया था कि मेक इन इंडिया नीति के आलोक में दवाओं और सर्जिकल उपकरणों की खरीद में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
  - ज्ञात हो कि भारतीय रेलवे 12 लाख से अधिक कर्मचारियों के साथ देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है और उसके पास स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढाँचे का अपना नेटवर्क मौजूद है, जिसमें सभी ज़ोनल मुख्यालयों में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल शामिल हैं।
- उत्तर रेलवे ने रेलवे बोर्ड को बताया था कि कैंसर के उपचार में प्रयोग होने वाली कुछ दवाएँ और कुछ एंटी-वायरल दवाएँ ऐसी हैं, जिन्हें भारत में मध्यस्थों और एजेंटों आदि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, किंतु इनका निर्माण भारत में नहीं किया जाता है। इसी वजह से ये दवाएँ और उपकरण क्लास-1 या क्लास-2 श्रेणी में नहीं आते हैं, जो कि 'मेक इन इंडिया' के तहत खरीद के लिये आवश्यक है।
  - केंद्र सरकार ने सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) 2017 में संशोधन करते हुए 'क्लास-1', 'क्लास-2' और 'गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्त्ता' की एक अवधारणा प्रस्तुत की थी, इसी अवधारणा के आधार पर भारत में सरकार द्वारा वस्तुओं की खरीद को वरीयता दी जाती है।
  - जून 2020 में, सरकार ने उन कंपनियों को अधिकतम वरीयता देने के लिये सार्वजनिक खरीद मानदंडों को संशोधित किया, जिनके वस्तुओं और सेवाओं में 50 प्रतिशत या अधिक स्थानीय सामग्री है। इस कदम का उद्देश्य 'मेक इन इंडिया' अभियान को बढ़ावा देना और देश को आत्मनिर्भर बनाना था।

नोट :

मुद्दा

- मौजूदा 'मेक इन इंडिया' नीति में ऐसी वस्तुओं की खरीद के लिये कोई भी विकल्प मौजूद नहीं है, जो क्लास-1 और क्लास-2 के स्थानीय आपूर्तिकर्त्ताओं की श्रेणी से संबंधित मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं।
  - क्लास-1 में उन आपूर्तिकर्त्ताओं या सेवाप्रदाताओं को शामिल किया जाता है, जिनकी वस्तुओं और सेवाओं में 50 प्रतिशत या उससे अधिक स्थानीय सामग्री शामिल होती है।
  - क्लास-2 में उन आपूर्तिकर्त्ताओं या सेवाप्रदाताओं को शामिल किया जाता है, जिनकी वस्तुओं और सेवाओं में 20 प्रतिशत से अधिक लेकिन 50 प्रतिशत कम स्थानीय सामग्री शामिल होती है।
  - उपरोक्त दो श्रेणियों के आपूर्तिकर्त्ता या सेवाप्रदाता ही 200 करोड़ रुपए से कम के अनुमानित मूल्य के साथ सरकार द्वारा की जाने वाली किसी भी खरीद में बोली लगाने के लिये पात्र होंगे।
- यही कारण है कि रेल मंत्रालय ने **'उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग'** (DPIIT) से **'गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं'** (ऐसे आपूर्तिकर्त्ता जिनकी वस्तुओं और सेवाओं में 20 प्रतिशत से कम स्थानीय सामग्री शामिल होती है) से दवाओं और उपकरणों की खरीद की मांग की सिफारिश की है।
  - हालाँकि, DPIIT ने रेल मंत्रालय को सूचित किया कि भारतीय एजेंटों/व्यापारियों के माध्यम से आयातित वस्तुओं की खरीद अप्रत्यक्ष तौर पर सामान्य वित्त नियम, 2017 का उल्लंघन है इसलिये ऐसी दवाओं/चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिये विशेष छूट प्राप्त करने की सिफारिश नहीं की जा सकती।
  - 200 करोड़ रुपए से अधिक राशि की वैश्विक निविदा जाँच पर प्रतिबंध लगाने के लिये मई 2020 में व्यय विभाग द्वारा GFR 2017 के नियम 161 (iv) में संशोधन किया गया था।
- इसका उद्देश्य स्थानीय संस्थाओं को लाभ पहुँचाने के लिये सरकारी संस्थाओं की खरीद कर स्थानीय निविदाओं की कार्यशीलता को सक्षम बनाना था।
- DPIIT ने इस विषय को फार्मास्युटिकल्स विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया है, जो कि फार्मास्युटिकल्स और मेडिकल उपकरणों के लिये नोडल एजेंसियाँ हैं।
- रेल मंत्रालय को सलाह दी गई कि वे आवश्यक पड़ने पर किसी विशेष खरीद में छूट प्राप्त करने के लिये प्रभारी मंत्री की मंज़ूरी के साथ 'मेक इन इंडिया' नीति के तहत जारी दिशा-निर्देशों के पैरा 14 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं।
  - पैरा 14 के तहत मंत्रालयों और विभिन्न सरकारी विभागों को छूट प्रदान करने तथा न्यूनतम स्थानीय सामग्री की आवश्यकता को कम करने का प्रावधान किया गया है।

सत्यता और हेट स्पीच

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वतंत्र अभिव्यक्ति (Free Speech) की सीमाओं और हेट स्पीच पर चर्चा करते हुए कहा गया है कि " ऐतिहासिक सत्यता (HiStorical TruthS) का वर्णन समाज के विभिन्न वर्गों या समुदायों के मध्य बिना किसी घृणा या शत्रुता का खुलासा किये या प्रोत्साहन के किया जाना चाहिये।"

- एक न्यूज़ शो में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर की गई कथित टिप्पणी के लिये टीवी एंकर के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी।

प्रमुख बिंदु

'सत्य तथ्यों' पर:

- सर्वोच्च न्यायालय ने सत्यता या सत्य तथ्यों के बारे में विस्तार से बताते हुए तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष फैसला सुनाते हुए के.ए. अब्बास बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 1970 का उल्लेख किया, जो कि सेंसरशिप से संबंधित था।

नोट :

- न्यायालय के निर्णय में कहा गया है कि ऐतिहासिक मूल्य के संदर्भ में नरसंहार या रक्तपात को दिखाने पर कोई रोक नहीं है लेकिन इस प्रकार के दृश्यों को तभी दिखाया जा सकता है यदि टकराव के दृश्यों को एक कलात्मक चित्रण के हिस्से के रूप में व्यवस्थित किया जा सके।

- संभाव्यता का मूल्यांकन एक स्वस्थ और उचित मानक के आधार पर किया जाना चाहिये जिससे इस स्थिति को स्वीकार किया जा सके कि ऐतिहासिक सत्य प्रासंगिक और महत्त्वपूर्ण कारक हो सकता है।
  - हालाँकि निश्चित रूप से ऐतिहासिक तथ्यों को इस प्रकार चित्रित किया जाना चाहिये जिससे वह विभिन्न वर्गों या समुदायों के मध्य ईर्ष्या, द्वेष अथवा शत्रुता को प्रोत्साहित न करे।
- न्यायालय द्वारा अब्राहिम सुलेमान सैत बनाम एम.सी. मोहम्मद और अन्य मामले में वर्ष 1980 में दिये गए निर्णय को भी संदर्भित किया गया।
  - न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय के अनुसार, सत्य बोलना जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 123 (3A) के तहत भ्रष्ट आचरण के आरोप का प्रत्युत्तर नहीं है।
  - प्रासंगिकता केवल इस तथ्य की थी कि क्या अभिव्यक्ति ने शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा दिया था।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हाशियाकरण:

- सत्यता और लोकप्रिय विश्वास या मत के मध्य विचलन देखने को मिल सकता है। पीठ द्वारा कहा गया कि कई मायनों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ने उन लोगों को सशक्त बनाया है जो हाशिये पर थे तथा भेदभाव का सामना कर रहे थे। अत: यह कहना पूरी तरह से गलत होगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अभिजात वर्ग की अवधारणा एवं पहचान है ।

हेट स्पीच:

- हेट स्पीच का कोई उद्धारक उद्देश्य नहीं होता जिसका अर्थ है कि 'यह मुख्य रूप से एक विशेष समूह के प्रति घृणा के अलावा और कोई अर्थ नहीं रखता।'
  - यह आवश्यक रूप से व्यक्तिपरक है और वक्ता की ओर से सद्भाव तथा अच्छे उद्देश्य का परीक्षण किया जाना आवश्यक है।
- हेट स्पीच की मर्यादा के संदर्भ में न्यायालय ने कहा कि किसी के द्वारा भी जाति, धर्म, पंथ या क्षेत्रीय आधार पर भेदभाव के प्रसार की निंदा और जाँच की जा सकती है।
- न्यायालय के अनुसार, हेट स्पीच के अपराधीकरण का उद्देश्य गरिमा की रक्षा करना और जाति, पंथ, धर्म, लिंग, लैंगिक पहचान, यौन अभिविन्यास, भाषायी वरीयता आदि की परवाह किये बिना विभिन्न तत्त्वों और समूहों के मध्य राजनीतिक एवं सामाजिक समानता सुनिश्चित करना है।
  - भारत में हेट स्पीच को किसी भी कानून के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि कुछ विधानों में किये गए विधिक प्रावधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपवाद के रूप में अभिव्यक्ति के चुनिंदा रूपों को प्रतिबंधित करते हैं।

स्व-विनियमन:

- हर किसी को घृणित और अनुचित व्यवहार के खिलाफ सामाजिक सद्भाव और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्य करना चाहिये जिसे आत्म-संयम, संस्थागत जाँच और सुधार, साथ ही स्व-विनियमन या वैधानिक नियमों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

राजनीतिक अभियक्ति:

- लोकतंत्र के संरक्षण और संवर्द्धन के लिये सरकार की नीतियों से संबंधित राजनीतिक अभिव्यक्ति को अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
  - खंडपीठ द्वारा दिये गए निर्णय के अनुसार, चुनी हुई सरकार की नीतियों पर असहमति और उसकी आलोचना नैतिक रूप से गलत या भ्रामक पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
  - सरकार को क्या सही है या गलत, क्या अच्छा है या बुरा, क्या वैध है या अवैध, इन सभी पहलुओं से बचना चाहिये क्योंकि इन पहलुओं को सार्वजनिक चर्चा के लिये छोड़ देना चाहिये।

नोट :

आशय और उद्देश्य:

- न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यह प्रभावशाली व्यक्ति या आम जन धर्म, जाति, पंथ इत्यादि से संबंधित विवादास्पद और संवेदनशील विषयों के बारे में चर्चा करते हैं या अभिव्यक्ति करते हैं तो उन्हें धमकियों और अभियोजन/मुकद्दमों के खतरे से डरना नहीं चाहिये।

राजमार्ग के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु केंद्र की शक्ति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 'चेन्नई-कृष्णगिरी-सलेम राष्ट्रीय राजमार्ग' (Chennai-KriShnagiri-Salem National Highway) के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के लिये 'राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956' के तहत जारी अधिसूचनाओं को सही ठहराया है।

- सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय केंद्र सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National HighwayS Authority of India) और कुछ भू-स्वामियों तथा कुछ अन्य लोगों द्वारा दायर अपीलों की सुनवाई के दौरान आया है।
- गौरतलब है कि इन अपीलों को मद्रास उच्च न्यायालय के उस निर्णय के खिलाफ दायर किया गया था जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा 'राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956' के तहत जारी अधिसूचनाओं को 'अवैध' बताया गया था।

प्रमुख बिंदु:

चेन्नई-कृष्णगिरी-सलेम राष्ट्रीय राजमार्ग:

- यह राष्ट्रीय राजमार्ग भारतमाला परियोजना के पहले चरण का हिस्सा है।
  - भारतमाला परियोजना 24,800 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसका अनुमानित परिव्यय लगभग 5.35 लाख करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य देश भर में माल ढुलाई और यात्रियों की आवाजाही से संबंधित बुनियादी ढाँचे का विकास करना है।
- यह 277.3 किलोमीटर लंबी आठ-लेन की एक ग्रीनफील्ड परियोजना है, जिसका उद्देश्य चेन्नई और सलेम के बीच यात्रा में लगने वाले समय को लगभग आधा करना है अर्थात् करीब सवा दो घंटे कम करना है।
  - 'ग्रीनफील्ड परियोजना' का तात्पर्य ऐसी परियोजना से है जिसमें किसी पूर्व कार्य/ परियोजना का अनुसरण नहीं किया जाता है। जहाँ मौजूदा संरचना को फिर से तैयार करने या ध्वस्त करने की आवश्यकता नहीं है।
  - इस परियोजना का विरोध किसानों (भूमि खोने का डर), पर्यावरणविदों (पेड़ों की कटाई के खिलाफ) आदि कुछ स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है। यह राजमार्ग आरक्षित वन और जल निकायों के बीच से होकर गुज़रेगा।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:

केंद्र की शक्तियाँ:

- संविधान किसी राज्य के अनुभाग (अस्तित्व विहीन सड़क या मौजूदा राजमार्ग) पर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की संसद की शक्ति को सीमित नहीं करता है।
- संविधान में उल्लेखित प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि किसी राजमार्ग के राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में नामित होने से संबंधित सभी विधायी एवं कार्यकारी शक्तियाँ संसद में निहित हैं।
- केंद्र सरकार संबंधित क्षेत्र में लोगों के सामाजिक न्याय और कल्याण को बढ़ावा देने के लिये संविधान (राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों) के भाग IV के तहत अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए एक नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने हेतु स्वतंत्र है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का महत्त्व:

- राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway) यात्रियों और वस्तुओं के अंतर-राज्यीय आवागमन के लिये देश की महत्त्वपूर्ण सड़कें हैं।
- ये सड़कें देश में लंबाई और चैड़ाई में आर-पार तक फैली हुई हैं तथा राष्ट्रीय एवं राज्यों की राजधानियों, प्रमुख पत्तनों, रेल जंक्शनों, सीमा से लगी हुई सड़कों तथा विदेशी राजमार्गों को जोड़ती हैं।

नोट :

परियोजना से संबंधित अन्य पहलू:

- मद्रास उच्च न्यायालय ने अधिग्रहण की कार्यवाही को गलत बताया था क्योंकि इस कार्यवाही से पूर्व पर्यावरणीय मंज़ूरी नहीं ली गई थी।
  - SC ने कहा कि निर्दिष्ट भूमि के अधिग्रहण के लिये पहले किसी भी पर्यावरणीय मंज़ूरी की आवश्यकता नहीं होती है, यह केवल तभी आवश्यक है जब वास्तविक सड़क बनाने का कार्य शुरू किया जाए।
  - निष्पादन एजेंसी (National Highway by The Executing Agency) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के "वास्तविक निर्माण या निर्माण कार्य" शुरू करने से पहले पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम और 1986 के नियमों के तहत पर्यावरणीय मंज़ूरी लेनी आवश्यक है।
- राजमार्ग के रास्ते में "परिवर्तन" के बारे में शिकायतों पर अदालत ने कहा कि इस तरह की एक परियोजना में 15% की सीमा तक परिवर्तन अनुमेय (PermiSSible) था।
- भूमि उपलब्धता कारकों से संबंधित अनपेक्षित मुद्दे जैसे- भीड़ से संबंधित कारक, दूरी में कमी, परिचालन दक्षता आदि परिवर्तनों को आकर्षित करती है।

राष्ट्रीय राजमार्ग

- भारत में प्रमुख सड़कें राष्ट्रीय (NH) और राज्य राजमार्ग (SH) हैं। NH का निर्माण, रखरखाव और वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि SH संबंधी कार्य राज्यों के सार्वजनिक विभाग द्वारा किये जाते हैं।

संवैधानिक प्रावधान:

- राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग सातवीं अनुसूची में शामिल संघ सूची के तहत घोषित किया जाता है।
- अनुच्छेद 257 (2): संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को ऐसे संचार साधनों के निर्माण और उन्हें बनाए रखने के संबंध में निर्देश देने तक होगा जिनका राष्ट्रीय या सैनिक महत्त्व का होना उस निर्देश में घोषित किया गया है।
  - बशर्ते कि इस खंड में राजमार्गों या जलमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग या राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिये संसद की शक्ति को प्रतिबंधित करने के रूप में या संघ द्वारा घोषित राजमार्गों या जलमार्गों के संबंध में नहीं लिया जाएगा।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रूप से NH के विकास और रख-रखाव के लिये उत्तरदायी है।
  - मंत्रालय ने सीमा क्षेत्रों के गैर-प्रमुख बंदरगाहों हेतु सड़क संपर्क सहित तटीय सड़कों का विकास, राष्ट्रीय गलियारों की दक्षता में सुधार, आर्थिक गलियारों का विकास, और भारतमाला परियाजना के तहत सागरमाला के साथ फीडर रूट का एकीकरण आदि के लिये सड़क संपर्क को विकसित करने की दृष्टि से NH नेटवर्क की विस्तृत समीक्षा की है
- देश में NH को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत अधिसूचित किया गया है।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) का गठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1988 के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए किया गया।
- NH और संबंधित उद्देश्यों के लिये भूमि अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत किया जाता है तथा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और स्थानांतरण में उचित मुआवज़े और पारदर्शिता का अधिकार (RFCTLARR) अधिनियम, 2013 की पहली अनुसूची के अनुसार मुआवज़ा निर्धारित किया जाता है।
- भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटलीकरण और स्वचालित करने के लिये वर्ष 2018 में भूमि राशि पोर्टल लॉन्च किया गया था।
- ग्रीन हाईवे नीति, 2015 का उद्देश्य (वृक्षारोपण, प्रतिरोपण, सौंदर्यीकरण और रखरखाव) समुदाय, किसानों, निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठनों तथा सरकारी संस्थानों की भागीदारी के साथ राजमार्ग गलियारों में हरियाली को बढ़ावा देना है।

जनसंख्या और विकास पहल में भागीदार

चर्चा में क्यों

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने जनसंख्या और विकास भागीदारों (PartnerS in Population and Development) द्वारा आयोजित अंतर-मंत्रालयी सम्मेलन को डिजिटल रूप में संबोधित किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

जनसंख्या और विकास में भागीदार:

- उद्देश्य: यह एक अंतर-सरकारी पहल है जिसके गठन का उद्देश्य विशेष रूप से प्रजनन स्वास्थ्य, जनसंख्या और विकास के क्षेत्र में दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South Cooperation) को बढ़ावा देना तथा इसमें सुधार करना है।
- लॉन्च: PPD को जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (International Conference on Population and Development), 1994 में तब लॉन्च किया गया था, जब काहिरा प्रोग्राम ऑफ एक्शन (Cairo Program of Action) को लागू करने में सहायता हेतु एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के दस विकासशील देशों ने एक अंतर-सरकारी गठबंधन तैयार किया था।
  - काहिरा कार्यक्रम 179 देशों द्वारा समर्थित है, यह देशों के अंदर और उनके बीच प्रजनन स्वास्थ्य (Reproductive Health) तथा परिवार नियोजन (Family Planning) के अनुभवों का आदान-प्रदान कर विकास को बढ़ावा देने हेतु एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देता है।
- **सदस्य:** यह 27 विकासशील देशों का गठबंधन है, भारत भी इसका एक सदस्य है।
- **सचिवालय:** ढाका (बांग्लादेश)।

PPD द्वारा आयोजित अंतर-मंत्रालयी सम्मेलन:

- इसका आयोजन PPD, चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

उद्देश्य:

- थ्री ज़ीरो (Three ZeroS) की उपलब्धि (2030 तक) में कोविड-19 महामारी के प्रभावों को संबोधित करने के लिये अधिवक्ता और राजनैतिक समर्थन तथा निवेश सुनिश्चित करने हेतु इसे नैरोबी शिखर सम्मेलन, 2019 के तहत अंतिम रूप दिया गया।
- भारत ने प्रजनन स्वास्थ्य, जनसंख्या और विकास के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिये PPD के प्रयासों की सराहना की।

भारत द्वारा उठाए गए कदम:

- नैरोबी शिखर सम्मेलन में की गई प्रतिबद्धताओं की पुन: पुष्टि में निरंतरता।
- अपने प्रमुख कार्यक्रम आयुष्मान भारत के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करने के लिये की गई प्रतिबद्धता।
- सरकार ने प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिये 2020 तक 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने का वादा किया है।
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल की आकांक्षा के साथ भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद (GroSS DomeStic Product - GDP) के 2.5% तक बढ़ाना है।
- गर्भ निरोधकों की सीमा को बढ़ाकर और परिवार नियोजन सेवाओं की पहुँच तथा गुणवत्ता में सुधार कर गर्भनिरोधक की आवश्यकता को कम करने के लिये निरंतर प्रयास करना।
- मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality Rate) को 2030 तक 70 से कम करने और सतत् विकास लक्ष्य (SuStainable Development Goal) प्राप्त करने के लिये 'सुरक्षित मातृत्व आश्वासन' (SurakShit Matritva AaShwaSan-SUMAN) योजना का कार्यान्वयन।
- भारत लिंग आधारित हिंसा को संबोधित करने और महिलाओं तथा लड़कियों के खिलाफ सभी प्रकार के अत्याचारों को समाप्त करने के लिये कठोर कानून बना रहा है।
- यह वर्ष 2030 तक स्थायी विकास की स्थिति प्राप्त करने के लिये समय पर गुणवत्तापूर्ण और अलग-अलग (DiSaggregated) डेटा की प्राप्ति, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचारों में निवेश तथा डेटा सिस्टम में सुधार करने के लिये प्रतिबद्ध है।
  - राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (National Digital Health MiSSion) का उद्देश्य देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य ढाँचे के हेतु आवश्यक आधार विकसित करना है।
- परिवार नियोजन सहित समुदाय आधारित हस्तक्षेप भी विभिन्न सेवाओं का हिस्सा है।
- वैकल्पिक सेवा वितरण तंत्र को टेलीमेडिसिन सेवाओं, प्रशिक्षण के लिये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों, वित्त में सुधार और आपूर्ति श्रृंखला प्रणालियों को सुव्यवस्थित करने के लिये बढ़ावा देना।
- कोविड-19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health OrganiSation- WHO) द्वारा महामारी घोषित किये जाने से पहले ही भारत ने इसको लेकर प्रतिक्रिया शुरू कर दी थी।

नोट :

आगे की राह

- वर्तमान समय में उन सभी स्वास्थ्य संस्थानों, शिक्षाविदों और अन्य भागीदारों के एकीकृत और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है जो इन सेवाओं को सुलभ, सस्ती और स्वीकार्य बनाने के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं से जुड़े हैं। PPD उच्चतम स्तर पर 'Health for All' के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिये ऐसे संवाद को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

परिसीमन के लिये सुझाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक गैर-सरकारी संस्था प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन (Pranab Mukherjee Foundation- PMF) ने अगले परिसीमन के लिये सुझाव दिये हैं।

- परिसीमन से तात्पर्य किसी राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिये निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना है।

प्रमुख बिंदु:

- **सुझाव:** अगले परिसीमन में निम्नलिखित प्रक्रिया होनी चाहिये:
  - राज्यों की सीमा निर्धारित करने के लिये वर्ष 2031 की जनगणना के अनुसार, एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाना चाहिये और जनसंख्या के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश करनी चाहिये।
  - परिसीमन आयोग की सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिये राज्यों को छोटे राज्यों में विभाजित कर एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया जाना चाहिये।

वर्तमान परिदृश्य:

- वर्ष 2002 में संविधान के 84वें संशोधन ने वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक लोकसभा और राज्य विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन पर रोक लगा दी थी।
- वर्तमान सीमाएँ वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई हैं, लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों की संख्या वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर ही स्थिर रही।
  - पिछली जनगणना के अनुसार जनसंख्या 50 करोड़ थी, जो 50 वर्षों में 130 करोड़ हो गई है, जिससे देश में राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भारी विषमता आई है।

परिसीमन आयोग (Delimitation Commission)

- परिसीमन आयोग को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह **भारतीय निर्वाचन आयोग** के सहयोग से काम करता है।
- परिसीमन आयोग को सीमा आयोग (Boundary Commission) के नाम से भी जाना जाता है।
- प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद-82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है

परिसीमन का उद्देश्य:

- परिसीमन का उद्देश्य समय के साथ जनसंख्या में हुए बदलाव के बाद भी सभी नागरिकों के लिये सामान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना है।
- जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का उचित विभाजन करना ताकि प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को प्रतिनिधित्व का समान अवसर प्रदान किया जा सके।
- अनुसूचित वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा के लिये आरक्षित सीटों का निर्धारण भी परिसीमन की प्रक्रिया के तहत ही किया जाता है।

परिसीमन आयोग की संरचना:

- परिसीमन आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है।
- इसके अतिरिक्त इस आयोग में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं -
  - मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नामित कोई निर्वाचन आयुक्त।

नोट :

- संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त।

- **सहयोगी सदस्य (ASSociate MemberS):** आयोग परिसीमन प्रक्रिया के क्रियान्वयन के लिये प्रत्येक राज्य से 10 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है, जिनमें से 5 लोकसभा सदस्य तथा 5 संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्य होंगे।
  - सहयोगी सदस्यों को लोकसभा स्पीकर तथा संबंधित राज्यों के विधानसभा स्पीकर द्वारा नामित किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त परिसीमन आयोग आवश्यकता पड़ने पर निम्नलिखित अधिकारियों को बुला सकता है:
  - भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त (RegiStrar General and CenSuS CommiSSioner of India)।
  - भारत का महासर्वेक्षक (The Surveyor General of India)।
  - केंद्र अथवा राज्य सरकार से कोई अन्य अधिकारी।
  - भौगोलिक सूचना प्रणाली का कोई विशेषज्ञ।
  - या कोई अन्य व्यक्ति, जिसकी विशेषज्ञता या जानकारी से परिसीमन की प्रक्रिया में सहायता प्राप्त हो सके।

परिसीमन आयोग के कार्य:

- संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन: परिसीमन आयोग लोकसभा सदस्यों के चुनाव के लिये चुनावी क्षेत्रों की सीमा को निर्धारित करने का कार्य करता है। परिसीमन की प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि (राज्य में) लोकसभा सीटों की संख्या और राज्य की जनसंख्या का अनुपात पूरे देश में सभी राज्यों के लिये समान रहे।
- विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन: विधानसभा चुनावों के लिये निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता है कि राज्य के सभी चुनावी क्षेत्रों में विधानसभा सीटों की संख्या और क्षेत्र की जनसंख्या का अनुपात समान रहे। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सामान्यतया एक से अधिक ज़िलों में विस्तारित न हो।
- अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिये सीटों का आरक्षण: परिसीमन आयोग द्वारा परिसीमन आयोग अधिनियम, 2002 की धारा 9 (1) के तहत निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों के लोगों की संख्या के आधार पर आरक्षित सीटों का निर्धारण किया जाता है।

3D प्रिंटिंग तकनीक के विकास हेतु नीति

चर्चा में क्यों ?

- 3D प्रिंटिंग तकनीक के उभरते बाज़ार को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) जल्द ही औद्योगिक स्तर पर इस तकनीक को बढ़ावा देने के लिये एक नीति प्रस्तुत करेगा।

प्रमुख बिंदु

3D प्रिंटिंग का अर्थ

- 3D प्रिंटिंग विनिर्माण की एक तकनीक है, जिसके अंतर्गत प्लास्टिक, राल, थर्माप्लास्टिक, धातु, फाइबर या चीनी मिट्टी आदि के माध्यम से किसी वस्तु का प्रोटोटाइप अथवा वर्किंग मॉडल बनाने के लिये कंप्यूटर-एडेड डिज़ाइनिंग (CAD) का उपयोग किया जाता है।
  - कंप्यूटर-एडेड डिज़ाइनिंग का आशय किसी डिज़ाइन के निर्माण, संशोधन, विश्लेषण और अनुकूलन आदि के लिये कंप्यूटर का उपयोग करने से है।
- इस तकनीक के अंतर्गत प्रिंट किये जाने वाले मॉडल को पहले सॉफ्टवेयर की सहायता से कंप्यूटर पर डिज़ाइन किया जाता है, जिसके बाद उस डिज़ाइन के आधार पर 3D प्रिंटर को निर्देश दिये जाते हैं।
- इस तकनीक में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर योगात्मक विनिर्माण तकनीक (Additive Manufacturing) पर आधारित होते हैं और इसके अंतर्गत कंपनियाँ विशिष्ट मांग वाली परियोजनाओं के लिये विशिष्ट उत्पाद जैसे- हल्के उपकरण ही बनाती हैं।
  - ऐसे उत्पादों के अनुप्रयोग के लिये चिकित्सा और संबद्ध क्षेत्र महत्त्वपूर्ण है।
- 35 प्रतिशत से अधिक बाज़ार हिस्सेदारी के साथ मौजूदा समय में अमेरिका 3D प्रिंटिंग के क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है।

नोट :

- एशिया में 3D प्रिंटिंग के क्षेत्र में 50 प्रतिशत बाज़ार हिस्सेदारी के साथ चीन का वर्चस्व बना हुआ है, जिसके बाद जापान (30 प्रतिशत) और दक्षिण कोरिया (10 प्रतिशत) का स्थान है।

3D प्रिंटिंग नीति की विशेषताएँ

- यह नीति भारत को 3D विनिर्माण के क्षेत्र में वैश्विक हब के रूप में स्थापित करने हेतु इस क्षेत्र में कार्यरत बड़ी कंपनियों को भारत में आने के लिये प्रोत्साहित करेगी, साथ ही इसके तहत घरेलू उपयोग के लिये प्रिंटिंग सामग्री के आयात को भी हतोत्साहित किया जाएगा।

उद्देश्य

- 3D प्रिंटिंग अथवा योगात्मक विनिर्माण तकनीक के डिज़ाइन, विकास और तैनाती के लिये अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में सहायता करना।
- घरेलू कंपनियों की तकनीकी और आर्थिक बाधाओं को दूर करना ताकि वे 3D प्रिंटिंग के क्षेत्र में अग्रणी देशों जैसे- अमेरिका और चीन की कंपनियों के लिये सहायक सुविधाओं का विकास कर सकें।

प्रमुख क्षेत्र और अनुप्रयोग

- ऑटो और मोटर स्पेयर पार्ट जैसे- इंजन, लक्जरी वाहनों के आंतरिक और बाहरी हिस्से, या लैंडिंग गियर, जटिल ब्रैकेट और टरबाइन ब्लेड आदि के व्यवसाय में 3D प्रिंटिंग काफी महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है।
- उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, कपड़े, खिलौने और आभूषणों में भी इस तकनीक के कुछ अनुप्रयोग हो सकते हैं।

चुनौतियाँ

- मानकों का अभाव: चूँकि 3D प्रिंटिंग तुलनात्मक रूप से काफी नया क्षेत्र है, जिसके कारण इससे संबंधित वैश्विक मानदंडों का अभाव है।
- प्रयोग संबंधी असमंजसता: एक अन्य और महत्त्वपूर्ण चुनौती अलग-अलग उद्योगों और सरकारी मंत्रालयों को अपने संबंधित क्षेत्र में एक नई तकनीक के तौर पर 3D प्रिंटिंग को अपनाने हेतु प्रेरित करना है, क्योंकि यह एक नई तकनीक है और इसे आम लोगों के बीच अपनी जगह बनाने में समय लगेगा।
- रोज़गार में कमी का खतरा: कई जानकार यह कहते हुए इस तकनीक का विरोध करते हैं कि इससे चिकित्सा उपकरण या एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अत्यधिक कुशल श्रमिकों की नौकरियों पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा।
- उच्च लागत: यद्यपि इस तकनीक में प्रिंटिंग की लागत काफी कम होती है, किंतु एक 3D प्रिंटर बनाने हेतु प्रयोग होने वाले उपकरणों की लागत काफी अधिक होती है। इसके अलावा इस प्रकार के उत्पादों की गुणवत्ता और वारंटी भी एक चिंता का विषय है, जिसके कारण कई कंपनियाँ अपनी मशीनों में 3D प्रिंटिंग उत्पादों के प्रयोग में संकोच करती हैं।
- क्षेत्र विशिष्ट चुनौतियाँ: भारत समेत संपूर्ण विश्व में 3D प्रिंटिंग उत्पादों का सबसे बड़ा उपभोक्ता मोटर वाहन उद्योग है, जो कि वर्तमान में BS-VI उत्सर्जन मानकों और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे बदलावों का सामना कर रहा है। इसकी वजह से नए वाहनों के निर्माण की गति धीमी हो गई है, इसलिये 3D प्रिंटिंग उत्पादों की मांग भी काफी कम हो गई है।

3D प्रिंटिंग का संभाव्य बाज़ार

- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2024 तक 3D प्रिंटिंग या योगात्मक विनिर्माण तकनीक का वैश्विक बाज़ार 34.8 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगा, जो कि 23.2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है।
- यद्यपि इस तकनीक के कारण रोज़गार सृजन की कोई संभावना नहीं है, किंतु यह तकनीक भविष्य की दृष्टि से काफी लाभदायक साबित हो सकती है।

आगे की राह

- निवेश तथा अनुसंधान एवं विकास केंद्रों की कमी जैसे कारक इस तकनीक के विकास में एक बड़ी बाधा के रूप में मौजूद हैं। हालाँकि उपयोगकर्त्ताओं के बीच 3D प्रिंटिंग तकनीक और अनुप्रयोगों की बेहतर समझ इसके उपयोग में अवश्य ही बढ़ोतरी करेगी।
- 3D प्रिंटिंग समाधानों को अपनाने को लेकर भारतीय उपयोगकर्त्ताओं के बीच लगातार जागरूकता बढ़ रही है, जिसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारतीय बाज़ार में इस तकनीक की संभावनाएँ काफी अधिक हैं। इसके अलावा जापान, जर्मनी और अमेरिका जैसे अधिक परिपक्व बाज़ारों की तुलना में भारत में इस तकनीक का विकास किया जाना अभी शेष है।

नोट :

राज्यों के पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता योजना

चर्चा में क्यों ?

तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों ने **"राज्यों के पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता योजना"** का लाभ उठाया है।

- इस योजना की घोषणा वित्त मंत्रालय ने 'आत्मनिर्भर भारत पैकेज' के तहत की थी।

प्रमुख बिंदु:

- **पृष्ठभूमि:** केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज' के तहत घोषणा की थी कि वह राज्यों के लिये 50 वर्षों हेतु 12,000 करोड़ रुपए के विशेष ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश करेगी (विशेष रूप से पूंजीगत व्यय के लिये)।
- **उद्देश्य:** इस योजना का उद्देश्य उन राज्य सरकारों के पूंजीगत व्यय को बढ़ाना है, जो COVID-19 महामारी के कारण कर राजस्व में हुई कमी की वजह से इस वर्ष कठिन वित्तीय परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं।

तीन भाग:

- भाग–I में उत्तर पूर्वी क्षेत्र शामिल हैं (निर्धारित राशि 200 करोड़ रुपए)।
- भाग-II अन्य सभी राज्यों के लिये (निर्धारित राशि 7500 करोड़ रुपए)।
- भाग-III के तहत योजना का उद्देश्य राज्यों में विभिन्न नागरिक केंद्रित सुधारों को आगे बढ़ाना है।
- भाग-III के तहत 2000 करोड़ रुपए निर्धारित किये गए हैं।
  - यह राशि केवल उन राज्यों के लिये उपलब्ध होगी जो वित्त मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट चार अतिरिक्त सुधारों में से कम-से-कम तीन सुधारों को कार्यान्वित करते हैं।
  - **ये चार सुधार हैं : एक राष्ट्र एक राशन कार्ड**, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, शहरी स्थानीय निकाय / उपयोगिता सुधार और बिजली क्षेत्र में सुधार।

वर्तमान स्थिति:

- वित्त मंत्रालय ने 27 राज्यों के पूंजीगत व्यय प्रस्तावों के तहत 9,879.61 करोड़ रुपए अनुमोदित किये हैं।
  - इसमें से पहली किश्त के रूप में 4,939.81 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं।
- स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, जल आपूर्ति, सिंचाई, बिजली, परिवहन, शिक्षा, शहरी विकास जैसे विविध क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है।

पूंजीगत व्यय

परिभाषा:

- पूंजीगत व्यय मशीनरी, उपकरण, भवन, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा आदि के विकास पर सरकार द्वारा खर्च किया गया धन है।
- पूंजीगत व्यय पूँजी निवेश के रूप में गैर- आवर्ती प्रकार के व्यय होते हैं।
- इस प्रकार के व्यय में अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार की उम्मीद होती है।
- पूंजीगत व्यय में निम्न मदें शामिल हैं- निवेश, ऋण भुगतान, ऋण वितरण, शेयरों की खरीद, भूमि, भवन, मशीनों और उपकरणों पर व्यय आदि।

पूंजीगत व्यय के लाभ:

- पूंजीगत व्यय जो कि परिसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा देता है, प्रकृति में दीर्घकालिक होते हैं, इसके अलावा उत्पादन हेतु सुविधाओं में सुधार कर और परिचालन दक्षता को बढ़ाकर यह कई वर्षों तक राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान करता है।
- यह श्रम भागीदारी भी बढ़ाता है, अर्थव्यवस्था को संतुलित करता है और भविष्य में अधिक उत्पादन करने की क्षमता प्रदान करता है।

नोट :

राजस्व व्यय से भिन्नता:

- राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किये जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप न तो परिसंपत्तियों का निर्माण हो और न ही देयताओं में कमी आए।
- राजस्व व्यय आवर्ती प्रकार के होते हैं जो साल-दर साल किये जाते हैं। उदाहरणत: ब्याज अदायगी, सब्सिडी, राज्यों को अनुदान, सरकार द्वारा दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन, वेतन, छात्रवृति इत्यादि।

भारत में वाहन बीमा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो (IIB) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है।

- भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो का गठन भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा वर्ष 2009 में बीमा उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक ही मंच के रूप में किया गया था।

प्रमुख बिंदु

बिना बीमा वाले वाहन

- रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2019 तक सड़कों पर मौजूद कुल वाहनों में से 57 प्रतिशत वाहन बीमाकृत नहीं थे, जबकि मार्च 2018 में ऐसे वाहनों की संख्या 54 प्रतिशत थी।
- बिना बीमा वाले अधिकांश वाहन (लगभग 66 प्रतिशत) दोपहिया वाहन हैं।
- मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार, सभी वाहनों का तृतीय-पक्ष वाहन बीमा पॉलिसी के साथ बीमा होना अनिवार्य है।
- तृतीय-पक्ष वाहन बीमा असल में दायित्त्व बीमा का ही एक रूप होता है, जिसे बीमाधारक (प्राथमिक-पक्ष) द्वारा बीमाकर्त्ता (द्वितीय-पक्ष) से किसी अन्य व्यक्ति (तृतीय-पक्ष) के कानूनी दावों के विरुद्ध सुरक्षा के लिये खरीदा जाता है।

कारण

- सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों का सही ढंग से पालन न होने, बीमाकर्त्ताओं द्वारा फॉलो-अप में कमी और तृतीय-पक्ष बीमा पॉलिसी कवर की बढ़ती लागत के परिणामस्वरूप अधिकांश लोग अपनी मोटर बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण नहीं करवाते हैं।

चिंताएँ

- भारतीय सड़कों पर लगभग 13.2 करोड़ वाहन बिना तृतीय-पक्ष बीमा पॉलिसी कवर के चल रहे हैं, ऐसे में यदि इन वाहनों से भविष्य में कोई दुर्घटना होती है तो पीड़ितों को पर्याप्त मुआवज़ा नहीं मिल सकेगा, क्योंकि प्राय: वाहन के मालिकों के पास क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिये सीमित साधन होते हैं और बीमा पॉलिसी ऐसी कोई एक बीमा कंपनी नहीं होगी, जिस पर देयता को लगाया जा सके।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में भारत में सड़क दुर्घटनाओं पर जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार,

सड़क दुर्घटनाएँ

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सड़क दुर्घटना के कारण प्रतिवर्ष लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है।
- वर्ष 2010-2018 की अवधि में सड़क दुर्घटनाओं और साथ ही दुर्घटना से संबंधित होने में पिछले दशकों की तुलना में कमी दर्ज की गई, जबकि इसी अवधि में वाहनों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि दर्ज की गई।
- वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2018 में सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता (प्रति 100 दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या) में 0.6 प्रतिशत वृद्धि हुई।

प्रमुख कारण

- रिपोर्ट के मुताबिक, ओवर-स्पीडिंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे प्रमुख कारण रहा। सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले कुल लोगों में से 64.4 प्रतिशत लोगों की मृत्यु ओवर-स्पीडिंग के कारण हुई।
- वर्ष 2018 में कुल दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा (35.2 प्रतिशत) रही।

नोट :

- आम लोगों द्वारा सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन न करने से बीमा कंपनियों को काफी नुकसान होता है, क्योंकि इससे बीमा दावे का अनुपात बढ़ जाता है और कंपनियों को नुकसान होता है। कई अवसरों पर न्यायाधिकरणों ने बीमाकर्त्ताओं को मुआवजे के लिये उत्तरदायी ठहराया है।

संबंधित वैश्विक पहलें

सड़क सुरक्षा पर ब्रासीलिया घोषणा (वर्ष 2015)

- ब्रासीलिया घोषणा पर ब्राज़ील में आयोजित सड़क सुरक्षा हेतु द्वितीय वैश्विक उच्च-स्तरीय सम्मेलन में हस्ताक्षर किये गए थे। सड़क सुरक्षा हेतु पहला वैश्विक उच्च-स्तरीय सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस में आयोजित किया गया था।
- ब्रासीलिया घोषणा के माध्यम से सभी देशों ने वर्ष 2030 तक सतत् विकास लक्ष्य 3.6 यानी कि वैश्विक ट्रैफिक से होने वाली मौतों की संख्या को आधा करने की योजना बनाई है।
- संयुक्त राष्ट्र (UN) ने वर्ष 2010-2020 को सड़क सुरक्षा के लिये कार्रवाई का दशक घोषित किया है।

आगे की राह

- भारत विश्व के सबसे बड़े ऑटो बाज़ारों में से एक है, जहाँ प्रतिवर्ष 20 मिलियन से अधिक वाहनों की बिक्री होती है। भारत उन देशों में से भी एक है, जहाँ सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएँ और मौतें होती हैं। ऐसी स्थिति में यह बहुत जोखिमपूर्ण और खतरनाक है कि देश में सड़कों पर चलने वाले आधे से अधिक वाहन बीमाकृत नहीं है।
- यद्यपि बीमा के माध्यम से सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को तो नहीं रोका जा सकता, किंतु यह दुर्घटना के कारण होने वाले नुकसान को अवश्य ही कम कर सकता है।
- बीमा की अवधारणा तथा इसके महत्त्व आदि से संबंधित विषयों पर जागरूकता फैलाने और वित्तीय साक्षरता में सुधार करने की आवश्यकता है।
- नियामकों को तीन अन्य पहलुओं पर सतर्क होने की आवश्यकता है:
  - यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि कम आय वाले लोगों को बीमा कवर के लाभ से वंचित न रह जाएँ, क्योंकि ये आबादी का बड़ा हिस्सा हैं और उन्हें सुरक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता है।
  - इस बात पर ज़ोर दिया जाना चाहिये कि बीमा कंपनियाँ बिचौलियों को दरकिनार करते हुए बीमा उत्पादों की सीधी खरीद के लिए एक सरल ऑनलाइन प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करें।
  - यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि कंपनियाँ ज़्यादा मूल्य न लें या कवर में छिपी हुई लागत न जोड़ें।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -5

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MiniStry of Health and Family Welfare) द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण- 5 (National Family Health Survey- NFHS-5) 2019-20 के पहले चरण के आँकड़े जारी किये गए हैं।

- सभी NFHS का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (International InStitute for Population ScienceS- IIPS) मुंबई के समन्वय से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में किया जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान इसके लिये नोडल एजेंसी है।
  - IIPS की स्थापना सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र (UN) के संयुक्त प्रयोजन के तहत वर्ष 1956 में की गई थी तथा यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विकासशील देशों हेतु जनसंख्या अध्ययन में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिये प्रमुख संस्थान है।
- COVID-19 महामारी के कारण सर्वेक्षण के चरण 2 में (शेष राज्यों को शामिल करते हुए) देरी देखी गई तथा इसके परिणाम मई 2021 में उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

सर्वेक्षण के संबंध में:

- NFHS-5 ने 2014-19 के दौरान डेटा को इकठ्ठा किया और इसकी धारणा/अंतर्निहित वस्तु NFHS-4 (2015-16) के समान है ताकि समय के साथ तुलना की जा सके और इससे एक बदलाव भी हो।
- यह 30 सतत विकास लक्ष्यों (SDG) जिन्हें देश को वर्ष 2030 तक हासिल करना है, को तय करने के लिये एक निर्देशक का काम करता है।
- NFHS-5 में कुछ नए विषय जैसे- पूर्व स्कूली शिक्षा, दिव्यांगता, शौचालय की सुविधा, मृत्यु पंजीकरण, मासिक धर्म के दौरान स्नान करने की पद्धति और गर्भपात के तरीके एवं कारण आदि शामिल हैं।
- वर्ष 2019 में पहली बार NFHS-5 ने उन महिलाओं और पुरुषों के प्रतिशत का विवरण एकत्र करने' का प्रयास किया, जिन्होंने कभी इंटरनेट का उपयोग किया है।

डेटा विश्लेषण:

- देश भर के कई राज्यों में बाल कुपोषण का उच्च स्तर दर्ज किया गया, जबकि उन्होंने कार्यप्रणाली में बदलाव के चलते स्वच्छता, ईंधन व पीने योग्य जल तक बेहतर पहुँच प्रदान की।
- नवीनतम डेटा राज्यों में महामारी से पहले की स्वास्थ्य स्थिति को दर्शाता है।
- कई राज्यों में बच्चों (5 वर्ष से कम आयु) के चार प्रमुख मैट्रिक्स कुपोषण मापदंडों में अल्प सुधार या निरंतर परिवर्तन देखा गया है।
- इन चार प्रमुख मेट्रिक्स- चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, कम वज़न वाले बच्चों की हिस्सेदारी और बाल मृत्यु दर के आधार पर कई राज्यों में या तो सुधार या निरंतर बदलाव देखा गया है।
- इन मेट्रिक्स के डेटा का उपयोग कई वैश्विक सूचकांकों जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स आदि में भी किया जाता है।

चाइल्ड स्टंटिंग:

- सबसे आश्चर्यजनक परिवर्तन चाइल्ड स्टंटिंग में हुआ है, जो गंभीर कुपोषण की स्थिति को दर्शाता है और इस श्रेणी के अंतर्गत 5 वर्ष से कम उम्र के वे बच्चे आते हैं जिनकी लंबाई आयु के अनुपात में कम होती है।
- स्टंटिंग किसी भी अन्य कारक की तुलना में एक बच्चे के संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास पर लंबे समय तक प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
- तेलंगाना, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में चाइल्ड स्टंटिंग का स्तर उच्च देखा गया है।

चाइल्ड वेस्टिंग:

- इस श्रेणी के अंतर्गत 5 वर्ष से कम उम्र के वे बच्चे आते हैं जिनका वज़न उनकी लंबाई के अनुपात में कम होता है।
- भारत में हमेशा चाइल्ड वेस्टिंग का उच्च स्तर रहा है।
- चाइल्ड वेस्टिंग में कमी किये जाने के बजाय, इसमें तेलंगाना, केरल, बिहार, असम और जम्मू-कश्मीर में वृद्धि देखी गई है तथा महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में स्थिरता की स्थिति है।

कम वज़न वाले बच्चों की हिस्सेदारी:

- कम वज़न वाले बच्चों के अनुपात में गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, असम और केरल जैसे बड़े राज्यों में वृद्धि हुई है।

बाल मृत्यु दर:

- नवजात शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं मे से एक वर्ष या इससे कम उम्र में मरने वाले शिशुओं की संख्या) तथा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर लगभग स्थिर बनी हुई है।
- NFHS-3 (2005-05) और NFHS-4 के बीच मृत्यु दर में कम वृद्धि हुई थी। NFHS-5 और NFHS-4 के बीच पाँच वर्षों का अंतर है फिर भी कई राज्यों में बहुत कम वृद्धि देखी गई है।
- महाराष्ट्र में बाल मृत्यु दर मूल रूप से NFHS-4 के समान है और बिहार में यह पाँच वर्षों में सिर्फ 3% कम हो पाई है।

नोट :

- बाल मृत्यु के 60% से अधिक मामलों का कारण बाल कुपोषण माना जाता है, जो कि एक प्रमुख समस्या है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

इंटरनेट के उपयोग में शहरी-ग्रामीण लैंगिक अंतराल:

- कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में इंटरनेट के उपयोग के संबंध में शहरी-ग्रामीण अंतराल के साथ-साथ लैंगिक विभाजन भी मौजूद है।
- औसतन ग्रामीण भारत में 10 में से 3 और शहरी भारत में 10 में से 4 से भी कम महिलाएँ ऐसी हैं जिन्होंने इंटरनेट का उपयोग शायद ही किया हो।
- **सामान्य आँकड़े:** औसतन 62.66% पुरुषों की तुलना में 42.6% महिलाओं ने शायद ही कभी इंटरनेट का इस्तेमाल किया हो।
- **शहरी भारत में:** औसतन 73.76% पुरुषों की तुलना में 56.81% महिलाओं ने शायद ही कभी इंटरनेट का उपयोग किया है।
- **ग्रामीण भारत में:** ग्रामीण भारत में 55.6% पुरुषों की तुलना में 33.94% महिलाओं ने शायद ही कभी इंटरनेट का उपयोग किया।
- ग्रामीण भारत में ऐसी महिलाओं का प्रतिशत कम है जिन्होंने कभी इंटरनेट का उपयोग किया हो।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 2020'

चर्चा में क्यों ?

ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को 'राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस' (National Energy ConServation Day) का आयोजन किया जाता है।

- इस अवसर पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार वितरित किये जाते हैं।

प्रमुख बिंदु:

ऊर्जा संरक्षण:

- इसके तहत ऐसा कोई भी व्यवहार शामिल होता है जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा खपत में कमी की जाती है।
  - कमरे से बाहर निकलते समय लाइट बंद करना और एल्युमीनियम के डिब्बों को रिसाइकल करना दोनों ही ऊर्जा संरक्षण के उदाहरण हैं।
- यह 'ऊर्जा दक्षता' शब्द से अलग है, जिसका आशय ऐसी प्रद्योगिकियों के प्रयोग से है जिनमें समान कार्य करने के लिये अपेक्षाकृत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
  - प्रकाश उत्सर्जक डायोड (LED) या कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट (CFL) बल्ब का प्रयोग, जिनमें प्रकाश की समान मात्रा उत्पन्न करने के लिये तापदीप्त प्रकाश बल्ब की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा दक्षता का एक उदाहरण है
- भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करने के उद्देश्य से 2001 में 'ऊर्जा संरक्षण अधिनियम' को लागू किया गया था।
  - 'ऊर्जा संरक्षण अधिनियम' के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने लिये वर्ष 2002 में केंद्रीय स्तर पर एक वैधानिक निकाय के रूप में 'ऊर्जा दक्षता ब्यूरो' (Bureau of Energy Efficiency- BEE) की स्थापना की गई थी।
    - यह केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
- वर्ष 2013-2030 के बीच भारत की ऊर्जा मांग दोगुनी होने का अनुमान है (लगभग 1500 मिलियन टन तेल के समतुल्य)।

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001: यह अधिनियम ऊर्जा संरक्षण हेतु कई कार्यों के लिये नियामकीय अधिदेश प्रदान करता है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

- उपकरण और यंत्रों का मानक निर्धारण और उनकी लेबलिंग।
- वाणिज्यिक भवनों के लिये ऊर्जा संरक्षण भवन कोड।
- ऊर्जा गहन उद्योगों के लिये ऊर्जा की खपत के मानदंड।

नोट :

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार:

- ये पुरस्कार भारत सरकार के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा उद्योगों, भवनों, परिवहन और संस्थानों के साथ-साथ ऊर्जा कुशल निर्माताओं को उनके द्वारा ऊर्जा संरक्षण में नवाचार और अन्य उपलब्धियों को पहचान/ मान्यता देने के लिये दिये जाते हैं।
- यह पुरस्कार पहली बार 14 दिसंबर, 1991 को दिया गया था, जिसे (14 दिसंबर) पूरे देश में "राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस" के रूप में मनाया जाता है।

ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिये योजनाएँ:

- केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा BEE के माध्यम से कई नीतियों और योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जैसे- 'प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना', 'मानक और लेबलिंग कार्यक्रम', ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता और मांग पक्ष प्रबंधन।

प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना (Perform Achieve and Trade or PAT Scheme):

- PAT ऊर्जा गहन उद्योगों की ऊर्जा दक्षता सुधार में लागत प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये एक बाज़ार आधारित तंत्र है।
  - इसके तहत ऊर्जा बचत के प्रमाणीकरण के माध्यम से ऊर्जा दक्षता सुधार में लागत प्रभावशीलता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है।
  - यह 'संवर्द्धित ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय मिशन' (NMEEE) का हिस्सा है जो 'जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना' (NAPCC) के तहत आठ मिशनों में से एक है।

मानक और लेबलिंग कार्यक्रम (Standards and Labeling Programme):

- इस योजना की शुरुआत वर्ष 2006 में की गई थी। वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत एयर कंडीशनर (फिक्स्ड / वेरिएबल स्पीड), सीलिंग फैन, कलर टेलीविज़न, कंप्यूटर, डायरेक्ट कूल रेफ्रीजरेटर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, घरेलू गैस स्टोव, जनरल पर्पज़ इंडस्ट्रियल मोटर, एलईडी लैंप, एग्रीकल्चर पंप सेट आदि के मानक निर्धारण और लेबलिंग का कार्य किया जाता है।
- यह उपभोक्ता को ऊर्जा की बचत के बारे में एक सूचित विकल्प (Informed Choice) प्रदान करता है और इस प्रकार संबंधित उत्पाद की लागत बचत क्षमता भी प्रदान करता है।

ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ECBC):

- इसे नए व्यावसायिक भवनों के लिये वर्ष 2007 में विकसित किया गया था।
- ECBC 100 किलोवॉट (kW) के संयोजित लोड या 120 kVA (किलोवोल्ट-एम्पीयर) और उससे अधिक की अनुबंधित मांग वाले नए वाणिज्यिक भवनों के लिये न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारित करता है।
- BEE ने इमारतों के लिये एक स्वैच्छिक स्टार रेटिंग कार्यक्रम भी विकसित किया है जो एक इमारत के वास्तविक प्रदर्शन [इमारत के अपने क्षेत्रफल में ऊर्जा के उपयोग के संदर्भ में kWh/Sq. m/year में व्यक्त)] पर आधारित है।

मांग पक्ष प्रबंधन (Demand Side Management- DSM):

- DSM का आशय इलेक्ट्रिक मीटर के ग्राहक-पक्ष को प्रभावित करने वाले उपायों के चयन, नियोजन और उनके कार्यान्वयन से है।
- गौरतलब है कि ग्रामीण और कृषि खपत के लिये हरित ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु गोवा में भारत की पहली अभिसरण परियोजना (Convergence Project) को शुरू करने की तैयारी की जा रही है।

वैश्विक प्रयास:

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA):

- यह सुरक्षित और स्थायी भविष्य के लिये ऊर्जा नीतियों को दिशा देने हेतु विश्व भर के देशों के साथ काम करती है।
- वर्तमान में भारत को IEA में सहयोगी सदस्य के रूप में मान्यता दी गई है।
- IEA और 'ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड' (EESL) ने भारत सरकार की उजाला योजना पर एक केस स्टडी जारी की है, जो ऊर्जा दक्ष प्रकाश व्यवस्था के कई लाभों को रेखांकित करती है।

नोट :

- सस्टेनेबल एनर्जी फॉर आल [SuStainable Energy for All (SEforALL)]:
- यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो जलवायु पर पेरिस समझौते के अनुरूप सतत विकास लक्ष्य-7 (वर्ष 2030 तक सभी के सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा की पहुँच) की उपलब्धि की दिशा में तेज़ी से कार्रवाई करने के लिये संयुक्त राष्ट्र और सरकार के नेताओं , निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों और नागरिक समाज के साथ साझेदारी में काम करता है।

पेरिस समझौता (ParIS Agreement):

- यह जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका लक्ष्य पूर्व-औद्योगिक स्तर की तुलना ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम, अधिमानत: 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है।
- पेरिस समझौते के तहत भारत ने वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा तीव्रता (प्रति यूनिट जीडीपी के लिये खर्च ऊर्जा इकाई) को वर्ष 2005 की तुलना में 33-35% कम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

मिशन इनोवेशन (MiSSion Innovation-MI):

- यह स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेज़ी लाने के लिये 24 देशों और यूरोपीय आयोग (यूरोपीय संघ की ओर से) की एक वैश्विक पहल है।
- भारत इसके सदस्य देशों में से एक है।

आगे की राह:

- नागरिकों के आरामदायक वातानुकूलित स्थानों में काम करने और जीवन के अन्य कार्यों में आसानी के लिये अधिक-से-अधिक उपकरणों के प्रयोग के कारण ऊर्जा की खपत में कई गुना वृद्धि होना स्वाभाविक है। ऐसे में भविष्य की ऊर्जा मांग पर अंकुश लगाने हेतु ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के माध्यम से ऊर्जा उपयोग के व्यवहार को बदलना बहुत आवश्यक है।
- भारत में निर्माण क्षेत्र के सभी खंडों में 'लगभग शून्य ऊर्जा भवन' (NZEB) कार्यक्रम के विस्तार पर ज़ोर देना बहुत आवश्यक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रति यूनिट क्षेत्र में कम ऊर्जा उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु पारंपरिक इमारतों के लिये एक रूपरेखा विकसित करना है।
- इसके अलावा विद्युत अधिनियम में संशोधन के माध्यम से भारतीय विद्युत क्षेत्र में नीतिगत स्तर पर कई बड़े बदलावों की तैयारी की जा रही है। राजस्व हानि, हैवी ट्रांसमिशन, वितरण हानि और बिजली की खपत की निगरानी आदि जैसे मुद्दों के समाधान के लिये स्मार्ट मीटर की स्थापना एक प्रभावी पहल हो सकती है। तीव्र गति से स्मार्ट मीटरों की स्थापना भारत को बड़े पैमाने पर ऊर्जा दक्षता हस्तक्षेप को लागू करने में सहायता कर सकती है।
- एक ऊर्जा कुशल जीवन-शैली अपनाने से भारत को ऊर्जा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिये एक सकारात्मक प्रेरणा मिलेगी। ऊर्जा दक्षता हस्तक्षेप कम कार्बन संक्रमण हेतु सबसे अधिक लागत प्रभावी साधनों में से एक है।

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

रेलवे का विद्युतीकरण

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर-पश्चिमी रेलवे के नए विद्युतीकृत दिघावाड़ा-बांदीकुई रेल खंड का उद्घाटन किया और दिघावाड़ा स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में इस नए विद्युतीकृत रेल मार्ग पर पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रमुख बिंदु

रेलवे का इतिहास:

- 1832: भारत में रेलवे को लेकर पहला प्रस्ताव मद्रास में प्रस्तुत किया गया था।
- 1837: भारत को अपनी पहली ट्रेन रेड हिल रेलवे के रूप में मिली, जिसे सड़क निर्माण हेतु ग्रेनाइट परिवहन के एकमात्र उद्देश्य के लिये शुरू किया गया था।
- 1853: अप्रैल 1853 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा संचालित भारत की पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर (मुंबई) और ठाणे के बीच चली।
- 1925: फरवरी 1925 में भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच चलाई गई थी।
- 1951: भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया।

वर्तमान विद्युतीकरण

- भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2023 तक अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- ब्रॉड गेज मार्ग के 66 प्रतिशत से अधिक हिस्से का विद्युतीकरण हो चुका है।
- 18065 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण कार्य पूरा करने के बाद रेलवे ने वर्ष 2009-2014 की तुलना में वर्ष 2014-20 के दौरान विद्युतीकरण में 371 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

विद्युतीकरण के लाभ

- गति: शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के परिणामस्वरूप बाधारहित ट्रेन संचालन संभव हो सकेगा और ट्रैक्शन (कर्षण) में परिवर्तन यानी डीज़ल से इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक से डीज़ल ट्रेक्शन में परिवर्तन के कारण ट्रेनों को रोककर रखने की प्रवृत्ति समाप्त हो सकेगी।
  - **ट्रैक्शन (कर्षण):** किसी चीज़ को सतह पर खींचने और धकेलने की क्रिया।
- **क्षमता:** इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की उच्च गति और अधिक वहन क्षमता के कारण भारतीय रेलवे की लाइन क्षमता (Line Capacity) बढ़ाने में मदद मिलेगी।
  - **लाइन क्षमता** का अभिप्राय किसी एक रेलवे खंड पर 24 घंटे में चलने वाली ट्रेनों की संख्या से है।
- **सुरक्षा:** बेहतर सिग्नलिंग प्रणाली के चलते ट्रेन परिचालन में सुरक्षा बढ़ेगी।
- **वित्तीय बोझ में कमी:** डीज़ल ट्रैक्शन की तुलना में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बहुत सस्ता और कुशल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर चलने वाली ट्रेनें डीज़ल की तुलना में 50 प्रतिशत तक सस्ती होती हैं।
- **निर्बाध संचालन:** उपनगरीय क्षेत्रों के लिये इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स (EMUs) को एक आदर्श रेल वाहन के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि ऐसे स्थानों पर बार-बार ट्रेन रोकने और शुरू करने की आवश्यकता होती है।
- **रोज़गार सृजन:** अनुमान के मुताबिक रेलवे के विद्युतीकरण के शुरुआती दौर में प्रत्यक्ष रूप से तकरीबन 20.4 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जा सकेगा, जिससे रोज़गार में काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
- ऊर्जा सुरक्षा: शत-प्रतिशत विद्युतीकरण से जीवाश्म ईंधन की खपत में लगभग 2.83 बिलियन लीटर प्रतिवर्ष की कमी आएगी, जिससे ग्रीनहाउस गैसों (GHG) के उत्सर्जन में भी कमी आएगी। विद्युतीकरण को रेलवे में पर्यावरण के अधिक अनुकूल विकल्प माना जा सकता है।

नोट :

- विद्युतीकरण के कारण वर्ष 2027-28 तक रेलवे का कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन 24 प्रतिशत तक कम हो जाएगा।

- ईंधन बिल में कमी: विद्युतीकरण के कारण ईंधन बिल में प्रतिवर्ष 13,510 करोड़ रुपए की बचत की जा सकेगी, क्योंकि डीज़ल इंजन की तुलना में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का रखरखाव काफी सुगम और सस्ता है।

अक्षय ऊर्जा का अधिक उपयोग

- जुलाई 2020 में भारतीय रेलवे ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिये अपनी भूमि का उपयोग कर ऊर्जा आवश्यकताओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का निर्णय लिया था।
- भारतीय रेलवे अपनी ट्रैक्शन शक्ति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सौर ऊर्जा का उपयोग करेगी।

नगर निगम बॉण्ड

चर्चा में क्यों ?

- **हाल ही में लखनऊ नगर निगम (Lucknow Municipal Corporation) ने 200 करोड़ रुपए के बॉण्ड को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज** (Bombay Stock Exchange) में सूचीबद्ध किया है।
- लखनऊ ऐसा करने वाला भारत का नौवाँ शहर (उत्तर भारत का पहला) बन गया है, इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MiniStry of HouSing and Urban AffairS) ने अमृत मिशन के तहत प्रोत्साहित किया गया है।
  - BSE भारत के साथ-साथ एशिया में भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है।

प्रमुख बिंदु

नगर निगम बॉण्ड :

- नगर निगम बॉण्ड (मुनि) एक प्रकार की ऋण सुरक्षा होती है जिसे राज्य, नगर निगम या प्रबंध मंडल (County) द्वारा राजमार्गों, पुलों या स्कूलों के निर्माण जैसे कार्यों के चलते अपने पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के लिये जारी किया जाता है।
  - मुनि बॉण्ड के माध्यम से नगर निगम एक निर्दिष्ट ब्याज राशि पर व्यक्तियों या संस्थानों से धन जुटाता है और एक निर्धारित परिपक्वता तिथि पर मूल राशि लौटा देता है।
- ऐसे बॉण्ड प्राय: संघीय, राज्य और स्थानीय करों से मुक्त होते हैं, जिस वजह से उच्च आय वाले लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं।

भारत में नगर निगम बॉण्ड का इतिहास:

- भारत में 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को विकेंद्रीकृत और स्वायत्तता देने के 5 साल बाद पहली बार 1997 में नगर निगम बॉण्ड जारी हुए थे इसके बाद नागरिकों के प्रति निगमों की जवाबदेहिता के साथ ही उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ और इनकी पहुँच पूंजी बाज़ार तथा वित्तीय संस्थानों तक हो गई।
- बंगलूरू, अहमदाबाद और नासिक के नगर निगमों ने 1997-2010 के बीच ऐसे बॉण्ड जारी किये लेकिन बड़ी मुश्किल से 1,400 करोड़ रुपए ही इकट्ठा हो पाए।
- निवेशकों के आकर्षण में कमी का प्रमुख कारण बॉण्ड की व्यापारिक दक्षता और नियामक स्पष्टता में कमी थी।
- मार्च 2015 में सेबी (SecuritieS and Exchange Board of India-SEBI) ने नगर निगम बॉण्डों को जारी और सूचीबद्ध करने के लिये विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये, इससे उनकी नियामक स्थिति स्पष्ट हुई और इन्हें निवेशकों के लिये सुरक्षित माना गया।
- 2017 में पुणे नगर निगम ने अपनी 24x7 जल आपूर्ति परियोजना के वित्तपोषण के लिये मुनि बॉण्ड के माध्यम से 7.59% ब्याज पर 200 करोड़ रुपए जुटाए।
  - देश में उस समय सबसे बड़े नगर निगम बॉण्ड कार्यक्रम से 5 साल में 2,264 करोड़ रुपये जुटाने की योजना थी।

नगर निगम बॉण्ड बाज़ार का महत्त्व:

- नगर निगम राजस्व का एकमात्र प्रमुख स्रोत संपत्ति कर होने के कारण यह बॉण्ड शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local BodieS) को बजटीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिये राजस्व जुटाने में मदद कर सकता है।

नोट :

- भारत के बड़े शहरों और कस्बों के खराब हो रहे आधारभूत संरचना लिये नगर पालिका बॉण्ड बाज़ार का विकास किया जाना महत्त्वपूर्ण है।
- स्मार्ट शहर और अमृत जैसी केंद्रीय परियोजनाओं की सफलता के लिये भी नगर निकायों का आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है।

निवेशकों के लिये नगर निगम बॉण्ड के लाभ:

पारदर्शिता:

- जनता को जारी किये जाने वाले नगर निगम बॉण्ड का मूल्यांकन CRISIL (Credit Rating Information Services of India Limited) जैसी प्रसिद्ध एजेंसियों द्वारा किया जाता है, जिससे निवेशकों को निवेश विकल्पों से संबंधित पारदर्शिता की सुविधा उपलब्ध हो पाती है।

कर लाभ:

- भारत में यदि निवेशक कुछ निर्धारित नियमों के अनुरूप निवेश करते हैं तो नगर निगम बॉण्ड को कराधान से छूट दी जाती है। इसके अलावा निवेश पर मिलने वाले ब्याज दरों को भी कराधान से छूट दी जाती है।

न्यूनतम जोखिम:

- नगर निगम के प्राधिकारियों द्वारा इन प्रतिभूतियों में न्यूनतम जोखिम को शामिल करने के बाद नगर निगम बॉण्ड को जारी किया जाता है।
  - सरकारी बॉण्ड को आमतौर पर कम जोखिम वाले निवेश के रूप में देखा जाता है क्योंकि सरकार के ऋण के भुगतान में चूक की संभावना कम होती है।

चुनौतियाँ:

- निवेशकों के भरोसे और आत्मविश्वास में कमी: शहरी एजेंसियों की कमज़ोर वित्तीय स्थिति, खराब अभिशासन और प्रबंधन से बॉण्ड जारी करने की उनकी क्षमता सीमित हो गई है जिसने निवेशकों के भोरेसे तथा आत्मविश्वास को कम किया है।
- **प्रामाणिक वित्तीय डेटा की अनुपलब्धता:** प्रामाणिक वित्तीय डेटा उपलब्ध नहीं होने से निवेशकों को स्थानीय निकायों पर संदेह होने लगता है।
- **अन्य मुद्दे:** शहरी एजेंसियों की जवाबदेहिता और स्वायत्तता में कमी के कारण एक उचित वातावरण का अभाव बना रहता है।

आगे की राह

- कोरोना वायरस महामारी के कारण राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर काफी गंभीर प्रभाव पड़ा है, जिससे शहरी स्थानीय निकायों के वित्तपोषण में भी बाधा उत्पन्न हुई है। हालाँकि 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' पैकेज के तहत राज्य सरकारों को उनके द्वारा किये गए सुधारों के आधार पर अधिक उधार प्राप्त करने की छूट देने की पेशकश की गई है।
- अभी भी अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों के पास धन जुटाने, लेखांकन प्रणाली और विश्वसनीय परियोजनाओं को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिये संस्थागत एजेंसी नहीं है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 15वें वित्त आयोग में सूचीबद्ध सुधारों (जो शहरी स्थानीय निकायों के लिये यह अनिवार्य बनाते हैं कि वे अनुदान वितरण को अपने लेखा परीक्षण खातों के साथ जोड़ें) को लागू किया जाना चाहिये।
- ULBs की पारदर्शिता से उनकी ऋण दक्षता बढ़ेगी,साथ ही मुनि बॉण्ड के कार्यान्वयन में सुधार होगा, जिससे वे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बुनियादी ढाँचे के निर्माण में योगदान कर पाएंगे।

न्यूनतम समर्थन मूल्य और उसका निर्धारण

चर्चा में क्यों ?

पंजाब और हरियाणा समेत देश भर के विभिन्न राज्यों के किसानों द्वारा राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर हालिया कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी किसानों की प्रमुख मांगों में से एक मांग यह है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली को लेकर लिखित गारंटी प्रदान करे, जो उन्हें उनकी फसलों के लिये निश्चित मूल्य का आश्वासन देती है।

- किसानों द्वारा हाल ही में अधिनियमित तीन कृषि कानूनों और विद्युत (संशोधन) विधेयक 2020 के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) किसी भी फसल का वह 'न्यूनतम मूल्य' होता है, जिसे सरकार द्वारा किसानों के पारिश्रमिक के तौर पर स्वीकार किया जाता है।
- इस तरह 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' कृषि मूल्य में किसी भी प्रकार की तीव्र गिरावट के खिलाफ कृषि उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली बाज़ार हस्तक्षेप की एक प्रणाली है।
- यह किसी भी फसल की वह कीमत होती है, जो कि सरकारी एजेंसी द्वारा फसल की खरीद करते समय भुगतान की जाती है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को किसानों की उत्पादन लागत का डेढ़ गुना करने की घोषणा की थी।

किन फसलों पर दिया जाता है MSP

- 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' द्वारा सरकार को 22 अधिदिष्ट फसलों (Mandated CropS) के लिये 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) तथा गन्ने के लिये 'उचित और लाभकारी मूल्य' (FRP) की सिफारिश की जाती है।
- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP): यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है।
  - यह जनवरी 1965 में अस्तित्त्व में आया था।
  - यह एक सलाहकारी निकाय है, जिसकी सिफारिशें सरकार के लिये बाध्यकारी नहीं हैं।
- अधिदिष्ट फसलों में 14 खरीफ की फसलें, 6 रबी फसलें और दो अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं।
- इसके अलावा तोरिया (लाही) और नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (MSPs) का निर्धारण क्रमशः सरसों और सूखे नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (MSPs) के आधार पर किया जाता है।
- **फसलों की सूची:**
  - अनाज (7): धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी
  - दाल (5): चना, अरहर, मूँग, उड़द और मसूर की दाल
  - तिलहन (8): मूँगफली, सरसों, तोरिया (लाही), सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल, कुसुम का बीज, रामतिल का बीज
  - कच्ची कपास, कच्चा जूट, नारियल, सूखा नारियल
  - गन्ना (उचित और लाभकारी मूल्य)
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का निर्धारण करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) द्वारा खेती की लागत समेत विभिन्न कारकों पर विचार किया जाता है।
  - आयोग द्वारा खेती की लागत के अलावा उत्पाद की मांग और आपूर्ति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार मूल्य रुझान, उपभोक्ता के लिये मूल्य के निहितार्थ (मुद्रास्फीति), वातावरण (मिट्टी और पानी का उपयोग) तथा कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों आदि पर भी विचार किया जाता है।

वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में परिवर्तन

- वर्ष 2018-19 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री ने कहा था कि एक 'पूर्व निर्धारित सिद्धांत' के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), फसलों की उत्पादन लागत से डेढ़ गुना अधिक तय किया जाएगा।
- इस तरह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) का कार्य अब केवल एक सीज़न के लिये फसल के उत्पादन लागत का अनुमान लगाना और 1.5 गुना फॉर्मूला लागू करके MSPs की सिफारिश करना है।

उत्पादन लागत निर्धारण का तरीका

- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) द्वारा ज़मीनी स्तर पर सर्वेक्षण के माध्यम से फसल की उत्पादन लागत का निर्धारण नहीं किया जाता है।
- बल्कि आयोग फसलों की उत्पादन लागत का निर्धारण करने के लिये कृषि मंत्रालय के तहत आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा प्रदान किये गए राज्य-वार और फसल-विशिष्ट उत्पादन लागत अनुमानों से संबंधित आँकड़ों का प्रयोग किया जाता है।

नोट :

- हालाँकि ये आँकड़े तीन वर्ष के अंतराल पर ही उपलब्ध हो पाते हैं।
- CACP द्वारा राज्य और अखिल भारतीय दोनों स्तरों पर प्रत्येक फसल के लिये तीन प्रकार की उत्पादन लागतों का अनुमान लगाया जाता है।
- 'A2'
  - इसके तहत किसान द्वारा बीज, उर्वरकों, कीटनाशकों, श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर किये गए प्रत्यक्ष खर्च को शामिल किया जाता है।
- 'A2+FL'
  - इसके तहत 'A2' के साथ-साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम का एक अधिरोपित मूल्य शामिल किया जाता है।
- 'C2'
  - यह एक अधिक व्यापक अवधारणा है क्योंकि इसके अंतर्गत 'A2+FL' में किसान की स्वामित्व वाली भूमि और अचल संपत्ति के किराए तथा ब्याज को भी शामिल किया जाता है।

मूल्य निर्धारण से संबंधित मुद्दे:

- वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट भाषण में सरकार ने उस उत्पादन लागत को निर्दिष्ट नहीं किया था, जिस पर 1.5 गुना फॉर्मूला की गणना की जानी थी।
- CACP की 'खरीफ फसलों के लिये मूल्य नीति: विपणन सत्र 2018-19' रिपोर्ट में कहा गया था कि उसकी सिफारिशें 'A2+FL' लागत पर आधारित हैं।
- विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांग है कि कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा अनुशंसित 1.5 गुना MSP फॉर्मूला 'C2' लागतों पर लागू किया जाना चाहिये।

सरकार का पक्ष

- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) एक व्यापक तरीके से सभी लागतों पर विचार करता है, जो कि समय-समय पर विशेषज्ञ समितियों द्वारा सुझाई गई पद्धति पर आधारित होती है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सिफारिश करते समय CACP द्वारा 'A2+FL' और 'C2' दोनों लागतों पर विचार किया जाता है।
- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) द्वारा 'A2+FL' लागत पर MSP की गणना प्रतिफल के लिये की जाती है, जबकि 'C2' लागत पर MSP की गणना बेंचमार्क लागत के लिये की जाती है।

लॉटरी, जुआ और सट्टेबाज़ी पर कर संबंधी नियम

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में स्वीकार किया है कि लॉटरी, जुआ और सट्टेबाज़ी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (GST) अधिनियम, 2017 के तहत कर योग्य हैं।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि

- सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न लॉटरी डीलरों द्वारा दायर की गई याचिकाओं के संबंध में आदेश पारित किया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि केंद्र सरकार ने अनुचित तरीके से लॉटरी को 'वस्तु' (Goods) के रूप में वर्गीकृत किया है।
- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 (52) और लॉटरी पर कर अधिरोपित करने संबंधी अधिसूचना को चुनौती देते हुए याचिकाकर्त्ताओं ने तर्क दिया कि यह कानून संविधान के तहत दिये गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और सूर्योदय एसोसिएट्स बनाम दिल्ली सरकार वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय के भी विपरीत है, जिसमें यह माना गया था कि लॉटरी केवल एक प्रकार का 'एक्शनेबल क्लेम' है और इसे 'वस्तु' के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है।

नोट :

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि लॉटरी, जुआ और सट्टेबाज़ी 'एक्शनेबल क्लेम' हैं और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 (52) के तहत 'वस्तु' की परिभाषा के दायरे में आते हैं।
- न्यायालय ने कहा कि लॉटरी, जुआ और सट्टेबाज़ी पर लगने वाला GST किसी भी प्रकार से भेदभावपूर्ण नहीं है तथा यह संविधान के तहत प्रदान किये गए समानता के अधिकार का उल्लंघन भी नहीं करता है।
  - केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची III के मुताबिक लॉटरी, जुआ और सट्टेबाज़ी के अलावा अन्य किसी भी 'एक्शनेबल क्लेम' को न तो वस्तु और न ही सेवाओं की आपूर्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
  - इस तरह अधिनियम में कुछ चुनिंदा 'एक्शनेबल क्लेम' (लॉटरी, जुआ और सट्टेबाज़ी) ही GST के दायरे में लाए गए हैं।
- लॉटरी, जुआ और सट्टेबाज़ी जैसे 'एक्शनेबल क्लेम' को GST के तहत शामिल करने के लिये संसद के पास अधिनियम के तहत 'वस्तु' की समावेशी परिभाषा निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार है।
  - **संविधान का अनुच्छेद 246A** संसद को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है, इसलिये अधिनियम की धारा 2 (52) के तहत निर्धारित 'वस्तु' (GoodS) की परिभाषा को संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत नहीं माना जा सकता है।

क्या होते हैं 'एक्शनेबल क्लेम'?

- संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम, 1882 के मुताबिक, 'एक्शनेबल क्लेम' का अभिप्राय अचल संपत्ति को बंधक रखकर अथवा चल संपत्ति को गिरवी रखकर सुरक्षित किये गए ऋण के अलावा अन्य किसी भी ऋण के दावे से होता है।
- ध्यातव्य है कि लॉटरी, जुआ और सट्टेबाज़ी से संबंधित गतिविधियों को ही GST के आधीन रखा गया है और इन तीनों के अतिरिक्त अन्य कोई भी 'एक्शनेबल क्लेम' वस्तु एवं सेवा कर (GST) के दायरे में नहीं आता है।

'एक्शनेबल क्लेम' के कुछ उदाहरण

- वह बीमा पॉलिसी जिसके लिये बंधक अथवा अन्य किसी माध्यम से सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है।
- किराए के बकाए का दावा भी 'एक्शनेबल क्लेम' है, क्योंकि इसे किसी भी चल अथवा अचल संपत्ति के माध्यम से सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है।
- भविष्य निधि का दावा।
- असुरक्षित ऋण का दावा।

लॉटरी, जुआ और सट्टेबाज़ी से संबंधित केंद्रीय कानून

- लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998
  - इस अधिनियम के तहत भारत में लॉटरी को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान की गई है। लॉटरी का आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिये और लॉटरी के ड्रॉ का स्थान भी उस राज्य विशेष में ही होना चाहिये।
- पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम, 1955
  - यह अधिनियम किसी भी प्रतियोगिता में पुरस्कार को परिभाषित करता है।
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999
  - इस अधिनियम के तहत लॉटरी के माध्यम से अर्जित आय के प्रेषण को प्रतिबंधित किया जाता है।
- सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2011
  - इन नियमों के तहत कोई भी इंटरनेट सेवा प्रदाता, नेटवर्क सेवा प्रदाता या कोई भी सर्च इंजन ऐसा कोई भी कंटेंट प्रदान नहीं करेगा, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुए (Gambling) का समर्थन करता है।
- आयकर अधिनियम, 1961
  - इस अधिनियम के तहत भारत में वर्तमान कराधान नीति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी प्रकार के जुआ उद्योग को कवर करती है।

नोट :

मौद्रिक नीति: RBI

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **भारतीय रिज़र्व बैंक (ReServe Bank of India- RBI)** की **'मौद्रिक नीति समिति'** (Monetary Policy Committee- MPC) ने रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए अपने समायोजन नीति के रुख को जारी रखा है। गौरतलब है कि वर्तमान में COVID-19 महामारी के बीच RBI ने महँगाई की अपेक्षा आर्थिक सुधार को समर्थन को अधिक प्राथमिकता दी है।

- RBI द्वारा अन्य कई तरलता प्रबंधन उपायों के साथ वित्तीय प्रणाली के नियामकीय निरीक्षण में सुधार के लिये आवश्यक कदमों की भी घोषणा की गई है।
- RBI की 'मौद्रिक नीति समिति' 'भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934' के तहत स्थापित एक संविधिक निकाय है। यह आर्थिक विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मुद्रा स्थिरता को बनाए रखने हेतु कार्य करती है। यह महँगाई दर (4%) को प्राप्त करने के लिये रेपो रेट के निर्धारण का कार्य करती है।

प्रमुख बिंदु:

रेपो रेट:

- मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट (Repo Rate) को 4% पर और रिवर्स रेपो रेट (ReverSe Repo Rate) को 3.35% पर बनाए रखा है।
- रेपो रेट या नीतिगत दर, वह ब्याज़ दर होती है जिस पर RBI बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है।
- रिवर्स रेपो रेट, वह ब्याज़ दर होती है जिस पर बैंकों को RBI में धन जमा कराने पर ब्याज़ प्राप्त होता है।
- MPC ने वर्तमान में खुदरा मुद्रास्फीति में हो रही वृद्धि के बीच लगातार तीसरी बार प्रमुख मौद्रिक नीतिगत दरों को यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया है।
- RBI ने COVID-19 महामारी और इसके नियंत्रण हेतु लागू लॉकडाउन के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियों से निपटने में अर्थव्यवस्था को सहयोग प्रदान करने के लिये मार्च 2020 से रेपो रेट में 115 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है।
- सामान्य तौर पर रेपो रेट के कम होने से सामान्य जनता को बैंकों से पूर्व की अपेक्षा सस्ता ऋण प्राप्त होता है।

सकल घरेलू उत्पाद अनुमान:

- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GroSS DomeStic Product-GDP) में 7.5% की गिरावट का अनुमान व्यक्त किया गया है।
  - वास्तविक GDP में मुद्रास्फीति को समायोजित किया जाता है, यह किसी दिये गए एक वर्ष में अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को दर्शाता है।
- हालाँकि लॉकडाउन के बाद वर्तमान वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में देश के अधिकांश हिस्सों में औद्योगिक गतिविधियों में सुधार को देखते हुए तीसरी तिमाही में जीडीपी में 0.1% और चौथी तिमाही में 0.7% की वृद्धि का अनुमान है।
  - गौरतलब है कि वर्ष 2020 की पहली तिमाही में देश की जीडीपी में 23.9% की गिरावट (वर्ष 2019 की पहली तिमाही की तुलना में) देखने को मिली थी।

मुद्रास्फीति

- मुद्रास्फीति मौजूदा समय में नीति निर्माताओं के लिये चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि आपूर्ति बाधित होने से मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि देखी गई, जिसके कारण उपभोक्ता से काफी अधिक शुल्क लिया जा रहा था।
- कोर मुद्रास्फीति पर लागत जनित मुद्रास्फीति का प्रभाव अभी भी जारी है, इसमें अधिक बदलाव नहीं हुआ है और आर्थिक गतिविधियों के सामान्य होने तथा माँग में तेजी के साथ यह और भी दृढ़ हो सकती है।

नोट :

- **लागत जनित मुद्रास्फीति:** किसी वस्तु के उत्पादन से जुड़े कारकों (भूमि, पूंजी, श्रम, कच्चा माल आदि) की लागत में वृद्धि से वस्तुओं की कीमतों में होने वाली वृद्धि लागत जनित मुद्रास्फीति (CoSt-PuSh Inflation) कहलाती है।
- **कोर मुद्रास्फीति:** कोर मुद्रास्फीति बाज़ार में वस्तुओं और सेवाओं की लागत के अंतर को दर्शाती है परंतु इसमें खाद्य और ऊर्जा क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता।

- RBI द्वारा चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में खुदरा महँगाई के औसतन 6.8% और चौथी तिमाही में 5.8% रहने का अनुमान लगाया गया है, साथ ही वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली और दूसरी तिमाही में यह घटकर क्रमश: 5.2% तथा 4.6% तक पहुँचने का अनुमान है।
- **उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (ConSumer Price Inflation):** अक्तूबर में CPI पिछले 6 वर्षों के अपने सबसे अधिकतम स्तर (7.6%) पर पहुँच गई, जो कि इसके मध्यम लक्ष्य 4% (+/-2%) से बहुत ही अधिक है।

उदार रुख:

- मौद्रिक नीति समिति ने COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों को कम करने और अर्थव्यवस्था की वृद्धि को स्थायी गति प्रदान करने के लिये जहाँ तक आवश्यक (कम-से-कम वर्तमान वित्तीय वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष में भी) हो, अपने उदार रूख को जारी रखने का निर्णय लिया है।

जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा मानदंड:

- RBI ने बड़े शहरी सहकारी बैंकों (Urban Cooperative BankS- UCBS) और **'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों'** (Non-Banking Financial CompanieS- NBFC) के लिये जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा मानदंड शुरू करने की घोषणा की है, RBI की यह पहल इसकी निगरानी में सक्रिय संस्थाओं में शासन और विश्वसनीयता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू किये गए प्रयासों का हिस्सा है।
- RBI द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार के लिये वाणिज्यिक बैंकों, UCB और NBFC के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति पर दिशा-निर्देशों के सामंजस्य के लिये भी कदम उठाए गए हैं।
- NBFC की विभिन्न श्रेणियों द्वारा लाभांश की घोषणा के लिये पारदर्शी मापदंड अपनाने का निर्णय लिया गया है।
- वित्तीय बाज़ार को और अधिक व्यापक करने के लिये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रिज़र्व बैंक की **'तरलता समायोजन सुविधा'** (Liquidity AdjuStment Facility- LAF) और 'सीमांत स्थायी सुविधा' (Marginal Standing Facility- MSF) के साथ कॉल/नोटिस मनी मार्केट का उपयोग करने की भी अनुमति दी जाएगी।
- **तरलता समायोजन सुविधा (Liquidity AdjuStment Facility- LAF):** LAF भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति के तहत प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है जो बैंकों को पुनर्खरीद समझौतों, रेपो एग्रीमेंट के माध्यम से ऋण प्राप्त करने या रिवर्स रेपो एग्रीमेंट के माध्यम से RBI को ऋण प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता है।
- **सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility- MSF):** सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) के तहत बैंक अंतर-बैंक तरलता (Inter-Bank Liquidity) की कमी को पूरा करने के लिये आपातकालीन स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक से उधार लेते हैं।

डिजिटल भुगतान सुरक्षा:

- उपयोगकर्त्ता के लिये मज़बूत सुरक्षा और सुविधा के साथ डिजिटल भुगतान चैनलों के ईको-सिस्टम में महत्त्वपूर्ण सुधार के लिये RBI ने विनियमित संस्थाओं हेतु 'भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण) निर्देश' जारी करने का प्रस्ताव किया है।
- इन निर्देशों में इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग और कार्ड से भुगतान जैसे माध्यम के लिये सामान्य सुरक्षा नियंत्रण को लेकर कुछ न्यूनतम मानकों को सुदृढ़ करने, उनके प्रशासन, कार्यान्वयन और निगरानी की आवश्यकता होगी।

लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन:

- RBI ने कामथ समिति द्वारा चिह्नित 26 तनावग्रस्त क्षेत्रों को लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (Targeted Long Term Repo Operation- TLTRO) के तहत पात्र क्षेत्रों के दायरे में लाने का निर्णय लिया है ताकि सुस्त अर्थव्यवस्था को और अधिक तरलता उपलब्ध कराई जा सके।

नोट :

- RBI ने अक्तूबर 2020 में TLTRO की घोषणा की थी, जो 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध होगी।
- तद्नुसार, योजना को लेकर प्राप्त प्रतिक्रिया की समीक्षा के बाद धनराशि और अवधि बढ़ाने हेतु लचीलेपन के साथ पॉलिसी रेपो दर से सहलग्न अस्थायी दर पर कुल 1,00,000 करोड़ रुपए तक की राशि के लिये तीन वर्षों तक के लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालनों को माँग पर संचालित करने का निर्णय लिया गया था।
- TLTRO के तहत बैंक अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिये कॉर्पोरेट बॉण्ड, वाणिज्यिक पत्र और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (Non-Convertible Debentures) जैसे ऋण माध्यमों से विशिष्ट क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं।

- आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 2.0 (Emergency Credit Line Guarantee Scheme- ECLGS 2.0) शुरू की।
  - इसके तहत रिज़र्व बैंक की कामथ कमेटी द्वारा चिह्नित 26 तनावग्रस्त क्षेत्रों में संस्थाओं को मौजूदा ECLGS 1.0 के 3.0 लाख करोड़ रुपए के कोष को 100 प्रतिशत गारंटीकृत संपार्श्विक मुक्त अतिरिक्त ऋण प्रदान करने की सुविधा दी गई।
- RBI के अनुसार, बैंकों को दो योजनाओं के तालमेल के लिये रिज़र्व बैंक से मांग के आधार पर TLTRO के तहत प्राप्त धनराशि का लाभ उठाने और तनावग्रस्त क्षेत्रों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिये ECLGS 2.0 के तहत गारंटी लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्द्धन पुरस्कार 2020

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) ने इन्वेस्ट इंडिया (InveSt India) को संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्द्धन पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया है।

प्रमुख बिंदु

संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्द्धन पुरस्कार

- यह पुरस्कार विश्व की निवेश संवर्द्धन संस्थाओं (IPAS) की उत्कृष्ट उपलब्धियों को रेखांकित करता है और उन्हें मान्यता प्रदान करता है। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) द्वारा यह पुरस्कार वर्ष 2002 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।
- साथ ही यह पुरस्कार सतत् विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाने और सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में निवेश संवर्द्धन संस्थाओं (IPAS) के योगदान को भी उजागर करता है।
- ध्यातव्य है कि अलग-अलग देशों की निवेश संवर्द्धन संस्थाओं (IPAS) द्वारा कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध अपनाए गए उपायों को इस वर्ष के पुरस्कार के लिये एक आधार के रूप में प्रयोग किया गया है।
- भारत से पूर्व जर्मनी, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर आदि देश भी यह पुरस्कार जीत चुके हैं।

इन्वेस्ट इंडिया

- यह भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्द्धन संस्था है, जो कि भारत में निवेश के इच्छुक निवेशकों के लिये देश में निवेश करना और अधिक सुविधाजनक बनाती है।
- इसका गठन वर्ष 2009 में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) के अधीन एक गैर-लाभकारी उपक्रम के रूप में किया गया था।
- पुरस्कार की घोषणा करते हुए UNCTAD ने अपने प्रकाशन में इन्वेस्ट इंडिया की बेहतरीन गतिविधियों जैसे कि बिज़नेस इम्युनिटी प्लेटफॉर्म, एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम वेबिनार सिरीज़, सोशल मीडिया पर सक्रियता और कोविड महामारी से निपटने के लिये गठित समूहों (जैसे कि व्यापार पुनर्निर्माण, स्टैकहोल्डर आउटरीच और सप्लायर आउटरीच आदि) को रेखांकित किया।

निवेश संवर्द्धन संबंधी सरकार के प्रयास

- एक महत्त्वपूर्ण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) गंतव्य के रूप में बीते कुछ वर्षों में भारत की स्थिति काफी मज़बूत हुई है। आँकड़ों की मानें

नोट :

तो वर्ष 2019 में भारत विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले शीर्ष 10 देशों में से एक था और भारत ने प्रौद्योगिकी, आईटी तथा दूरसंचार एवं निर्माण समेत विभिन्न क्षेत्रों में अरबों डॉलर का विदेशी निवेश प्राप्त किया था।

- वर्ष 2020 में भी कोरोना वायरस महामारी से निपटने में तीव्र प्रक्रिया, अनुकूल जनसांख्यिकी, मोबाइल और इंटरनेट के उपयोगकर्त्ताओं की बढ़ती संख्या, व्यापक खपत और तकनीक में उन्नति जैसे कारकों ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है।
- इसके अलावा सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिये विभिन्न योजनाओं जैसे- राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, आदि का शुभारंभ भी किया है।
  - सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी पहलों पर ज़ोर दिया जा रहा है।
- घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की अपनी 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई क्षेत्रों के लिये FDI संबंधी नियमों में ढील प्रदान की है।
- भारत सरकार द्वारा लगातार देश में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में सुधार के प्रयास किये जा रहे हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट, 2020 में भारत को 190 देशों में 63वाँ स्थान प्राप्त हुआ था।

व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD)

- यह वर्ष 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक स्थायी अंतर-सरकारी निकाय है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।
- इसका गठन मुख्य तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों के विकास-अनुकूल एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु किया गया था।
- यह एक केंद्रीय एजेंसी है जो निवेश संवर्द्धन संस्थाओं (IPAs) के प्रदर्शन की निगरानी करती है और वैश्विक स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं को मान्यता प्रदान करती है।
- इसके द्वारा प्रकाशित कुछ रिपोर्ट हैं:
  - व्यापार और विकास रिपोर्ट (Trade and Development Report)
  - विश्व निवेश रिपोर्ट (World InveStment Report)
  - ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनीटर रिपोर्ट (Global InveStment Trend Monitor Report)
  - न्यूनतम विकसित देश रिपोर्ट (The LeaSt Developed CountrieS Report)
  - सूचना एवं अर्थव्यवस्था रिपोर्ट (Information and Economy Report)
  - प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट (Technology and Innovation Report)
  - वस्तु तथा विकास रिपोर्ट (CommoditieS and Development Report)

जैविक कृषि क्षेत्र: लक्षद्वीप

चर्चा में क्यों ?

केंद्र सरकार की भागीदारी गारंटी प्रणाली (PGS) के तहत संपूर्ण लक्षद्वीप को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है।

भागीदारी गारंटी प्रणाली (PGS)

- यह जैविक उत्पादों को प्रमाणित करने की एक प्रक्रिया है, जो सुनिश्चित करती है कि उनका उत्पादन निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार किया जाए।
- यह प्रमाणन प्रलेखित लोगो (Documented Logo) या वचन (Statement) के रूप में होता है।
- इसका कार्यान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- PGS प्रमाणीकरण केवल उन किसानों या समुदायों के लिये है, जो एक गाँव अथवा आस-पास के अन्य क्षेत्रों के भीतर समूह के रूप में संगठित होकर कार्य कर सकते हैं। साथ ही यह केवल कृषि गतिविधियाँ जैसे कि फसल उत्पादन, प्रसंस्करण, पशु पालन और ऑफ-फार्म प्रसंस्करण आदि पर ही लागू होता है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- लक्षद्वीप 100 प्रतिशत ऑर्गेनिक क्षेत्र बनने वाला देश का पहला केंद्रशासित प्रदेश है, जहाँ सभी प्रकार की कृषि गतिविधियाँ पूर्णत: सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना की जाती हैं, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित खाद्य विकल्प प्राप्त होता है। साथ ही यहाँ कृषि पर्यावरण-अनुकूल गतिविधि बन गई है।
  - इससे पूर्व वर्ष 2016 में सिक्किम भारत का पहला 100 प्रतिशत जैविक राज्य बना था।
- लक्षद्वीप के कृषि विभाग ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को प्रदेश के संपूर्ण 32 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र को जैविक क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव भेजा था।
  - इसके बाद केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने केंद्र सरकार की परंपरागत कृषि विकास योजना (जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने संबंधी योजना) के तहत आवश्यक प्रमाणन और प्रख्यापन प्राप्त करने के बाद लक्षद्वीप के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को जैविक क्षेत्र घोषित कर दिया।

पृष्ठभूमि

- ध्यातव्य है कि अक्तूबर 2017 में लक्षद्वीप प्रशासन ने सभी द्वीपों को रासायनिक मुक्त क्षेत्र बनाने के उद्देश्य से कृषि प्रयोजनों के लिये किसी भी प्रकार के सिंथेटिक रसायनों की बिक्री और उपयोग पर औपचारिक प्रतिबंध लगा दिया था।

लाभ

- इससे जैविक उत्पादों जैसे कि नारियल और नारियल का दूध आदि का बेहतर विपणन संभव हो सकेगा।
- जैविक टैग के साथ लक्षद्वीप के किसानों को अपने कृषि उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी।
- लक्षद्वीप के नारियल किसानों के खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित केंद्र सरकार के 'एक ज़िला-एक उत्पाद' (ODOP) कार्यक्रम से लाभान्वित होने की उम्मीद है।
- इसके तहत पूरे केंद्रशासित प्रदेश को एक ही ज़िले के रूप में माना जा रहा है और नारियल तेल को उत्पाद के रूप में स्वीकार किया गया है।

फसल पैटर्न

- लक्षद्वीप में नारियल एकमात्र प्रमुख फसल है और वह भी छह माह तक निष्क्रिय रहती है।
- लक्षद्वीप का नारियल प्रसंस्करण उद्योग एक वर्ष में केवल छह माह के लिये ही काम करता है, क्योंकि इस दौरान मौसम शुष्क होता है, वहीं मई से दिसंबर माह के बीच इस उद्योग में लगभग ठहराव आ जाता है और गतिविधियाँ लगभग रुक जाती हैं, जिससे किसानों को नुकसान होता है।
- इस वजह से लक्षद्वीप प्रशासन ड्रायर (सुखाने की मशीन) और इसी प्रकार की अन्य मशीनों के प्रयोग पर विचार कर रहा है, जिससे वर्ष की दूसरी छमाही में किसानों को नुकसान का सामना न करना पड़े।

जैविक कृषि (ऑर्गेनिक फार्मिंग)

- जैविक कृषि वह विधि है, जिसमें सिंथेटिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता या न्यूनतम प्रयोग किया जाता है तथा जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिये फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है।

जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु सरकार के प्रयास:

- परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)
  - यह योजना प्रमाणन के साथ क्लस्टर आधारित जैविक कृषि को बढ़ावा देती है। इसके तहत क्लस्टर गठन, प्रशिक्षण, प्रमाणन और विपणन का समर्थन किया जाता है।
- मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन (MOVCD)

नोट :

- यह योजना किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में थर्ड पार्टी प्रमाणित जैविक कृषि को बढ़ावा देने से संबंधित है।

- पूंजीगत निवेश सब्सिडी योजना
  - यह योजना राज्य सरकार/सरकारी एजेंसियों को मशीनीकृत फल/सब्जी के बाज़ार/कृषि अपशिष्ट से खाद उत्पादन इकाई की स्थापना के लिये 100 प्रतिशत सहायता प्रदान का प्रावधान करती है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
  - इसके तहत जैव-उर्वरक के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

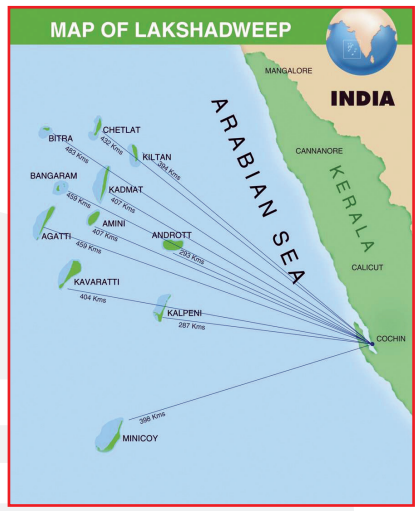

लक्षद्वीप

- 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश, लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है, जिसमें कुल 36 द्वीप शामिल हैं।
- लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल तीन उप-द्वीप समूह शामिल हैं:
  - अमीनदीव द्वीप समूह
  - लेकाडाइव द्वीप समूह
  - मिनिकॉय द्वीप समूह
- अमीनदीव द्वीप समूह सबसे उत्तर में है, जबकि मिनिकॉय द्वीप समूह सबसे दक्षिण में है।
- राजधानी कवारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी यहाँ का सबसे प्रमुख शहर है।

ब्याज माफी की मांग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने ऋण स्थगन अवधि के दौरान ब्याज माफी की मांग करने वाली याचिकाओं की सुनवाई की है।

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मार्च माह में कोरोना वायरस महामारी की चुनौती के मद्देनज़र बैंकों द्वारा दिये गए ऋण के भुगतान पर 90 दिनों (1 मार्च से 31 मई तक) के ऋण स्थगन की घोषणा की थी, इस अवधि को बाद में 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था।
- इस निर्णय का प्राथमिक उद्देश्य कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान उधारकर्त्ताओं को ऋण और मासिक किस्त (EMI) के भुगतान में राहत प्रदान करना था।

प्रमुख बिंदु

केंद्र सरकार का पक्ष

- **अत्यधिक लागत:** अनुमान के मुताबिक, ऋण स्थगन अवधि के दौरान उधारकर्त्ताओं के ऋणों पर ब्याज को पूरी तरह से माफ किये जाने से भारतीय बैंकों को तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ेगा।
- **बैंकों पर संभावित प्रभाव:** यदि बैंकों को ऋण माफी का यह बोझ उठाना पड़ता है, तो इससे बैंकों के नेट वर्थ पर भारी प्रभाव पड़ेगा और उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आने वाले समय में उनके अस्तित्त्व पर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- बैंकों की जमा v/s ऋण: यद्यपि जमाकर्त्ताओं को ब्याज का भुगतान करना बैंकों की प्राथमिक गतिविधि नहीं है, किंतु यह बैंकों की बड़ी ज़िम्मेदारी है और इससे समझौता नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारत में ऐसे कई छोटे जमाकर्त्ता हैं, जिनके लिये बैंकों द्वारा दिया जाने वाला ब्याज काफी महत्त्वपूर्ण होता है।

नोट :

- वित्तीय संसाधनों का उपयोग: कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के कारण उत्पन्न हुई अनिश्चितता और उसके आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिये उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग किया जाना आवश्यक है।
  - केंद्र सरकार द्वारा लघु और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिये कई सेक्टर-विशिष्ट राहत उपायों को भी अपनाया गया है और भविष्य में अर्थव्यवस्था को मंदी की चपेट से बचाने के लिये ऐसे ही उपायों की आवश्यकता है, जिसके लिये वित्तीय संसाधन काफी महत्त्वपूर्ण होंगे।

सरकार द्वारा किये गए राहत उपाय

- ऊर्जा क्षेत्र: सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को तरलता प्रदान करने के लिये 90 हज़ार करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी। इससे बिजली वितरण कंपनियाँ (डिस्कॉम) बिजली उत्पादक कंपनियाँ अपने बकाए का भुगतान करने में सक्षम हो जाएंगी।
- रियल एस्टेट सेक्टर: कोरोना वायरस महामारी को एक अप्रत्याशित घटना मानते हुए रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरणों (RERAs) के तहत परियोजनाओं के पंजीकरण और समापन की तारीखों के विस्तार की अनुमति देते हुए एक एडवाइज़री जारी की गई थी।
  - किसी समझौते के दृष्टिकोण से देखें तो समझौता का अप्रत्याशित घटना वाला खंड ऐसी किसी घटना की स्थिति में एक पक्ष को समझौते के तहत अपने दायित्त्वों को पूरा न करने की छूट प्रदान करता है।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME): कोरोना वायरस महामारी तथा देशव्यापी लॉकडाउन के कारण उत्पन्न संकट को कम करने के लिये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को क्रेडिट प्रदान करने हेतु 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' पैकेज के एक हिस्से के रूप में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) शुरू की गई है।
- छोटे उधारकर्त्ता: केंद्र सरकार के निर्णय के मुताबिक, छह माह की ऋण अधिस्थगन अवधि के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज पर राहत केवल उन उधारकर्त्ताओं को मिलेगी, जिन्होंने 2 करोड़ रुपए तक का ऋण लिया था।
  - भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा 1500 करोड़ रुपए और उससे अधिक का ऋण लेने वाले लोगों को 'बड़े उधारकर्त्ताओं' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- बड़े उधारकर्त्ता: रिज़र्व बैंक द्वारा गठित के.वी. कामथ समिति ने अपनी रिपोर्ट में कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित कुल 26 क्षेत्रों के ऋण पुनर्गठन के लिये वित्तीय मापदंडों की सिफारिश की है।

अन्य उपाय

- अक्तूबर माह में सरकार ने 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2020' के माध्यम से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) को 6 माह की अवधि के लिये निलंबित कर दिया था यानी 6 माह तक किसी भी कंपनी के खिलाफ इनसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू न करने का निर्णय लिया गया था।

प्रवासी श्रमिकों का डेटाबेस

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार ने देश भर के सभी प्रवासी श्रमिकों का एक डाटाबेस बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें अनौपचारिक क्षेत्र के प्रवासी श्रमिक भी शामिल होंगे।

- अपने मूल निवास स्थान से दूर आंतरिक (देश के भीतर) अथवा अंतर्राष्ट्रीय (विभिन्न देशों में) सीमाओं के पार लोगों की आवाजाही को प्रवासन कहते हैं। अब तक भारत में प्रवासन से संबंधित आँकड़ों के लिये वर्ष 2011 की जनगणना का प्रयोग किया जाता है।
- जनगणना के आँकड़ों की मानें तो भारत में वर्ष 2011 में कुल 45.6 करोड़ (कुल जनसंख्या का 38 प्रतिशत) प्रवासी थे, जबकि वर्ष 2001 की जनगणना में यह संख्या 31.5 करोड़ (कुल जनसंख्या का 31 प्रतिशत) थी।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि

- अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1979 में प्रवासी श्रमिकों को नियुक्त करने वाले सभी प्रतिष्ठानों का पंजीकृत होना अनिवार्य किया गया है, साथ ही प्रवासी श्रमिकों को काम देने वाले ठेकेदारों के लिये भी लाइसेंस लेना आवश्यक है।

नोट :

- यदि इस कानून का सही ढंग से कार्यान्वयन किया जाता तो इसके माध्यम से अलग-अलग राज्यों में कार्यरत प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डेटा आसानी से उपलब्ध हो सकता था और इससे राज्य सरकारों को प्रवासी श्रमिकों के लिये कल्याण योजनाएँ बनाने में काफी सहायता मिलती।
- हालाँकि इस कानून का सही ढंग से कार्यान्वयन न होने के कारण केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पास प्रवासी श्रमिकों से संबंधित कोई भी विस्तृत रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।
- कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र प्रवासी श्रमिकों और अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों का एक विस्तृत डाटाबेस बनाना काफी महत्त्वपूर्ण हो गया है।

गृह राज्य वापस लौटे श्रमिकों की आजीविका के लिये सरकार के हालिया प्रयास:

- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने कुशल श्रमिकों को आजीविका के अवसर खोजने में सहायता प्रदान करने के लिये असीम (ASEEM) पोर्टल लॉन्च किया है।
  - असीम (ASEEM) पोर्टल का पूर्ण रूप 'आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी-नियोक्ता मानचित्रण (Aatamanirbhar Skilled Employee-Employer Mapping) है।
  - भारत के विभिन्न राज्यों से अपने घरों को वापस लौटे श्रमिकों तथा वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश लौटे भारतीय नागरिकों, जिन्होंने 'कौशल कार्ड' में पंजीकरण कराया है, के डाटाबेस को भी इस पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने एक ऑनलाइन डैशबोर्ड 'राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली' (NMIS) को विकसित किया है।
  - यह ऑनलाइन पोर्टल प्रवासी कामगारों के बारे में केंद्रीय कोष बनाएगा और उनके मूल स्थानों तक उनकी यात्रा को सुचारु बनाने के लिये अंतर-राज्यीय संचार/समन्वय में मदद करेगा।
  - महाराष्ट्र सरकार ने महामारी के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक अनिश्चितता को देखते हुए रोज़गार की तलाश कर रहे लोगों और नियोक्ताओं के लिये 'महाजॉब्स' नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है।

आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोज़गार अभियान

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने और औद्योगिक इकाइयों के साथ साझेदारी कर 1.25 करोड़ ऐसे प्रवासी कामगारों को रोज़गार के अवसर प्रदान करने पर ज़ोर देती है, जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी के कारण रोज़गार खो दिया है।
  - राज्य सरकार ने पहले ही श्रमिकों के कौशल के मानचित्रण का कार्य पूरा कर लिया है, ताकि उनकी विशेषज्ञता के अनुसार उन्हें रोज़गार उपलब्ध कराया जा सके।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने एक 'प्रवासन आयोग' के गठन को मंज़ूरी दी है, जिसे मुख्यत: प्रवासी श्रमिकों के कौशल का मानचित्रण और श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है।

प्रवासन के कारण

- प्रवासन एक वैश्विक घटना है, जो न केवल आर्थिक कारकों से, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे कई अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है। प्रवासन के सभी कारकों को प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारकों के व्यापक वर्गीकरण के तहत शामिल किया जा सकता है।
  - **प्रतिकर्ष कारक (PuSh Factor):** प्रतिकर्ष कारक वे होते हैं, जो एक व्यक्ति को अपने सामान्य निवास स्थान को छोड़ने और किसी अन्य स्थान पर प्रवास करने के लिये मजबूर करते हैं, जैसे- बेरोज़गारी, राजनीतिक उपद्रव और महामारी आदि।
  - **अपकर्ष कारक (Pull Factor):** अपकर्ष कारक उन कारकों को इंगित करते हैं, जो प्रवासियों को किसी एक क्षेत्र विशिष्ट (गंतव्य) में आने के लिये आकर्षित करते हैं, जैसे- काम के बेहतर अवसर और रहन-सहन की अच्छी दशाएँ आदि।

नोट :

प्रवासन का पैटर्न

- आंतरिक प्रवासन को मूल एवं गंतव्य के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है।
  - ग्रामीण-ग्रामीण, ग्रामीण-शहरी, शहरी-ग्रामीण और शहरी-शहरी
- प्रवासन को वर्गीकृत करने का दूसरा तरीका है:
  - अंतर्राज्यीय और आतंरिक-राज्य
- वर्ष 2011 तक उत्तर प्रदेश और बिहार अंतर्राज्यीय प्रवासियों के सबसे बड़ा स्रोत थे, जबकि महाराष्ट्र और दिल्ली प्रवासियों के सबसे बड़े अभिग्राही (Receiver) राज्य थे। इस अवधि तक उत्तर प्रदेश के लगभग 83 लाख एवं बिहार के 63 लाख निवासी या तो अस्थायी अथवा स्थायी रूप से अन्य राज्यों में चले गए थे।

डाटाबेस की योजना

- प्रवासी श्रमिकों का नवीन डाटाबेस तैयार करने के लिये मौजूदा सरकारी योजनाओं- जैसे मनारेगा और एक देश-एक राशन कार्ड आदि के डाटाबेस के उपयोग की योजना बनाई गई है।
- इस डाटाबेस में मौजूदा सरकारी योजनाओं के तहत न आने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का विवरण अलग से शामिल किया जाएगा।

मुद्दे

आतंरिक-राज्य प्रवासन से संबंधित डेटा का अभाव

- इस डाटाबेस को लेकर हो रही संपूर्ण वार्ता अंतर्राज्यीय प्रवासन पर ही केंद्रित है, जबकि आतंरिक-राज्य प्रवासन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में प्रवासियों के दोनों समूहों को शामिल करने के लिये डाटाबेस के दायरे का विस्तार करने की आवश्यकता है।

नियोजित की परिभाषा में विसंगति

- देश में प्रवासन का विस्तार नियोजित की परिभाषा पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और जनगणना द्वारा उपयोग की जाने वाली परिभाषाओं में काफी अंतर है।
- ऐसे में हमें रोज़गार और नियोजित के लिये एक व्यापक परिभाषा विकसित करने की आवश्यकता है।

प्रौद्योगिकी संबंधी बाधाएँ

- नए डाटाबेस को राज्य स्तर के मौजूदा डाटाबेस के साथ मिलाना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि सभी स्तरों पर डेटा स्टोरेज के सॉफ्टवेयर्स और स्ट्रक्चर काफी अलग होंगे।
  - आधार-डेटाबेस का प्रयोग करने से सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

श्रमिकों के पंजीकरण पर स्पष्टता का अभाव

- पंजीकरण की प्रक्रिया में अभी तक किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है कि यह प्रक्रिया पूर्णत: स्वैच्छिक होगी अथवा सरकारी संस्थाओं द्वारा पूरी की जाएगी।

पोर्टेबिलिटी की समस्या

- सरकारों को राज्यों में इस डाटाबेस के उपयोग की पोर्टेबिलिटी के मुद्दे की जाँच करनी होगी।

अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1979

- यह अधिनियम अंतर्राज्यीय प्रवासियों के रोज़गार और उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने का प्रयास करता है।
- यह अधिनियम उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, जिन्होंने दूसरे राज्यों के पाँच या उससे अधिक प्रवासी कामगारों को रोज़गार प्रदान किया है अथवा उन्होंने बीते 12 महीनों में किसी भी दिन पाँच या अधिक प्रवासी कामगार नियुक्त किये हों।
  - यह अधिनियम उन ठेकेदारों पर भी लागू होता है, जिन्होंने 5 अथवा उससे अधिक अंतर्राज्यीय कामगारों को नियोजित किया है।
- यह अधिनियम ऐसे सभी प्रतिष्ठानों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है। कोई भी नियोक्ता संबंधित प्राधिकरण से पंजीकरण प्रमाणपत्र के बिना अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों को नियुक्त नहीं कर सकता है।
  - अधिनियम में यह भी कहा गया है कि वे सभी ठेकेदार जो किसी एक राज्य के श्रमिकों को किसी दूसरे राज्य में नियुक्त करते हैं, उन्हें इस कार्य के लिये लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

चीन-नेपाल द्विपक्षीय सहयोग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चीनी रक्षा मंत्री की नेपाल यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को मज़बूत करने, प्रशिक्षण एवं छात्र विनिमय कार्यक्रमों को पुन: शुरू करने आदि जैसे कई महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई।

प्रमुख बिंदु:

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- वर्ष 1955 में नेपाल ने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किये।
- नेपाल ने वर्ष 1956 में तिब्बत को चीन के एक हिस्से के रूप में स्वीकार किया तथा वर्ष 1960 में शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किये।
- वर्ष 1970 में नेपाल के शासक राजा बीरेंद्र द्वारा नेपाल को भारत और चीन के बीच 'शांति क्षेत्र' के रूप में चिह्नित किये जाने के प्रस्ताव पर भारत ने अधिक रुचि नहीं दिखाई गई, जबकि चीन द्वारा इसका समर्थन किया गया। एस मुद्दे और ऐसे ही कई मामलों ने भारत तथा चीन के संबंधों में दरार पैदा की, जबकि इसी दौरान चीन नेपाल को समर्थन तथा सहयोग देने के लिये तत्पर रहा।
- भारत-नेपाल संबंधों में वर्ष 2015 में एक नया मोड़ तब आया जब भारत ने नेपाल पर एक अनौपचारिक परंतु प्रभावी नाकाबंदी लागू की, जिसके कारण नेपाल में ईंधन और दवा की भारी कमी हो गई।
- गौरतलब है कि अप्रैल-मई 2015 के दौरान आए भूकंप के बाद नेपाल और चीन के बीच हिमालय से होकर जाने वाला सड़क संपर्क मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया है, जिसके कारण नेपाल द्वारा अपना लगभग पूरा तेल भारत के रास्ते आयात किया जाता है।
- भारत के साथ विवादों के बढ़ने के कारण ही चीन ने तिब्बत में नेपाल से लगी अपनी सीमा खोल दी।
- चीनी राष्ट्रपति की हालिया नेपाल यात्रा के बाद नेपाल ने 'वन चाइना पॉलिसी' के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए किसी भी सेना को चीन के विरुद्ध अपने क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति न देने वादा किया है।

चीन का हित

- हालाँकि भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर खुला होने के साथ ही लोगों को स्वतंत्र आवाजाही की अनुमति दी गई है, परंतु चीन पिछले कुछ समय से नेपाल के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार होने के भारत के दर्जे को हथियाने के लिये बढ़-चढ़ कर प्रयास कर रहा है।
  - भारत दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पिछले कुछ समय से यह दक्षिण एशियाई देशों के नेतृत्त्वकर्त्ता के रूप में उभर रहा है।
  - चीन भारत की बढ़ती शक्ति और प्रतिष्ठा को रोकना चाहता है, जो कि भविष्य में चीन के एक महाशक्ति बनने के मार्ग में बाधा बन सकता है।
- तिब्बत में भारत का बढ़ता प्रभाव चीन के लिये सुरक्षा की दृष्टि से चिंता का विषय बना हुआ है।
- इसलिये दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में बनाए रखने और चीन विरोधी गतिविधियों के लिये नेपाल की भूमि के उपयोग को रोकने हेतु नेपाल के साथ सक्रिय सहयोग बनाए रखना चीन की नेपाल नीति का प्रमुख हिस्सा बन गया है।
- चीन के साथ नेपाल की उत्तरी सीमा पूरी तरह से तिब्बत से मिलती है, जिसके कारण चीन तिब्बती मामलों को नियंत्रित करने के लिये नेपाल के साथ सुरक्षा सहयोग को काफी महत्त्वपूर्ण मानता है।

नेपाल के लिये चीन का महत्त्व

नोट :

- नेपाल, चीन को आवश्यक वस्तुओं का एक महत्त्वपूर्ण आपूर्तिकर्त्ता तथा देश की अर्थव्यवस्था को पुन: पटरी पर लाने के लिये एक सहायक के रूप में देखता है।
- नेपाल की लगभग आधी आबादी बेरोज़गार है और आधी से अधिक आबादी निरक्षर है। वहीं नेपाल में 30 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
- गरीबी और बेरोज़गारी जैसी आंतरिक समस्याओं से निपटने के लिये नेपाल को चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था की सहायता की आवश्यकता है।
- चूँकि चीन को भी तिब्बत जैसे मामलों में नेपाल की सहायता की आवश्यकता है, इसलिये चीन के साथ वार्ता में नेपाल को काफी महत्त्व दिया जाता है, साथ ही इसके माध्यम से नेपाल, भारत के 'बिग ब्रदर' वाले दृष्टिकोण से मुकाबला कर सकता है।
- चीन-नेपाल आर्थिक गलियारे के माध्यम से नेपाल, चीन के साथ संपर्क बढ़ाकर अपने व्यापार मार्गों पर भारतीय प्रभुत्व को समाप्त अथवा कम करना चाहता है।

भारत की चिंताएँ

- चीन और नेपाल के बीच इन समीकरणों को देखते हुए भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि चीन अपनी 'सुरक्षा कूटनीति' का उपयोग नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिये एक उपकरण के रूप में कर सकता है।
- चूँकि नेपाल भारत के लिये एक 'बफर स्टेट' के रूप में कार्य करता है, इसलिये इसे चीन के प्रभाव क्षेत्र में जाते देखना किसी भी प्रकार से भारत के रणनीतिक हित में नहीं होगा।
- चीन की मज़बूत वित्तीय स्थिति भारत के लिये पड़ोसी देशों में चीन के प्रभाव को नियंत्रित करना और भी चुनौतीपूर्ण बना रही है।
- चीन-नेपाल आर्थिक गलियारे के माध्यम से चीन को अपनी उपभोक्ता वस्तुओं को भारत में डंप करने का एक अन्य विकल्प मिल जाएगा, जिससे भविष्य में चीन के साथ भारत का व्यापार संतुलन और अधिक बिगड़ सकता है।

आगे की राह

- नेपाल ने भारत के साथ अपनी सीमा पर अनौपचारिक नाकाबंदी के बाद ही चीन के साथ अपने संबंधों में बढ़ोतरी की थी, ज्ञात हो कि इस नाकाबंदी के कारण नेपाल में ईंधन और दवा की भारी कमी हो गई थी।
  - यद्यपि भारत के पास इस तरह की नाकाबंदी को लागू करने का पूरा अधिकार है, किंतु भारत को ऐसे कदमों से बचना चाहिये, क्योंकि यह नेपाल और उसके नागरिकों की नज़र में भारत की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है।
  - आवश्यक है कि भारत, नेपाल के विकास में एक सेतु के रूप में कार्य करे और नेपाल को यह विश्वास दिलाया जाए कि भारत की विदेश नीति में उसका महत्त्वपूर्ण स्थान है।
- नेपाल के साथ अपने संबंधों के महत्त्व को देखते हुए भारत को चीन-नेपाल के मज़बूत संबंधों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये, खासतौर पर ऐसे समय में जब भारत-चीन की सीमा पर दोनों देशों के बीच पहले से ही तनाव बना हुआ है।
- चूँकि भारत-नेपाल की सीमा पर लोगों को स्वतंत्र आवाजाही की अनुमति है, इसलिये नेपाल को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण माना जाता है, अत: भारत को नेपाल के साथ स्थिर और मैत्रीपूर्ण संबंध सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना चाहिये।

SCO ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के उप-राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साझी बौद्ध विरासत पर पहली SCO ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी की शुरुआत की है।

- इस अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रदर्शनी की शुरुआत शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की 19वीं बैठक के दौरान की गई है।
  - बैठक के दौरान भारत ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि सीमा पार आतंकवाद भारत समेत शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के अन्य सदस्य देशों के लिये बड़ी चुनौती है।

प्रमुख बिंदु

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रदर्शनी

- साझी बौद्ध विरासत पर अपनी तरह की इस पहली अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा अन्य SCO देशों के सक्रिय सहयोग से किया गया है।
- भागीदार: इस अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रदर्शनी में भारत के अलावा कज़ाखस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, पाकिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान के संग्रहालय भी हिस्सा लेंगे।

महत्त्व

- बौद्ध दर्शन से जुड़ाव: मध्य एशिया में प्रचलित बौद्ध दर्शन और कला SCO देशों को एक-दूसरे से जोड़ती है, साथ ही यह ऑनलाइन प्रदर्शनी आगंतुकों को एक ही मंच पर SCO के सदस्य देशों में प्राप्त बौद्ध कला पुरावशेषों तक पहुँच प्रदान करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रस्तुत करती है।
- विभिन्न बौद्ध कला शैलियों के विषय में जानकारी: आगंतुक 3डी वर्चुअल प्रारूप में गांधार और मथुरा कला शैलियों, नालंदा, अमरावती, सारनाथ आदि से प्राप्त बहुमूल्य भारतीय बौद्ध निधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- कलात्मक समृद्धता और उत्कृष्टता: यह अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी संपूर्ण एशिया के विभिन्न संग्रहालयों में प्रदर्शित कलात्मक समृद्धता की एक झलक प्रदान करती है और एक विशिष्ट ऐतिहासिक कलात्मक उत्कृष्टता का भी प्रतिनिधित्त्व करती है।

विशेषता

- इस ऑनलाइन प्रदर्शनी में पाकिस्तान के संग्रहालयों द्वारा सिद्धार्थ के उपवास और सीकरी से बुद्ध के पदचिह्न और सहरी बहलोई से ध्यानमग्न बुद्ध समेत प्रभावशाली गांधार कला की वस्तुओं के संग्रह के माध्यम से गौतम बुद्ध के जीवन और बौद्ध कला को दर्शाया गया है।
- स्टेट ओरिएंटल आर्ट म्यूज़ियम, मॉस्को द्वारा रूस की बौद्ध बरियात कला को प्रतिरूपों, रीति-रिवाजों, मठों की परंपराओं आदि के माध्यम से दर्शाया गया है।
- डुन हुआंग एकेडमी ऑफ चाइना ने डुन हुआंग की बौद्ध कला से जुड़ी एक समृद्ध प्रदर्शनी प्रस्तुत की है, जिसमें सरल स्थापत्य, दीप्त भित्ति चित्र, सजावटी डिज़ाइन, वेशभूषा आदि शामिल हैं।

आतंकवाद पर भारत की स्थिति

- भारत ने बैठक के दौरान आतंकवाद का मुद्दा उठाया और इसका उल्लेख मानवता के शत्रु के रूप में किया। भारत ने मुख्य तौर पर राज्य प्रायोजित आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद पर चिंता ज़ाहिर की।
- भारत, ब्रिक्स देशों की आतंकवाद-रोधी रणनीति का समर्थन करता है।
- बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली समिति (निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति) ने सर्वसम्मति से आतंकवादरोधी मुद्दे पर भारत के वार्षिक प्रस्ताव को अपनाया था।
- भारत ने आतंकवाद को राज्य नीति के एक साधन के रूप में उपयोग करने हेतु पाकिस्तान की आलोचना की और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सदस्य देशों से सामूहिक रूप से इस चुनौती से निपटने का आह्वान किया।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO)

- SCO वर्ष 2001 में स्थापित एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है, जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता को बनाए रखना है।
- एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती केंद्रीयता के कारण SCO को व्यापक रूप से 'पूर्व का गठबंधन' (Alliance of the East) माना जाता है और यह इस क्षेत्र के प्राथमिक सुरक्षा स्तंभ के रूप में कार्य करता है।
- भौगोलिक कवरेज और आबादी के मामले में यह विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जो यूरेशिया महाद्वीप के 3/5 भाग और मानव आबादी के लगभग आधे हिस्से को कवर करता है।
- रूसी और चीनी SCO की आधिकारिक भाषाएँ हैं।
- सदस्य देश: वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं- कज़ाखस्तान, चीन, किर्गिज़स्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान।
- पर्यवेक्षक देश: अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया।
- वार्ता साझेदार देश: अज़रबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका।

नोट :

OIC द्वारा भारत की कश्मीर नीति की आलोचना

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार ने इस्लामिक सहयोग संगठन (OrganiSation of ISlamic Cooperation) द्वारा भारत की कश्मीर नीति की आलोचना को स्पष्ट तौर पर खारिज किया है।

- ध्यातव्य है कि नाइजर की राजधानी नियामे में आयोजित OIC के विदेशी मंत्रियों की परिषद के 47वें सत्र के दौरान जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत की नीतियों को संदर्भित किया गया साथ ही भारत की जम्मू-कश्मीर नीति की आलोचना की गई।

इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC)

- कुल 57 सदस्य देशों के साथ इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) संयुक्त राष्ट्र (UN) के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अंतर-सरकारी संगठन है।
  - इसके कुल सदस्यों में तकरीबन 40 सदस्य मुस्लिम बहुल देश हैं और भारत इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हिस्सा नहीं है।
- यह संगठन मुस्लिम जगत की एक सामूहिक शक्ति के रूप में कार्य करता है। इस संगठन का मूल उद्देश्य वैश्विक समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के प्रयासों के बीच मुस्लिम जगत के हितों को संरक्षण प्रदान करना है।
- इस संगठन की स्थापना 25 सितंबर, 1969 को रबात में हुए ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी।
- मुख्यालय: जेद्दा (सऊदी अरब)

प्रमुख बिंदु

- कश्मीर मुद्दे पर OIC का पक्ष: इस बैठक के दौरान एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें जम्मू-कश्मीर की स्थिति और उसको लेकर भारत की नीति का उल्लेख किया गया है।
  - रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के भारत सरकार के निर्णय (वर्ष 2019) का प्राथमिक उद्देश्य इस क्षेत्र की जनसांख्यिकीय और भौगोलिक संरचना में परिवर्तन करना है।
  - जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने की प्रक्रिया के दौरान जो नाकाबंदी और प्रतिबंध लागू किये गए हैं उनके कारण इस क्षेत्र में व्यापक स्तर पर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है।
  - इस रिपोर्ट में कश्मीर के मुद्दे को संगठन के एजेंडे में बनाए रखने के लिये पाकिस्तान के प्रयासों का समर्थन किया गया है।

भारत का पक्ष

- भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) पर पलटवार करते हुए उस पर 'तथ्यात्मक रूप से गलत और अनुचित' टिप्पणी करने का आरोप लगाया है।
- भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है, जो कि अन्य राज्यों जितना ही महत्त्वपूर्ण है।
- भारत ने भविष्य में इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) को इस तरह की टिप्पणी करने से बचने की सलाह दी है।
- साथ ही भारत ने पाकिस्तान को संदर्भित करते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि संगठन स्वयं को एक ऐसे देश द्वारा उपयोग करने की अनुमति दे रहा है, जिसका स्वयं का धार्मिक असहिष्णुता, कट्टरपंथ व अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को लेकर एक स्पष्ट इतिहास रहा है।
  - भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किये जाने के बाद से ही पाकिस्तान ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाया है।
  - पाकिस्तान ने बीते एक वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार इस्लामिक देशों के बीच मुस्लिम भावना को भड़काने का प्रयास किया है, हालाँकि पाकिस्तान को इसमें सफलता नहीं मिल सकी है और केवल तुर्की तथा मलेशिया जैसे कुछ चुनिंदा देशों ने ही सार्वजानिक तौर पर भारत की आलोचना की है।
    - मुस्लिम जगत के शीर्ष नेताओं जैसे- सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात आदि ने भारत के प्रति उतना आलोचनात्मक रुख नहीं अपनाया है, जितना कि पाकिस्तान ने उम्मीद की थी।

नोट :

भारत के नवीनतम कथन का महत्त्व:

- भारत OIC के दोहरे मानक को तोड़ने में विश्वास करता है, जहाँ वह मानवाधिकारों के नाम पर पाकिस्तान के एजेंडे का समर्थन कर रहा है।
  - ध्यातव्य है कि OIC के कई सदस्य देशों के भारत के साथ अच्छे द्विपक्षीय संबंध हैं और वे एक ओर भारत को OIC के बयानों की अनदेखी की सलाह देते हैं, तो दूसरी ओर भारत के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा तैयार किये गए बयानों और प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करते हैं।
- अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर जो बिडेन की जीत के बाद भारत के लिये OIC के बयानों को चुनौती देना तथा उसकी तथ्यात्मक गलतियों को रेखांकित करना और भी महत्त्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि जो बिडेन कश्मीर में मानवाधिकारों के मुद्दे पर मज़बूत दृष्टिकोण रखते है और ऐसा बयान जारी कर सकते हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति काफी जटिल हो जाएगी।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United NationS Security Council-UNSC) में भारत को दो वर्ष की अवधि के लिये गैर-स्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है और भारत द्वारा इस अवधि का प्रयोग संभवत: पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे को वैश्विक पटल पर लाने हेतु किया जाएगा।

भारत और OIC

- OIC के विदेश मंत्रियों की 45वीं बैठक के दौरान बांग्लादेश ने यह सुझाव दिया था कि चूँकि भारत में 10 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम आबादी है, इसलिये भारत को भी इस संगठन में बतौर पर्यवेक्षक (ObServer) शामिल किया जाना चाहिये, हालाँकि उस समय पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था।
- वर्ष 2019 में OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत 'गेस्ट ऑफ ऑनर' के रूप में शामिल हुआ था।
  - OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत की उपस्थिति को एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा गया था, विशेष रूप से उस समय जब पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ रहा था।

OIC द्वारा भारत की नीतियों की आलोचना

- इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) प्राय: कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन करता रहा है और संगठन द्वारा जम्मू-कश्मीर में कथित भारतीय 'अत्याचार' की आलोचना करते हुए कई बयान जारी किये गए हैं।
- वर्ष 2018 में OIC के महासचिव ने जम्मू-कश्मीर में भारतीय बलों द्वारा कथित निर्दोष कश्मीरियों की हत्या की कड़ी निंदा की थी।
- महासचिव ने अपने बयान में 'प्रदर्शनकारियों पर प्रत्यक्ष गोलीबारी' को एक 'आतंकवादी कृत्य' के रूप में वर्णित किया था और 'कश्मीर समस्या के उचित और स्थायी समाधान के लिये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भूमिका निभाने का आह्वान किया था।
- इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 और बाबरी मस्जिद विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की भी आलोचना की है।
- इसके अलावा संगठन ने भारत में 'बढ़ते इस्लामोफोबिया' को लेकर भी भारत सरकार की आलोचना की है।

भारत की प्रतिक्रिया:

- प्रारंभ से ही भारत यह मनाता रहा है कि इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसमें जम्मू-कश्मीर और नागरिकता से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।

OIC के सदस्य देशों के साथ भारत के संबंध:

- व्यक्तिगत स्तर पर इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के लगभग सभी सदस्यों के साथ भारत के संबंध काफी अच्छे हैं।
- विशेष रूप से हाल के वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और सऊदी अरब के साथ संबंधों में काफी सुधार देखा गया है।
  - ज्ञात हो कि वर्ष 2017 में 68वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर अबू धाबी (UAE) के क्राउन प्रिंस मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
- OIC में भारत के दो करीबी पड़ोसी देश , बांग्लादेश और मालदीव भी शामिल हैं।
  - भारतीय राजनयिकों का मानना है कि दोनों देश निजी तौर पर स्वीकार करते हैं कि वे कश्मीर के मुद्दे पर भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को जटिल नहीं बनाना चाहते हैं।

नोट :

बांग्लादेश के पृथक द्वीप पर रोहिंग्या

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में रह रहे 15 हज़ार से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों को बंगाल की खाड़ी में स्थित 'भासन/भाषण चार' (BhaSan Char) द्वीप पर भेजा गया।

मुख्य बिंदु

पृष्ठभूमि:

- इंडो-आर्यन जातीय समूह के रोहिंग्या लोग राज्य-रहित स्थिति में म्याँमार के रखाइन प्रांत में रहते हैं।
- म्याँमार में 2016-17 के संकट से पहले लगभग 1 मिलियन रोहिंग्या रह रहे थे। एक अनुमान के अनुसार, अगस्त 2017 तक लगभग 625,000 रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश कर गए थे। इनमें अधिकांश मुस्लिम हैं, जबकि कुछ अल्पसंख्यक हिंदू भी हैं।
- संयुक्त राष्ट्र (United NationS) द्वारा इन्हें दुनिया के सबसे अधिक सताए गए अल्पसंख्यकों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है।
- म्याँमार ने म्याँमार राष्ट्रीयता कानून, 1982 के तहत रोहिंग्या आबादी को नागरिकता देने से इनकार कर दिया।
- यद्यपि इस क्षेत्र में रोहिंग्या का इतिहास 8वीं शताब्दी से पाया जाता है फिर भी म्याँमार का कानून उनको आठ राष्ट्रीय स्वदेशी अल्पसंख्यकों की श्रेणियों में से एक के रूप में मान्यता नहीं देता है।
- म्याँमार से रोहिंग्या लोगों का बहिर्गमन 2017 में तेज़ी से शुरू हो गया और बांग्लादेश का तटीय शहर कॉक्स बाज़ार (Cox'S Bazar) शरणार्थी बस्ती के रूप में बदल गया।
- जून 2015 में बांग्लादेश सरकार ने अपनी आश्रय परियोजना के तहत रोहिंग्या शरणार्थियों को भासन/भाषण चार द्वीप पर पुन: बसाने का फैसला किया था।

हाल की पहल:

- बांग्लादेश सरकार इन शरणार्थियों को एक अलग द्वीप में ले जा रही है जिसे भासन/भाषण चार द्वीप के नाम से जाना जाता है जो मुख्य भूमि से 21 मील (34 किलोमीटर) दूर स्थित है।

भासन/भाषण चार:

- भासन/भाषण चार द्वीप का निर्माण लगभग दो दशक पहले मेघना नदी के मुहाने पर गाद द्वारा निर्मित द्वीप के रूप में बंगाल की खाड़ी में हुआ था।
- यह निर्जन द्वीप दक्षिण-पूर्व बांग्लादेश में स्थित 'हटिया' द्वीप से 30 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व में स्थित है।
- भासन/भाषण चार द्वीप बाढ़, कटाव और चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र है, इसलिये बांग्लादेश सरकार यहाँ लगभग तीन मीटर ऊँचे तटबंध का निर्माण कर रही है।

चिंता:

- चूँकि भासन/भाषण चार द्वीप बाढ़, कटाव और चक्रवात के कारण पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र है, इसलिये इसे मानव बस्तियों के लिये सुरक्षित नहीं माना जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न मानवाधिकार एजेंसियाँ इस पुनर्वास के खिलाफ हैं क्योंकि उनका मानना है कि रोहिंग्या शरणार्थियों को द्वीप पर स्थानांतरित होने के बारे में प्रासंगिक, सटीक और अद्यतन जानकारी के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिये।
- एमनेस्टी इंटरनेशनल (AmneSty International) ने इस साल की शुरुआत में ही इस द्वीप पर रहने वाले रोहिंग्या की स्थिति के बारे में एक बहुत ही चिंतनीय रिपोर्ट जारी की है।
  - इस रिपोर्ट में निवास की सीमित और अस्वच्छ स्थिति, भोजन तथा स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित पहुँच, संचार सुविधा की कमी के साथ-साथ नौसेना एवं स्थानीय मज़दूरों द्वारा ज़बरन वसूली व यौन उत्पीड़न के मामले शामिल थे।

नोट :

भारत का रुख:

- रोहिंग्या लोग भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा हैं और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी समूहों के साथ उनके संबंध हैं।
- भारत ने रोहिंग्याओं को वापस बुलाने और उन्हें म्याँमार की नागरिकता देने के लिये म्याँमार पर किसी भी प्रकार का दबाव डालने से इनकार किया है।

रोहिंग्याओं के अधिकारों की रक्षा के लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान:

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संधि,1951 एवं शरणार्थियों की स्थिति पर प्रोटोकॉल, 1967

(The Refugee Convention, 1951 and its Protocol, 1967)

- इस संधि (1951) एवं प्रोटोकॉल (1967) पर कुल 145 देशों ने हस्ताक्षर किये हैं, साथ ही यह संधि संयुक्त राष्ट्र के तत्त्वावधान में की गई है।
- द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् उपजे शरणार्थी संकट का समाधान तलाशने के क्रम में इस संधि को अंजाम दिया गया। इसमें शरणार्थी की परिभाषा, उनके अधिकार तथा हस्ताक्षरकर्त्ता देश की शरणार्थियों के प्रति ज़िम्मेदारियों का भी प्रावधान किया गया है।
- यह संधि जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह से संबद्धता या पृथक राजनीतिक विचारों के कारण उत्पीड़न तथा अपना देश छोड़ने को मज़बूर लोगों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करती है। किंतु ऐसे लोग जो युद्ध अपराध से संबंधित हैं अथवा आतंकवाद से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, उन्हें शरणार्थी के रूप में मान्यता नहीं देती है।
- यह संधि वर्ष 1948 की मानवाधिकारों पर सार्वभौम घोषणा (UDHR) के अनुच्छेद 14 से प्रेरित है। UDHR किसी अन्य देश में पीड़ित व्यक्ति को शरण मांगने का अधिकार प्रदान करती है।
- वर्ष 1967 का प्रोटोकॉल सभी देशों के शरणार्थियों को शामिल करता है, इससे पूर्व वर्ष 1951 में की गई संधि सिर्फ यूरोप के शरणार्थियों को ही शामिल करती थी। वर्तमान में यह संधि एवं प्रोटोकॉल शरणार्थियों के अधिकारों के संरक्षण के लिये प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इनके प्रावधान मौजूदा समय में भी उतने ही प्रासंगिक है जितने इनके गठन के वक्त थे।

आगे की राह

- अंतत: म्याँमार पर रोहिंग्याओं को वापस बुलाने के लिये दबाव डालते हुए बांग्लादेश और अन्य बाहरी साझीदारों को मिलकर रोहिंग्या के लिये कुछ ज़रूरी अल्पकालिक योजनाओं जैसे- सुरक्षित आवासों का निर्माण, शरणार्थियों के शैक्षिक और आजीविका के अवसरों में सुधार आदि को पूरा करना चाहिये। बांग्लादेश को भी भासन/भाषण चार द्वीप पर रोहिंग्याओं को भेजने का निर्णय वापस लेना चाहिये।
- म्याँमार को भी स्वयं को लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदलकर मानवाधिकारों पर ध्यान देने में देरी नहीं करनी चाहिये, ताकि मानवाधिकारों के संरक्षण, भेदभाव के मुद्दों का समाधान, पीड़ित-केंद्रित न्याय तंत्र को लागू करने के साथ ही मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को जवाबदेह बनाया जा सके और इससे विश्व में म्याँमार की छवि बेहतर होगी।

भारत-स्विट्ज़रलैंड संबंध

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्विट्ज़रलैंड के अपने समकक्ष के साथ एक वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया।

प्रमुख बिंदु:

व्यापार:

- इस बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने 'भारत-ईएफटीए (EFTA) व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते' (TEPA) की वार्ताओं को आगे बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की।
- यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड का अंतर सरकारी संगठन है।
- ये देश यूरोपीय संघ या ईयू (EU) का हिस्सा नहीं हैं जिसके साथ भारत अलग से 'भारत-ईयू व्यापक व्यापार और निवेश समझौते' पर बातचीत कर रहा है।
- प्रस्तावित समझौते के तहत वस्तुओं और सेवाओं के साथ निवेश, व्यापार सुविधा, सीमा सहयोग, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा तथा सार्वजनिक खरीद आदि को शामिल किया गया है।

नोट :

- इस बैठक के दौरान 'भारत-स्विट्ज़रलैंड द्विपक्षीय निवेश संधि' (Bilateral InveStment Treaty- BIT) पर भी चर्चा की गई, गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से इस संधि को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है।
- द्विपक्षीय निवेश संधियाँ दो देशों के बीच निवेशकों द्वारा किये गए निवेश (एक दूसरे के देश में) की रक्षा के उद्देश्य से की गई कुछ संधियाँ हैं।

बहुपक्षीय मंच:

- बैठक के दौरान भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में 'ट्रिप्स' (TRIPS) छूट के लिये भारत और दक्षिण अफ्रीका के संयुक्त प्रस्ताव पर स्विट्ज़रलैंड के समर्थन की मांग की।
- गौरतलब है कि COVID-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु टीकों और नई प्रौद्योगिकियों का समान साझाकरण सुनिश्चित करने के लिये दक्षिण अफ्रीका और भारत ने WTO से COVID-19 संबंधी बौद्धिक संपदा (IP) अधिकारों को निरस्त करने की मांग की है।
- बौद्धिक संपदा अधिकारों पर इस प्रकार का अस्थायी प्रतिबंध लगाने से कुछ ही पेटेंट धारकों द्वारा केंद्रीकृत उत्पादन की बजाय विश्व के कई हिस्सों में अनेक उत्पादक महत्त्वपूर्ण दवाओं और उपकरणों का उत्पादन कर सकेंगे।

भारत-स्विट्ज़रलैंड संबंध:

पृष्ठभूमि:

- भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही भारत और स्विट्ज़रलैंड के संबंध बहुत ही मित्रवत और सौहार्दपूर्ण रहे हैं, जो लोकतंत्र और कानून के साझा मूल्यों पर आधारित हैं। दोनों देशों के बीच वर्ष 1948 में एक मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किये गए।

आर्थिक संबंध:

- व्यापार: इक्विज़म बैंक के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्विट्ज़रलैंड, भारत का 11वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा।

निवेश:

- अप्रैल 2000 और सितंबर 2019 के बीच स्विट्ज़रलैंड ने भारत में लगभग 4.781 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया और इसके साथ ही वह भारत में 12वाँ सबसे बड़ा निवेशक बन गया है।
- गौरतलब है कि यह राशि अप्रैल 2000 और सितंबर 2019 के बीच भारत हुए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का लगभग 1.07% थी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी:

- वर्ष 2003 में स्विट्ज़रलैंड के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग पर एक अंतर-सरकारी फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किये गए, इसके तहत वर्ष 2005 में एक 'भारत-स्विस संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम' (ISJRP) की शुरुआत की गई थी।

कौशल विकास:

- भारत में उच्च मानक के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिये दोनों देशों के कई संस्थानों ने साझेदारी की है। इनमें से कुछ प्रमुख हैं:
  - भारतीय कौशल विकास परिसर और विश्वविद्यालय।
  - इंडो-स्विस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, पुणे।
  - व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, आंध्र प्रदेश

नोट :

विशेष चिंता वाले देश

चर्चा में क्यों ?

अमेरिकी विदेश विभाग ने हाल ही में पाकिस्तान और चीन के साथ-साथ अन्य आठ देशों को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के चलते विशेष चिंता वाले देशों (Countries of Particular Concern- CPC) की सूची में शामिल किया है।

- इससे पहले, अमेरिकी विदेश विभाग (US State Department) ने अपनी वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता (International Religious Freedom-IRF) रिपोर्ट 2019 जारी की थी, जो विश्व भर में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का एक सर्वेक्षण है।

प्रमुख बिंदु

विशेष चिंता वाले देश (CPC):

- अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के मामले में CPC में शामिल करने की सिफारिश 'अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग' (U. S. Commission on International Religious Freedom- USCIRF) द्वारा की जाने वाली शीर्ष स्तर की सिफारिश है। गंभीर उल्लंघनों के मामले में इसके बाद विशेष निगरानी सूची देशों (Special Watch List Countries) का स्थान आता है।
  - यह वर्ष 1998 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (International Religious Freedom Act) के अनुरूप है जिसे संयुक्त राज्य की विदेश नीति के रूप में धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पारित किया गया था।
  - अधिनियम का उद्देश्य उन देशों में अधिक से अधिक धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है जहाँ लोग धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन में संलग्न होते हैं या इसे सहन करते हैं। यह अधिनियम विदेशों धार्मिक विश्वासों एवं गतिविधियों के चलते सताए गए व्यक्तियों का भी समर्थन करता है।
- पाकिस्तान, चीन, म्याँमार, इरिट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को CPC में शामिल किया गया है क्योंकि ये देश ''धार्मिक स्वतंत्रता के व्यवस्थित, निरंतर एवं घोर उल्लंघन'' में या तो लिप्त हैं या फिर उल्लंघन होने दे रहे हैं''।
  - नाइजीरिया पहला धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है जिसका नाम CPC में शामिल किया गया गया है।
- उल्लेखनीय है कि अमेरिका के विदेश विभाग द्वारा USCIRF द्वारा भारत, रूस, सीरिया और वियतनाम को भी CPC के रूप में भी नामित करने की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया है।
  - इससे पहले, USCIRF ने भारत की धार्मिक स्वतंत्रता को विशेष चिंता वाले देशों यानी CPC की श्रेणी में सबसे निचले दर्जे में शामिल किया था।

भारत का रुख:

- भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि विदेशी सरकार के पास इसके (भारत के) नागरिकों के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकारों पर टिप्पणी करने की कोई अधिस्थिति नहीं है।
- **विशेष निगरानी सूची:** इस सूची में ऐसी सरकारें शामिल हैं जो "धार्मिक स्वतंत्रता के घोर उल्लंघन" में या तो लिप्त हैं या फिर उल्लंघन होने दे रही हैं।
  - कोमोरोस, क्यूबा, निकारागुआ और रूस इस सूची में शामिल हैं।
  - सूडान और उज़्बेकिस्तान को पिछले एक साल में उनकी संबंधित सरकारों द्वारा की गई महत्त्वपूर्ण, ठोस प्रगति के आधार पर इस सूची से हटा दिया गया है।
- विशेष चिंता वाली एंटिटी: इस सूची में अल-कायदा, बोको हराम (नाइजीरिया आधारित), हूती (यमन), ISIS (इस्लामिक स्टेट), ISIS-ग्रेटर सहारा, ISIS-पश्चिम अफ्रीका और तालिबान आदि शामिल हैं।

भारत में धर्म की स्वतंत्रता

- धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25-28 द्वारा गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है।
  - अनुच्छेद 25 (अंत:करण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता)
  - अनुच्छेद 26 (धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता

नोट :

- अनुच्छेद 27 (धर्म की अभिवृद्धि के लिये करों के संदाय से स्वतंत्रता)
- अनुच्छेद 28 (कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता)

- इनके अलावा संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित हैं।

सार्क चार्टर दिवस

चर्चा में क्यों ?

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (South ASian ASSociation for Regional Cooperation- SAARC) के चार्टर दिवस की 36वीं वर्षगाँठ पर प्रधानमंत्री ने अपने एक संदेश में कहा कि सार्क केवल "आतंक और हिंसा" की अनुपस्थिति में ही पूरी तरह से प्रभावी हो सकता है।

- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 8 दिसंबर,1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी।

प्रमुख बिंदु

भारत का रुख:

- सार्क की पूर्ण क्षमता को केवल आतंक और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही महसूस किया जा सकता है।
  - यह इस बात को इंगित करता है कि पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद पर भारत की चिंता इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी में एक प्राथमिक बाधा है।
  - अपने संदेशों में पाकिस्तान और नेपाल दोनों ने ही सार्क सम्मेलन को जल्द आयोजित किये जाने का आह्वान किया।
- भारत ने सार्क देशों से "आतंकवाद का समर्थन और पोषण करने वाली ताकतों को हराने के लिये फिर से संगठित" होने का आह्वान किया।
- भारत एक "एकीकृत, संबद्ध, सुरक्षित और समृद्ध दक्षिण एशिया" के लिये भी प्रतिबद्ध है तथा इस क्षेत्र के आर्थिक, तकनीकी, सांस्कृतिक व सामाजिक विकास का समर्थन करता है।
- अधिक-से-अधिक सहयोग के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए भारत ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिये सार्क देशों के बीच प्रारंभिक समन्वय के उदाहरण का उल्लेख किया।
  - एक आपातकालीन कोविड-19 फंड बनाया गया था जिसमें भारत द्वारा 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रारंभिक योगदान दिया गया था।

नोट :

रुकी हुई सार्क प्रक्रिया:

- भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण सार्क की कार्यप्रणाली और गतिविधियाँ लगभग ठप हो गई हैं।
- भारत में उरी आतंकवादी हमले के बाद से सार्क की कोविड-19 की स्थिति पर एक आभासी बैठक (मार्च में) के अलावा कोई महत्त्वपूर्ण बैठक नहीं हो सकी है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन (2016 में) का बहिष्कार कर दिया था।

आगे की राह

- SAARC का चार्टर दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक-आर्थिक विकास में तेज़ी तथा आर्थिक उन्नति द्वारा शांति, स्थिरता व समृद्धि को बढ़ावा देने के लिये क्षेत्र के सामूहिक संकल्प व साझा दृष्टि को दर्शाता है।
- आज क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। महामारी से उबरने के लिये सार्क के सदस्य देशों के बीच सामूहिक रूप से ठोस प्रयास किये जाने, सहभागिता और सहयोग की ज़रूरत है।

आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (ADMM-PLUS)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने वियतनाम के हनोई में ऑनलाइन आयोजित 14वें आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (ASEAN Defence MiniSterS' Meeting PluS: ADMM-PLUS) में भाग लिया।

- यह ADMM-PLUS फोरम की स्थापना का 10वाँ वर्ष है।
- दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का संगठन (ASSociation of South EaSt ASian NationS-ASEAN), एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया-प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों में बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये स्थापित किया गया था।

प्रमुख बिंदु

आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक के बारे में:

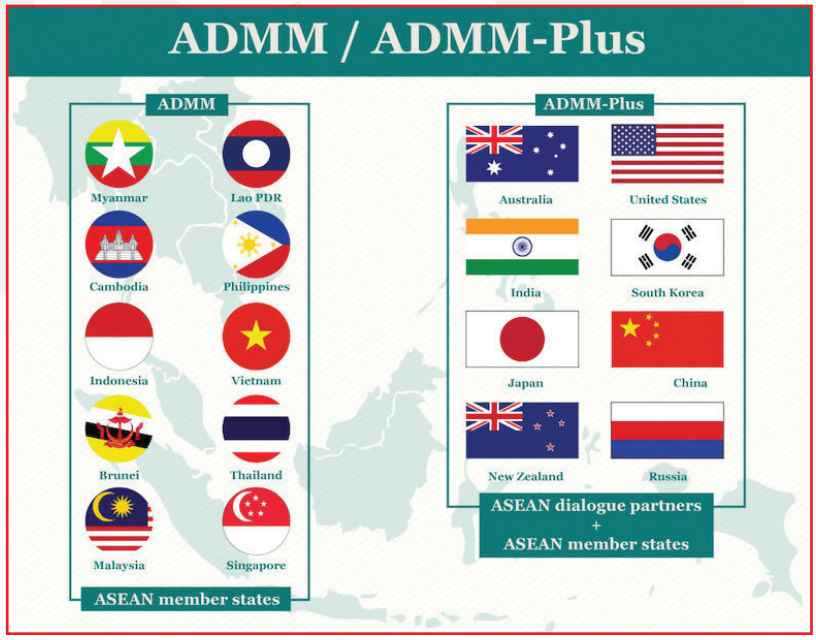

- **स्थापना:** वर्ष 2007 में सिंगापुर में आयोजित ADMM की दूसरी बैठक में ADMM-PluS के गठन की बात की गई।
  - ADMM-PluS की पहली बैठक का आयोजन वर्ष 2010 में हनोई (वियतनाम) में किया गया।
- **उद्देश्य:** ADMM-PluS आसियान और इसके आठ संवाद सहयोगी देशों के सुरक्षा संबंधी रणनीतिक संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के लिये उपयुक्त मंच प्रदान करता है।
- **सदस्यता:** वर्तमान में ADMM-PluS में दस आसियान सदस्य देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूज़ीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूसी संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
- **अध्यक्ष:** ADMM-PluS की अध्यक्षता ADMM के सदस्य देशों द्वारा की जाती है।
  - इस वर्ष बैठक की अध्यक्षता वियतनाम ने की।

नोट :

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य अधिक-से-अधिक संवाद और पारदर्शिता के माध्यम से रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच आपसी विश्वास और समन्वय को बढ़ावा देना है।
- **सहयोग के क्षेत्र:** इसमें समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई, मानवीय सहायता और आपदा राहत, शांति अभियानों और सैन्य चिकित्सा क्षेत्र शामिल हैं।
- वर्तमान बैठक उस समय हुई है जब भारत और चीन लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आमने-सामने हैं, साथ ही दक्षिण चीन सागर में भी तनाव है।

बैठक में भारत का रुख:

- भविष्य: दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के भविष्य को स्वतंत्रता, समावेशिता और स्पष्टता के मूल सिद्धांतों के आधार पर क्षेत्र में मौजूद चुनौतियों के सामूहिक समाधान की उनकी क्षमता द्वारा परिभाषित किया जाएगा।
- **कोविड-19:** महामारी से निपटने के लिये सामूहिक और सहयोगी होने की आवश्यकता है।
- **चुनौतियाँ:** नियम-आधारित आदेश, समुद्री सुरक्षा, साइबर संबंधी अपराध और आतंकवाद का खतरा।
  - ट्रांस बाउंड्री चुनौतियाँ तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, जिसके लिये ADMM-Plus देशों के मध्य सैन्य बातचीत और सहयोग की आवश्यकता है।
- **सहयोग हेतु उपाय:** ADMM-Plus देशों के मध्य क्षेत्रीय प्रशिक्षण और टेबल-टॉप अभ्यास का संचालन एक-दूसरे को समझने, सुरक्षा बढ़ाने तथा क्षेत्र में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से महत्त्वपूर्ण उपाय है।
  - उदाहरण: मैत्री (MAITREE) जो एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इसे वर्ष 2006 से वैकल्पिक रूप से भारत तथा थाईलैंड में आयोजित किया जाता है।

मोरक्को और इज़राइल के सामान्य होते संबंध

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में मोरक्को और इज़राइल ने संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है।
- संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन (अब्राहम समझौता) और सूडान के बाद मोरक्को चौथा अरब देश है, जिसने पिछले चार महीनों में इज़राइल के साथ शत्रुता को समाप्त कर शांति के लिये कदम बढ़ाया है।

- **प्रमुख बिंदु:**

समझौते की मुख्य विशेषताएँ:

- मोरक्को, इज़राइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करेगा और आधिकारिक संपर्क फिर से शुरू करेगा, साथ ही वह रबात (मोरक्को की राजधानी) और तेल अवीव (इज़राइल का एक शहर) में अपने संपर्क कार्यालयों को फिर से खोल देगा ताकि दूतावासों की शुरुआत की जा सके और इज़राइल तथा मोरक्को की कंपनियों के मध्य आर्थिक सहयोग बढ़ाया जा सके।
- मोरक्को, इज़राइल के पर्यटकों के लिये मोरक्को से इज़राइल और इज़राइल से मोरक्को के लिये सीधी उड़ानों की सुविधा देना चाहता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी बहुकालीन नीति को बदल दिया है और पश्चिमी सहारा पर मोरक्को की संप्रभुता को मान्यता दे दी है।
  - वर्ष 2007 के बाद से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council), जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका एक वीटो-सक्षम स्थायी सदस्य है, ने मोरक्को और पोलिसारियो को "पारस्परिक रूप से स्वीकार्य राजनीतिक समाधान" के लिये पूर्व शर्त के बिना वार्ता में शामिल होने का आह्वान किया है जो पश्चिमी सहारा के लोगों के आत्मनिर्णय के लिये होगा। "

नोट :

लाभ:

- USA, ईरान के खिलाफ एकजुट मोर्चा खोलने और तेहरान के क्षेत्रीय प्रभाव को कम करने के प्रयासों में लगा हुआ है।
- इसे एक संप्रभु कदम माना जा सकता है और यह क्षेत्र में स्थिरता, समृद्धि एवं स्थायी शांति के लिये सार्वजनिक अनुसंधान सुनिश्चित करने में योगदान देगा।
- यह समझौता पश्चिम के साथ मोरक्को के जुड़ाव को और मज़बूत करेगा तथा इज़राइल के उस प्रयोजन को भी बढ़ावा देगा, जिसके चलते इसने फिलिस्तीनियों के साथ किसी भी प्रकार की प्रगति के अभाव में अफ्रीका एवं अरब जगत के उन देशों के साथ संबंध स्थापित करने को प्राथमिकता दी जो कि पूर्व में इसके प्रतिरोधी हुआ करते थे।

प्रतिक्रिया:

- फिलिस्तीन ने इस समझौते के संबंध में कहा है कि यह सामान्यीकरण तभी संभव है जब इज़राइल वर्ष 2002 की अरब शांति पहल के अनुसार, फिलिस्तीन और अरब भूमि पर से अपना कब्ज़ा खत्म कर लेगा।
- मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात ने मोरक्को के फैसले का स्वागत किया है।
  - मिस्र और इज़राइल ने वर्ष 1979 में एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किये थे।
- पोलिसारियो मोर्चे ने USA की नीति में किये गए बदलाव पर 'अत्यधिक अफसोस" जताया है, जिसे उसने "अजीब लेकिन आश्चर्यजनक नहीं" कहा। उसका मानना है कि यह समझौता संघर्ष की वास्तविक स्थिति और पश्चिमी सहारा के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को नहीं बदलेगा।

पश्चिमी सहारा

- पश्चिमी सहारा एक रेगिस्तानी इलाका है, जो पूर्व में एक स्पेनिश उपनिवेश था और वर्ष 1975 में मोरक्को द्वारा इसे हड़प लिया गया था।
- यह इसकी स्वतंत्रता के समर्थक पोलिसारियो मोर्चा के नेतृत्व में मोरक्को और उसके स्वदेशी सहरावी लोगों के मध्य लंबे समय से चले आ रहे क्षेत्रीय विवाद का विषय रहा है।
- मोरक्को का कहना है कि यह सदैव उसके क्षेत्र का हिस्सा रहा है, जबकि अफ्रीकी संघ इसे एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देता है।
- वर्ष 1991 में संयुक्त राष्ट्र की युद्धविराम मध्यस्थता समझौते के कारण 16 वर्षों से चले आ रहे उग्रवाद का अंत तो हो गया परंतु स्वतंत्रता के लिये जनमत संग्रह हेतु किया गया वादा अभी पूर्ण होना बाकी है।

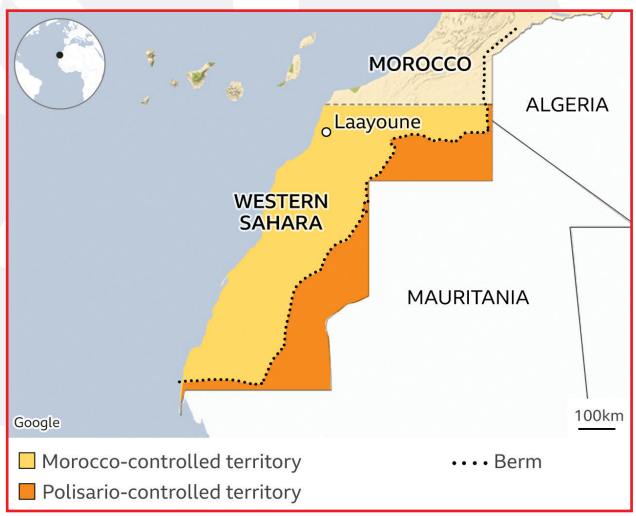

- USA ने मोरक्को और पोलिसारियो मोर्चे के मध्य संघर्ष विराम का समर्थन किया।
- नवंबर 2020 में पोलिसारियो उस समझौते से बाहर हो गया और उसने पुन: सशस्त्र संघर्ष की घोषणा कर दी।
- पश्चिमी सहारा पर संप्रभुता के लिये मोरक्को के दावे के संबंध में USA का समर्थन एक बड़ी बात है क्योंकि यह उन लोगों को निराश कर देगा जो दशकों से उस क्षेत्र की स्वतंत्रता की महत्त्वाकांक्षा रखते हैं।

आगे की राह:

- राष्ट्रपति जो बिडेन इस दुविधा में पड़ सकते हैं कि क्या पश्चिमी सहारा पर USA के समझौते को स्वीकार करना चाहिये, क्योंकि अब तक किसी अन्य पश्चिमी देश ने ऐसा कदम नहीं उठाया है।
- बिडेन को उम्मीद है कि वह USA की विदेश नीति में "अमेरिका फर्स्ट" की स्थिति को बदलेंगे। वह इज़राइल, अरब और मुस्लिम राष्ट्रों के मध्य "अब्राहम समझौते" के लक्ष्य को जारी रखेंगे।

नोट :

भारत-उज़्बेकिस्तान आभासी शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच आयोजित एक आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा साइबर सुरक्षा जैसे कई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की बात कही गई।

- इस सम्मेलन के दौरान हुए समझौते में अफगानिस्तान में कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर सहयोग एवं इसकी शांति प्रक्रिया, ईरान के साथ त्रिपक्षीय बातचीत, आतंकवाद का मुकाबला, आदि जैसे मुद्दों को शामिल किया गया।

प्रमुख बिंदु:

व्यापार, आर्थिक और निवेश सहयोग:

- इस बैठक के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार के लिये पारस्परिक रूप से चिह्नित 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रयासों को तेज़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
  - गौरतलब है कि वर्ष 2018 में भारत और उज़्बेकिस्तान का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 285 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा जो, दोनों देशों की क्षमता से बहुत कम है।
  - इसके साथ ही दोनों देशों ने अपने अधिकारियों को वर्तमान में चल रहे संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन को शीघ्र ही पूरा करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि यह अध्ययन अधिमान्य व्यापार समझौता की वार्ताओं को दिशा प्रदान करेगा।
  - दोनों पक्षों ने शीघ्र ही द्विपक्षीय निवेश संधि पर कार्य करने की बात कही, जो दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को मज़बूत करने के साथ निवेश को प्रोत्साहित करने तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक होगी।
  - दोनों पक्षों ने भारत और उज़्बेकिस्तान के मुक्त आर्थिक क्षेत्रों में बेहतर अवसरों की संभावनाओं को स्वीकार किया। जिसमें जिसमें अंदिजान क्षेत्र (सुदूर पूर्वी उज़्बेकिस्तान में फरगना घाटी का पूर्वी भाग) में उज़्बेक-भारतीय मुक्त फार्मास्युटिकल क्षेत्र भी शामिल है।
  - उज़्बेकिस्तान ने मेक-इन-इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में निवेश/विनिर्माण के अवसरों का स्वागत किया।

विकास सहयोग:

- भारत ने उज़्बेकिस्तान में चार विकासात्मक परियोजनाओं (सड़क निर्माण, सीवरेज उपचार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में) के लिये 448 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट की मंज़ूरी की पुष्टि की है।

रक्षा और सुरक्षा:

- दोनों देशों ने फरवरी 2019 में रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्यसमूह की पहली बैठक के आयोजन के बाद से द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की बढ़ी हुई गति की सराहना की।
- दोनों पक्षों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास "दुस्तिलक 2019" (DuStlik 2019) के आयोजन का स्वागत किया।
- 'आतंकवाद निरोध पर उज़्बेकिस्तान-भारत संयुक्त कार्य समूह' (UzbekiStan-India Joint Working Group on Counter-TerroriSm) के ढाँचे के साथ अन्य प्रणालियों के तहत कानून प्रवर्तन एजेंसियों तथा दोनों देशों की विशेष सेवाओं के बीच सहयोग को और मज़बूत करने पर सहमति व्यक्त की।

असैन्य परमाणु ऊर्जा:

- परमाणु ऊर्जा भागीदारी के लिये भारत के वैश्विक केंद्र (GCNEP) और परमाणु ऊर्जा के विकास एजेंसी, उज़्बेकिस्तान के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते का स्वागत किया।

नोट :

- GCNEP परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के तत्त्वावधान में छठी अनुसंधान और विकास (R&D) इकाई है,जो इच्छुक देशों और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के सहयोग से क्षमता निर्माण में सहायता करती है।

संपर्क (Connectivity):

- दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिये भारत और उज़्बेकिस्तान के साथ मध्य एशियाई क्षेत्र के बड़े भाग से संपर्क बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया।
- भारत ने चाबहार बंदरगाह के माध्यम से संपर्क को बढ़ावा देने के लिये भारत, ईरान और उज़्बेकिस्तान के बीच त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित करने के प्रस्ताव का स्वागत किया।
- भारत ने उज़्बेकिस्तान से 'अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे' (INSTC) में शामिल होने पर विचार करने का भी अनुरोध किया, जो बड़े यूरेशियन क्षेत्र में संपर्क के समग्र सुधार को और अधिक मज़बूती प्रदान करेगा।

संस्कृति, शिक्षा और जन संपर्क:

- भारत ने उज़्बेकिस्तान को 'भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद' (ICCR) द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति और 'भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग' (ITEC) कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के अवसरों में वृद्धि का लाभ लेने के लिये आमंत्रित किया।

आतंकवाद:

- दोनों पक्षों ने सभी रूपों में आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकाने, नेटवर्क, बुनियादी ढाँचे और फंडिंग चैनलों को नष्ट करते हुए इस खतरे से निपटने के दृढ़ संकल्प की पुष्टि की।
- दोनों पक्षों ने विश्व के सभी देशों द्वारा यह सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता को रेखांकित किया कि उसके क्षेत्र का उपयोग किसी अन्य देशों के खिलाफ आतंकवादी हमले के लिये न किया जाए साथ ही 'अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन' (CCIT) को शीघ्र ही अंतिम रूप दिये जाने की मांग की।

अफगानिस्तान:

- दोनों पक्षों ने अफगान-नेतृत्त्व, अफगान-स्वामित्त्व और अफगान-नियंत्रित शांति प्रक्रिया के सिद्धांत पर अफगान संघर्ष के निपटारे का आह्वान किया तथा एक 'एकजुट, संप्रभु और लोकतांत्रिक अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य' के समर्थन में मतैक्य व्यक्त किया।

बहुपक्षवाद से जुड़े सुधार:

- दोनों पक्षों ने वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा केंद्रीय भूमिका निभाने की अनिवार्यता की बात दोहराई और साथ ही सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र संरचनाओं के व्यापक सुधार (दोनों श्रेणियों की सदस्यता में विस्तार के साथ) का भी आह्वान किया।
- उज़्बेकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हेतु भारत की उम्मीदवारी के लिये अपने समर्थन की पुष्टि की और भारत को वर्ष 2021-22 के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में चुने जाने पर बधाई दी।
- भारत ने उज़्बेकिस्तान के पक्ष को वर्ष 2021-23 की अवधि के लिये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के चुनाव में सफल होने की बधाई दी।
- दोनों देशों ने 'शंघाई सहयोग संगठन' (SCO) में अपने घनिष्ठ सहयोग की सराहना की।
  - गौरतलब है कि SCO में शामिल होने के बाद भारत ने नवंबर 2020 में पहली बार SCO राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की पहली बैठक की मेज़बानी की।
- भारत ने अफगानिस्तान की भागीदारी के साथ विदेश मंत्रियों के स्तर पर द्वितीय भारत-मध्य एशिया वार्ता के सफल आयोजन में उज़्बेकिस्तान के समर्थन की सराहना की।
- गौरतलब है कि उज़्बेकिस्तान 'इस्लामिक सहयोग संगठन' (OIC) का एक सदस्य है, जो संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर-सरकारी संगठन है।

नोट :

- भारत OIC का सदस्य नहीं है, हालाँकि भारत को वर्ष 2019 में OIC के विदेश मंत्री परिषद के 46 वें सत्र में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।

Covid-19 महामारी:

- दोनों पक्षों ने प्रभावी टीकों और अन्य दवाओं के विकास और वितरण सहित महामारी के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिये द्विपक्षीय तथा वैश्विक सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।.
- उज़्बेकिस्तान ने COVID-19 महामारी से लड़ने में भारत द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता के लिये धन्यवाद दिया तथा भारत ने भी इस संदर्भ में अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखने की बात दोहराई।

आगे की राह:

- हाल के वर्षों में विभिन्न द्विपक्षीय यात्राओं के दौरान हुए समझौतों ने भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच राजनीति, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मज़बूत किया है साथ ही दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संबंधों को बढ़ावा मिला है।
- दोनों देशों ने आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान हुई सकारात्मक चर्चाओं के लिये एक-दूसरे को धन्यवाद दिया और साथ ही यह विश्वास भी व्यक्त किया कि इस सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच स्थापित समझ और समझौते भारत तथा उज़्बेकिस्तान में लोगों की भलाई एवं आपसी समृद्धि के लिये रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेंगे।

सैन इसिड्रो आंदोलन: क्यूबा

चर्चा में क्यों ?

- सैन इसिड्रो आंदोलन (San ISidro Movement- MSI) की शुरुआत दो वर्ष पूर्व हुई थी और अब यह राष्ट्र के भीतर और बाहर दोनों जगह क्यूबा के असंतुष्टों के लिये एक मंच बन गया है।

प्रमुख बिंदु:

पृष्ठभूमि:

- सैन इसिड्रो आंदोलन (MSI), डिक्री 349 के माध्यम से कलात्मक कार्यों को लेकर राज्य सेंसरशिप का विरोध करने के लिये दो वर्ष पहले (वर्ष 2018) शुरू किया गया था।
- डिक्री 349 एक ऐसा कानून है, जो क्यूबा की सरकार को ऐसी सांस्कृतिक गतिविधि को प्रतिबंधित करने के लिये शक्तियाँ देता है, जिसे उसने मंज़ूरी नहीं दी थी।
- इस डिक्री के खिलाफ विरोध के लिये कलाकार, कवि, पत्रकार और कार्यकर्ता सैन इसिड्रो में एकत्र हुए, यह एक श्वेत-बहुमत वाला इलाका है जो हवाना के सबसे गरीब और सांस्कृतिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है।

वर्तमान स्थिति का कारण:

- MSI के एक एफ्रो-क्यूबन सदस्य रैपर डेनिस सोलिस को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिये जाने के कारण क्यूबा में व्यापक विरोध प्रदर्शन और हड़ताल की स्थिति बन गई।

वैश्विक परिदृश्य:

- विभिन्न राष्ट्रों की सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों जैसे- एमनेस्टी इंटरनेशनल ने क्यूबा में मानवाधिकारों को लेकर चिंता जाहिर की है।
- कई देशों में क्यूबा के प्रवासियों ने आंदोलन के समर्थन में रैलियाँ निकालीं।

नोट :

क्यूबा सरकार का रुख:

- क्यूबा सरकार का आरोप है कि यह आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वित्तपोषित है और इसका उपयोग राज्य की कानून व्यवस्था को भंग करने के लिये किया जा रहा है।

भारत-क्यूबा संबंध

- क्यूबा के साथ भारत घनिष्ठ, मधुर और ऐतिहासिक संबंध साझा करता है और दोनों देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य हैं।
- वर्ष 1959 में क्यूबा-अर्जेंटीना के गुरिल्ला कमांडर अर्नेस्टो चे ग्वेरा ने भारत का राजनयिक दौरा किया और तत्कालीन प्रधानमंत्री पं जवाहर लाल नेहरू ने उनका स्वागत किया था।
- वर्ष 2019 में भारत ने क्यूबा के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने के लिये संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश किये गए प्रस्तावों का समर्थन किया।
- वर्ष 2019 में भारत के राष्ट्रपति की क्यूबा यात्रा के दौरान भारत और क्यूबा जैव प्रौद्योगिकी, होम्योपैथी तथा चिकित्सा की पारंपरिक प्रणाली के क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमत हुए।

इज़राइल-भूटान संबंध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इज़राइल ने भूटान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किये हैं।

- दोनों देशों के बीच संबंधों में यह प्रगति संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्त्व में इज़राइल और मोरक्को द्वारा आपसी संबंध सामान्य करने की सहमति के दो दिन बाद सामने आई है।
  - संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन (अब्राहम समझौता) और सूडान के बाद मोरक्को चौथा अरब देश है, जिसने पिछले चार महीनों में इज़राइल के साथ शत्रुता को समाप्त कर शांति के लिये कदम बढ़ाया है।

प्रमुख बिंदु

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- इज़राइल ने वर्ष 1982 से भूटान के मानव संसाधन विकास का समर्थन किया है विशेष रूप से कृषि विकास के क्षेत्र में जिसके चलते भूटान के सैकड़ों युवा लाभान्वित हुए हैं।
- औपचारिक संबंधों की कमी के बावजूद दोनों देशों ने सौहार्दपूर्ण संबंधों को कायम रखा।
- इज़राइल ने वर्ष 2010 में भूटान में एक अल्पकालिक अनिवासी राजदूत की नियुक्ति की थी।
- इज़राइल की एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन MASHAV ने वर्ष 2013 से अब तक भूटान के सैकड़ों युवाओं को प्रशिक्षित किया है।

नोट :

नवीनतम विकास:

- दोनों देशों ने एक औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किया है और विभिन्न क्षेत्रों में साथ मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की है।
- यद्यपि दोनों पक्ष थिम्पू (भूटान की राजधानी) और तेल अवीव (इज़राइल की राजधानी) में अपने दूतावास स्थापित नहीं करेंगे तथापि दिल्ली स्थित अपने मिशनों के माध्यम से एक-दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।

महत्त्व:

- राजनयिक संबंधों की स्थापना से जल प्रबंधन, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, कृषि विज्ञान तथा आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग हेतु नए मार्ग प्रशस्त होंगे।
- उदाहरण के लिये भूटान पर्यटन के लिये बाहरी लोगों की संख्या को सीमित करता है लेकिन अब इज़राइल के पर्यटकों के लिये इसके मार्ग खुले रहेंगे।
- सांस्कृतिक आदान-प्रदान तथा पर्यटन के माध्यम से दोनों देशों के बीच संबंधों को और अधिक मज़बूती प्रदान की जा सकेगी।

भूटान के विदेश संबंध:

- भारत की भूमिका: भूटान के अब तक के विदेशी संबंधों का आधार अधिकांशत: भारत का मार्गदर्शन रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत तथा भूटान के बीच आधिकारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी।
  - भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना वर्ष 1949 की भारत-भूटान मैत्री संधि पर आधारित है।
  - संधि के अनुच्छेद 2 ने भूटान की विदेश नीति का मार्गदर्शन करने में भारत को एक महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रदान की थी। इसलिये वर्ष 2007 में इस संधि में कुछ परिवर्तन किये गए थे। नई संधि के अनुसार, भूटान तब तक हथियारों का आयात कर सकता है जब तक कि इससे भारतीय हितों को क्षति न पहुँचे और सरकार अथवा व्यक्तियों द्वारा इन हथियारों का पुन: निर्यात न किया जाए।
- वर्ष 1971 में यह संयुक्त राष्ट्र (UN) का सदस्य बना।
  - हालाँकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्यों में से किसी के साथ भी इसके राजनयिक संबंध नहीं हैं।
- वर्ष 2007 तक भूटान के औपचारिक संबंध केवल विश्व के 22 देशों के साथ थे लेकिन वर्ष 2008 के चुनावों के बाद भूटान की सरकार ने पाँच वर्षों में 31 देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर कर अपने राजनयिक संबंधों में तेज़ी से वृद्धि की।
- वर्तमान में लगभग 53 देशों और यूरोपीय संघ के साथ भूटान के राजनयिक संबंध हैं।
  - हाल ही में भूटान ने जर्मनी के साथ भी राजनयिक संबंध स्थापित किये हैं।

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

इन्फ्लूएंज़ा और बैक्टीरियल संक्रमण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में स्वीडन के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट (Sweden's Karolinska Institute) में हुए शोधों ने सुपर संक्रमण (Super Infections) पर कुछ निष्कर्ष निकाले हैं और इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि इन्फ्लूएंज़ा लोगों को जीवाणु संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है।

प्रमुख बिंदु

- सुपर संक्रमण (Super Infections): यह 'पूर्व संक्रमण' के बाद होने वाला एक संक्रमण है, यह विशेष रूप से व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक (Broad-Spectrum Antibiotics) दवाओं से उपचार के बाद होता है। यह एंटीबायोटिक दवाओं से होने वाले जीवाणु या किण्व (Yeast) असंतुलन के कारण बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है।
- उदाहरण के लिये इन्फ्लूएंज़ा एक वायरस के कारण होता है, लेकिन इन्फ्लूएंज़ा रोगियों में मृत्यु का सबसे आम कारण द्वितीयक निमोनिया (Pneumonia) है, जो बैक्टीरिया के कारण होता है।
  - हालाँकि बैक्टीरियल निमोनिया के बढ़ते जोखिम के कारण इन्फ्लूएंज़ा संक्रमण के पीछे का कारण ज्ञात नहीं है।

स्पेनिश फ्लू की केस स्टडी:

- यह एक इन्फ्लूएंज़ा महामारी थी जो वर्ष 1918-1920 में दुनिया भर में फैली।
- इससे मरने वाले लोगों की संख्या में सबसे अधिक संख्या युवा स्वस्थ वयस्कों की थी और इसका प्रमुख कारण बैक्टीरिया, विशेष रूप से न्यूमोकोकी (Pneumococci) के कारण होने वाला सुपर इंफेक्शन (Superinfection) था।
  - 'न्यूमोकोकल संक्रमण' (Pneumococcal Infections) समुदाय द्वारा अधिगृहीत निमोनिया और मृत्यु का एक प्रमुख वैश्विक कारण है।
  - एक अग्रिम इन्फ्लूएंज़ा वायरस संक्रमण अक्सर एक न्यूमोकोकल संक्रमण के बाद होता है।

अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्ष:

- जब कोई व्यक्ति इन्फ्लूएंज़ा से संक्रमित होता है तो उसके रक्त से विभिन्न पोषक तत्त्वों एवं एंटीऑक्सीडेंट जैसे- विटामिन C का रिसाव होता है।
- पोषक तत्त्वों और एंटीऑक्सीडेंट की अनुपस्थिति फेफड़ों में बैक्टीरिया के लिये अनुकूल वातावरण बनाती है।
- बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स A (High Temperature Requirement A -HtrA) नामक एंजाइम के उत्पादन को बढ़ाकर उत्तेजक वातावरण के अनुरूप हो जाते हैं।
- HtrA की उपस्थिति प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करती है और इन्फ्लूएंज़ा-संक्रमित वायुमार्ग में बैक्टीरिया के विकास को भी बढ़ावा देती है।
- न्यूमोकोकस (Pneumococcus- एक जीवाणु जो निमोनिया एवं दिमागी बुखार के कुछ रूपों से संबंधित है) के बढ़ने की क्षमता उच्च स्तर के ऑक्सीकरणरोधी (Antioxidants) के साथ पोषक तत्त्वों से भरपूर वातावरण पर निर्भर करती है जो उच्च स्तर के ऑक्सीकरणरोधी के साथ एक वायरल संक्रमण के दौरान होता है।

महत्त्व:

- इन परिणामों का उपयोग इन्फ्लूएंज़ा वायरस और न्यूमोकोकल बैक्टीरिया के बीच दोहरे संक्रमण के लिये नए उपचारों को खोजने हेतु किया जा सकता है।

नोट :

- इसलिये एक संभावित रणनीति के तहत फेफड़ों में न्यूमोकोकल की वृद्धि को रोकने के लिये प्रोटीन अवरोधकों का उपयोग किया जा सकता है।

- यह जानकारी COVID-19 पर शोध में योगदान कर सकती है।
  - हालाँकि यह अभी ज्ञात नहीं है कि क्या COVID-19 रोगी भी ऐसे माध्यमिक जीवाणु संक्रमण के प्रति संवेदनशील हैं।

इन्फ्लूएंज़ा (Influenza)

- यह एक वायरल संक्रमण है जो श्वसन प्रणाली यानी नाक, गले और फेफड़ों को प्रभावित करता है जिसे आमतौर पर फ्लू (Flu) कहा जाता है।

लक्षण:

- बुखार, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द, खाँसी, नाक बहना, सिरदर्द और थकान आदि।

सामान्य उपचार:

- फ्लू में मुख्य रूप से रोगी को आराम और तरल पदार्थ का सेवन करने की सलाह दी जाती है ताकि शरीर संक्रमण से लड़ सके।
- पेरासिटामोल (Paracetamol) इन लक्षणों में मदद कर सकता है लेकिन गैर-स्टेरायडल सूजन-रोधी दवाओं (Non Steroidal Anti-inflammatory DrugS) से बचा जाना चाहिये। एक वार्षिक टीका इस फ्लू को रोकने और इसकी जटिलताओं को सीमित करने में मदद कर सकता है।
- छोटे बच्चों, वयस्कों, गर्भवती महिलाओं और पुरानी बीमारी या कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग इससे अधिक प्रभावित हो सकते हैं।

कैंसर जीनोम एटलस सम्मेलन, 2020

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने नई दिल्ली में द्वितीय कैंसर जीनोम एटलस (The Cancer Genome AtlaS- TCGA) सम्मेलन का उद्घाटन किया।
- भारतीय कैंसर जीनोम एटलस (Indian Cancer Genome AtlaS) के निर्माण के लिये यह सम्मेलन दुनिया भर के वैज्ञानिकों और चिकित्सकों को एक साथ लाता है।

प्रमुख बिंदु

भारतीय कैंसर जीनोम एटलस:

- इसका उद्देश्य भारतीय आबादी में पाए जाने वाले सभी प्रकार के कैंसर के आणविक प्रोफाइल का स्वदेशी, ओपन-सोर्स और व्यापक डाटाबेस बनाना है।
- कैंसर के कारकों में आनुवंशिक और जीवन-शैली सहित विविध आणविक तंत्र को उत्तरदायी माना जाता है जो उपचार में अत्यधिक चुनौती की स्थिति उत्पन्न करते हैं।
- इसलिये रोगी द्वारा इन कारकों को बेहतर ढंग से समझना आवश्यक है।

कैंसर जीनोम एटलस :

- यह आणविक रूप से 20,000 से अधिक प्राथमिक कैंसर और 33 कैंसर प्रकारों के साथ सामान्य नमूनों से मेल खाता है।
  - जीनोमिक्स का उद्देश्य जीनोम की संरचना और कार्य को अनुक्रमित, एकत्रण और विश्लेषण करना है।
  - जीनोम (Genome) एक जीव पाए जाने वाले सभी आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। इसमें DNA (या RNA में RNA वायरस) भी शामिल है।
- TCGA राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (National Cancer InStitute) और राष्ट्रीय मानव जीनोम अनुसंधान संस्थान (National Human Genome ReSearch InStitute) का एक संयुक्त प्रयास है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग तथा मानव सेवा का हिस्सा है।
  - इसे 2006 में शुरू किया गया था।

नोट :

- TCGA ने जीनोमिक, एपिजीनोमिक (Epigenomic), ट्रांसस्क्रिप्टोमिक (TranScriptomic) और प्रोटिओमिक (Proteomic) डेटा की एक बड़ी मात्रा उत्पन्न की।
  - ट्रांसस्क्रिप्टोमिक प्रौद्योगिकी (TranScriptomic Technology) एक जीव के ट्रांसक्रिप्टोम (TranScriptome) का अध्ययन करने के लिये उपयोग की जाने वाली तकनीक है।
  - प्रोटम (Proteome) जीव में उत्पादित प्रोटीन का समूह है।
- इस डेटा से कैंसर के निदान, उपचार और रोकथाम की क्षमता में सुधार हुआ है।
- इसी तर्ज़ पर भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नेतृत्व में प्रमुख हितधारकों के संघ द्वारा भारतीय कैंसर जीनोमिक्स एटलस (Indian Cancer GenomicS AtlaS) की स्थापना की गई है, जिसमें कई सरकारी एजेंसियाँ, कैंसर अस्पताल, अकादमिक संस्थान और निजी क्षेत्र भागीदार हैं।

इस प्रकार के अन्य मिशन:

जीनोम इंडिया:

- इस परियोजना में कैंसर जैसे रोगों के उपचार के लिये नैदानिक परीक्षणों और प्रभावी उपचारों हेतु (अगले पाँच वर्षों में) 20,000 भारतीयों के जीनोम की स्कैनिंग (Scanning) किये जाने पर विचार करना है।
- परियोजना के पहले चरण में 10,000 स्वस्थ भारतीयों के संपूर्ण जीनोम का अनुक्रमण किया जाएगा।

इंडीजेन जीनोम परियोजना:

- अप्रैल 2019 में शुरू हुई इंडीजेन जीनोम परियोजना (IndiGen Genome Project) को सी.एस.आई.आर.– जिनोमिकी और एकीकृत जीवविज्ञान संस्थान दिल्ली (CSIR-InStitute of GenomicS and Integrative Biology - IGIB) तथा कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केंद्र, हैदराबाद (CSIR-Centre for Cellular and Molecular Biology - CCMB) द्वारा लागू किया गया है।
- इंडीजेन परियोजना का उद्देश्य भारत के विभिन्न जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले हज़ारों लोगों का संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण करना है।

चीन का कृत्रिम सूर्य

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चीन द्वारा अपने "कृत्रिम सूर्य" परमाणु संलयन रिएक्टर ("Artificial Sun" Nuclear FuSion Reactor) का सफलतापूर्वक संचालन किया गया जो देश के परमाणु ऊर्जा अनुसंधान क्षमता के क्षेत्र में एक महान उपलब्धि है। इस परमाणु रिएक्टर से स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होने की उम्मीद है।

प्रमुख बिंदु:

- HL-2M टोकामक रिएक्टर (HL-2M Tokamak reactor) चीन का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत परमाणु संलयन प्रौद्योगिकी अनुसंधान उपकरण है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह उपकरण एक शक्तिशाली स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के लिये मार्ग प्रशस्त करेगा।
- प्राकृतिक रूप से सूर्य में होने वाली परमाणु संलयन प्रक्रिया की प्रतिकृति के लिये इसमें HL-2M टोकामक यंत्र का उपयोग किया गया है।
- इसमें गर्म प्लाज्मा को संलयित करने के लिये एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया गया है तथा इसमें तापमान को सूर्य के कोर के तापमान की तुलना में लगभग दस गुना अधिक तक गर्म (150 मिलियन डिग्री सेल्सियस) करने की क्षमता है।
- सिचुआन प्रांत में स्थित इस रिएक्टर को सामान्यत: "कृत्रिम सूर्य" के नाम से जाना जाता है जो अत्यधिक गर्मी एवं ऊर्जा उत्पन्न करता है।

अन्य समान प्रयोग

अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर

- वर्ष 1985 में अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर (International Thermonuclear Experimental Reactor-ITER) को 35 देशों की सहभागिता में शुरु किया गया।

नोट :

- यह फ्राँस में अवस्थित है।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य विश्व के सबसे बड़े टोकामक यंत्र का निर्माण करना है ताकि बड़े पैमाने पर कार्बन-मुक्त ऊर्जा के स्रोत के रूप में संलयन की व्यवहार्यता को सिद्ध किया जा सके।
  - टोकामक एक प्रायोगिक मशीन है जिसे संलयन की ऊर्जा का उपयोग करने के लिये डिज़ाइन किया गया है। एक टोकामक के अंदर परमाणु संलयन के माध्यम से उत्पादित ऊर्जा को पात्र की दीवारों में ऊष्मा के रूप में अवशोषित किया जाता है। एक पारंपरिक ऊर्जा संयंत्र की तरह एक संलयन ऊर्जा संयंत्र में इस ऊर्जा का उपयोग वाष्प उत्पादन तथा उसके बाद टरबाइन और जनरेटर के माध्यम से विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है।

परमाणु अभिक्रियाएँ

विवरण:

- एक परमाणु अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें दो नाभिक अथवा एक नाभिक और एक बाह्य उप-परमाणु कण एक या अधिक नए न्यूक्लाइड का उत्पादन करने के लिये आपस में टकराते हैं। इस प्रकार एक परमाणु अभिक्रिया में कम-से-कम एक न्यूक्लाइड का दूसरे में परिवर्तन होना चाहिये।

प्रकार

नाभिकीय विखंडन (Nuclear FiSSion):

- इस प्रक्रिया में एक परमाणु का नाभिक दो संतति नाभिकों (Daughter Nuclei) में विभाजित होता है।
- यह विभाजन रेडियोधर्मी क्षय द्वारा सहज प्राकृतिक रूप से या प्रयोगशाला में आवश्यक परिस्थितियों (न्यूट्रॉन, अल्फा आदि कणों की बमबारी करके) की उपस्थिति में किया जा सकता है।
- विखंडन से प्राप्त हुए खंडों/अंशों का एक संयुक्त द्रव्यमान होता है जो मूल परमाणु से कम होता है। द्रव्यमान में हुई यह क्षति सामान्यत: परमाणु ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है।
- वर्तमान में सभी वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टर नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित हैं।

नाभिकीय संलयन (Nuclear FuSion):

- नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को दो हल्के परमाणुओं के संयोजन से एक भारी परमाणु नाभिक के निर्माण के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- इस तरह की नाभिकीय संलयन प्रतिक्रियाएँ सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा का स्रोत होती हैं।
- इस प्रक्रिया में नाभिक को संलयित करने के लिये अधिक मात्रा में ऊर्जा की की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया के लिये कई मिलियन डिग्री तापमान तथा कई मिलियन पास्कल दाब वाली परिस्थिति आवश्यक होती है।
- हाइड्रोजन बम का निर्माण एक तापनाभिकीय संलयन (Thermonuclear FuSion) अभिक्रिया पर आधारित है। हालाँकि प्रारंभिक ऊर्जा प्रदान करने के लिये हाइड्रोजन बम के मूल में यूरेनियम या प्लूटोनियम के विखंडन पर आधारित एक परमाणु बम को स्थापित किया जाता है।

शनि और बृहस्पति का महासंयुग्मन

चर्चा में क्यों ?

- एक दुर्लभ खगोलीय घटना में बृहस्पति और शनि 21 दिसंबर, 2020 को एक-दूसरे के बहुत करीब (महासंयुग्मन- Great Conjunction एक चमकते सितारे की तरह दिखाई देंगे।

प्रमुख बिंदु:

- संयुग्मन (Conjunction): यदि दो आकाशीय पिंड पृथ्वी से एक-दूसरे के करीब दिखाई देते हैं, तो इसे संयुग्मन कहा जाता है।
- महासंयुग्मन (Great Conjunction): यदि शनि और बृहस्पति के संयुग्मन की स्थिति होती है, तो इसे महासंयुग्मन कहा जाता है।

नोट :

- यह घटना प्रत्येक 20 वर्ष में एक बार घटित होती है।
- पृथ्वी से दिखाई देने वाला यह संयोजन बृहस्पति और शनि के कक्षीय रास्तों का एक रेखा में आने का परिणाम है।
  - बृहस्पति लगभग 12 वर्ष में और शनि 29 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करते हैं ।
- यह घटना 21 दिसंबर, 2020 को होगी, इस दिन दिसंबर सक्रांति (शीत अयनांत) भी होती है।
- 21 दिसंबर, 2020 को वर्ष 1623 के बाद से बृहस्पति और शनि के मध्य सबसे कम दूरी होगी। इसके बाद ये दोनों ग्रह वर्ष 2080 को इतने नज़दीक दिखाई देंगे।
- ये दोनों ग्रह एक साथ नज़दीक आते दिखाई देंगे, हाँलाकि इनके मध्य की दूरी 400 मिलियन मील से भी अधिक होगी।

बृहस्पति:

- सूर्य से पाँचवीं पंक्ति में बृहस्पति, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो अन्य सभी ग्रहों के मुकाबले दोगुने से अधिक बड़ा है।
- बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को जोवियन ग्रह या गैसीय विशालकाय ग्रह कहा जाता है। इनमें वायुमंडल की मोटी परत पाई जाती है जिसमें ज़्यादातर हीलियम और हाइड्रोजन गैस होती है।
- बृहस्पति लगभग हर 10 घंटे में एक बार घूर्णन (एक जोवियन दिवस) करता है, परंतु सूर्य की परिक्रमा (एक जोवियन वर्ष) करने में इसे लगभग 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति के 75 से अधिक चंद्रमा हैं।
  - बृहस्पति के चार सबसे बड़े चंद्रमाओं को इटालियन खगोलशास्त्री गैलीलियो गैलीली जिन्होंने पहली बार वर्ष 1610 में इन ग्रहों को देखा था, के नाम पर गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है।
    - इनके नाम आयो, यूरोपा, गेनीमेड और कैलिस्टो हैं।
- वर्ष 1979 में वॉयजर मिशन ने बृहस्पति की धुँधली वलय प्रणाली की खोज की।
- नौ अंतरिक्षयानों को बृहस्पति पर भेजा जा चुका है। सबसे बाद में जूनो वर्ष 2016 में बृहस्पति पर पहुँचा।

शनि:

- शनि सूर्य से छठा और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है।
- शनि को अपनी धुरी पर घूमने में लगभग 10.7 घंटे का समय लगता है और यह लगभग 29 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है।
- 'टाइटन' शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है जो बुध ग्रह के बराबर है।
- इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इस ग्रह की मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलयों का होना, जिनकी संख्या 7 है।
- कुछ मिशनों ने शनि का दौरा किया है: पायनियर 11 और वॉयजर 1 तथा 2 ने उड़ान भरी; परंतु कैसिनी ने वर्ष 2004 से 2017 तक 294 बार शनि की परिक्रमा की।

रोबोटिक सर्जरी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने सभी स्वास्थ्य बीमाकर्त्ता कंपनियों की स्वास्थ्य नीतियों को मानकीकृत किया है ताकि वे रोबोटिक और बैरियाट्रिक सर्जरी को भी स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर कर सकें।

- बैरियाट्रिक सर्जरी (Bariatric Surgery) एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके माध्यम से पाचन तंत्र की कार्यप्रणाली में परिवर्तन कर व्यक्ति की भूख को नियंत्रित किया जाता है, यह परिवर्तन व्यक्ति के वज़न को कम करने में मदद करता है।
- हाल ही में भारत मनुष्यों की टेलीरोबोटिक कोरोनरी सर्जरी करने वाला पहला देश बना है।

प्रमुख बिंदु

- **रोबोटिक्स:** यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रोबोट (मानवीय क्रियाओं के स्थापन के रूप में अथवा उनकी नकल करने वाली मशीनें) के डिज़ाइन, निर्माण, संचालन एवं अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है।

नोट :

रोबोटिक्स के अनुप्रयोग:

- **औद्योगिक क्षेत्र में:** कुछ रोबोट मुख्य रूप से औद्योगिक विनिर्माण कार्यों में प्रयोग किये जाते हैं, जैसे-
- **पॉइंट-टू-पॉइंट रोबोट:** इस प्रकार के रोबोट पहले से निर्धारित कई बिंदुओं पर कार्य करने हेतु प्रयोग किये जाते हैं। उदाहरण के लिये निश्चित स्थान पर स्टीकर चिपकाने, वेल्डिंग और ड्रिलिंग आदि कार्यों में।
- **पिक एंड प्लेस रोबोट:** ये रोबोट्स किसी वस्तु को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखने की प्रक्रिया को तेज़ करते हैं।
- **कंटीन्यूअस पाथ रोबोट:** यह पॉइंट-टू-पॉइंट पद्धति का विस्तार है। इसमें एक साथ कई बिंदुओं का प्रयोग किया जा सकता है। इनका मार्ग चापाकार (Arched), वृत्ताकार अथवा सीढ़ीदार रेखा में बनता है। इन रोबोट्स को विशेष रूप से अत्यंत नज़दीक तथा एक-दूसरे के आस-पास स्थित बिंदुओं के बीच कार्य करने के लिये प्रोग्राम किया जाता है। स्प्रे तथा पेंटिंग जैसे कार्यों में इन्हीं रोबोट्स का उपयोग किया जाता है।
- **एक्सो-स्केलेटन (ExoSkeleton):** ये मानव की मौजूदा क्षमताओं में वृद्धि करने में काम आते हैं। ये भारी-से-भारी ऑटोमोबाइल कलपुर्जों को आसानी से उठा सकते हैं।
- **चिकित्सा क्षेत्र में:** चिकित्सकीय सर्जरी करने के लिये बेहतर कौशल के साथ-साथ बेहतर नियंत्रण की भी आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से रोबोट बहुत उपयोगी होते हैं। वर्तमान में रोबोट ने मस्तिष्क सर्जरी, हार्ट बाईपास सर्जरी, छोटे वायरलेस और रोबोटिक कैमरा कैप्सूल की सहायता से पाचन तंत्र को ठीक करने जैसे कार्य भी संभव बना दिये हैं।
  - इसके अलावा टेलीमेडिसिन में दूर से संचालित रोबोट्स की सहायता से चिकित्सक अपने से दूर बैठे मरीज़ का भी इलाज कर सकते हैं।
- **सैन्य क्षेत्र में:** सैन्य क्षेत्र में भी रोबोट तकनीक में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। UAV अथवा मानव रहित विमान (Unmanned Aerial Vehicle) या ड्रोन रिमोट द्वारा नियंत्रित विमान हैं जिनका प्रयोग जासूसी करने, बिना आवाज़ मिसाइल हमला करने आदि में किया जाता है।
- **अंतरिक्ष और समुद्री क्षेत्र में:** अंतरिक्ष अन्वेषण हेतु विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा रोबोट्स विकसित किये गए हैं। उदाहरण के लिये रोबोनॉट रिमोट द्वारा संचालित एक रिमोट है जिसे अंतरिक्ष में चहल-कदमी के उद्देश्य से विकसित किया गया है।
  - भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (ISRO) ने मानवयुक्त गगनयान मिशन हेतु एक अर्द्ध-मानवीय (Half-Humanoid) रोबोट 'व्योममित्र' लॉन्च किया है।
- दवा उद्योग में: दवा उद्योग में रोबोट ऐसे कार्य करने में सक्षम हैं, जो प्राय: मानव के लिये खतरनाक माने जाते हैं। जैसे- रेडियोएक्टिव प्रदूषण के संपर्क में रहकर किये जाने वाले कार्य।
- दुर्गम और खतरनाक क्षेत्रों में: बमों को निष्क्रिय करने, ज़मीन के अंदर बिछी बारूदी सुरंगों का पता लगाने और नाभिकीय विकिरण वाले खतरनाक तथा जोखिम भरे क्षेत्रों में रोबोट का उपयोग अत्यधिक कारगर एवं उपयुक्त माना जाता है। आपदा (बाढ़, भूकंप, चक्रवात आदि) और परमाणु दुर्घटनाओं के समय रोबोट काफी उपयोगी सिद्ध होते हैं।
  - 'पायनियर' (Pioneer) नामक रोबोट को चेर्नोबिल परमाणु रिएक्टर के संयंत्र-4 के संरचना विश्लेषण हेतु भेजा गया था।
  - वर्ष 2011 में हुए फुकुशिमा परमाणु हादसे में भी रोबोट्स ने संचालकों को विभिन्न प्रकार के ऑडियो, विडियो और सेंसर डेटा भेजे थे।
- कृषि क्षेत्र में: कृषि क्षेत्र में रोबोट की सहायता से मुख्यत: फसलों की कटाई की जाती है। इसके अलावा रोबोट्स या ड्रोनों के बढ़ते अनुप्रयोग में खरपतवार नियंत्रण, क्लाउड सीडिंग, बीज रोपण, मृदा विश्लेषण आदि कार्य भी शामिल हैं।
  - पशुधन अनुप्रयोगों में रोबोट्स का इस्तेमाल ऑटोमेटिक मिल्किंग, वाशिंग आदि में किया जाता है।

रोबोटिक सर्जरी:

- रोबोटिक या रोबोट की सहायता से की जाने वाली सर्जरी उन्नत कंप्यूटर प्रौद्योगिकी को कुशल सर्जनों के अनुभव के साथ एकीकृत करती है। यह तकनीक सर्जन को शरीर की जटिल संरचना की 10 गुना वर्द्धित, हाई डेफिनिशन वाली, 3 डी छवि प्रदान करती है।
- सर्जन विशेष सर्जिकल उपकरणों को कुशलतापूर्वक चलाने के लिये रोबोटिक संरचना में दिये गए कंट्रोल/नियंत्रण का उपयोग करता है, जो बहुत छोटे होने के साथ ही मानव हाथ की तुलना में अधिक लचीले और फुर्तीले होते हैं। रोबोट हाथ के झटके को कम करते हुए सर्जन के हाथों की हरकतों की नकल करता है।

नोट :

रोबोटिक सर्जरी के लाभ:

- सरल प्रक्रियाएँ: जटिल प्रक्रियाओं के प्रदर्शन को बहुत सरल बनाते हैं।
- लचीलेपन, परिशुद्धता और नियंत्रण में वृद्धि: यह डॉक्टरों को पारंपरिक तकनीकों से अधिक सटीक, लचीलेपन और नियंत्रण के साथ विभिन्न प्रकार की जटिल प्रक्रियाओं को संपन्न करने में सक्षम बनाता है।
- आघात में कमी: यह रोगी की बड़े चीरों (InciSionS) के बजाय छोटे पोर्ट्स/द्वारकों के माध्यम से सर्जरी करने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार आघात को कम करता है।
- सर्जरी को सरल बनाता है: उपकरण पारंपरिक खुले और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की तुलना में छोटे चीरों (InciSionS) के माध्यम से रोगी के शरीर के ऐसे भागों तक पहुँच को आसान बनाते हैं जहाँ आसानी से नहीं पहुँचा जा सकता।
- रिकवरी में लगने वाले समय में कमी: यह चिकित्सा प्रक्रिया की जटिलताओं में कमी और अस्पताल में रहने की अवधि को कम कर मरीज़ की रिकवरी में लगने वाले समय को कम करता है।
- अन्य लाभ: दर्द तथा रक्तस्राव में कमी और छोटे निशान जो स्पष्ट दिखाई नहीं देते।

रोबोटिक सर्जरी की उच्च मांग का कारण: रोबोटिक सर्जरी की मांग बढ़ाने वाले कारक हैं:

- प्रौद्योगिकी में उन्नति।
- क्रोनिक बीमारी के मामलों में वृद्धि।
- चिकित्सा त्रुटियों से जुड़े मामलों की उच्च संख्या।
- शीघ्र रिकवरी और दर्द में कमी।
- रोबोट की सहायता से की जाने वाली सर्जरी के लाभों से संबंधित जागरूकता में वृद्धि।

क्षेत्र की धीमी प्रगति का कारण:

- स्थापना की उच्च लागत: ये उपकरण न केवल महँगे हैं बल्कि उपकरणों और सहायक उपकरणों की डिस्पोजेबल प्रकृति के कारण आवर्ती लागत भी उच्च होती है।
- एकाधिकार: केवल कुछ ही कंपनियाँ हैं जो रोबोटिक सर्जरी के लिये उपकरणों का निर्माण करती हैं। इन कंपनियों के एकाधिकार के कारण भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली में रोबोटिक सर्जरी का विस्तार करना मुश्किल हो जाता है।
- अप्रशिक्षित संसाधन: रोबोटिक सर्जरी के लिये प्रशिक्षित सर्जनों की अनुपलब्धता एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है।

भारत में रोबोटिक सर्जरी:

- गुणवत्ता: भारत विश्व भर में उच्च-गुणवत्ता वाले उपचार प्राप्त करने के लिये सबसे पसंदीदा स्थान है और यहाँ विभिन्न मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल तथा रोगी-देखभाल केंद्र मौजूद हैं।
- अवसंरचना: अस्पताल विभिन्न महत्त्वपूर्ण बीमारियों के इलाज के लिये अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए उन्नत, अति परिष्कृत एवं विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित हैं।
- लागत: अमेरिका, यू.के. और कनाडा के विपरीत भारत में चिकित्सा सुविधाएँ बहुत सस्ती हैं। कुल मिलाकर भारत में ऐसी सभी प्रक्रियाओं की लागत लोगों के लिये अनुकूल है तथा इसके लिये लोगों को सेवाओं और अवसंरचना की गुणवत्ता से समझौता नहीं करना पड़ता।

आगे की राह

- सरकार को चाहिये कि वह फेलोशिप कार्यक्रम शुरू करे और सर्जिकल टीमों को संरचित प्रशिक्षण प्रदान करे क्योंकि रोबोटिक सर्जरी के मामलों में वृद्धि के साथ ही ऐसी सर्जिकल प्रक्रियाओं के लिये प्रशिक्षित डॉक्टरों की आवश्यकता होगी। भारत में, सर्जनों को प्रशिक्षित करना और प्रमाणित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है।
- रोबोटिक सर्जरी की उच्च लागत से निपटने के लिये सरकार को चाहिये कि वह अभिनव तरीकों के साथ आगे आने वाले अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच सहयोग को बढ़ावा दे।

नोट :

हवाना सिंड्रोम

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (National Academies of Sciences), USA की एक रिपोर्ट में हवाना सिंड्रोम का संभावी कारण निर्देशित माइक्रोवेव विकिरण (Directed Microwave Radiation) को बताया गया है।

प्रमुख बिंदु

हवाना सिंड्रोम:

- 2016 के उत्तरार्द्ध में हवाना (क्यूबा की राजधानी) में तैनात USA के राजनयिकों और अन्य कर्मचारियों ने अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने तथा शारीरिक संवेदनाओं के बाद इस बीमारी को महसूस किया।
- इस बीमारी के लक्षणों में मिचली, तीव्र सिरदर्द, थकान, चक्कर आना, नींद की समस्या आदि शामिल हैं, जिन्हें हवाना सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है।
- हवाना में कर्मचारियों को मुख्य रूप से अनिद्रा तथा सिरदर्द जैसी समस्याओं के साथ ही वेस्टिबुलर प्रसंस्करण (VeStibular ProceSSing) और संज्ञानात्मक (Cognitive) समस्या को लंबे समय तक झेलना पड़ा।
- इस सिंड्रोम से प्रभावित कर्मचारियों में से कुछ को तो ठीक कर दिया गया लेकिन अन्य प्रभावित लोगों के जीवन के सामान्य काम-काज को भी इसने प्रभावी रूप से बाधित किया।

रिपोर्ट के बारे में:

- NAS रिपोर्ट ने लक्षणों की व्याख्या करने के लिये चार संभावनाओं यथा- संक्रमण, रसायन, मनोवैज्ञानिक कारक और माइक्रोवेव ऊर्जा की जाँच की।
- अभी तक इस मामले में यही एकमात्र रिपोर्ट है जो स्पष्ट और विस्तृत अनुमान प्रदान करती है।
  - विभिन्न अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा इस संदर्भ किये गए प्रयासों के तहत वैज्ञानिकों ने लोगों के इस सिंड्रोम से पीड़ित होने का कारण विदेशी मिशनों में कार्य करने के दौरान तनावपूर्ण वातावरण को ज़िम्मेदार बताया।

रिपोर्ट का निष्कर्ष:

- हवाना सिंड्रोम के मामलों को समझने में निर्देशित स्पंदित माइक्रोवेव विकिरण (Directed PulSed Microwave Radiation) ऊर्जा को सबसे उपयुक्त पाया गया जिस पर समिति ने दावा किया था।
  - इसे "निर्देशित" और "स्पंदित" ऊर्जा कहकर रिपोर्ट इस भ्रम के लिये कोई जगह नहीं छोड़ती है कि पीड़ितों को लक्षित किया गया था जो माइक्रोवेव के सामान्य ऊर्जा स्रोतों के कारण नहीं हो सकता है।
- रोगियों ने जो लक्षण बताए उनमें दर्द और गूँजती आवाजें शामिल हैं जो स्पष्ट रूप से एक विशेष दिशा में सुनाई दीं या कमरे में एक विशिष्ट स्थान पर घटित हुईं।
- यह भविष्य की ऐसी घटनाओं के बारे में चेतावनी देते हुए एक प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करने की सिफारिश करती है क्योंकि भविष्य की घटनाओं का प्रसार समय व स्थान के अनुसार और अधिक हो सकता है जिनकी तत्काल पहचान करना कठिन हो सकता है।
- हालाँकि समिति अन्य संभावित युक्तियों को खारिज़ नहीं करती है और इस संभावना पर विचार करती है कि कारकों की बहुलता कुछ मामलों तथा दूसरों के बीच के अंतर को बताती है।
- इस बात का भी उल्लेख नहीं किया गया है कि ऊर्जा जान-बूझकर वितरित की गई थी, भले ही इसने माइक्रोवेव हथियारों पर महत्त्वपूर्ण शोध किया हो।

संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिक्रिया:

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने NAS के प्रयास की प्रशंसा की लेकिन इस पर भी प्रकाश डाला कि इसके अन्य संभावित कारण भी हो सकते हैं। कुछ जानकारियों तक ही रिपोर्ट के दायरे को सीमित करने वाली संभावित सुरक्षा चिंताओं के कारणों को भी इसने समिति की कमी के रूप में चिह्नित किया।

नोट :

- सरकार ने सिंड्रोम से प्रभावित सरकारी कर्मचारियों को लंबे समय तक आपातकालीन देखभाल लाभ प्रदान करने के लिये नए रक्षा प्राधिकरण बिल में एक प्रावधान को भी शामिल किया।
- इस संदर्भ में अमेरिका ने क्यूबा पर "हमला" करने का आरोप लगाया था लेकिन क्यूबा ने इन बीमारियों के बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार कर दिया।

माइक्रोवेव हथियार (Microwave Weapon)

- माइक्रोवेव हथियार एक प्रकार के प्रत्यक्ष ऊर्जा हथियार होते हैं, जो अपने लक्ष्य को अत्यधिक केंद्रित ऊर्जा के रूपों जैसे ध्वनि, लेज़र या माइक्रोवेव आदि के द्वारा लक्षित करते हैं।
- इसमें उच्च-आवृत्ति के विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वारा मानव शरीर को लक्षित किया जाता है, जिससे दर्द और असहजता की स्थिति उत्पन्न होती है। यह उसी तरह काम करता है जैसे कि रसोई के उपकरण।
- माइक्रोवेव ओवन में एक इलेक्ट्रॉन ट्यूब जिसे मैग्नेट्रॉन (Magnetron) कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग (MicrowaveS) उत्पन्न करती है, ये तरंगें उपकरण के आंतरिक धातु के चारों ओर उछलती (Bounce) हैं और भोजन द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं।
- माइक्रोवेव भोजन में पानी के अणुओं को उत्तेजित करता है और उनका कंपन गर्मी पैदा करती है जिससे भोजन पकता है। शुष्क खाद्य पदार्थों की तुलना में उच्च जल की मात्रा वाले खाद्य पदार्थ माइक्रोवेव में तेज़ी से पकते हैं।

माइक्रोवेव हथियार वाले देश:

- एक से अधिक देशों ने मानव और इलेक्ट्रॉनिक दोनों प्रणालियों को लक्षित करने के लिये इन हथियारों को विकसित किया है।
- चीन ने पहली बार वर्ष 2014 में एक एयर शो में पॉली डब्ल्यू.बी.-1 (Poly WB-1) नामक "माइक्रोवेव हथियार" का प्रदर्शन किया था।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी 'एक्टिव डेनियल सिस्टम' (Active Denial SyStem) नामक 'माइक्रोवेव हथियार' विकसित किया है।

मुद्दे:

- क्यूबा और चीन में अमेरिकी राजनयिकों और उनके परिवारों के सदस्यों को 'माइक्रोवेव हथियारों' (हवाना सिंड्रोम) का उपयोग कर निशाना बनाया गया था।
- इस बात पर चिंता जताई गई है कि इनका दुष्प्रभाव आँखों पर पड़ सकता है या लंबे समय में कार्सिनोजेनिक (Carcinogenic) प्रभाव भी देखा जा सकता है।
- यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये जान ले सकते हैं या मानव को स्थायी नुकसान पहुँचा सकते हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार, प्राकृतिक ब्लिंक रिफ्लेक्स (Natural Blink Reflex), एवेरज़न रिस्पॉन्स (AverSion ReSponSe) और हेड टर्न (Head Turn) आदि सभी इन हथियारों से आँखों की रक्षा करते हैं।

भारत में महामारी के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने की दर में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में PwC (फर्मों का एक वैश्विक नेटवर्क) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने कोरोना वायरस फैलने के बाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence- AI) के प्रयोग में 45% की वृद्धि दर्ज की है जो विश्व में सभी देशों में सबसे अधिक है।

प्रमुख बिंदु:

परिणाम:

- संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ब्रिटेन जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग में सबसे अधिक वृद्धि (45%) हुई है।
- कोरोना वायरस फैलने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने 35%, यूनाइटेड किंगडम ने 23% और जापान ने 28% की वृद्धि दर्ज की।
- रिपोर्ट क्रय व्यवहार और नई व्यावसायिक चुनौतियों में परिवर्तन (Covid-19 के कारण) का श्रेय AI के अनुकरण में हुई वृद्धि को देती है।

नोट :

- उदाहरण के लिये AI के उपयोग के मामलों जैसे- संपर्क रहित बिक्री और वितरण में कर्षण (Traction) की स्थिति देखी गई है। कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिये भी AI समाधानों का उपयोग किया जा रहा है।
- उच्चतम COVID -19 वाले क्षेत्रों ने AI समाधानों को अधिक स्पष्ट ढंग से अपनाया। यात्रा और आतिथ्य (HoSpitality) क्षेत्र में 89% फर्मों ने किसी-न-किसी रूप में AI को लागू किया है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI):

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो कंप्यूटर के इंसानों की तरह व्यवहार करने की धारणा पर आधारित है। इसके जनक जॉन मैकार्थी हैं।
- यह मशीनों की सोचने, समझने, सीखने, समस्या हल करने और निर्णय लेने जैसी संज्ञानात्मक कार्यों को करने की क्षमता को सूचित करती है।
  - दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता किसी कंप्यूटर या मशीन द्वारा मानव मस्तिष्क के सामर्थ्य की नकल करने की क्षमता है, जिसमें उदाहरणों और अनुभवों से सीखना, वस्तुओं को पहचानना, भाषा को समझना और प्रतिक्रिया देना, निर्णय लेना, समस्याओं को हल करना तथा ऐसी ही अन्य क्षमताओं के संयोजन से मनुष्यों के समान ही कार्य कर पाने की क्षमता आदि शामिल है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शोध की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है कृत्रिम तरीके से विकसित बौद्धिक क्षमता।
- AI पूर्णत: प्रतिक्रियात्मक (Purely Reactive), सीमित स्मृति (Limited Memory), मस्तिष्क सिद्धांत (Brain Theory) एवं आत्म-चेतन (Self ConSciouS) जैसी अवधारणाओं पर कार्य करता है।
- वर्तमान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष विज्ञान, रक्षा, परिवहन और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है।

सरकार द्वारा हाल में की गई पहलें:

- भारत ने राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति और पोर्टल लॉन्च किया है तथा शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, ई-कॉमर्स, वित्त, दूरसंचार आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाना शुरू किया है।
- हाल ही में भारत AI के ज़िम्मेदार और मानव-केंद्रित विकास तथा उपयोग का समर्थन करने के लिये एक संस्थापक सदस्य के रूप में 'ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (Global PartnerShip on Artificial Intelligence- GPAI) में शामिल हुआ।

भारत में AI का प्रयोग:

महामारी से निपटने में:

- **राष्ट्रीय स्तर पर:**
  - Covid-19 से निपटने के लिये, MyGov द्वारा संचार सुनिश्चित करने के लिये AI- सक्षम चैटबॉट का उपयोग किया गया था।
  - इसी प्रकार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने Covid-19 पर देश भर में विभिन्न परीक्षण और नैदानिक सुविधाओं से संबंधित स्टाफ एवं डेटा एंट्री ऑपरेटरों के विशिष्ट प्रश्नों का जवाब देने के लिये अपने पोर्टल पर वाटसन असिस्टेंट (WatSon AssiStant) को तैनात किया है।
- केरल में: सृष्टि रोबोटिक्स 'नाइटिंगेल -19 रोबोट' का उपयोग एक अच्छा उदाहरण है।
- यह भोजन और दवाएँ वितरित करता है तथा डॉक्टरों एवं अन्य स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सकों को रोगियों के साथ बातचीत करने के लिये वीडियो इंटरेक्टिव तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम बनाता है।
- इसे मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और लोकमान्य तिलक टर्मिनल में स्थापित किया गया है।
  - महाराष्ट्र में: FebriEye एक AI आधारित थर्मल स्क्रीनिंग प्रणाली है जो वास्तविक समय और स्वचालित, गैर-घुसपैठ निगरानी के लिये यह सुनिश्चित करता है कि प्रवेश करने वाले व्यक्ति को तेज़ बुखार न हो।

अन्य क्षेत्रों में:

- जल प्रबंधन, फसल बीमा और कीट नियंत्रण पर AI-आधारित समाधान भी विकसित किये जा रहे हैं।

नोट :

- ICRISAT ने एक AI-पावर बुवाई एप विकसित किया है, जो स्थानीय फसलों की पैदावार और वर्षा तथा मौसम के मॉडल तथा आँकड़ों के बारे में अधिक सटीक पूर्व सूचना एवं स्थानीय किसानों बीज बुवाई की सलाह देता है।
- बिहार में लागू किया गया AI- आधारित बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल अब पूरे भारत में विस्तारित किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाढ़ से संबंधित सूचना 48 घंटे पहले मिल सके।
- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों में डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और AI का बुनियादी ज्ञान और कौशल को सुनिश्चित करने के लिये स्कूली पाठ्यक्रम में AI को एकीकृत किया है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इस वर्ष अप्रैल में एक "रेस्पोंसिबल AI फॉर यूथ" कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें सरकारी स्कूलों के 11,000 से अधिक छात्रों ने AI में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया।

आगे की राह:

- चूँकि AI भारत में डिजिटल समावेशन का काम करता है, यह आर्थिक विकास और समृद्धि को प्रभावित करेगा। भारत में AI के कार्यान्वयन की गुंजाईश अधिक होने के कारण इसके लिये अत्यधिक अवसर हैं। वर्ष 2025 तक डेटा और AI के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में 500 बिलियन डॉलर और लगभग 20 मिलियन नौकरियों का समावेशन किया जा सकता है।
- भारत AI के माध्यम से एक डेटा-समृद्ध और डेटा-संचालित समाज के निर्माण का उद्देश्य रखता है, जो समाज को बेहतर बनाने, व्यक्तियों को सशक्त बनाने और व्यापार सुगमता में वृद्धि की अपार संभावनाएँ एवं अवसर प्रदान करता है। भारत समावेशी विकास, देश की 'AI फॉर ऑल' रणनीति का प्रतिनिधित्त्व करने के लिये AI का लाभ उठा सकता है।

पी ओवेल मलेरिया

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में केरल में मलेरिया के एक प्रकार 'प्लास्मोडियम ओवेल' (PlaSmodium Ovale) के लक्षणों की पहचान एक सैनिक में की गई है।
- संभवत: यह सैनिक सूडान में इस रोग से प्रभावित हुआ था जो प्लास्मोडियम ओवेल का स्थानिक क्षेत्र माना जाता है।

प्रमुख बिंदु

प्लास्मोडियम ओवेल के बारे में:

- प्लास्मोडियम ओवेल मलेरिया परजीवी के पाँच प्रकारों में से एक है। इसके अलावा अन्य चार इस प्रकार से हैं- प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लास्मोडियम विवैक्स-सबसे सामान्य, प्लास्मोडियम मलेरिया और प्लास्मोडियम नॉलेसी।
- इसके लगभग 20% परजीवी कोशिका की तरह अंडाकार होते हैं, इसलिये इसे ओवेल कहा जाता है।
- ये परजीवी व्यक्ति की प्लीहा या यकृत में लंबे समय तक रह सकते हैं।

लक्षण:

- इसके लक्षणों में 48 घंटों तक बुखार, सिरदर्द और मतली की शिकायत शामिल है और शायद ही यह कभी गंभीर बीमारी का कारण बनता है।

पी विवैक्स से समानता:

- पी ओवेल (P Ovale), पी विवैक्स (P Vivax) से बहुत मिलता-जुलता है और दोनों के उपचार का तरीका भी समान है।
- हालाँकि पी विवैक्स और पी ओवेल के बीच भेद करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन सावधानीपूर्वक जाँच करने पर इस अंतर का पता लग सकता है।

प्रसार:

- पी ओवेल मलेरिया उष्णकटिबंधीय पश्चिमी अफ्रीका का स्थानिक रोग है। अफ्रीका के बाहर इस रोग के लक्षणों का पाया जाना असामान्य घटना है।

नोट :

- हालाँकि यह रोग फिलीपींस, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी में भी पाया गया है लेकिन इन क्षेत्रों में इसकी स्थिति अभी भी दुर्लभ मानी जाती है।

भारत में संचरण:

- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च (National InStitute of Malaria ReSearch) के अनुसार, केरल में पाया गया यह पहला मामला है क्योंकि स्थानीय स्तर पर इसका कोई दूसरा मामला दर्ज नहीं हुआ है।
- इससे पहले गुजरात, कोलकाता, ओडिशा और दिल्ली में भी इसके मामले पाए जाने की पुष्टि की गई है। हालाँकि इन सब में स्थानीय स्तर पर संचरण का मामला दर्ज नहीं किया गया है, जिसका अर्थ है कि ये सब लोग किसी और स्थान पर प्रभावित हुए थे।
- वर्ष 2019 में भारत के ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय और मध्य प्रदेश राज्यों में पाए गए कुल 1.57 लाख मलेरिया के मामलों में से 1.1 लाख मामले (70%) केवल फाल्सीपेरम मलेरिया के थे।
- हालिया विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार, भारत में मलेरिया के मामले वर्ष 2000 के 20 मिलियन से घटकर वर्ष 2019 में लगभग 5.6 मिलियन रह गए हैं।

मलेरिया

- यह प्लास्मोडियम परजीवियों (PlaSmodium ParaSiteS) के कारण होने वाला मच्छर जनित रोग है।
- प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम के कारण होने वाला मलेरिया सबसे गंभीर माना है और यह जानलेवा भी हो सकता है।
- प्लास्मोडियम का जीवन चक्र:
- RBC के टूटने से एक विषाक्त पदार्थ 'हेमोज़ोइन' का निर्माण होता है जो हर तीन से चार दिन में ठंड लगने की शिकायत और तेज़ बुखार के लिये ज़िम्मेदार होता है।
- संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से प्लास्मोडियम मानव शरीर में स्पोरोज़ोइट्स (संक्रामक रोग) के रूप में प्रवेश करता है।
- परजीवी शुरू में यकृत कोशिकाओं के भीतर वृद्धि करते हैं और फिर लाल रक्त कोशिकाओं (RBCs) पर हमला करते हैं जिसके परिणामस्वरूप RBC टूटने लगते हैं।
- मादा एनाफिलीज़ मच्छर द्वारा किसी संक्रमित व्यक्ति को काटे जाने से ये परजीवी मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इस प्रकार ऐसे मच्छर के काटने से अन्य लोगों में फैलता है।
- परजीवी उनकी लार ग्रंथियों में जमा होने वाले स्पोरोज़ोइट्स के निर्माण के लिये स्वयं में वृद्धि करते हैं। जब ये मच्छर किसी इंसान को काटते हैं तो स्पोरोज़ोइट्स उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण ऐसी घटनाओं में वृद्धि होती है।

नोट:

- मलेरिया परजीवी को अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिये दो मेज़बानों (मानव और मच्छर) की आवश्यकता होती है।
- मादा एनाफिलीज़ मच्छर रोगवाहक (TranSmitting Agent) भी है।
- विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है।
  - ध्यातव्य है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) आधिकारिक तौर पर केवल चार बीमारियों (HIV-एड्स, टीबी, मलेरिया और हेपेटाइटिस) के संदर्भ में रोग-विशिष्ट 'विश्व दिवस' मनाता है।

3D प्रिंटिंग तकनीक के विकास हेतु नीति

चर्चा में क्यों ?

- 3D प्रिंटिंग तकनीक के उभरते बाज़ार को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) जल्द ही औद्योगिक स्तर पर इस तकनीक को बढ़ावा देने के लिये एक नीति प्रस्तुत करेगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

3D प्रिंटिंग का अर्थ

- 3D प्रिंटिंग विनिर्माण की एक तकनीक है, जिसके अंतर्गत प्लास्टिक, राल, थर्माप्लास्टिक, धातु, फाइबर या चीनी मिट्टी आदि के माध्यम से किसी वस्तु का प्रोटोटाइप अथवा वर्किंग मॉडल बनाने के लिये कंप्यूटर-एडेड डिज़ाइनिंग (CAD) का उपयोग किया जाता है।
  - कंप्यूटर-एडेड डिज़ाइनिंग का आशय किसी डिज़ाइन के निर्माण, संशोधन, विश्लेषण और अनुकूलन आदि के लिये कंप्यूटर का उपयोग करने से है।
- इस तकनीक के अंतर्गत प्रिंट किये जाने वाले मॉडल को पहले सॉफ्टवेयर की सहायता से कंप्यूटर पर डिज़ाइन किया जाता है, जिसके बाद उस डिज़ाइन के आधार पर 3D प्रिंटर को निर्देश दिये जाते हैं।
- इस तकनीक में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर योगात्मक विनिर्माण तकनीक (Additive Manufacturing) पर आधारित होते हैं और इसके अंतर्गत कंपनियाँ विशिष्ट मांग वाली परियोजनाओं के लिये विशिष्ट उत्पाद जैसे- हल्के उपकरण ही बनाती हैं।
  - ऐसे उत्पादों के अनुप्रयोग के लिये चिकित्सा और संबद्ध क्षेत्र महत्त्वपूर्ण है।
- 35 प्रतिशत से अधिक बाज़ार हिस्सेदारी के साथ मौजूदा समय में अमेरिका 3D प्रिंटिंग के क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है।
  - एशिया में 3D प्रिंटिंग के क्षेत्र में 50 प्रतिशत बाज़ार हिस्सेदारी के साथ चीन का वर्चस्व बना हुआ है, जिसके बाद जापान (30 प्रतिशत) और दक्षिण कोरिया (10 प्रतिशत) का स्थान है।

3D प्रिंटिंग नीति की विशेषताएँ

- यह नीति भारत को 3D विनिर्माण के क्षेत्र में वैश्विक हब के रूप में स्थापित करने हेतु इस क्षेत्र में कार्यरत बड़ी कंपनियों को भारत में आने के लिये प्रोत्साहित करेगी, साथ ही इसके तहत घरेलू उपयोग के लिये प्रिंटिंग सामग्री के आयात को भी हतोत्साहित किया जाएगा।

उद्देश्य

- 3D प्रिंटिंग अथवा योगात्मक विनिर्माण तकनीक के डिज़ाइन, विकास और तैनाती के लिये अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में सहायता करना।
- घरेलू कंपनियों की तकनीकी और आर्थिक बाधाओं को दूर करना ताकि वे 3D प्रिंटिंग के क्षेत्र में अग्रणी देशों जैसे- अमेरिका और चीन की कंपनियों के लिये सहायक सुविधाओं का विकास कर सकें।

प्रमुख क्षेत्र और अनुप्रयोग

- ऑटो और मोटर स्पेयर पार्ट जैसे- इंजन, लक्जरी वाहनों के आंतरिक और बाहरी हिस्से, या लैंडिंग गियर, जटिल ब्रैकेट और टरबाइन ब्लेड आदि के व्यवसाय में 3D प्रिंटिंग काफी महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है।
- उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, कपड़े, खिलौने और आभूषणों में भी इस तकनीक के कुछ अनुप्रयोग हो सकते हैं।

चुनौतियाँ

- मानकों का अभाव: चूँकि 3D प्रिंटिंग तुलनात्मक रूप से काफी नया क्षेत्र है, जिसके कारण इससे संबंधित वैश्विक मानदंडों का अभाव है।
- प्रयोग संबंधी असमंजसता: एक अन्य और महत्त्वपूर्ण चुनौती अलग-अलग उद्योगों और सरकारी मंत्रालयों को अपने संबंधित क्षेत्र में एक नई तकनीक के तौर पर 3D प्रिंटिंग को अपनाने हेतु प्रेरित करना है, क्योंकि यह एक नई तकनीक है और इसे आम लोगों के बीच अपनी जगह बनाने में समय लगेगा।
- रोज़गार में कमी का खतरा: कई जानकार यह कहते हुए इस तकनीक का विरोध करते हैं कि इससे चिकित्सा उपकरण या एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अत्यधिक कुशल श्रमिकों की नौकरियों पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा।
- उच्च लागत: यद्यपि इस तकनीक में प्रिंटिंग की लागत काफी कम होती है, किंतु एक 3D प्रिंटर बनाने हेतु प्रयोग होने वाले उपकरणों की लागत काफी अधिक होती है। इसके अलावा इस प्रकार के उत्पादों की गुणवत्ता और वारंटी भी एक चिंता का विषय है, जिसके कारण कई कंपनियाँ अपनी मशीनों में 3D प्रिंटिंग उत्पादों के प्रयोग में संकोच करती हैं।
- क्षेत्र विशिष्ट चुनौतियाँ: भारत समेत संपूर्ण विश्व में 3D प्रिंटिंग उत्पादों का सबसे बड़ा उपभोक्ता मोटर वाहन उद्योग है, जो कि वर्तमान में BS-VI उत्सर्जन मानकों और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे बदलावों का सामना कर रहा है। इसकी वजह से नए वाहनों के निर्माण की गति धीमी हो गई है, इसलिये 3D प्रिंटिंग उत्पादों की मांग भी काफी कम हो गई है।

नोट :

3D प्रिंटिंग का संभाव्य बाज़ार

- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2024 तक 3D प्रिंटिंग या योगात्मक विनिर्माण तकनीक का वैश्विक बाज़ार 34.8 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगा, जो कि 23.2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है।
- यद्यपि इस तकनीक के कारण रोज़गार सृजन की कोई संभावना नहीं है, किंतु यह तकनीक भविष्य की दृष्टि से काफी लाभदायक साबित हो सकती है।

आगे की राह

- निवेश तथा अनुसंधान एवं विकास केंद्रों की कमी जैसे कारक इस तकनीक के विकास में एक बड़ी बाधा के रूप में मौजूद हैं। हालाँकि उपयोगकर्त्ताओं के बीच 3D प्रिंटिंग तकनीक और अनुप्रयोगों की बेहतर समझ इसके उपयोग में अवश्य ही बढ़ोतरी करेगी।
- 3D प्रिंटिंग समाधानों को अपनाने को लेकर भारतीय उपयोगकर्त्ताओं के बीच लगातार जागरूकता बढ़ रही है, जिसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारतीय बाज़ार में इस तकनीक की संभावनाएँ काफी अधिक हैं। इसके अलावा जापान, जर्मनी और अमेरिका जैसे अधिक परिपक्व बाज़ारों की तुलना में भारत में इस तकनीक का विकास किया जाना अभी शेष है।

राज्यों के पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता योजना

चर्चा में क्यों ?

तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों ने "राज्यों के पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता योजना" का लाभ उठाया है।

- इस योजना की घोषणा वित्त मंत्रालय ने 'आत्मनिर्भर भारत पैकेज' के तहत की थी।

प्रमुख बिंदु:

- **पृष्ठभूमि:** केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज' के तहत घोषणा की थी कि वह राज्यों के लिये 50 वर्षों हेतु 12,000 करोड़ रुपए के विशेष ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश करेगी (विशेष रूप से पूंजीगत व्यय के लिये)।
- उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य उन राज्य सरकारों के पूंजीगत व्यय को बढ़ाना है, जो COVID-19 महामारी के कारण कर राजस्व में हुई कमी की वजह से इस वर्ष कठिन वित्तीय परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं।

तीन भाग:

- भाग–I में उत्तर पूर्वी क्षेत्र शामिल हैं (निर्धारित राशि 200 करोड़ रुपए)।
- भाग-II अन्य सभी राज्यों के लिये (निर्धारित राशि 7500 करोड़ रुपए)।
- भाग-III के तहत योजना का उद्देश्य राज्यों में विभिन्न नागरिक केंद्रित सुधारों को आगे बढ़ाना है।
  - भाग-III के तहत 2000 करोड़ रुपए निर्धारित किये गए हैं।
  - यह राशि केवल उन राज्यों के लिये उपलब्ध होगी जो वित्त मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट चार अतिरिक्त सुधारों में से कम-से-कम तीन सुधारों को कार्यान्वित करते हैं।
  - ये चार सुधार हैं : एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, शहरी स्थानीय निकाय / उपयोगिता सुधार और बिजली क्षेत्र में सुधार।

वर्तमान स्थिति:

- वित्त मंत्रालय ने 27 राज्यों के पूंजीगत व्यय प्रस्तावों के तहत 9,879.61 करोड़ रुपए अनुमोदित किये हैं।
  - इसमें से पहली किश्त के रूप में 4,939.81 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं।
- स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, जल आपूर्ति, सिंचाई, बिजली, परिवहन, शिक्षा, शहरी विकास जैसे विविध क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है।

नोट :

पूंजीगत व्यय

परिभाषा:

- पूंजीगत व्यय मशीनरी, उपकरण, भवन, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा आदि के विकास पर सरकार द्वारा खर्च किया गया धन है।
- पूंजीगत व्यय पूँजी निवेश के रूप में गैर- आवर्ती प्रकार के व्यय होते हैं।
- इस प्रकार के व्यय में अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार की उम्मीद होती है।
- पूंजीगत व्यय में निम्न मदें शामिल हैं- निवेश, ऋण भुगतान, ऋण वितरण, शेयरों की खरीद, भूमि, भवन, मशीनों और उपकरणों पर व्यय आदि।

पूंजीगत व्यय के लाभ:

- पूंजीगत व्यय जो कि परिसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा देता है, प्रकृति में दीर्घकालिक होते हैं, इसके अलावा उत्पादन हेतु सुविधाओं में सुधार कर और परिचालन दक्षता को बढ़ाकर यह कई वर्षों तक राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान करता है।
- यह श्रम भागीदारी भी बढ़ाता है, अर्थव्यवस्था को संतुलित करता है और भविष्य में अधिक उत्पादन करने की क्षमता प्रदान करता है।

राजस्व व्यय से भिन्नता:

- राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किये जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप न तो परिसंपत्तियों का निर्माण हो और न ही देयताओं में कमी आए।
- राजस्व व्यय आवर्ती प्रकार के होते हैं जो साल-दर साल किये जाते हैं। उदाहरणत: ब्याज अदायगी, सब्सिडी, राज्यों को अनुदान, सरकार द्वारा दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन, वेतन, छात्रवृति इत्यादि।

The Vision

नोट :

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

वैश्विक जलवायु स्थिति पर अनंतिम रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की हालिया वैश्विक जलवायु स्थिति अनंतिम रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2020 अब तक के तीन सबसे गर्म वर्षों में से एक बनने वाला है। इसके अलावा 2011-2020 का दशक अब तक का सबसे गर्म दशक होगा।

- ध्यातव्य है कि यह केवल अनंतिम रिपोर्ट (ProviSional Report) है और अंतिम रिपोर्ट (Final Report) मार्च 2021 में प्रस्तुत की जाएगी। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि की गंभीरता को जाँचने के लिये प्रत्येक वर्ष वैश्विक जलवायु स्थिति का प्रकाशन किया जाता है।
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) संयुक्त राष्ट्र (UN) की विशिष्ट एजेंसियों में से एक है, जिसका मुख्यालय जिनेवा (Geneva) में स्थित है।

प्रमुख बिंदु

वैश्विक तापमान में वृद्धि

- अनंतिम रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी-अक्तूबर 2020 की अवधि में वैश्विक औसत सतह तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर (1850-1900) से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक था।
  - वैज्ञानिकों ने संभावना व्यक्त की है कि तापमान में यह अंतर वर्ष 2024 तक अस्थायी रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है।
  - पेरिस समझौते का उद्देश्य वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को काफी हद तक कम करना है, ताकि इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस कम रखा जा सके। इसके साथ ही आगे चलकर तापमान वृद्धि को और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2016 और वर्ष 2019 के बाद वर्ष 2020 अब तक के तीन सबसे गर्म वर्षों में से एक होगा।
  - अगस्त और अक्तूबर माह में भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में ला-नीना की स्थिति के बावजूद वर्ष 2020 में इतनी अधिक गर्मी रिकॉर्ड की गई है।
  - ला-नीना, अल-नीनो दक्षिणी दोलन (ENSO) की घटना का एक चरण है जो कि सामान्य तौर पर विश्व के विभिन्न हिस्सों में ठंडा प्रभाव छोड़ता है और इससे समुद्र की सतह का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है।

महासागरीय सतह का उच्च तापमान

- वर्ष 2020 में अब तक तकरीबन 80 प्रतिशत महासागरीय सतह (Ocean SurfaceS) में कम-से-कम एक बार समुद्री हीट वेव (Marine Heat Wave-MHW) दर्ज की गई है।
- हीट वेव असामान्य रूप से उच्च तापमान की वह स्थिति है, जिसमें तापमान सामान्य से अधिक रहता है और यह मुख्यत: देश के उत्तर-पश्चिमी भागों को प्रभावित करता है।
- समुद्री हीट वेव (MHW) के दौरान समुद्र की सतह (300 फीट या उससे अधिक की गहराई तक) का औसत तापमान सामान्य से 5-7 डिग्री अधिक बढ़ जाता है।
- यह घटना या तो वातावरण और महासागर के बीच स्थानीय रूप से निर्मित ऊष्मा प्रवाह के कारण या अल-नीनो दक्षिणी दोलन (ENSO) के कारण हो सकती है।

नोट :

- वर्ष 2020 में मज़बूत समुद्री हीट वेव (Strong MHW) की घटनाएँ अधिक (43 प्रतिशत) थीं, जबकि मध्यम समुद्री हीट वेव (Moderate MHW) की घटनाएँ तुलनात्मक रूप से कम (28 प्रतिशत) थीं।
- वर्ष 2020 में वैश्विक समुद्री स्तर की वृद्धि भी वर्ष 2019 के समान ही रही। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बर्फ का पिघलना इसका मुख्य कारण है।

कारण: वैज्ञानिक प्रमाण से पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर लगातार तापमान में हो रही बढ़ोतरी ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्यक्ष परिणाम है, जो कि ग्रीनहाउस गैसों (GHH) के उत्सर्जन, भूमि के उपयोग में परिवर्तन और शहरीकरण आदि का प्रभाव है।

- वर्ष 2019 में ग्रीनहाउस गैसों (GHH) के रिकॉर्ड उत्सर्जन के बाद वर्ष 2020 के शुरुआती महीनों में कोरोना वायरस महामारी से मुकाबले के लिये अपनाए गए उपायों जैसे- देशव्यापी लॉकडाउन आदि के कारण ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कुछ कमी आई थी।
- हालाँकि मौना लोआ (हवाई) और केप ग्रिम (तस्मानिया) समेत विशिष्ट स्थानों के वास्तविक समय के आँकड़ों से संकेत मिलता है कि वर्ष 2020 में कार्बन डाआक्साइड (CO_2), मीथेन (CH_4) और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (N_2O) के स्तर में वृद्धि जारी रही है।
- वर्ष 2020 में ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव
- वर्ष 2020 में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावस्वरूप उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, बाढ़, भारी वर्षा और सूखे जैसी मौसमी घटनाओं ने दुनिया के अधिकांश हिस्सों को प्रभावित किया है, साथ ही इस वर्ष वनाग्नि की घटनाओं में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है।
  - अटलांटिक हरिकेन मौसम: वर्ष 2020 में अटलांटिक हरिकेन मौसम में जून से नवंबर माह तक 30 तूफान आए हैं, जो कि अब तक की सबसे अधिक संख्या है। अटलांटिक हरिकेन मौसम की अवधि 1 जून से 30 नवंबर के मध्य होती है।
  - भारी वर्षा: एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में भारी वर्षा और बाढ़ की घटनाएँ दर्ज की गईं।
  - सूखा: इस वर्ष दक्षिण अमेरिका में गंभीर सूखे का अनुभव किया गया और उत्तरी अर्जेंटीना, ब्राज़ील एवं पराग्वे के पश्चिमी क्षेत्र इससे सबसे अधिक प्रभावित हुए।
- समुद्र स्तर में बढ़ोतरी: बर्फ के पिघलने से समुद्र स्तर में वृद्धि हुई है, जो कि छोटे द्वीप राष्ट्रों के अस्तित्त्व के लिये एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है।
  - यदि सदी के अंत तक समुद्र स्तर में इसी तरह की वृद्धि जारी रहती है तो इसके कारण ये छोटे द्वीप राष्ट्र समुद्र में डूब जाएंगे और वहाँ रहने वाली आबादी बेघर हो जाएगी।

मानवता को नुकसान

- जनसंख्या की आवाजाही में वृद्धि: तापमान में हो रही वृद्धि ने न केवल लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिये मजबूर किया है, बल्कि इसके कारण पलायन करने वाले लोगों की चुनौतियाँ भी काफी बढ़ गई हैं।
- कृषि क्षेत्र को नुकसान: इस वर्ष अकेले ब्राज़ील में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कृषि घाटा दर्ज किया गया है।
- जान-माल और आजीविका का नुकसान: तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण अफ्रीका और एशिया के विभिन्न देशों को काफी अधिक जान-माल एवं आजीविका के नुकसान का सामना करना पड़ा है।

आगे की राह

- आवश्यक है कि पर्यावरणीय मुद्दों को राष्ट्रीय और रणनीतिक हित अथवा आर्थिक हित जैसे मुद्दों की तुलना में अधिक वरीयता दी जाए।
- संयुक्त राष्ट्र के आकलन के मुताबिक, पेरिस समझौते के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये सभी देशों को अपने गैस, तेल और कोयले के उत्पादन में प्रतिवर्ष छह प्रतिशत की गिरावट करनी होगी।
- ग्रीनहाउस गैसों (GHH) के उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिये हमें पेरिस समझौते के तहत उल्लिखित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (INDC) से कहीं अधिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।
- हालाँकि इसका उपयोग विकासशील देशों पर उनके ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित लक्ष्यों को पूरा करने के लिये दबाव डालने हेतु नहीं किया जाना चाहिये।

नोट :

मलय विशालकाय गिलहरी

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (Zoological Survey of India- ZSI) ने अपनी तरह के एक पहले अध्ययन में यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 2050 तक भारत में मलय विशालकाय गिलहरियों (Malayan Giant Squirrel) की संख्या में 90% तक की कमी हो सकती है और यदि इनके संरक्षण हेतु तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो उस समय तक ये विलुप्त भी हो सकती हैं।
- वर्ष 1916 में स्थापित भारतीय प्राणी सर्वेक्षण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MiniStry of Environment, ForeSt and Climate Change) का एक अधीनस्थ संगठन है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है।
- यह देश की समृद्ध प्राणी विविधता के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने तथा अग्रणी सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु एक राष्ट्रीय केंद्र है।

प्रमुख बिंदु

- वैज्ञानिक नाम: रतुफा बाइकलर (Ratufa bicolor)।

विशेषताएँ:

- यह विश्व की सबसे बड़ी गिलहरी प्रजातियों में से एक है, जिसके शरीर का ऊपरी भाग गहरे रंग का, नीचे का भाग हल्के रंग का और पूँछ लंबी एवं घनी होती है।
- रात्रिचर उड़ने वाली गिलहरी के विपरीत मलय गिलहरी दिन में सक्रिय (Diurnal) रहती है, लेकिन यह वृक्षवासी (Arboreal) और उड़ने वाली गिलहरी की तरह ही शाकाहारी होती है।
  - भारत में तीन विशालकाय गिलहरी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मलय विशालकाय गिलहरी के अलावा प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाने वाली अन्य दो गिलहरियाँ है- (1) भारतीय विशालकाय गिलहरी (Indian Giant Squirrel) और (2) विशालकाय सफेद-भूरे बालों वाली गिलहरी (Grizzled Giant Squirrel)।

आवास:

- यह अधिकांशत: सदाबहार और अर्द्ध-सदाबहार वनों, मैदानी इलाकों एवं समुद्र तल से 50 मीटर से 1,500 मीटर की ऊँचाई पर पाई जाती है।
- वैश्विक स्तर पर यह दक्षिणी चीन, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, बर्मा, मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा और जावा में पाई जाती है।
- भारत में ये गिलहरियाँ पूर्वोत्तर के जंगलों में पाई जाती हैं और वर्तमान में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नगालैंड के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती हैं।
  - एशिया के लगभग 1.84 लाख वर्ग किमी. गिलहरी रेंज का लगभग 8.5% क्षेत्र भारत में है।

महत्त्व:

- इसे वन स्वास्थ्य संकेतक प्रजाति माना जाता है।
  - एक संकेतक प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र स्थिति और उस पारिस्थितिकी तंत्र में निवास करने वाली अन्य प्रजातियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। संकेतक प्रजाति पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ-साथ सामुदायिक संरचना जैसे पहलुओं की गुणवत्ता और परिवर्तनों को भी प्रदर्शित करती है।

खतरा:

- अध्ययन के अनुसार, निर्वनीकरण/वनोन्मूलन, वनों का विखंडन, फसलों का अत्यधिक संवर्द्धन (उर्वरक तथा कीटनाशक आदि का प्रयोग), वनों से प्राप्त खाद्यों का आवश्यकता से अधिक दोहन, अवैध व्यापार और उपभोग के लिये शिकार के चलते यह गिलहरी तथा इसके निवास स्थान खतरे में हैं।
  - पूर्वोत्तर के कई इलाकों में होने वाली स्लेश-एंड-बर्न/झूम कृषि भी इसके आवास विखंडन के लिये उत्तरदायी है।

नोट :

- आवासों की क्षति के कारण वर्ष 2050 तक भारत में मलय विशालकाय गिलहरी की आबादी केवल दक्षिणी सिक्किम तथा उत्तरी बंगाल तक सीमित हो सकती है।
  - भारत में इस गिलहरी के मूल क्षेत्र का केवल 43.38% हिस्सा ही अब इसके अनुकूल है और आशंका है कि वर्ष 2050 तक केवल 2.94% अनुकूल क्षेत्र ही इसके आवास के लिये शेष रह जाए।
  - पिछले दो दशकों के दौरान भारत में गिलहरी की आबादी में 30% की गिरावट आई है।

संरक्षण स्तर:

- IUCN रेड लिस्ट: संकटापन्न (Near Threatened)
- CITES: परिशिष्ट II
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची I

ग्रेट बैरियर रीफ और जलवायु परिवर्तन

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ (Great Barrier Reef) काफी गंभीर स्थिति में है और जलवायु परिवर्तन के कारण इसकी स्थिति और भी बिगड़ सकती है।

प्रमुख बिंदु

ग्रेट बैरियर रीफ

- यह विश्व का सबसे व्यापक और समृद्ध प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र है, जो कि 2,900 से अधिक भित्तियों और 900 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है।
- यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर-पूर्वी तट में 1400 मील तक फैला हुआ है।
- इसे बाह्य अंतरिक्ष से देखा जा सकता है और यह जीवों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी एकल संरचना है।
- यह समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र अरबों छोटे जीवों से मिलकर बना है, जिन्हें प्रवाल पॉलिप्स के रूप में जाना जाता है।
  - ये समुद्री पौधों की विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाला सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि समूह में रहते हैं। चूना पत्थर (कैल्शियम कार्बोनेट) से निर्मित इसका निचला हिस्सा (जिसे कैलिकल्स भी कहते हैं) काफी कठोर होता है, जो कि प्रवाल भित्तियों की संरचना का निर्माण करता है।
  - इन प्रवाल पॉलिप्स में सूक्ष्म शैवाल पाए जाते हैं जिन्हें जूज़ैंथिली (Zooxanthellae) कहा जाता है जो उनके ऊतकों के भीतर रहते हैं।
- इसे वर्ष 1981 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया था।

चिंताएँ

- जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री तापमान में हो रही वृद्धि के प्रभावस्वरूप 1400 मील में फैले समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवाल भित्तियों को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। विश्व भर में इस खतरे को 'कोरल ब्लीचिंग' (Coral Bleaching) अथवा प्रवाल विरंजन के रूप में देखा जा सकता है।

नोट :

- जब तापमान, प्रकाश या पोषण में किसी भी परिवर्तन के कारण प्रवालों पर तनाव बढ़ता है तो वे अपने ऊतकों में निवास करने वाले सहजीवी शैवाल 'जूज़ैंथिली' को निष्कासित कर देते हैं जिस कारण प्रवाल सफेद रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि प्रवाल भित्तियों को अपना विशिष्ट रंग इन्हीं शैवालों से मिलता है। इसी घटना को 'कोरल ब्लीचिंग' (Coral Bleaching) के रूप में जाना जाता है।
- यदि तनाव का कारण गंभीर नहीं है तो प्रवाल जल्द ही ठीक हो सकते हैं।
- कोरल ब्लीचिंग' या प्रवाल विरंजन की घटनाओं को प्राय: कैरेबियन सागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में देखा जा सकता है।

- अगस्त 2019 में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रेट बैरियर रीफ के संबंध में दीर्घकालिक दृष्टिकोण (Great Barrier Reef's long-term outlook) को 'पुअर' (Poor) से 'वेरी पुअर" (Very Poor) कर दिया था। इससे ग्रेट बैरियर रीफ को 'संकटग्रस्त विश्व विरासत सूची' (World Heritage in Danger) में शामिल करने की संभावना काफी बढ़ गई थी।
  - यह सूची अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उन स्थितियों के बारे में सूचना देने के लिये डिज़ाइन की गई है, जो किसी विश्व विरासत स्थल की उन विशेषताओं के लिये खतरा हैं, जिनकी वजह से उस स्थल को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था।
  - यह सुधारात्मक कार्रवाई को भी प्रोत्साहित करती है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN)

- यह एक एक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें सरकारों और नागरिक समाज दोनों को शामिल किया जाता है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी और यह प्रकृति के संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के धारणीय उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करता है।
- इसका मुख्यालय स्विटज़रलैंड में स्थित है।
- IUCN द्वारा जारी की जाने वाली रेड लिस्ट दुनिया की सबसे व्यापक सूची है, जिसमें पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है।

नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (National Thermal Power Corporation-NTPC) लिमिटेड ने नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना (Narmada LandScape ReStoration Project- NLRP) को लागू करने के लिये भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (Indian In-Stitute of ForeSt Management- IIFM), भोपाल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

- NTPC लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) है। मई 2010 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था।

प्रमुख बिंदु

नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना

- यह एक सहयोगी और सहभागी दृष्टिकोण है जो नदी के संसाधनों की निरंतरता और जल संसाधनों पर वन और कृषि प्रथाओं का प्रबंधन करेगा।
- इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक प्रोत्साहन प्रणाली स्थापित करना है जो नर्मदा नदी घाटी के सहायक वन और कृषि समुदायों के स्थायी परिदृश्य को बनाए रखने में सहायक हो।
  - परिदृश्य/प्राकृतिक सौंदर्य प्रबंधन (LandScape management) का तात्पर्य सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रक्रियाओं के कारण हुए परिवर्तनों का नेतृत्त्व करने और इनके बीच सामंजस्य स्थापित करने के साथ ही सतत् विकास के दृष्टिकोण से किसी परिदृश्य/प्राकृतिक सौंदर्य का नियमित रख-रखाव सुनिश्चित करना है।

नोट :

निधियन प्रणाली:

- यह कार्यक्रम NTPC लिमिटेड (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत) और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) से समान अनुपात में प्राप्त अनुदान सहायता के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है।
  - USAID विश्व की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी है जो विकास परिणामों में तेज़ी लाने का कार्य करती है।
  - USAID का कार्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि को प्रकट करना है, जो अमेरिकी उदारता को प्रदर्शित करती है और प्राप्तकर्त्ता के लिये आत्मनिर्भरता और लचीलेपन/अनुकूलता/परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करती है।

कार्यान्वयन

- 4 वर्ष की अवधि वाली यह परियोजना मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले में ओंकारेश्वर और महेश्वर बाँधों के बीच नर्मदा नदी की चयनित सहायक नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में लागू की जाएगी।

ओंकारेश्वर बाँध (Omkareshwar Dam):

- ओंकारेश्वर बाँध इंदिरा सागर परियोजना के प्रमुख अनुप्रवाह (DownStream) बाँधों में से एक है, जो नर्मदा और कावेरी के तटों पर स्थित है।
- इंदिरा सागर एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें नर्मदा नदी पर विभिन्न बाँधों का निर्माण करना शामिल हैं।
- ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, नर्मदा और कावेरी नदी के संगम पर स्थित है।

महेश्वर बाँध (Maheshwar Dam):

- महेश्वर, 400 मेगावाट विद्युत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नर्मदा घाटी पर योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए बड़े बाँधों में से एक है।

कार्यान्वयन एजेंसियाँ:

- भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (IIFM), भोपाल जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के तहत सरकार से सहायता प्राप्त एक स्वायत्त संस्थान है, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट (GGGI) के साथ संयुक्त रूप से इस परियोजना को लागू करेगा।

परियोजना के लाभ:

- यह परियोजना पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं (EcoSyStem ServiceS) को बढ़ाने के लिये प्रकृति-आधारित समाधानों का विस्तार करेगी।
- यह भूमि, जल और वायु से संबंधित स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण के निर्माण में योगदान देगी।
- इससे जल की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार होगा।

ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट (GGGI)

- GGGI की स्थापना वर्ष 2012 में सतत् विकास पर रियो + 20 संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (Rio+20 United NationS Conference on SuStainable Development) के दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन के रूप में की गई थी।
- इसका ध्येय एक मज़बूत, समावेशी और टिकाऊ विकास तथा निम्न-कार्बन वाले लचीले विश्व का निर्माण करना तथा मिशन के सदस्य देशों को उनकी अर्थव्यवस्थाओं को हरित विकास के आर्थिक मॉडल में बदलने में सहायता करना है।
- भारत इसका सदस्य नहीं है, बल्कि एक भागीदार देश है।
- मुख्यालय: सियोल, दक्षिण कोरिया।

नर्मदा नदी

- नर्मदा प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह उत्तर में विंध्य श्रेणी तथा दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है।
- इसका उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाल श्रेणी से होता है।

नोट :

- इसके अपवाह क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश में तथा इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात में है।
- जबलपुर (मध्य प्रदेश) के निकट यह नदी 'धुँआधार प्रपात' का निर्माण करती है।
- नर्मदा नदी के मुहाने में कई द्वीप हैं जिनमें से अलियाबेट सबसे बड़ा है।
- प्रमुख सहायक नदियाँ: हिरन, ओरसंग, बरना तथा कोलार आदि।
- इंदिरा सागर, सरदार सरोवर आदि इस नदी के बेसिन में स्थित में प्रमुख जल-विद्युत परियोजनाएँ हैं।

नर्मदा बचाओ आंदोलन (NBA):

- यह नर्मदा नदी पर विभिन्न बड़ी बाँध परियोजनाओं के खिलाफ स्थानिक जनजातियों (आदिवासियों), किसानों, पर्यावरणविदों, मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं द्वारा चलाया गया सामाजिक आंदोलन है।
- गुजरात का सरदार सरोवर बाँध इस नदी पर निर्मित सबसे बड़े बाँधों में से एक है और यह आंदोलन के शुरुआती केंद्र बिंदुओं में से एक था।

ओडिशा में हाथी गलियारे

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal) ने ओडिशा सरकार को 14 चिह्नित हाथी गलियारों के लिये एक कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2017 में NGT का आदेश:
  - NGT ने एक निषेधात्मक आदेश जारी कर अत्यधिक पर्यावरण संवेदी क्षेत्रों (Eco SenSitive Zone) में की जाने वाली सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया था।
  - NGT ने प्राधिकारियों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर गलियारों के सीमांकन में तेज़ी लाने का भी निर्देश दिया था।
- ओडिशा सरकार का रुख:
  - ओडिशा सरकार ने 870.61 वर्ग किमी के कुल क्षेत्र में व्याप्त 14 गलियारों जिनकी कुल लंबाई 420.8 किमी है, का विस्तार करने का प्रस्ताव किया था। कई वर्षों के बाद भी सरकार के प्रस्ताव पर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई।

हाथी गलियारे:

- ये संकीर्ण भू-पट्टियाँ है जो हाथियों के दो बड़े आवासों को जोड़ने का कार्य करती हैं।
- दुर्घटनाओं और अन्य कारणों से जानवरों की मृत्यु को कम करने की दृष्टि से ये महत्त्वपूर्ण हैं।
- वनों का विखंडन प्रवासी गलियारों के संरक्षण को और अधिक महत्त्वपूर्ण बनाता है।
- हाथियों का इस प्रकार का गमनागमन प्रजातियों के अस्तित्व को सुरक्षित रखने और जन्म दर को बढ़ाने में मदद करता है।
- राष्ट्रीय हाथी कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत भारत के वन्यजीव ट्रस्ट द्वारा 88 हाथी गलियारों की पहचान की गई है।
- चिंता: मानव बस्तियों, सड़कों, रेलवे लाइनों, विद्युत लाइनों, नहरों और खनन जैसे चौतरफा विकास इन गलियारों के विखंडन के प्रमुख कारण हैं।
- गलियारों की सुरक्षा के कारण:
  - हाथियों की आवाजाही यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है कि उनकी आबादी आनुवंशिक रूप से व्यवहार्य हो। यह जंगलों को पुनर्जीवित करने में भी मदद करता है, जिस पर बाघ सहित अन्य प्रजातियाँ भी निर्भर हैं।
  - लगभग 40% हाथी अभयारण्य सुभेद्य (Vulnerable) हैं, क्योंकि वे संरक्षित उद्यानों और अभयारण्यों के अंतर्गत नहीं आते। माइग्रेशन कॉरिडोर को भी कोई विशिष्ट कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं है।

नोट :

- वनों के कृषि-भूमि और अनियंत्रित पर्यटन में रूपांतरण के कारण जानवरों का मार्ग बाधित हो जाता है। इस प्रकार जानवर वैकल्पिक मार्गों की तलाश के लिये मज़बूर होते हैं जिसके परिणामस्वरूप हाथी-मानव संघर्षों में वृद्धि होती है।
- इकोटूरिज्म का कमज़ोर नियमन महत्त्वपूर्ण आवासों को गंभीर तरीके से प्रभावित कर रहा है। यह उन जानवरों को विशेष रूप से प्रभावित करता है जिनके आवास क्षेत्र (Home RangeS) हाथियों की तरह बड़े होते हैं।

हाथी

- हाथी एक कीस्टोन प्रजाति है।
- एशियाई हाथी की तीन उप-प्रजातियाँ हैं- भारतीय, सुमात्रन और श्रीलंकाई।
- महाद्वीप पर शेष बचे हाथियों की तुलना में भारतीय हाथियों की संख्या और रेंज व्यापक है।
- भारतीय हाथियों की संरक्षण स्थिति:
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची-I
  - IUCN रेड लिस्ट: लुप्तप्राय (Endangered)
  - CITES: परिशिष्ट-I
- एशियाई हाथियों की लगभग 50% आबादी भारत में पाई जाती है, हाथी जनगणना 2017 के अनुसार, देश में हाथियों की कुल संख्या 27,312 जोकि वर्ष 2012 में हाथियों की संख्या से लगभग 3,000 कम है।
- हाथियों के संरक्षण के लिये भारत की पहल:
  - गज यात्रा: यह हाथियों की रक्षा के लिये शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसकी शुरुआत वर्ष 2017 में विश्व हाथी दिवस के अवसर पर की गई थी।
  - प्रोजेक्ट एलीफेंट: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 1992 में शुरू किया गया था।

उद्देश्य:

- हाथियों, उनके आवासों और गलियारों की सुरक्षा करना
- मानव-पशु संघर्ष के मुद्दों को हल करना
- बंदी/कैद हाथियों का कल्याण करना

अंतर्राष्ट्रीय पहल:

- हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी (Monitoring of Illegal Killing of ElephantS- MIKE) कार्यक्रम: इसे CITES के पक्षकारों का सम्मेलन (Conference Of PartieS- COP) द्वारा अज्ञापित किया गया है। इसकी शुरुआत दक्षिण एशिया में (वर्ष 2003) निम्नलिखित उद्देश्य के साथ की गई थी:
  - हाथियों के अवैध शिकार के स्तर और प्रवृत्ति को मापना।
  - इन प्रवृत्तियों में समय के साथ हुए परिवर्तन का निर्धारण करना।
  - इन परिवर्तनों या इनसे जुड़े कारकों को निर्धारित करना और विशेष रूप से इस बात का आकलन करना कि CITES के COP द्वारा लिये गए किसी भी निर्णय का इन प्रवृत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ा है।

आगे की राह

- निजी निधियों के उपयोग द्वारा भूमि का अधिग्रहण कर और सरकार को उसके हस्तांतरण द्वारा देश के भीतर सफल मॉडल का उपयोग कर हाथी गलियारों के विस्तार का प्रयास किया जाना चाहिये। हाथियों के मार्गों में मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त करना अत्यधिक आवश्यक है।
- अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिये बड़े पैमाने पर लोगों में संवेदनशीलता और जागरूकता का आवश्यक है।
- बेहतर निगरानी के लिये सभी गलियारों में ड्रोन और सैटेलाइट जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

नोट :

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक-2021 में भारत को 10वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।

- यह लगातार दूसरी बार है जब भारत इस सूचकांक में शीर्ष दस देशों की सूची में शामिल हुआ है।
- बीते वर्ष भारत को इस सूचकांक में 9वाँ स्थान प्राप्त हुआ था।

प्रमुख बिंदु

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI)

- प्रकाशन: जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जर्मनवॉच, न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा वर्ष 2005 से वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है।
- यह 57 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण संबंधी उपायों के प्रदर्शन पर नज़र रखने के लिये एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण के तौर पर कार्य करता है।
  - इसके तहत शामिल सभी देश संयुक्त तौर पर 90 प्रतिशत से अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं।
- लक्ष्य: अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता को बढ़ावा देना और अलग-अलग देशों द्वारा जलवायु संरक्षण की दिशा में किये गए प्रयासों और प्रगति की तुलना करने में सक्षम बनाना।
- मापदंड: यह सूचकांक चार श्रेणियों के अंतर्गत 14 संकेतकों पर देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाता है।
  - ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (40 प्रतिशत)
  - नवीकरणीय ऊर्जा (20 प्रतिशत)
  - ऊर्जा उपयोग (20 प्रतिशत)
  - जलवायु नीति (20 प्रतिशत)

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक-2021

- सूचकांक में पहले तीन स्थान रिक्त हैं, क्योंकि कोई भी देश शीर्ष तीन स्थानों से संबंधित मापदंडों को पूरा करने में सफल नहीं हो पाया।
- G- 20 समूह के केवल दो ही देश यथा- भारत और ब्रिटेन जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक-2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने में सफल रहे।
- G- 20 समूह के छह अन्य देशों (अमेरिका, कनाडा, दक्षिण कोरिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब) को इस सूचकांक में सबसे निम्न रैंकिंग प्राप्त हुई है।
  - यह दूसरी बार है जब अमेरिका को इस सूचकांक में सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है।
- चीन जो कि वर्तमान में ग्रीनहाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, को इस सूचकांक में 33वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।

भारत का प्रदर्शन

- समग्र प्रदर्शन: इस सूचकांक में भारत को 10वाँ स्थान (100 में से 63.98 अंक) प्राप्त हुआ है।
- नवीकरणीय ऊर्जा: भारत को नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी के तहत 57 देशों में से 27वें स्थान पर रखा गया है, जबकि बीते वर्ष भारत इसमें 26वें स्थान पर था।
  - सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और वर्ष 2030 तक 450 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया था।
  - भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (INDC) में वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली की हिस्सेदारी को 40 प्रतिशत तक बढ़ाने की बात कही है।

नोट :

- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन: भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन तुलनात्मक रूप से निम्न स्तर पर है। इस श्रेणी में भारत को 12वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।
  - BS-VI उत्सर्जन मानदंड: भारत में ऑटोमोबाइल से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिये BS-VI उत्सर्जन मानदंड को लागू किया गया है।
- जलवायु नीति: इस श्रेणी में भारत को 13वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।
  - भारत में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC) का शुभारंभ वर्ष 2008 में किया गया था। इसका उद्देश्य जन-प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरों तथा इनसे मुकाबला करने के उपायों के बारे में जागरूक करना है।
- ऊर्जा उपयोग: इस श्रेणी में भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और भारत को इसमें 10वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।
  - भारत ने न केवल ऊर्जा दक्षता हेतु 'संवर्द्धित ऊर्जा दक्षता के लिये राष्ट्रीय मिशन' (NMEEE) के रूप में एक व्यापक नीति तैयार की है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करते हुए उपभोक्ताओं और नगर निगमों के लिये मांग आधारित प्रबंधन कार्यक्रमों को भी सफलतापूर्वक निष्पादित किया है।

भारत के लिये सुझाव

- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जलवायु परिवर्तन संबंधी रणनीति में कोविड-19 महामारी के बाद की रिकवरी योजनाओं को भी शामिल किया जाना चाहिये। इनमें जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को कम करना, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण द्वारा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना शामिल है।

उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, 2020

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United NationS Environment Programme- UNEP) द्वारा उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, 2020 (EmiSSionS Gap Report, 2020) जारी की गई है।

- UNEP की वार्षिक रिपोर्ट अनुमानित उत्सर्जन और स्तरों के मध्य अंतर को मापती है ताकि पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर (Pre-InduStrial level) से 2 डिग्री सेल्सियस कम रखा जा सके।

प्रमुख बिंदु:

वर्ष 2019 के लिये विश्लेषण:

- रिकॉर्ड उच्च ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन:
  - यदि रिपोर्ट में दिये आँकड़ों पर गौर करें तो लगातार तीसरे वर्ष ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि दर्ज की गई है। जो वर्ष 2019 में बढ़कर अब तक के रिकॉर्ड स्तर 59.1 गीगाटन (ग्रीन हाउस गैस + भूमि उपयोग में आया परिवर्तन) पर पहुँच चुकी है।
  - ऐसे कुछ संकेत मिले हैं जो कि वैश्विक GHG उत्सर्जन में धीमी वृद्धि को दर्शाते हैं।
    - हालाँकि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OrganiSation of Economic Cooperation and Development-OECD) अर्थव्यवस्थाओं में GHG उत्सर्जन में गिरावट आ रही है, जबकि गैर- OECD अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि हो रही है।
- दर्ज कार्बन उत्सर्जन:
  - जीवाश्म कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन (जीवाश्म ईंधन और कार्बोनेट से) कुल GHG उत्सर्जन में अधिक है।
  - वर्ष 2019 में जीवाश्म CO_2 उत्सर्जन रिकॉर्ड 38.0 $GtCO_2$ तक पहुँच गया।
- वनाग्नि के कारण GHG उत्सर्जन में वृद्धि :
  - वर्ष 2010 के बाद से वैश्विक GHG उत्सर्जन औसतन प्रतिवर्ष 1.4% बढ़ा है, वर्ष 2019 में वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि के कारण इसमें 2.6% अधिक की वृद्धि हुई है।
- G20 देशों द्वारा भारी मात्रा में उत्सर्जन:

नोट :

- पिछले एक दशक में शीर्ष चार उत्सर्जक देशों (चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, EU27 + यूनाइटेड किंगडम और भारत) ने भूमि उपयोग में परिवर्तन (Land USe ChangeS -LUC) के बिना कुल GHG उत्सर्जन में 55% का योगदान दिया है।
- शीर्ष सात उत्सर्जकों (रूसी संघ, जापान और अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट सहित) ने 65% योगदान दिया है, जिसमें G20 सदस्यों का 78% हिस्सा है।
  - प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को शामिल करने पर देशों की रैंकिंग बदल जाती है।

- खपत-आधारित उत्सर्जन:
  - दोनों प्रकार के उत्सर्जन में समान दरों पर गिरावट आई है।
  - एक सामान्य प्रवृत्ति है कि समृद्ध देशों में क्षेत्र-आधारित उत्सर्जन की तुलना में खपत-आधारित उत्सर्जन (उत्सर्जन उस देश को आवंटित किया जाता है जहाँ वस्तुओं का उत्पादन न करके उनका क्रय और उपभोग किया जाता है) उच्च होता है, क्योंकि उनके यहाँ आमतौर पर क्लीनर उत्पादन, अपेक्षाकृत अधिक सेवाएँ और प्राथमिक तथा माध्यमिक उत्पादों का आयात अधिक होता है।

महामारी का प्रभाव:

- उत्सर्जन स्तर: गैर-CO2 के कम प्रभावित होने की संभावना के चलते GHG उत्सर्जन में गिरावट की आशा के साथ वर्ष 2019 के उत्सर्जन स्तरों की तुलना में वर्ष 2020 में CO2 उत्सर्जन में लगभग 7% की कमी आ सकती है।
- GHG जैसे- मीथेन (CH4) और नाइट्रस ऑक्साइड (N2O) उत्सर्जन के परिणामस्वरूप वायुमंडलीय सांद्रता में वर्ष 2019 और 2020 में वृद्धि जारी रही।
- महामारी के कारण उत्सर्जन में सबसे कम गिरावट दर्ज करने वाले क्षेत्र:
  - सबसे बड़ा बदलाव सीमित गतिशीलता के चलते ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में हुआ है, हालाँकि अन्य क्षेत्रों में भी कटौती हुई है।

मुद्दे और संभावित समाधान:

- विश्व अभी भी इस सदी में 3°C से अधिक तापमान वृद्धि की ओर बढ़ रहा है।
  - पेरिस समझौते के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य 2°C के लिये मौजूदा कोशिशों के मुक़ाबले कार्यवाही को तिगुना और 1.5°C के लक्ष्य हेतु प्रयासों में पाँच गुना तीव्रता होनी चाहिये।
- वैश्विक तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दुनिया भर में मौसम से संबंधित भयावह घटनाओं का कारण बन सकता है।
  - संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड-प्रेरित आर्थिक मंदी का सामना कर रहे देशों के लिये इससे बचने का तरीका ग्रीन रिकवरी नीतियों और कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना है।
  - संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, ग्रीन रिकवरी में शून्य उत्सर्जन तकनीक और बुनियादी ढाँचे में निवेश, जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को कम करना, नए कोयला संयंत्रों पर रोक तथा प्रकृति आधारित समाधानों को बढ़ावा देना शामिल है।
  - इस तरह की कार्रवाई वर्ष 2030 तक अनुमानित उत्सर्जन में 25% तक की कटौती कर सकती है और पेरिस संधि में निर्धारित 2°C के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना में 66% की वृद्धि कर सकती है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम:

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी।
- इस संगठन का उद्देश्य मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना तथा पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन एवं पारस्परिक सहयोग सुनिश्चित करना है।
- UNEP पर्यावरण संबंधी समस्याओं के तकनीकी एवं सामान्य निदान हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। UNEP अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ सहयोग करते हुए सैकड़ों परियोजनाओं पर सफलतापूर्वक कार्य कर चुका है।
- मुख्यालय: नैरोबी (केन्या) में है।
- प्रमुख रिपोर्ट: उत्सर्जन गैप रिपोर्ट (EmiSSion Gap Report), वैश्विक पर्यावरण आउटलुक (Global Environment Outlook), फ्रंटियर्स (FrontierS), इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट (InveSt into Healthy Planet)।

नोट :

- प्रमुख अभियान: बीट प्रदूषण (Beat Pollution), UN75, विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day), वाइल्ड फॉर लाइफ (Wild for Life)।

चरम जलवायु घटनाएँ और भारत

चर्चा में क्यों ?

काउंसिल ऑन एनर्जी, एन्वायरनमेंट एंड वाटर (CEEW) द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के 75 प्रतिशत से अधिक ज़िले चक्रवात, बाढ़, सूखा, हीट वेव और कोल्ड वेव जैसी चरम जलवायु घटनाओं के मुख्य हॉटस्पॉट हैं।

- यह रिपोर्ट 'प्रिपेयरिंग इंडिया फॉर एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स' के नाम से प्रकाशित की गई है।
- यह पहली बार है जब देश में चरम जलवायु घटनाओं के हॉटस्पॉट का मानचित्रण किया गया है।
  - CEEW सभी प्रकार के संसाधनों के उपयोग, पुनरुपयोग और दुरुपयोग को प्रभावित करने वाले सभी विषयों पर अनुसंधान हेतु समर्पित एक स्वतंत्र और गैर-लाभकारी नीति अनुसंधान संस्थान है।
- यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, 2020 के बाद जारी की गई है, ज्ञात हो कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने अपनी रिपोर्ट में चेताया है कि विश्व मौजूदा सदी में 3°C से अधिक तापमान वृद्धि की ओर बढ़ रहा है।

प्रमुख बिंदु

रिपोर्ट के निष्कर्ष

- बीते दशकों में चरम जलवायु घटनाएँ जैसे- बाढ़ और सूखा आदि की आवृत्ति, तीव्रता और अप्रत्याशितता काफी तेज़ी से बढ़ी हैं।
  - जहाँ एक ओर भारत में वर्ष 1970-2005 के बीच 35 वर्षों में 250 चरम जलवायु घटनाएँ दर्ज की गईं, वहीं वर्ष 2005-2020 के बीच मात्र 15 वर्षों में इस तरह की 310 घटनाएँ दर्ज की गईं।
  - वर्ष 2005 के बाद से चरम जलवायु घटनाओं में हुई वृद्धि के कारण भारत के 75 प्रतिशत से अधिक ज़िलों को संपत्ति, आजीविका और जीवन के नुकसान के साथ-साथ माइक्रो-क्लाइमेट में होने वाले बदलावों को वहन करना पड़ रहा है।
- यह पैटर्न वैश्विक परिवर्तन को भी प्रदर्शित करता है।
  - जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप चरम जलवायु घटनाओं के चलते वर्ष 1999-2018 के बीच विश्व भर में 4,95,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई।
  - रिपोर्ट के मुताबिक, इस अवधि के दौरान संपूर्ण विश्व में 12000 से अधिक चरम जलवायु घटनाएँ दर्ज की गईं और इसके कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को 3.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर (क्रय शक्ति समता या PPP के संदर्भ में) के नुकसान का सामना करना पड़ा।
- मौजूदा भयावह जलवायु परिवर्तन घटनाएँ बीते 100 वर्षों में केवल 0.6 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि का परिणाम हैं, इस तरह यदि भविष्य में तापमान में और अधिक वृद्धि होती है तो हमें इससे भी भयानक घटनाएँ देखने को मिल सकती हैं।
  - भारत पहले से ही चरम जलवायु घटनाओं के मामले में वैश्विक स्तर पर 5वाँ सबसे संवेदनशील देश है।

चक्रवात

- आँकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वर्ष 2005 के बाद से चक्रवातों से प्रभावित ज़िलों की वार्षिक औसत संख्या तथा चक्रवातों की आवृत्ति तकरीबन दोगुनी हो गई है।
- बीते एक दशक में पूर्वी तट के लगभग 258 ज़िले चक्रवात से प्रभावित हुए हैं।
- पूर्वी तट में लगातार गर्म होते क्षेत्रीय माइक्रो-क्लाइमेट, भूमि-उपयोग में परिवर्तन और निर्वनीकरण ने चक्रवातों की संख्या में बढ़ोतरी करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

बाढ़

- वर्ष 2000-2009 के बीच भीषण बाढ़ और उससे संबंधित अन्य घटनाओं में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई और इस दौरान बाढ़ के कारण तकरीबन 473 ज़िले प्रभावित हुए।

नोट :

- बाढ़ से संबंधित अन्य घटनाओं जैसे- भूस्खलन, भारी वर्षा, ओलावृष्टि, गरज और बादल फटने आदि घटनाओं में 20 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।
- भूस्खलन, 'अर्बन हीट लैंड' और हिमनदों के पिघलने के कारण समुद्र स्तर में हो रही वृद्धि के प्रभावस्वरूप बाढ़ की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हो रही है।
- 'अर्बन हीट लैंड' वह सघन जनसंख्या वाला नगरीय क्षेत्र होता है, जिसका तापमान उपनगरीय या ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 2°C अधिक होता है।
- जहाँ एक ओर मानसून के दौरान वर्षा वाले दिनों की संख्या में कमी आई है, वहीं दूसरी ओर चरम वर्षा की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, जिससे बाढ़ की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हो रही है।
- पिछले एक दशक में भारत के आठ सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित ज़िलों में से छह ज़िले (बारपेटा, दारंग, धेमाजी, गोवालपारा, गोलाघाट और शिवसागर) अकेले असम में स्थित हैं।

सूखा

- रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2005 के बाद सूखा प्रभावित ज़िलों का वार्षिक औसत 13 गुना अधिक बढ़ गया है।
- वर्ष 2005 तक भारत में सूखे से प्रभावित ज़िलों की संख्या मात्र छह थी, जो कि वर्ष 2005 के बाद से बढ़कर 79 हो गई है।
- यद्यपि सूखे के कारण होने वाले जनजीवन के नुकसान में काफी कमी आई है, किंतु इस प्रकार की घटनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण आजीविका के क्षेत्र में अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है।
- पिछले एक दशक में भारत के सूखा प्रभावित ज़िलों में अहमदनगर, औरंगाबाद (दोनों महाराष्ट्र), अनंतपुर, चित्तूर (दोनों आंध्र प्रदेश), बागलकोट, बीजापुर, चिक्काबल्लापुर, गुलबर्गा, और हासन (सभी कर्नाटक) आदि शामिल हैं।

कमज़ोर मानसून

- विश्लेषण से माइक्रो-तापमान में वृद्धि और मानसून के कमज़ोर होने के संबंध का पता चलता है।
- इस तथ्य की पुष्टि इस बात से की जा सकती है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को वर्ष 2015 में भीषण गर्मी और कमज़ोर मानसून के कारण पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ा था।

चरम जलवायु घटनाओं के पैटर्न में बदलाव

- इस अध्ययन के दौरान चरम जलवायु घटनाओं के पैटर्न में बदलाव भी पाया गया है, उदाहरण के लिये भारत के 40 प्रतिशत बाढ़-ग्रस्त ज़िलों की स्थिति अब सूखाग्रस्त है, जबकि सूखाग्रस्त ज़िलों के बाढ़-ग्रस्त होने की जानकारी मिल रही है।
- यह बदलाव दो प्रकार से देखा जा रहा है-
  - कुछ मामलों में जिन ज़िलों में बाढ़ की आशंका थी, वे अब सूखाग्रस्त हो रहे हैं और जहाँ सूखे की आशंका थी वे अब बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं।
  - वहीं भारत के कई ज़िलों को बाढ़ और सूखा दोनों ही घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। विश्लेषकों के मुताबिक, यह प्रवृत्ति काफी गंभीर है और इस विषय पर आगे अनुसंधान किये जाने की आवश्यकता है।
- भारत के तटीय दक्षिणी राज्यों में सूखे की घटनाएँ काफी तेज़ी से दर्ज की जा रही हैं।
- इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु के कई ज़िलों में बाढ़ और सूखे की स्थिति एक ही मौसम के दौरान दर्ज जा रही है।

सुझाव

- अर्बन हीट स्ट्रेस, जल तनाव और जैव विविधता के नुकसान जैसी महत्त्वपूर्ण सुभेद्यताओं का प्रतिचित्रण करने के लिये एक जलवायु जोखिम एटलस (Develop a Climate Risk Atlas) विकसित किया जाना चाहिये।

नोट :

- आपात स्थितियों के प्रति व्यवस्थित और निरंतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिये एक एकीकृत आपातकालीन निगरानी प्रणाली विकसित की जानी चाहिये।
- स्थानीय, क्षेत्रीय, मैक्रो और माइक्रो-क्लाइमैटिक स्तर सहित सभी स्तरों पर जोखिम मूल्यांकन किया जाना चाहिये।
- जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया में सभी हितधारकों की भागीदारी अनिवार्य हो।
- स्थानीय, उप-राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं में जोखिम मूल्यांकन को एकीकृत किया जाना चाहिये।

माइक्रो-क्लाइमैटिक ज़ोन शिफ्टिंग

- माइक्रो-क्लाइमैटिक ज़ोन का आशय ऐसे क्षेत्र से है, जहाँ का मौसम आस-पास के क्षेत्रों से भिन्न होता है। भारत के अलग-अलग ज़िलों में माइक्रो-क्लाइमैटिक ज़ोन की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है।
- माइक्रो-क्लाइमैटिक ज़ोन में बदलाव के कारण संपूर्ण क्षेत्र में व्यवधान पैदा हो सकता है।
  - उदाहरण के लिये वार्षिक औसत तापमान में मात्र 2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के कारण कृषि उत्पादकता में 15-20 प्रतिशत की कमी आ सकती है।
- कारण: इसके कारणों में भूमि उपयोग में बदलाव, निर्वनीकरण, अतिक्रमण के कारण आर्द्रभूमि एवं प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों को होने वाला नुकसान और अर्बन हीट लैंड आदि शामिल हैं।

पेरिस जलवायु समझौते के पाँच वर्ष

चर्चा में क्यों ?

12 दिसंबर, 2020 से ग्लासगो, स्कॉटलैंड में शुरू होने वाले जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन से पहले भारत ने पेरिस जलवायु समझौते के लिये अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

- क्लाइमेट एंबिशन समिट 2020 पेरिस समझौते की पाँचवीं वर्षगाँठ को चिह्नित करेगा और पेरिस समझौते तथा बहुपक्षीय प्रक्रिया के लिये अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने हेतु सरकारी और गैर-सरकारी नेताओं के लिये एक मंच प्रदान करेगा।

प्रमुख बिंदु:

- उद्देश्य: पेरिस समझौते के तीन स्तंभों- शमन, अनुकूलन और वित्त व्यवस्था हैं, के तहत नई और महत्त्वाकांक्षी प्रतिबद्धताएँ निर्धारित करना।
- व्यापकता: यह शिखर सम्मेलन उन व्यवसायों, शहरों और अन्य गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं को एक सार्थक मंच प्रदान करेगा जो एक साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने का प्रयास कर रहे हैं और सरकारों का समर्थन करने एवं उत्सर्जन को कम करने तथा लचीलेपन में वृद्धि के लिये आवश्यक प्रणालीगत परिवर्तन में तेज़ी ला रहे हैं।
- मेज़बान देश: चिली और इटली की साझेदारी में संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड किंगडम और फ्राँस।

उत्सर्जन का इतिहास:

- हमारे वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीनहाउस गैस (GHG) कार्बन डाइऑक्साइड (Co2), जलवायु परिवर्तन को मापने के लिये प्रत्यक्ष स्रोत बन गई है। पृथ्वी के 4.54 बिलियन वर्ष के इतिहास के दौरान इसका स्तर व्यापक रूप से बढ़ा है।
- ऐतिहासिक रूप से कार्बन उत्सर्जन में विकसित देशों का प्रमुख योगदान रहा है।

प्रमुख उत्सर्जनकर्त्ता:

- यह उत्सर्जन संयुक्त राज्य (US) में सबसे अधिक 25%, उसके बाद यूरोपीय संघ (EU) में 22% और चीन में 13% है।
- कार्बन उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी केवल 3% है।

पेरिस जलवायु समझौता:

- कानूनी स्थिति: यह जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है।

नोट :

- अंगीकरण: इसे दिसंबर 2015 में पेरिस में आयोजित COP 21 सम्मेलन के दौरान 196 देशों द्वारा अपनाया गया था।
- लक्ष्य: पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना और अधिमानत: इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना।
- उद्देश्य: वर्ष 2050 से 2100 के बीच मानव गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा को उस स्तर तक लाना ताकि वृक्षों, महासागरों और मृदा द्वारा इसे स्वाभाविक रूप से अवशोषित किया जा सके।

वैश्विक उत्सर्जन की वर्तमान स्थिति:

- पेरिस समझौते के 5 वर्ष बाद सभी राज्यों ने जलवायु परिवर्तन को कम करने और इसके शमन के लिये अपना राष्ट्रीय योगदान प्रस्तुत किया है।
- यह योगदान मौलिक रूप से 2 डिग्री सेल्सियस की सीमा से नीचे पहुँचने के लिये अपर्याप्त हैं और पेरिस समझौते में निर्धारित 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की सीमा से भी अधिक है।
- भारत के अलावा केवल भूटान, फिलीपींस, कोस्टा रिका, इथियोपिया, मोरक्को और गाम्बिया इस समझौते का अनुपालन कर रहे हैं।
- चीन में GHG उत्सर्जन उच्चतम (30%) है, जबकि अमेरिका उत्सर्जन में 13.5% और यूरोपीय संघ 8.7% का योगदान देते है।

भारत में उत्सर्जन की वर्तमान स्थिति:

- इस वर्ष की शुरुआत में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वास्तव में वैश्विक औसत से 60% कम है।
- वर्ष 2019 में देश में उत्सर्जन 1.4% बढ़ा है, जो पिछले एक दशक के प्रतिवर्ष 3.3% के औसत से बहुत कम है।

भारत द्वारा उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिये किये गए कुछ उपाय:

- भारत स्टेज (बीएस) VI मानदंड: यह वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिये सरकार द्वारा लगाए गए उत्सर्जन नियंत्रण मानक हैं।
- राष्ट्रीय सौर मिशन: यह भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित चुनौती को संबोधित करते हुए पारिस्थितिक रूप से स्थायी विकास को बढ़ावा देना है।
- राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति 2018: इस नीति का मुख्य उद्देश्य पवन तथा सौर संसाधनों, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर और भूमि के कुशल उपयोग के लिये बड़े ग्रिड से जुड़े पवन-सौर पीवी हाइब्रिड सिस्टम को बढ़ावा देने के लिये एक रूपरेखा प्रदान करना है।
- इन सभी पहलों ने भारत को CO2 उत्सर्जन में 164 मिलियन किलोग्राम की कटौती करने में मदद की।

प्रस्तावित लक्ष्य प्राप्त करने में समस्याएँ:

- अधिकांश राष्ट्र वर्ष 2025-2030 के बीच उत्सर्जन को कम करने के लिये अपने राष्ट्रीय योगदान को बहुत देर से प्रस्तुत कर रहे हैं, हालाँकि कई देशों ने हाल के दिनों में शुद्ध शून्य उत्सर्जन/नेट ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्यों की घोषणा की है।
- शुद्ध शून्य उत्सर्जन का तात्पर्य है कि सभी मानव निर्मित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को विभिन्न उपायों के माध्यम से वायुमंडल से हटाया जाना चाहिये, जिससे पृथ्वी के शुद्ध जलवायु संतुलन को कायम रखा जा सके।
- शुद्ध शून्य लक्ष्य विश्वसनीयता, जवाबदेही और निष्पक्षता जाँच के अधीन हैं।
- विश्वसनीयता: राष्ट्रों की योजनाएँ और नीतियाँ दीर्घकालिक शून्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिये विश्वसनीय नहीं हैं:
  - जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी समिति (Inter-governmental Pannel on Climate Change-IPCC) 1.5 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान का लक्ष्य उचित समय-सीमा के भीतर प्राप्त करने के लिये वर्ष 2030 तक वैश्विक CO2 उत्सर्जन को वर्ष 2010 के स्तर की तुलना में 45% तक कम करना है, लेकिन वर्तमान राष्ट्रीय योगदान इस लक्ष्य से काफी दूर दिखाई दे रहे हैं।
- जवाबदेही: कई राष्ट्रों के 'नेट-ज़ीरो' उत्सर्जन लक्ष्यों में या तो जवाबदेही का अभाव है या फिर उनकी जवाबदेही काफी सीमित है, जैसे-
  - कई देशों ने अपने 'नेट-ज़ीरो' उत्सर्जन लक्ष्यों को अभी तक पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) तथा दीर्घकालिक रणनीतियों के अनुरूप नहीं बनाया है।

नोट :

- पेरिस समझौते के तहत जवाबदेही सीमित है। राज्य अपने स्व-चयनित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये बाध्य नहीं हैं। राष्ट्रों के स्वैच्छिक योगदान की समीक्षा करने के लिये कोई तंत्र नहीं है। राज्यों को केवल अपने लक्ष्यों की निष्पक्षता और महत्त्वाकांक्षा के लिये औचित्य प्रदान करने हेतु कहा जाता है।
- पारदर्शिता ढाँचे में एक मज़बूत समीक्षा कार्य शामिल नहीं है और पेरिस समझौते के अनुपालन हेतु उत्तरदायी समिति बाध्यकारी दायित्वों की एक छोटी सूची के साथ कार्य कर रही है जिसके कारण इसका क्षेत्राधिकार अत्यंत सीमित है।

- न्यायोचितता/न्यायसंगतता: दो पीढ़ियों के बीच और उनके भीतर नेट-ज़ीरो' उत्सर्जन लक्ष्यों की निष्पक्षता और न्यायोचितता का मुद्दा अपरिहार्य है।
  - किसी भी देश के पास यह जाँचने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है कि उनके द्वारा 'नेट-ज़ीरो' उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं और उन्हें प्राप्त करने का मार्ग कितना निष्पक्ष एवं न्यायोचित है अथवा अन्य देशों की तुलना में कोई देश कितना प्रयास कर रहा है तथा उसे कितना प्रयास करना चाहिये।

आगे की राह

- पेरिस समझौते के तहत निर्धारित दीर्घकालिक तापमान लक्ष्य को प्राप्त करने और मध्य-शताब्दी तक जलवायु-तटस्थ विश्व का निर्माण करने के लिये विश्व के सभी देशों को जल्द-से-जल्द ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की चरम सीमा तक पहुँचने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिये।
  - विदित हो कि चीन ने वर्ष 2030 से पूर्व कार्बन-डाइऑक्साइड उत्सर्जन की चरम सीमा तक पहुँचने और वर्ष 2060 से पहले कार्बन तटस्थता की स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- सतत्/स्थिर जलवायु प्राप्त करने की दिशा में 'नेट-ज़ीरो' उत्सर्जन लक्ष्यों को और अधिक विश्वसनीय, ज़वाबदेह तथा न्यायोचित बनाना आवश्यक है। यद्यपि सभी देश अपने 'नेट-ज़ीरो' उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होंगे और न ही उनसे इस संबंध में उम्मीद की जा सकती है, किंतु यह आवश्यक है।
- अल्पकालिक विश्वसनीय प्रतिबद्धताओं के साथ मध्यावधि अकार्बनीकरण (Decarbonise) और विकास की नीति कई देशों के लिये एक बेहतर विकल्प हो सकती है।

मिरिस्टिका स्वैम्प ट्रीफ्रॉग

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में केरल के त्रिशूर ज़िले में पहली बार मिरिस्टिका स्वैम्प ट्रीफ्रॉग (MyriStica Swamp Treefrog) को देखा गया।

मुख्य बिंदु

- वैज्ञानिक नाम: मर्कुराना मिरिस्टिकापालुस्ट्रिस (Mercurana MyriSticapaluStriS)
- विषय में:
  - यह पश्चिमी घाट का स्थानिक है।
- यह दुर्लभ वानस्पतिक (Arborea) प्रजाति (पेड़ों के बीच या अंदर रहने वाली) है।
- ये प्रजनन के मौसम के दौरान केवल कुछ हफ्तों के लिये सक्रिय रहते हैं।

अद्वितीय प्रजनन व्यवहार:

- अन्य मेंढकों के विपरीत इनका प्रजनन मौसम मानसून से पहले मई में शुरू होता है और मानसून के पूरी तरह से सक्रिय होने से पूर्व ही जून में समाप्त हो जाता है।

नोट :

- प्रजनन मौसम की समाप्ति से पहले मादा और नर मेंढक एक साथ वन भूमि पर उतरते हैं।
- मादा मिट्टी खोदती है और उथले कीचड़ में अंडे देती है। प्रजनन या अंडे देने के बाद वे पेड़ की ऊँची कैनोपियों (CanopieS) में वापस आ जाते हैं और अगले प्रजनन के मौसम तक वहीं रहते हैं।

मिरिस्टिका स्वैम्प के बारे में

- मिरिस्टिका स्वैम्प (MyriStica Swamp) उष्णकटिबंधीय जंगलों में मीठे पानी का दलदली क्षेत्र होता है जिसमें मिरिस्टिका पेड़ों की बहुलता होती है।
- मिरिस्टिका के पेड़ पृथ्वी पर पाए जाने वाले फूलों के पौधों में सबसे आदिम (Primitive) हैं।
- इन सदाबहार और जल-सहिष्णु पेड़ों की जड़ें गहरी होती हैं जो इनको स्थूल, काली तथा गीली जलोढ़ मिट्टी में खड़े रहने में मदद करती हैं।
- ये पेड़ अपने बंद कैनोपी (Canopy) की वजह से काफी घने जंगल का निर्माण करते हैं।
- यह दलदल आमतौर पर घाटियों में पाए जाते हैं, जिसके कारण मानसूनी बारिश के दौरान वहाँ बाढ़ का खतरा रहता है।

महत्त्व:

- अनुसंधान और अध्ययन: इन दलदलों को प्राचीन जीवन के जीवित संग्रहालयों के रूप में माना जाता है जो पौधों के विकास पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने में मदद कर सकते हैं।
- चरम घटनाओं की जाँच: इन दलदलों की उच्च जल-विभाजक क्षमता (WaterShed Value) होती है। मानवीय हस्तक्षेप के कारण इनकी जल धारण क्षमता कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप बारिश के मौसम में बाढ़ और कटाव की स्थिति उत्पन्न होती है तथा शेष वर्ष सूखा रहता है।
- निवास स्थान: यह उभयचर, सरीसृप और स्तनधारियों सहित अकशेरुकीय और कशेरुक प्रजातियों की समृद्ध विविधता के लिये निवास स्थान प्रदान करते हैं।
- अनुमान है कि संपूर्ण केरल की आर्द्रभूमियों में 23% तितलियाँ, 50% से अधिक उभयचर और 20% से अधिक सरीसृप तथा पक्षी रहते हैं।
- कार्बन पृथक्करण: इनमें गैर-दलदली वनों की तुलना में कार्बन को स्टोर (Carbon SequeStration) करने की अधिक क्षमता होती है। ये कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं और कृषि, वानिकी तथा अन्य भूमि उपयोगों द्वारा उत्सर्जित कार्बन को स्टोर कर सकते हैं।

वर्तमान स्थिति:

- अध्ययनों से पता चला है कि पश्चिमी घाट के दलदली क्षेत्र में पतली टहनियों वाली झाड़ियों और घासों का अतिक्रमण है, अब देश में इस दलदल का क्षेत्र 200 हेक्टेयर से भी कम बचा हुआ है।
- पश्चिमी घाट के मिरिस्टिका स्वैम्प खंडित स्वरूप (Fragment) में हैं, इसके निवास स्थल का एक बड़ा हिस्सा केरल में है।
- पिछले 18,000 से 50,000 वर्षों (Late PleiStocene Period) में जलवायु परिवर्तन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप (कर्नाटक एवं गोवा में कुछ भाग को छोड़कर) से यह असाधारण आर्द्रभूमि लगभग गायब हो गई है।

नोट :

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

पूर्वोत्तर में कोयला खनन

चर्चा में क्यों ?

- मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स ज़िले में मूलमिलिआंग (Moolamylliang) गाँव ने रैट-होल खनन से प्रभावित होने के बावजूद पर्यावरणीय नुकसान को कम करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि

- जयंतिया कोल माइनर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन का दावा है कि पूर्वी जयंतिया हिल्स ज़िले के 360 गाँवों में लगभग 60,000 कोयला खदानें हैं।
- ध्यातव्य है कि मूलमिलिआंग भी वर्ष 2014 तक ऐसे गाँवों में से एक हुआ करता था, किंतु वर्ष 2014 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने जयंतिया हिल्स ज़िले में रैट-होल खनन पर रोक लगा दी थी और उस समय तक खनन किये गए कोयले के परिवहन के लिये भी एक समयसीमा निर्धारित कर दी थी।
- यद्यपि राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लगाए प्रतिबंध इस क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने में असमर्थ रहे, किंतु इसकी वजह से मूलमिलिआंग गाँव ने सुधार की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति की।

पूर्वोत्तर में कोयला खनन

- पूर्वोत्तर भारत में कोयला खनन, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास के बड़े ट्रेंड का हिस्सा है।
  - उदाहरण के लिये मेघालय के गारो और खासी हिल्स में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की जा रही है, इसके अलावा जयंतिया हिल्स ज़िले में चूना पत्थर खनन भी एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है।
  - ध्यातव्य है कि असम पहले ही अपने वन कवरेज क्षेत्र का व्यापक हिस्सा खो चुका है, इसके बावजूद असम के दीमा हसाओ ज़िले में अवैध शिकार, असम के ऊपरी हिस्सों में कोयला खनन और नदी तल में रेत.बालू का खनन अनवरत जारी है।
- जयंतिया हिल्स और मेघालय के अन्य स्थानों पर कोयला खनन के मुख्यत: तीन लक्षण दिखाई देते हैं:
  - एक आदिवासी राज्य होने के नाते इस क्षेत्र में संविधान की छठी अनुसूची लागू होती है और संपूर्ण भूमि निजी स्वामित्व के अधीन है, इसलिये कोयला खनन पूर्णत: आम लोगों द्वारा ही किया जाता है। छठी अनुसूची में स्पष्ट तौर पर खनन का उल्लेख नहीं किया गया है।
  - मेघालय का अधिकांश कोयला भंडार (मुख्यत: जयंतिया हिल्स ज़िले में) पहाड़ी इलाकों में ज़मीन से केवल कुछ फीट नीचे मौजूद है, जिसके कारण इस क्षेत्र में ओपन कास्ट खनन के बजाय रैट-होल खनन को अधिक पसंद किया जाता है।
  - रैट-होल खनन में संलग्न अधिकांश श्रमिक (जिसमें बच्चे भी शामिल हैं) असम के गरीब इलाकों और नेपाल तथा बांग्लादेश के गरीब इलाकों से आते हैं। चूँकि मेघालय में गरीब आदिवासी और गैर-आदिवासी लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है, इसलिये उनकी सुरक्षा के प्रति अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है।

रैट-होल खनन

- इस प्रकार की खनन प्रक्रिया में बहुत छोटी सुरंगों की खुदाई की जाती है, जो आमतौर पर केवल 4-5 फीट ऊँची होती हैं जिसमें प्रवेश कर श्रमिक (अक्सर बच्चे भी) कोयला निष्कर्षण का कार्य करते हैं, इसलिये रैट-होल खनन को सबसे मुश्किल और खतरनाक खनन तकनीक के रूप में जाना जाता है।

नोट :

ओपन कास्ट खनन

- यह पृथ्वी से चट्टान या खनिज निकालने की एक सतही खनन तकनीक है, जो कि तुलनात्मक रूप से कम जोखिमपूर्ण होती है।

चिंताएँ

- पारिस्थितिकी संबंधी मुद्दे: पहाड़ी क्षेत्रों में निरंतर अरक्षणीय खनन के कारण कृषि योग्य क्षेत्र और आस-पास की नदियाँ दूषित होती हैं, जिससे उस क्षेत्र की जैव विविधता और स्थानीय विरासत को नुकसान पहुँचता है।
- स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे: खनन गतिविधियों के कारण उस क्षेत्र के श्रमिक विभिन्न गंभीर रोगों जैसे- फाइब्रोसिस, न्यूमोकोनिओसिस और सिलिकोसिस आदि के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
- बाल श्रम और तस्करी: रैट-होल खनन में अधिकांशत: बच्चों को शामिल किया जाता है, क्योंकि वे छोटी सुरंगों में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। यही कारण है कि रैट-होल खनन ने बाल श्रम और तस्करी की गतिविधियों को बढ़ावा दिया है।
- भ्रष्टाचार: प्राय: पुलिस अधिकारी खदान मालिकों के साथ साँठगाँठ कर लेते हैं, जिससे श्रमिकों के शोषण और अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।

उपाय

- उपरोक्त चुनौतियों से निपटने के लिये जयंतिया हिल्स ज़िला प्रशासन ने आसपास की कोक फैक्ट्रियों और सीमेंट प्लांटों को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी (CSR) के तहत पर्यावरणीय नुकसान को कम करने से संबंधित कार्यक्रमों में योगदान देने के लिये प्रेरित किया।
- इस क्षेत्र में शुरू की गई परियोजनाओं में कम लागत वाली वर्षा जल संचयन परियोजना भी शामिल है, जिसका उद्देश्य कोयला खनन के कारण सूख चुके इस संपूर्ण क्षेत्र को पुन: जल प्रदान करना है।
- पूर्वी जयंतिया हिल्स ज़िले के कुछ हिस्सों में खनन के प्रभाव से बची हुई गुफाओं, घाटियों और झरनों को देखने के लिये आने वाले पर्यटकों हेतु मूलमिलिआंग गाँव को एक 'बेस कैंप' के रूप में विकसित किया गया है, जिससे इस क्षेत्र के कारण स्थानीय राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
- चूँकि संविधान की छठी अनुसूची में स्पष्ट तौर पर खनन का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिये यहाँ के पर्यावरण कार्यकर्त्ता स्थानीय कोयला व्यापार को केंद्रीय खनन और पर्यावरण कानूनों के तहत विनियमित करने की मांग कर रहे हैं।

खनन से संबंधित सरकार के प्रयास

- वर्ष 2018 में कोयला मंत्रालय ने कोयले की गुणवत्ता की निगरानी के लिये उत्तम (UTTAM- अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाई थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माइंड कोल) एप लॉन्च किया था।
- सरकार ने राष्ट्रीय खनिज नीति (NMP) को 2019 में मंज़ूरी दी थी, जिसमें स्थायी खनन, अन्वेषण को बढ़ावा देने, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करने और कौशल विकास जैसे विषयों पर ज़ोर दिया गया है।
- वर्ष 2019 में सरकार ने कोयले की बिक्री और कोयले के खनन से संबंधित गतिविधियों में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत FDI की अनुमति थी।
- जनवरी 2020 में संसद ने खनिज कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया था।
- यह विधेयक खान और खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम 1957 तथा कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 में संशोधन का प्रावधान करता है।
  - खान और खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम 1957 भारत में खनन क्षेत्र को नियंत्रित करता है और खनन कार्यों के लिये खनन लीज़ प्राप्त करने और जारी करने संबंधी नियमों का निर्धारण करता है।
  - कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 का उद्देश्य कोयला खनन कार्यों में निरंतरता सुनिश्चित करने और कोयला संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिये प्रतिस्पर्द्धी बोली (Bidding) के आधार पर कोयला खानों का आवंटित करने के लिये सरकार को सशक्त बनाना है।
- यह विधेयक बिना किसी अंतिम-उपयोग संबंधी प्रतिबंध के स्थानीय और वैश्विक फर्मों को वाणिज्यिक कोयला खनन की अनुमति देता है।

नोट :

अल-नीनो और सूखा

चर्चा में क्यों ?

- भारतीय विज्ञान संस्थान (InStitute of Science's- IISc) वायुमंडलीय और महासागरीय विज्ञान केंद्र (Centre for AtmoSpheric and Oceanic ScienceS- CAOS) के एक हालिया अध्ययन के अनुसार, भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान सूखे का कारण केवल अल-नीनो ही नहीं था।
- अल नीनो बारंबार होने वाली जलवायविक घटना है, जिसके दौरान प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) में पेरू के समीप समुद्री तट गर्म होने लगता है।
- यह जून और सितंबर के मध्य भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के विफल होने का सामान्य कारण है।

प्रमुख बिंदु:

अध्ययन का निष्कर्ष:

- पिछली सदी में भारतीय ग्रीष्म ऋतु मानसून के दौरान सूखे की कुल घटनाओं में से 43% के लिये उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र के वायुमंडलीय विक्षोभों को उत्तरदायी माना जा सकता है।
- भारत में सूखे की ये घटनाएँ उन वर्षों के दौरान घटित हुईं जब अल-नीनो अनुपस्थित था।

सूखे की स्थिति का कारण:

- अगस्त माह के अंत में बारिश में अचानक और तेज़ी से गिरावट (जो उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य अक्षांश क्षेत्र में वायुमंडलीय विक्षोभों से जुड़ी हुई थी) वायुमंडलीय धाराओं के एक ऐसे पैटर्न का निर्माण कर रही थी जो भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ रही थी तथा भारतीय मानसून को 'बाधित' कर रही थी।

सूखे के पैटर्न में परिवर्तन:

- अल नीनो वाले वर्षों के दौरान:
- जून के मध्य से ही बारिश में कमी शुरू हो जाती है और यह कमी पूरे देश में देखी जाती है।
- सामान्य वर्ष के दौरान:
- मानसून के दौरान सामान्य बारिश होती है लेकिन अगस्त में अचानक और तेज़ी से गिरावट देखी गई है।
- अगस्त माह के दौरान बारिश में कमी का कारण:
  - मध्य अक्षांशों में एक असामान्य वायुमंडलीय विक्षोभ।
  - मध्य अक्षांश पृथ्वी पर 23° और 66° उत्तर के बीच स्थित स्थानिक क्षेत्र हैं।
  - यह विक्षोभ ऊपरी वायुमंडल की उन पवनों के कारण उत्पन्न होता है जो असामान्य रूप से ठंडे उत्तरी अटलांटिक जल निकायों के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण के साथ अंत:क्रिया करते हैं।
  - वायुराशियों की परिणामी तरंग जिसे 'रॉस्बी तरंग' (RoSSby Wave) के नाम से जाना जाता है, उत्तरी अटलांटिक से तिब्बत के पठार की ओर बढ़ती है और अगस्त के मध्य में भारतीय उपमहाद्वीप से टकराती है। ये तरंगें/ बारिश को अवरोधित करती है तथा सूखे जैसी स्थिति को जन्म देती हैं।

भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले अन्य वायुमंडलीय परिसंचरण:

हिंद महासागर द्विध्रुव (Indian Ocean Dipole- IOD):

- IOD समुद्री सतह के तापमान का एक अनियमित दोलन है, जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर की सतह का तापमान पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में क्रमिक रूप से कम एवं अधिक होता रहता है।

नोट :

- हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) को भारतीय नीनो भी कहा जाता है।
- सरल शब्दों में कहें तो, पश्चिमी हिंदी महासागर का पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में बारी-बारी से गर्म व ठंडा होना ही हिंद महासागर द्विध्रुव कहलाता है।
- हिंद महासागर द्विध्रुव भारतीय मानसून को सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार से प्रभावित करता है।
- हिंद महासागर द्विध्रुव भारतीय मानसून के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया के ग्रीष्मकालीन मानसून को भी प्रभावित करता है।

हिंद महासागर द्विध्रुव के प्रकार:

- भारतीय मानसून पर प्रभाव के आधार पर IOD के तीन प्रकार हैं।

(i) तटस्थ/ सामान्य हिंद महासागर द्विध्रुव

(ii) नकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव तथा

(iii) सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव

तटस्थ/ सामान्य IOD:

- तटस्थ IOD में पूर्वी हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पश्चिमी तट के पास प्रशांत महासागर से गर्म जल के प्रवाह के कारण पूर्वी हिंद महासागर की समुद्री सतह का तापमान सामान्य से थोड़ा बढ़ जाता है।
- वस्तुत: पूर्वी हिंद महासागर में सामान्य से थोड़ी अधिक वर्षा होती है।
- तटस्थ (Neature) IOD लगभग सामान्य मानसून की तरह होता है।

नकारात्मक IOD:

- जब पूर्वी हिंद महासागर का तापमान पश्चिमी हिंद महासागर की तुलना में सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है।
- वस्तुत: लगातार लंबे समय तक प्रशांत महासागर से पूर्वी हिंद महासागर में गर्म जल के प्रवाह के कारण पूर्वी हिंद महासागर के तापमान में अधिक वृद्धि हो जाती है।

सकारात्मक IOD:

- जब पश्चिमी हिंद महासागर पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में बहुत अधिक गर्म हो जाता है, तो इसे सकारात्मक IOD कहते हैं।

हिंद महासागर द्विध्रुव के प्रभाव:

- तटस्थ IOD का प्रभाव लगभग नगण्य रहता है।
  - इससे पूर्वी हिंद महासागर व ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पश्चिमी भाग थोड़ी अधिक (सामान्य से) वर्षा प्राप्त करता है।
- नकारात्मक IOD का प्रभाव भारतीय मानसून पर नकारात्मक पड़ता है।
  - इससे भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है जिससे वर्षा की तीव्रता में कमी आती है।
  - 'हॉर्न ऑफ अफ्रीका' व पश्चिमी हिंद महासागर में काफी कम वर्षा होती है।
  - जबकि इसके विपरीत पूर्वी हिंद महासागर व आस्ट्रेलिया के उत्तर-पश्चिमी भाग में अधिक वर्षा होती है।
  - इसके कारण भारत में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है।
- सकारात्मक IOD का भारतीय मानसून पर (वर्षा पर) सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
  - इससे भारतीय उपमहाद्वीप व पश्चिमी हिंद महासागर अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं।
  - सकारात्मक IOD में जहाँ भारतीय उपमहाद्वीप व पश्चिमी हिंद महासागर औसत से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं वहीं उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया व पूर्वी हिंद महासागर औसत से कम वर्षा प्राप्त करते हैं।
- इसके कारण आस्ट्रेलिया में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है।

मैडेन-जूलियन ऑसीलेशन (Madden-Julian Oscillation- MJO)

- मैडेन-जूलियन ऑसीलेशन (MJO) एक समुद्री-वायुमंडलीय घटना है जो दुनिया भर में मौसम की गतिविधियों को प्रभावित करती है।

नोट :

- इसे साप्ताहिक से लेकर मासिक समयावधि तक उष्णकटिबंधीय मौसम में बड़े उतार-चढ़ाव लाने के लिये ज़िम्मेदार माना जाता है।
- मैडेन-जूलियन ऑसीलेशन (MJO) को भूमध्य रेखा के पास पूर्व की ओर सक्रिय बादलों और वर्षा के प्रमुख घटक या निर्धारक (जैसे मानव शरीर में नाड़ी (PulSe) एक प्रमुख निर्धारक होती है) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो आमतौर पर हर 30 से 60 दिनों में स्वयं की पुनरावृत्ति करती है।
- यह निरंतर प्रवाहित होने वाली घटना है एवं हिंद व प्रशांत महासागरों में सबसे प्रभावशाली है।
- इसलिये MJO हवा, बादल और दबाव की एक प्रचलित प्रणाली है। यह जैसे ही भूमध्य रेखा के चारों ओर घूमती है वर्षा की शुरुआत हो जाती है।
- इस घटना का नामकरण दो वैज्ञानिकों रोलैंड मैडेन और पॉल जूलियन के नाम पर रखा गया था जिन्होंने 1971 में इसकी खोज की थी।

वैश्विक मौसमीं घटनाओं पर MJO का प्रभाव:

- इंडियन ओशन डाईपोल (The Indian Ocean Dipole-IOD), अल-नीनो (El-Nino) और मैडेन-जूलियन ऑसीलेशन(Madden-julian OScillation-MJO) सभी महासागरीय और वायुमंडलीय घटनाएँ हैं, जो बड़े पैमाने पर मौसम को प्रभावित करती हैं। इंडियन ओशन डाईपोल केवल हिंद महासागर से संबंधित है, लेकिन अन्य दो वैश्विक स्तर पर मौसम को मध्य अक्षांश तक प्रभावित करती हैं।
- IOD और अल-नीनो अपने पूर्ववर्ती स्थिति में बने हुए हैं, जबकि MJO एक निरंतर प्रवाहित होने वाली भौगोलिक घटना है।
- MJO की यात्रा आठ चरणों से होकर गुज़रती है।
- मानसून के दौरान जब यह हिंद महासागर के ऊपर होता है, तो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में अच्छी बारिश होती है।
- दूसरी ओर, जब यह एक लंबे चक्र की समयावधि के रूप में होता है और प्रशांत महासागर के ऊपर रहता है तब भारतीय मानसूनी मौसम में कम वर्षा होती है।
- यह उष्णकटिबंध में अत्यधिक परंतु दमित स्वरूप के साथ वर्षा की गतिविधियों को संपादित करता है जो कि भारतीय मानसूनी वर्षा के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण है।

The Vision

नोट :

सामाजिक न्याय

हिडन एपिडेमिक (डायबिटीज)

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में 'डायबेटोलोगिया' (Diabetologia) जो मधुमेह के अध्ययन के लिये यूरोपीय संघ की एक पत्रिका है, में प्रकाशित एक नए शोध में मधुमेह के प्रति भारतीय युवाओं की भेद्यता (Vulnerability) पर प्रकाश डाला गया है।

प्रमुख बिंदु

- 'भारत में महानगरीय शहरों में मधुमेह का लाइफटाइम रिस्क' (Lifetime Risk of Diabetes in Metropolitan Cities in India) शीर्षक पर शोध भारत, यू.के. और यू.एस. ए. में लेखकों की एक टीम द्वारा किया गया, जिसका नेतृत्त्व शम्मी लुहार, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं प्राथमिक देखभाल विभाग तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा किया गया।

अध्ययन का निष्कर्ष:

- भारत में 20 वर्ष की आयु के आधे से अधिक पुरुषों (55%) और दो-तिहाई (65%) महिलाओं में मधुमेह होने की संभावना अधिक पाई जाती है, इनमें से अधिकांश मामलों में (लगभग 95%) टाइप-2 मधुमेह (Type 2 Diabetes) होने की संभावना होती है।
  - टाइप-2 मधुमेह: यह मानव शरीर के इंसुलिन के उपयोग के तरीके को प्रभावित करता है। इस अवस्था में टाइप-1 के विपरीत अग्न्याशय में इंसुलिन तो बनता है लेकिन शरीर की कोशिकाएँ इस इन्सुलिन का स्वस्थ शरीर की तरह प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाती (प्रतिक्रिया नहीं देती हैं)।
  - टाइप-2 मधुमेह ज़्यादातर 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में पाया जाता है।
  - यह लोगों में तेज़ी से बढ़ते मोटापे (Obesity) का कारण बनता है।
- 20 साल के पुरुषों एवं महिलाओं में मधुमेह के प्रसार से मुक्ति का लाइफटाइम रिस्क क्रमश: 56% एवं 65% होता है।
- मोटापा मधुमेह के प्रति लोगों को संवेदनशील बनता है।
  - यह महानगरीय क्षेत्र के 20 साल की महिलाओं (86%) और पुरुषों (87%) में अधिक पाया जाता है।
- भारत में वर्तमान में 77 मिलियन वयस्क मधुमेह से पीड़ित हैं और यह संख्या वर्ष 2045 तक लगभग दोगुनी होकर 134 मिलियन हो सकती है।
- महिलाओं में आमतौर पर अपने पूरे जीवनकाल में मधुमेह होने का खतरा सबसे अधिक होता है।
- उम्र बढ़ने के साथ मधुमेह का खतरा कम होता जाता है। शोधकर्त्ताओं के अनुसार, जो लोग वर्तमान में 60 वर्ष की आयु के हैं और मधुमेह से मुक्त हैं, उनके शेष जीवन में मधुमेह होने की संभावना कम है।

अध्ययन के लिये डेटा स्रोत:

- वर्ष 2010 से वर्ष 2018 के मध्य 'सेंटर फॉर कार्डियो मेटाबोलिक रिस्क रिडक्शन इन साउथ एशिया' (Centre for Cardio metabolic Risk Reduction in South Asia) से लिये गए आँकड़ों के आधार पर शहरी भारत में मधुमेह का आकलन लिंग एवं BMI-विशिष्ट घटनाओं की दर के आधार पर किया गया।
- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अवधि (2014) से आयु, लिंग एवं शहरी विशिष्ट मृत्यु दर संबंधी आँकड़े।
- वर्ष 2008 से वर्ष 2015 तक 'इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च इंडिया डायबिटीज़ स्टडी' (Indian Council for Medical Research India Diabetes Study) से लिये गए मधुमेह के प्रसार संबंधी आँकड़े।

नोट :

मधुमेह की उच्च संभावनाओं का प्रभाव:

- देश में पहले से ही तनावग्रस्त स्वास्थ्य ढाँचे पर अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा।
- मधुमेह के उपचार के लिये रोगियों पर अतिरिक्त जेब खर्च भी बढ़ेगा।

उच्च मधुमेह की घटनाओं का कारण:

- शहरीकरण
- आहार की गुणवत्ता में कमी
- शारीरिक गतिविधि के स्तर में कमी

प्रभावी जीवन-शैली द्वारा मधुमेह को रोकना जैसे:

- स्वस्थ आहार
- शारीरिक गतिविधियों में वृद्धि
- मोटे या अधिक वज़न वाले लोगों को वज़न कम करने के लिये प्रेरित करना

दिव्यांगजन सहायता शिविर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री' (MiniSter of Social JuStice and Empowerment) द्वारा दिव्यांगजन/दिव्यांगों को सहायता प्रदान करने और उन्हें उपकरणों के मुफ्त वितरण के लिये 'दिव्यांगजन सहायता' (ASSiStance to DiSabled PerSonS-ADIP) शिविर का उद्घाटन किया है।

- दिव्यांगजन का अर्थ है 'दिव्य शरीर वाला'। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है कि विकलांग व्यक्तियों को अब विकलांग व्यक्ति या विकलांग (गैर-कार्यात्मक शरीर के अंगों वाला व्यक्ति) नहीं कहा जाना चाहिये।

प्रमुख बिंदु:

- शिविर का आयोजन 'भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम' (ALIMCO), कानपुर द्वारा किया गया था।
- ALIMCO वर्ष 1972 में स्थापित गैर-लाभकारी 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम' (PSU) है, जो 'दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग' (Department of Empowerment of PerSon with DiSability- DEPwD) के संरक्षण में कार्य करता है।

दिव्यांगजन सहायता योजना:

- इसका क्रियान्वयन वर्ष 1981 से किया जा रहा है।

परिभाषा:

- यह योजना 'विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम' {PerSonS with DiSabilitieS (Equal OpportunitieS, Protection of RightS and Full Participation)- PWD)}, 1995 में दी गई विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं की परिभाषा का अनुसरण करती है।
- पीडब्ल्यूडी अधिनियम को 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम' (Right of PerSonS with DiSabilitieS Act)- 2016 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

उद्देश्य:

- ज़रूरतमंद दिव्यांगजनों को टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायता के साथ ही उनके आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा देने वाले उपकरणों की खरीद में सहायता प्रदान करना ताकि विकलांगता के प्रभाव को कम किया जा सके एवं उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाया जा सके।

नोट :

अनुदान:

- इसके तहत आर्थिक सहायता तथा सहायक उपकरणों की खरीद एवं वितरण के लिये विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों (भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, राष्ट्रीय संस्थान, समग्र क्षेत्रीय केंद्र, ज़िला विकलांगता पुनर्वास केंद्र, राज्य विकलांग विकास निगम, गैर सरकारी संगठन इत्यादि) को अनुदान दिया जाता है।
- यदि आय 15,000 रुपए प्रतिमाह से कम हो तो आर्थिक सहायता /उपकरण खरीद की पूरी लागत वहन की जाती है और यदि आय 15,001 रुपए से 20,000 रुपए प्रतिमाह के बीच हो तो आर्थिक सहायता/उपकरण की लागत का 50% वहन किया जाता है।

अन्य संबंधित सरकारी पहलें:

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम'- 2016:

- 'दिव्यांगजन' से आशय दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी दोषों वाले व्यक्ति से है, जिससे उन्हें लोगों के मिलने-जुलने तथा समाज में अपनी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी निभाने में बाधा महसूस होती है।

सुगम्य भारत अभियान: दिव्यांगजनों के लिये सुलभ पर्यावरण का निर्माण

- यह सार्वभौमिक पहुँच को सुनिश्चित करने वाला एक राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप अभियान है, जो दिव्यांगजनों को समान अवसर प्रदान करने तथा स्वतंत्र रूप से जीने एवं एक समावेशी समाज में जीवन के सभी पहलुओं में पूर्ण भागीदारी निभाने में सक्षम बनाता है।

दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना:

- योजना के तहत NGOs को विशेष स्कूल, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, समुदाय-आधारित पुनर्वास, प्री-स्कूल और प्रारंभिक हस्तक्षेप जैसी विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

दिव्यांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फैलोशिप:

- इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के लिये दिव्यांग छात्रों हेतु अवसरों को बढ़ाना और प्रतिवर्ष 200 दिव्यांग छात्रों को फैलोशिप प्रदान करना है।

विशिष्ट दिव्यांग पहचान योजना:

- इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिये एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना और विकलांगता प्रमाण पत्र के साथ विशिष्ट विकलांगता पहचान (UDID) कार्ड जारी करना है।
- एक बार परियोजना में दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करने के बाद विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिये UDID कार्ड अनिवार्य कर दिया जाएगा।

सहायक उपकरण/उपकरण की खरीद/फिटिंग के लिये सहायता योजना:

- इस योजना का उद्देश्य टिकाऊ, अनुकूलन और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायता और उपकरणों को खरीदने में अक्षम ज़रूरतमंद दिव्यांगजनों की सहायता करना है।

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस:

- यह प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है और वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 47/3 द्वारा इसकी घोषणा की गई थी।
- इसका उद्देश्य समाज और विकास के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देना तथा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक यानी जीवन के हर पहलू में दिव्यांग व्यक्तियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

मानसिक स्वास्थ्य स्थिति में सुधार के लिये पहलें:

- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत वर्ष 1982 में भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने हेतु की गई थी।

किरण (KIRAN):

- मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने के लिये शुरू की गई थी जो 'एक से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय संस्थान' (NIEPMD), तमिलनाडु और 'राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान' (NIMHR), मध्य प्रदेश के समन्वय से काम करता है।

नोट :

मनरेगा के तहत काम की मांग में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना पोर्टल पर नवंबर माह तक उपलब्ध आँकड़ों के हालिया विश्लेषण से ज्ञात होता है कि मनरेगा (MGNREGA) के तहत कार्य की मांग में तेज़ी से वृद्धि हुई है।

प्रमुख बिंदु

- यह एक मांग आधारित योजना है, जिसने कोरोना वायरस महामारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में वापस लौटने वाले बेरोज़गार प्रवासी श्रमिकों को आजीविका प्रदान करने में काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है।
- आँकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि महामारी से संबंधित प्रतिबंधों में ढील देने के बावजूद वित्तीय वर्ष 2020-21 में पहली बार 96 प्रतिशत से अधिक ग्राम पंचायतों में योजना के तहत काम की मांग की गई है।
- चालू वित्त वर्ष के दौरान शून्य कार्यदिवस वाली ग्राम पंचायतों की कुल संख्या देश भर में 2.68 लाख यानी केवल 3.42 प्रतिशत है, जो कि बीते आठ वर्षों का सबसे निचला स्तर है।
  - वर्ष 2019 की संपूर्ण अवधि में शून्य कार्यदिवस वाली ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 2.64 लाख यानी 3.91 प्रतिशत थी।
- आँकड़ों की मानें तो अप्रैल माह की शुरुआत से नवंबर माह के अंत तक तकरीबन 6.5 करोड़ घरों (जिनमें 9.42 करोड़ लोग शामिल हैं) को मनरेगा के तहत काम प्रदान किया गया है, जो कि अब तक की सबसे अधिक संख्या है।
  - इस वर्ष अब तक 265.81 करोड़ व्यक्ति दिवस उत्पन्न किये गए, जो कि वर्ष 2019 में उत्पन्न 265.44 करोड़ व्यक्ति दिवस से अधिक है।
  - अक्तूबर 2020 में 1.98 करोड़ परिवारों ने इस योजना का लाभ उठाया, जो वर्ष 2019 की इसी अवधि की तुलना में 82 प्रतिशत अधिक है।
  - मनरेगा (MGNREGA) के तहत काम की सबसे अधिक मांग तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में देखी गई।
- इस अवधि के दौरान वेतन व्यय भी 53,522 करोड़ रुपए पर पहुँच गया है, जो कि अब तक का सबसे अधिक वेतन व्यय है।
- तमिलनाडु में जुलाई माह के बाद से पूरे देश में इस कार्यक्रम का लाभ उठाने वाले परिवारों की संख्या सबसे अधिक है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान है।
- ध्यातव्य है कि ये दोनों राज्य गरीब कल्याण रोज़गार अभियान के तहत शामिल नहीं थे।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (NREGS)

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम अर्थात् मनरेगा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 (NREGA-नरेगा) के रूप में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2010 में नरेगा (NREGA) का नाम बदलकर मनरेगा (MGNREGA) कर दिया गया।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (NREGS) का प्रस्ताव इसी अधिनियम के तहत किया गया था।
- इस अधिनियम के तहत ग्रामीण भारत में प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों (18 वर्ष की आयु से अधिक) के लिये 100 दिन का गारंटीयुक्त रोज़गार का प्रावधान किया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आजीविका सुरक्षा प्रदान की जा सके।
- योजना के तहत केंद्र सरकार अकुशल श्रम की पूरी लागत और सामग्री की लागत का 75 प्रतिशत हिस्सा (शेष राज्यों द्वारा वहन किया जाता है) वहन करती है।
- यह एक मांग-संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका उद्देश्य 'काम के अधिकार' को मूर्त रूप प्रदान करना है।

नोट :

- केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी की जाती है।

गरीब कल्याण रोज़गार अभियान

- इस अभियान की शुरुआत जून 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन के कारण अपने गृह राज्यों में लौटे प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण नागरिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
- यह कुल 125 दिनों का अभियान था, जिसे कुल 50,000 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से मिशन मोड में संचालित किया गया था।
- इस अभियान के तहत छह राज्यों यथा- बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड तथा ओडिशा से कुल 116 ज़िलों को चुना गया था।
  - आँकड़ों के अनुसार, इन ज़िलों में लॉकडाउन के कारण वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक थी।
  - अभियान के तहत चुने गए कुल ज़िलों में 27 आकांक्षी ज़िले (aSpirational diStrictS) भी शामिल थे।

आदि महोत्सव-मध्य प्रदेश

चर्चा में क्यों ?

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि महोत्सव-मध्य प्रदेश (Aadi MahotSav-Madhya PradeSh) के वर्चुअल संस्करण का शुभारंभ किया है।

- गौरतलब है कि आदि महोत्सव के अगले संस्करण को गुजरात तथा उसके बाद पश्चिम बंगाल पर केंद्रित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

आदि महोत्सव:

- यह एक राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव है तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) की संयुक्त पहल है। इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी और तब से इसे प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।
- इस महोत्सव का उद्देश्य आम लोगों को एक ही स्थान पर आदिवासी समुदायों के समृद्ध और विविध शिल्प तथा संस्कृति से परिचित कराना है।
- वर्ष 2019 में इस उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और इसमें आदिवासी हस्तशिल्प, कला, पेंटिंग, कपड़े, आभूषण आदि की प्रदर्शनी और बिक्री की व्यवस्था की गई थी।

आदि महोत्सव का वर्चुअल संस्करण

- इस वर्ष ट्राइफेड द्वारा इस कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से ट्राइब्स इंडिया के ई-मार्केटप्लेस पर आयोजित किया जा रहा है।
- इस ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान भारत की सभी प्रमुख जनजातियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और उन्हें अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर दिया जाएगा।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड)

- गठन: 'ट्राइफेड' की स्थापना वर्ष 1987 में बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्त्वावधान में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में की गई थी।
- संगठन: 'ट्राइफेड' जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष संगठन है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- उद्देश्य: इस संगठन का प्राथमिक उद्देश्य जनजातीय लोगों का सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करना और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने, ज्ञान, उपकरण और सूचना के साथ जनजातीय लोगों के सशक्तीकरण एवं क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है।

पहल और भागीदारी:

- ट्राइब्स इंडिया ब्रांड नाम के तहत ट्राइफेड द्वारा पूरे भारत में आदिवासियों से प्रत्यक्ष तौर पर खरीदे गए दस्तकारी उत्पादों को अपने 73 दुकानों

नोट :

और आउटलेट्स के माध्यम से बेचा जाता है। ध्यातव्य है कि 'ट्राइब्स इंडिया' का अपना एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है।

- सूक्ष्म वन उत्पादों (Minor ForeSt Produce-MFP) के संवर्द्धित मूल्य को बढ़ावा देने के लिये 'ट्राईफूड योजना' (TRIFOOD Scheme) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय तथा ट्राइफेड की एक संयुक्त पहल है।
- ट्राइफेड द्वारा 'वन धन योजना' के तहत उत्पादन को बढ़ाने के लिये 'वन धन इंटर्नशिप कार्यक्रम' का आयोजन किया गया।
- ट्राइफेड 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' से संबंधित योजना के कार्यान्वयन में भी सहायता करता है, ताकि वनों में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों (STs) और अन्य पारंपरिक वनवासियों द्वारा तैयार किये गए उत्पादों का उचित मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।
- ट्राइफेड द्वारा जनजातियों में उद्यमशीलता को विकसित करने के लिये राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों (INI) के साथ मिलकर 'ट्रांसफॉर्मेशनल टेक फॉर ट्राइबल्स प्रोग्राम' (TranSformational Tech For TribalS Program) शुरू किया गया है।

विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020

चर्चा में क्यों ?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health OrganiSation- WHO) ने हाल ही में विश्व मलेरिया रिपोर्ट (WMR) 2020 जारी की है।

- यह रिपोर्ट वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर मलेरिया से संबंधित आँकड़ों एवं रुझानों पर व्यापक अपडेट प्रदान करती है जिसमें इस बीमारी के रोकथाम, निदान, उपचार, उन्मूलन और निगरानी संबंधी जानकारियों को शामिल किया जाता है।
- रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि भारत ने मलेरिया के मामलों में कमी लाने के काम में प्रभावी प्रगति की है।

प्रमुख बिंदु

वैश्विक विश्लेषण:

- विश्व स्तर पर मलेरिया के लगभग 229 मिलियन मामले प्रतिवर्ष सामने आते हैं, यह एक वार्षिक अनुमान है जो पिछले चार वर्षों में लगभग अपरिवर्तित रहा है।
  - वर्ष 2019 में मलेरिया के कारण 4,0,9000 लोगों की मृत्यु हुई जबकि वर्ष 2018 यह आँकड़ा 4,11000 था।
- रिपोर्ट के अनुसार, मलेरिया के सर्वाधिक मामले 11 देशों- बुर्किना फासो, कैमरून, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, घाना, भारत, माली, मोज़ाम्बिक, नाइजर, नाइजीरिया, युगांडा और तंज़ानिया में दर्ज किये गए। ये देश कुल अनुमानित वैश्विक मामलों के 70 प्रतिशत तथा मलेरिया के कारण होने वाली कुल अनुमानित मौतों में से 71 प्रतिशत के लिये उत्तरदायी थे।
- दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों ने विशेष रूप से मलेरिया के मामलों तथा इसके कारण होने वाली मौतों में क्रमश: 73% और 74% की कमी के साथ रोग को नियंत्रित करने के मामले में मज़बूत प्रगति की है।

भारतीय विश्लेषण:

- भारत एकमात्र उच्च स्थानिक देश है जिसने वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में 17.6% की गिरावट दर्ज की है।
- वार्षिक परजीवी घटना अर्थात् API (प्रति 1000 जनसंख्या पर नए संक्रमण की संख्या) वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में 18.4% कम हो गई।
  - भारत ने वर्ष 2012 से API को एक से कम बनाए रखा है।
- भारत ने मलेरिया के क्षेत्रवार मामलों में सबसे बडी गिरावट लाने में भी योगदान किया है यह 20 मिलियन से घटकर लगभग 6 मिलियन पर आ गई है।
  - वर्ष 2000 से 2019 के बीच मलेरिया के मामलों में 71.8 प्रतिशत और मृत्यु के मामलों में 73.9 प्रतिशत की गिरावट आई है।
- भारत ने वर्ष 2000 और 2019 के बीच मलेरिया के रोगियों की संख्या में 83.34 प्रतिशत की कमी और इस रोग से होने वाली मौतों के मामलों में 92 प्रतिशत की गिरावट लाने में सफलता हासिल की है तथा इस प्रकार सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (Millennium Development GoalS -MDGS) में से छठे लक्ष्य (वर्ष 2000 से 2019 के बीच मलेरिया के मामलों में 50-75 प्रतिशत की गिरावट लाना) को हासिल कर लिया है।

नोट :

- भारत ने मलेरिया के मामलों में 83.34% और वर्ष 2000 से 2019 के मध्य मलेरिया मृत्यु दर में 92% की कमी हासिल की, जिससे MDG 6 लक्ष्य की प्राप्ति हुई।
  - MDG 6 का उद्देश्य HIV/AIDS, मलेरिया और अन्य रोगों से निपटना है, जिनका ग्रामीण विकास, कृषि उत्पादकता और खाद्य तथा पोषण सुरक्षा पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।
  - सतत विकास लक्ष्यों को MDG के स्थान पर लागू किया गया है।
- ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय और मध्य प्रदेश (उच्च स्थानिक राज्य) राज्यों में वर्ष 2019 में लगभग 45.47% मलेरिया के मामले दर्ज किये गए हैं।
  - इन राज्यों में मलेरिया से 63.64% मौतें भी हुईं।
- पिछले दो दशकों के आँकड़े और रुझान स्पष्ट रूप से मलेरिया में भारी गिरावट को दर्शाते हैं, अत: कहा जा सकता है की वर्ष 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

मलेरिया पर अंकुश लगाने के प्रयास

- भारत में मलेरिया उन्मूलन प्रयास वर्ष 2015 में शुरू हुए थे और वर्ष 2016 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन (NFME) की शुरुआत के बाद इनमें और अधिक तेज़ी आई।
  - NFME मलेरिया के लिये WHO की मलेरिया के लिये वैश्विक तकनीकी रणनीति 2016–2030 (GTS) के अनुरूप है। ज्ञात हो कि वैश्विक तकनीकी रणनीति WHO के वैश्विक मलेरिया कार्यक्रम (GMP) का मार्गदर्शन करता है, जो मलेरिया को नियंत्रित करने और समाप्त करने के लिये WHO के वैश्विक प्रयासों के समन्वय समन्वय हेतु उत्तरदायी है।
- जुलाई 2017 में मलेरिया उन्मूलन के लिये एक राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (वर्ष 2017 से वर्ष 2022) की शुरुआत की, जिसमें आगामी पाँच वर्ष के लिये रणनीति तैयार की गई।
  - इसके तहत मलेरिया के प्रसार के आधार पर देश के विभिन्न हिस्सों में वर्षवार उन्मूलन लक्ष्य प्रदान किया जाता है।
- जुलाई 2019 में भारत के चार राज्यों (पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश) में 'हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट' (HBHI) पहल का कार्यान्वयन शुरू किया गया था।
  - वर्ष 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और आरबीएम पार्टनरशिप (RBM PartnerShip) ने मलेरिया को समाप्त करने के लिये भारत समेत 11 देशों में 'हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट' (HBHI) पहल की शुरुआत की थी।
  - बीते दो वर्ष में इस पहल के काफी अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं और मलेरिया के मामलों में कुल 18 प्रतिशत तथा मलेरिया के कारण होने वाली मौतों के मामले में 20 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।
- भारत सरकार द्वारा सूक्ष्मदर्शी यंत्र उपलब्ध कराने के लिये किये गए प्रयासों तथा काफी लंबे समय तक टिकी रहने वाली कीटनाशक युक्त मच्छरदानियों (Long LaSting InSecticidal NetS- LLINS) के वितरण के कारण पूर्वोत्तर के 7 राज्यों, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे मलेरिया से बहुत अधिक प्रभावित राज्यों में इस बीमारी के प्रसार में पर्याप्त कमी लाई जा सकी है।
  - LLIN ऐसी मच्छरदानियाँ है जिन्हें नायलोन के धागों में कीटनाशक दवा सिंथेटिक पायरेथ्राइड को मिश्रित कर बनाया जाता है। कीटनाशकयुक्त मच्छरदानी में उपयोग किये गए कीटनाशक 3 वर्षों तक और 20 बार धुलाई करने तक प्रभावी रहते हैं।
  - लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर LLINS का इस्तेमाल शुरू किये जाने के बाद मलेरिया के मामलों में देश भर में भारी गिरावट आई है।

भाँग: मादक पदार्थों की सूची से बाहर

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र (United NationS-UN) के मादक पदार्थ आयोग (CommiSSion on Narcotic DrugS) ने प्रतिबंधित मादक पदार्थों पर अपने 63वें सत्र में विभिन्न महत्त्वपूर्ण फैसले लेते हुए भाँग (CannabiS/Marijuana or Hemp) को मादक पदार्थों की सबसे खतरनाक श्रेणी से बाहर कर दिया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

पृष्ठभूमि:

- जनवरी 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health OrganiSation- WHO) ने संयुक्त राष्ट्र की संधियों में भाँग को सूचीबद्ध किये जाने के संबंध में छह सिफारिशें की थीं, जिसमें भाँग तथा गाँजे को 1961 के सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स के सेक्शन 4 से हटाना भी शामिल था।
  - अनुसूची IV उन दवाओं की श्रेणी है जिन्हें अन्य दवाओं की तुलना में विशेष रूप से खतरनाक माना जाता है।
- ये प्रस्ताव मार्च 2019 में CND के सत्र में विचार हेतु रखे जाने थे, लेकिन सदस्यों ने और अधिक समय का अनुरोध करते हुए इस विषय पर होने वाले मतदान को स्थगित कर दिया था।

वैश्विक निर्णय:

- पुरानी स्थिति: CND द्वारा लिया गया यह निर्णय भाँग को अनुसूची-IV से बाहर करता है, जहाँ इसे हेरोइन सहित अन्य घातक ओपियोड्स व्यसनों के साथ सूचीबद्ध किया गया था।
- वर्तमान स्थिति: अब भाँग और भाँग की राल (चरस) दोनों को अनुसूची I में रखा जाएगा जिसके अंतर्गत पदार्थों की सबसे कम खतरनाक श्रेणी को शामिल किया जाता है।
- देश जो इस निर्णय के पक्ष में थे: CND के 53 सदस्य देशों में से 27 देशों, जिनमें भारत, अमेरिका और अधिकांश यूरोपीय राष्ट्र शामिल हैं, ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।
- देश जो इस निर्णय के पक्ष में नहीं थे: चीन, पाकिस्तान और रूस सहित 25 देश इसके पक्ष में नहीं थे,जबकि यूक्रेन ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।

महत्त्व:

- चूँकि यह अभिसमय/कन्वेंशन वर्ष 1961 में लागू किया गया था, इसलिये भाँग सख्त नियंत्रण के अधीन था, जिसके चलते चिकित्सा उद्देश्यों के लिये भी इसके उपयोग को बहुत सीमित कर दिया गया था।
- यद्यपि भाँग का पुनर्वर्गीकरण करने का निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण है फिर भी विश्व भर में इसकी स्थिति में तब तक परिवर्तन नहीं हो सकेगा जब तक कि विभिन्न देशों द्वारा अपने मौजूदा नियमों को जारी रखा जाएगा।
- हालाँकि यह इस प्रक्रिया को प्रभावित करेगा, क्योंकि विभिन्न राष्ट्र अपने कानूनों को तैयार करते समय अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का अनुसरण करते हैं।
- इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ CND ने भाँग की औषधीय और चिकित्सीय क्षमता को मान्यता देने हेतु विभिन्न द्वार खोल दिये हैं।

भारत का रुख और विनियम:

- भारत ने कन्वेंशन/अभिसमय में सबसे खतरनाक पदार्थों की सूची से भाँग और भाँग की राल यानी चरस को हटाने के पक्ष मतदान किया है।
- भारत के नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 (NarcoticS DrugS and PSychotropic SubStance Act 1985) के तहत भाँग का उत्पादन, निर्माण, स्वामित्व, बिक्री, खरीद, परिवहन और उपयोग दंडनीय अपराध माना गया है।
  - इस अधिनियम को वर्ष1985 में अधिनियमित किया गया था तथा इसने खतरनाक ड्रग्स अधिनियम 1930 का स्थान लिया।
- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) को इनके अवैध उपयोग और मादक पदार्थों की आपूर्ति से संबंधित मामलों में व्यक्तियों पर लगे आरोपों की जाँच करने की शक्ति प्राप्त है।

कैनबिस

- WHO के अनुसार, कैनबिस एक जेनेरिक शब्द है जिसका इस्तेमाल कैनाबिस सैटाइवा (CannabiS Sativa) पौधे से निर्मित साइकोएक्टिव (मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली) औषधि के मिश्रण को दर्शाने के लिये किया जाता है।
  - WHO के अनुसार, भाँग ऐसा मादक पदार्थ है जिसकी कृषि, तस्करी और अवैध उपयोग विश्व भर में व्यापक स्तर पर किया जाता है।

नोट :

- डेल्टा9 टेट्राहाइड्रोकैन्नाबिनॉल (Delta9 tetrahydrocannabinol-THC) भाँग में प्रमुख साइकोएक्टिव घटक होता है।
- बिना परागण वाले मादा पौधों को हशीश कहा जाता है। भाँग का तेल (हशीश ऑयल) कैनाबिनोइड्स (वे यौगिक जो कि THC के समान संरचनात्मक हैं) का एक गाढ़ा घोल है जिसे भाँग के पौधे से प्राप्त कच्ची सामग्री या राल के विलायक निष्कर्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है।
- NDPS अधिनियम के अनुसार "भाँग के पौधे" का तात्पर्य कैनाबिस वर्ग के किसी भी पौधे से है।
- 'चरस' भाँग के पौधे से निकाला गया एक अलग राल है। NDPS अधिनियम में भाँग के पौधे से प्राप्त अलग-अलग राल को शामिल किया गया है, चाहे वह कच्चा हो या संशोधित।
- यह अधिनियम गाँजा को भाँग के पौधे के फूल के रूप में परिभाषित करता है लेकिन यह बीज और पत्तियों को स्पष्ट रूप से बाहर करता है।
- यह अधिनियम भाँग, चरस और गाँजा के दो रूपों में से किसी के साथ या बिना किसी के तटस्थ पदार्थ के मिश्रण या उससे तैयार किसी भी पेय को अवैध घोषित करता है।
- कानून ने भाँग के पौधे के बीज और पत्तियों को अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया है, क्योंकि किनारों पर काँटेदार संरचना वाली पत्तियों में THC सामग्री नगण्य होती है।
- 'भाँग', जिसे आमतौर पर होली जैसे त्योहारों के दौरान खाया जाता है, भाँग के पौधे की पत्तियों से बना एक पेस्ट है, इसलिये इसे गैर-कानूनी नहीं कहा जाता है।
- इसी तरह CBD तेल (भाँग के पौधे की पत्तियों से प्राप्त कैनबिडिओल का संक्षिप्त रूप), NDPS अधिनियम के तहत नहीं आता।
  - NDPS अधिनियम भारत में भाँग के मनोरंजकपूर्ण उपयोग की अनुमति नहीं देता है।
  - यद्यपि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत लाइसेंस के साथ निर्मित CBD तेल का कानूनी रूप से उपयोग किया जा सकता है लेकिन यह आमतौर पर प्रचलित नहीं है।

मादक पदार्थ आयोग (CND)

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, जो वैश्विक स्तर पर नशीली दवाओं से संबंधित अभिसमयों में मादक अथवा खतरनाक पदार्थों को सूचीबद्ध कर उनके नियंत्रण का दायरा तय करती है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1946 में की गई थी और इसका मुख्यालय वियना में स्थित है।
- वर्ष 1961 के सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स की शुरुआत के बाद से भाँग के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण में अत्यधिक बदलाव आया है, कई क्षेत्रों में भाँग का उपयोग मनोरंजन और दवा अथवा दोनों के लिये किया जाता है।
- वर्तमान में 50 से अधिक देशों में औषधीय उद्देश्यों के लिये भाँग के उपयोग की अनुमति दी गई है और कनाडा, उरुग्वे तथा अमेरिका के 15 राज्यों में मनोरंजन हेतु इसके उपयोग की अनुमति दी गई है।

ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020

चर्चा में क्यों ?

- महाराष्ट्र के सोलापुर के एक प्राथमिक शिक्षक रणजीत सिंह डिसाले ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020 (Global Teacher Prize 2020) के विजेता बने हैं।

प्रमुख बिंदु

ग्लोबल टीचर प्राइज़:

- इसके तहत 1 मिलियन डॉलर की पुरस्कार राशि दी जाती है और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एक ऐसे असाधारण शिक्षक को प्रदान किया जाता है जिसने अपने पेशे हेतु उत्कृष्ट योगदान दिया है।

नोट :

- वर्की फाउंडेशन इस पुरस्कार का संस्थापक है, जो कि एक वैश्विक धर्मार्थ संस्थान है तथा शिक्षा के मानकों में सुधार लाने पर केंद्रित है। यह पुरस्कार यूनेस्को (UNESCO) की साझेदारी में आयोजित किया जाता है।

उद्देश्य:

- यह शिक्षकों के महत्त्व को बढ़ावा देता है और इस तथ्य को रेखांकित करने का कार्य करता है कि दुनिया भर मुं शिक्षकों द्वारा किये जाने वाले प्रयासों को सम्मान और प्रतिष्ठा देने की आवश्यकता है।
- यह न केवल छात्रों बल्कि आस-पास के समुदायों पर भी सर्वोत्तम शिक्षकों के प्रभाव को मान्यता प्रदान करता है।
  - आज दुनिया के सामने आने वाले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के पीछे अपर्याप्त शिक्षा एक प्रमुख कारक है। शिक्षा में गरीबी, पूर्वाग्रह और संघर्ष को कम करने की शक्ति होती है।

रणजीत सिंह डिसाले का योगदान:

- उन्होंने एक जीर्ण-शीर्ण स्कूल को ऐसे स्कूल में परिवर्तित कर दिया जो क्विक रिस्पॉन्स (क्यूआर) कोड प्रस्तुत करने वाला महाराष्ट्र का पहला स्कूल बना।
  - क्यूआर कोड एक प्रकार का बारकोड होता है जिसमें डॉट्स का एक मैट्रिक्स होता है। इसे एक क्यूआर स्कैनर या एक स्मार्टफोन के कैमरे का उपयोग करके स्कैन किया जा सकता है।
- उन्होंने न केवल कक्षा की पाठ्यपुस्तकों का अपने विद्यार्थियों की मातृभाषा में अनुवाद किया, बल्कि छात्रों को ऑडियो कविताओं, वीडियो लेक्चर, कहानियों और असाइनमेंट्स को एम्बेड करने वाले अद्वितीय क्यूआर कोड का निर्माण किया।
- वह संघर्षरत क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के मध्य शांति स्थापित करने हेतु भी प्रयासरत हैं। इनके द्वारा शुरू किया गया "लेट्स क्रॉस द बॉर्डर्स" प्रोजेक्ट भारत व पाकिस्तान, फिलिस्तीन, इज़रायल, इराक, ईरान तथा अमेरिका और उत्तर कोरिया के युवाओं को जोड़ने का कार्य करता है।

डिसाले के प्रयासों का प्रभाव:

- अब गाँव में किशोर विवाह नहीं होते हैं और स्कूल में लड़कियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति होती है।
- राज्य सरकार ने वर्ष 2017 में घोषणा की थी कि वह सभी स्नातकों के लिये राज्य भर में क्यूआर कोड युक्त पाठ्यपुस्तकें प्रस्तुत करेगी।
  - वर्ष 2018 में यह घोषणा की गई थी कि सभी एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों में क्यूआर कोड एम्बेडेड होंगे।

शिक्षा क्षेत्र में सुधार हेतु कुछ भारतीय पहलें

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (National Education Policy 2020)

- शिक्षक को शिक्षा प्रणाली से संबंधित मूलभूत सुधारों के केंद्र में होना चाहिये।
- इस नीति के तहत शिक्षण प्रणाली में सुधार हेतु 'शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' (National Professional Standards for Teachers- NPSTs) का विकास और चार वर्ष के एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम की अवधारणा प्रस्तुत की गई है।

वर्ष 2022 तक शिक्षा क्षेत्र में अवसंरचना और प्रणालियों को मज़बूती प्रदान करना (Revitalising Infrastructure and Systems in Education– RISE)

- यह गुणवत्तापूर्ण तरीके से वर्ष 2022 तक भारत में अनुसंधान और शैक्षणिक बुनियादी ढाँचे को वैश्विक सर्वोत्तम मानकों के अनुरूप उन्नत करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - इसका उद्देश्य भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में उच्च गुणवत्ता युक्त अनुसंधान बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कर भारत को एक शिक्षा केंद्र बनाना है।

यू.जी.सी. का लर्निंग आउटकम-बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क (LOCF)

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा वर्ष 2018 में जारी किये गए LOCF दिशा-निर्देशों का उद्देश्य यह निर्दिष्ट करना है कि स्नातक विद्यार्थी अपने अध्ययन कार्यक्रम के अंत में क्या जानने, समझने और करने में सक्षम हैं। यह छात्रों को एक सक्रिय शिक्षार्थी और शिक्षक को एक अच्छा सूत्रधार बनाता है।

ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क (GIAN):

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों तथा विश्व भर में ख्याति प्राप्त संस्थानों के विशेषज्ञों को भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने के लिये आमंत्रित करना है।

नोट :

- ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन (AISHE):
- सर्वेक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में देश भर में उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों की पहचान कर उनके बारे में जानकारी संग्रहीत करना तथा उच्च शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से डेटा एकत्र करना शामिल है।

ई-पाठशाला:

- इसे वर्ष 2015 में स्कूली छात्रों के बीच सेल्फ लर्निंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
  - यह पोर्टल विभिन्न शिक्षाविदों, शोधकर्त्ताओं, विशेषज्ञों, अभिभावकों और इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण छात्रों की मेज़बानी करता है जो अपने प्रश्नों को हल करने हेतु सुविधा तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं।

वैश्विक पहल

- वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट (Global Education Monitoring Report): इसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा जारी किया जाता है जिसका उद्देश्य सतत् विकास लक्ष्य में निहित शिक्षा संबंधी लक्ष्यों (SDG -4) की दिशा में प्रगति की निगरानी करना है।

कोविड-19 तथा अत्यंत गरीबी : UNDP

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United NationS Development Programme- UNDP) के एक नए अध्ययन में यह बात सामने आई है कि कोरोनोवायरस महामारी के गंभीर दीर्घकालिक प्रभावों के चलते वर्ष 2030 तक अतिरिक्त 207 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी अथवा चरम गरीबी की स्थिति में पहुँच सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप विश्वभर में इनकी संख्या 1 बिलियन से अधिक हो जाएगी।

- यह अध्ययन अमेरिका के डेनवर विश्वविद्यालय (UniverSity of Denver) में पारडी सेंटर फॉर इंटरनेशनल फ्यूचर्स (Pardee Center for International FutureS) तथा UNDP के बीच लंबे समय से चली आ रही साझेदारी का हिस्सा है।
- अध्ययन में अगले दशक में महामारी के बहुआयामी प्रभावों का मूल्यांकन करते हुए सतत् विकास लक्ष्यों (SDGS) पर Covid19 रिकवरी से संबंधित विभिन्न परिदृश्यों के प्रभाव का आकलन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

निष्कर्ष

- 'कोविड बेसलाइन' (Covid BaSeline) परिदृश्य (वर्तमान मृत्यु दरों तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नवीनतम विकास अनुमानों पर आधारित) के तहत, कोविड-19 के कारण वर्ष 2030 तक 44 मिलियन लोग अत्यंत गरीबी की स्थिति में पहुँच सकते हैं।
  - विश्व बैंक "अत्यंत गरीबी" अथवा "चरम " की स्थिति को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 1.90 अमरीकी डॉलर से कम राशि पर जीवन निर्वाह के रूप में परिभाषित करता है।
- 'उच्च क्षति' (High Damage) परिदृश्य जिसमें रिकवरी विलंबित होती है, के तहत कोविड-19 के कारण वर्ष 2030 तक 207 मिलियन अतिरिक्त लोगों के अत्यधिक गरीबी की स्थिति में पहुँचने की संभावना है।
  - यह महिला गरीबों की संख्या में अतिरिक्त 102 मिलियन की वृद्धि कर सकता है।
  - 'उच्च क्षति' परिदृश्य के तहत यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि उत्पादकता में नुकसान के कारण कोविड-19 प्रेरित आर्थिक संकट का 80%, 10 वर्षों तक बना रहेगा जो कि महामारी से पहले देखे गए विकास प्रक्षेपवक्र की पूरी तरह से रिकवरी को बाधित करेगा।

सुझाव:

- अगले दशक में सामाजिक विकास/कल्याण कार्यक्रमों, शासन, डिजिटलीकरण और हरित अर्थव्यवस्था (Green Economy) से जुड़े सतत् विकास लक्ष्यों (SDGS) में निवेश का एक केंद्रित समूह न केवल अत्यधिक गरीबी को बढ़ने से रोक सकता है बल्कि वास्तव में विकास की उस गति को पार कर सकता है जो विश्व में महामारी से पहले विद्यमान थी।

नोट :

- इस प्रकार महत्त्वाकांक्षी SDGs प्रोत्साहन का परिदृश्य (SDG PuSh Scenerio) 146 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी की स्थिति से बाहर लाने, लैंगिक आधार पर व्याप्त गरीबी के अंतर को कम करने और गरीब महिलाओं की संख्या को 74 मिलियन तक कम करने का कार्य करेगा।

- अनुकूल SDG हस्तक्षेप, सरकारों और नागरिकों दोनों के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन को जोड़ने का कार्य करते हैं, जो इस प्रकार हैं:
  - शासन में प्रभावशीलता और दक्षता में सुधार।
  - भोजन, ऊर्जा और जल के उपभोग पैटर्न में बदलाव।
  - जलवायु कार्रवाई के लिये वैश्विक सहयोग।
  - कोविड -19 रिकवरी में अतिरिक्त निवेश।
  - उन्नत ब्रॉडबैंड एक्सेस और प्रौद्योगिकी नवाचार की आवश्यकता।

आयुर्वेद और सर्जरी

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से कुछ विशिष्ट सर्जिकल प्रक्रियाओं को सूचीबद्ध किया, जिनके लिये आयुर्वेद के स्नातकोत्तर मेडिकल छात्र को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) ने केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद (CCIM) द्वारा जारी इस अधिसूचना का विरोध किया है।
- भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) आधुनिक चिकित्सकीय प्रणालियों का उपयोग करने वाले डॉक्टरों का स्वैच्छिक राष्ट्रीय संगठन है, जो कि डॉक्टरों के हितों की रक्षा करते हुए संपूर्ण मानव समाज के कल्याण के लक्ष्य को आगे बढ़ा रहा है।

प्रमुख बिंदु

आयुर्वेद में सर्जरी का इतिहास

- ऋग्वेद, अब तक के ज्ञात सबसे पुरानी वैदिक संस्कृत रचनाओं में से एक है, जिसमें अश्विनी कुमारों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें देव वैद्य के रूप में जाना जाता था, ये वैदिक काल के प्रमुख सर्जन थे और उन्होंने कई दुर्लभ पौराणिक शल्यक्रियाएँ की थीं।
- भारत में आयुर्वेद से संबंधित कई ग्रंथ और संहिताएँ हैं, जिनमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग संग्रह का नाम प्रमुखता से लिया जाता है।
  - चरक संहिता और अष्टांग संग्रह मुख्य तौर पर औषधि ज्ञान से संबंधित हैं, जबकि सुश्रुत संहिता मुख्य रूप से शल्य ज्ञान (Surgical Knowledge) से संबंधित है।
  - सुश्रुत को भारत में शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है और उनकी रचनाएँ सुश्रुत संहिता के रूप में संकलित हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में 120 प्रकार के उपाकर्मों (UpakarmaS) और 300 प्रकार की सर्जिकल प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। उन्होंने सर्जरी को 8 प्रकार की श्रेणियों में वर्गीकृत किया है।
  - सुश्रुत ने सर्जरी को चिकित्सा की पहली और सबसे महत्त्वपूर्ण शाखा माना है। उनके मुताबिक, इसके अंतर्गत चिकित्सकीय उपकरणों के माध्यम से तात्कालिक प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता है, इसलिये चिकित्सा की अन्य प्रणालियों की तुलना में इसका महत्त्व काफी अधिक है।
- मौजूदा विवाद: यह पूरा विवाद आयुर्वेद में स्नातकोत्तर शिक्षा की शल्य (सामान्य सर्जरी) और शालाक्य (आँख, कान, नाक, गला, सर, गर्दन और दंत चिकित्सा आदि से संबंधित सर्जरी) धाराओं से संबंधित छात्रों को 58 निर्दिष्ट सर्जिकल प्रक्रियाओं को करने की अनुमति देने से जुड़ा है।

पक्ष में तर्क

- आयुर्वेद में सर्जरी की दो शाखाएँ हैं- शल्य तंत्र और शालाक्य तंत्र। नियम के मुताबिक, आयुर्वेद के सभी स्नातकोत्तर छात्रों को इन शाखाओं का अध्ययन करना होता है और जो लोग इन विषयों का विशिष्ट अध्ययन करते हैं, वे आयुर्वेद सर्जन बन जाते हैं।

नोट :

- आयुर्वेद में स्नातकोत्तर शिक्षा को इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) विनियम, 2016 द्वारा विनियमित किया जाता है।
  - यह विनियम आयुर्वेद के सभी स्नातकोत्तर छात्रों को शल्य, शालाक्य, प्रसूति और स्त्री रोग जैसी शाखाओं में विशेषज्ञता हासिल करने की अनुमति देता है।
  - इन तीन शाखाओं के छात्रों को एमएस (MS) यानी 'मास्टर इन सर्जरी इन आयुर्वेद' की उपाधि दी जाती है।
- आयुर्वेद के छात्रों के लिये शिक्षा, इंटर्नशिप और सीखने की प्रक्रिया मॉडर्न चिकित्सा के छात्रों के समान ही है।
  - आयुर्वेद के छात्रों को सुश्रुत के सर्जिकल सिद्धांतों और प्रथाओं को सिखाने के अलावा चिकित्सा विधिक (मेडिको लीगल) मुद्दों, सर्जिकल नैतिकता और सूचित सहमति (Informed ConSent) आदि में भी प्रशिक्षित किया जाता है।
- यद्यपि अधिकांश आयुर्वेदिक सर्जिकल प्रक्रियाएँ लगभग आधुनिक सर्जिकल प्रक्रियाओं के समान ही हैं, किंतु दोनों शाखाओं में सर्जरी के बाद होने वाली देखभाल की प्रक्रिया में काफी अंतर है।
- जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का दावा है कि अस्पताल में प्रत्येक वर्ष कम-से-कम 1,000 प्रमुख सर्जरी की जाती हैं। आयुर्वेद चिकित्सकों के मुताबिक यह हालिया अधिसूचना केवल एक स्पष्टीकरण के तौर पर है।
  - प्राय: रोगियों को यह स्पष्ट नहीं होता है आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास किसी सर्जरी प्रक्रिया को करने की क्षमता है अथवा नहीं। इस तरह यह अधिसूचना रोगियों की दुविधा को समाप्त करेगी।

विरोध

- भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) के चिकित्सकों का दावा है कि केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद (CCIM) द्वारा जारी अधिसूचना यह गलत धारणा उत्पन्न करती है कि आधुनिक सर्जरी करने में आयुर्वेद चिकित्सकों का कौशल एवं प्रशिक्षण, आधुनिक चिकित्सा पद्धति का उपयोग करने वाले चिकित्सकों के समान ही है, जो कि पूर्णत: भ्रामक है तथा आधुनिक चिकित्सा के अधिकार क्षेत्र पर एक अतिक्रमण है।
- केवल इसलिये कि आयुर्वेद संस्थानों द्वारा आधुनिक चिकित्सा पद्धति से संबंधित पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है अथवा वे आधुनिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों की मदद से सर्जरी करते हैं, उन्हें इस प्रकार का अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
- भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) के चिकित्सकों ने केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद (CCIM) से यह स्पष्ट करने को कहा है कि किस प्रकार आयुर्वेद के साहित्य में वर्णित प्रत्येक प्रक्रिया आधुनिक सर्जिकल प्रक्रियाओं के समान है।
- सर्जरी के लिये चिकित्सकों को तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जो कि उन्नत प्रशिक्षण और कार्यशालाओं आदि के माध्यम से प्रदान की जाती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आधुनिक चिकित्सा में प्रशिक्षण, अनुसंधान और ज्ञान के आदान-प्रदान हेतु कार्यशालाओं का बुनियादी ढाँचा आयुर्वेद के संस्थानों की तुलना में काफी बेहतर है।
  - सरकार द्वारा वित्तपोषित आयुर्वेदिक शिक्षण संस्थान गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचे, कुशल श्रमशक्ति और सहायक कर्मचारियों से सुसज्जित नहीं हैं।

स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढाँचे में अंतराल

- अमेरिका स्थित ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में किये गए शोध के अनुसार, देश में प्रति 1,000 लोगों पर केवल 0.55 बिस्तर मौजूद हैं।
- वर्ष 2019 में सरकार ने संसद को सूचित किया था कि प्रत्येक 1,445 भारतीयों के लिये देश में केवल एक आधुनिक चिकित्सक मौजूद है।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंडों के अनुसार प्रति 1,000 लोगों पर एक चिकित्सक का होना अनिवार्य है।
  - सर्जन समेत एलोपैथिक डॉक्टरों की कमी है इस तथ्य के कारण भी काफी जटिल हैं क्योंकि भारत में अधिकांश मेडिकल कॉलेज दक्षिण के राज्यों में स्थित हैं। इसके अलावा कई चिकित्सक ऐसे है जो स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के इच्छुक नहीं होते हैं।

आगे की राह

- सरकार के लिये स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिये आवश्यक कदम उठाना काफी महत्त्वपूर्ण है, हालाँकि यहाँ यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति देते समय सुरक्षा मानकों के साथ समझौता न किया जाए।

नोट :

- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) विधेयक 2017 में सरकार ने आयुष डॉक्टरों को आधुनिक दवाओं के प्रयोग की अनुमति देने हेतु दो-वर्षीय ब्रिज कोर्स शुरू करने की बात की थी। ध्यातव्य है कि यह कोर्स स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिये महत्त्वपूर्ण कदम हो सकता है, अत: सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिये।
- सरकार को साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण द्वारा स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के बुनियादी ढाँचे में मौजूद इस अंतर को समाप्त करने के रचनात्मक तरीकों का पता लगाना चाहिये।
- भारत को चिकित्सा बहुलवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये, जो कि पहले से ही कई देशों जैसे- चीन और जापान आदि में वास्तविक रूप प्राप्त कर चुका है।
- देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है ताकि एक ऐसी स्वास्थ्य विकसित की जा सके जो किसी भी प्रकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का सामना करने, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज़ प्रदान करने और सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो।

थारू जनजाति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन विभाग की एक 'होम स्टे' (घर पर ठहरने) योजना के माध्यम से नेपाल से सटे प्रदेश के चार ज़िलों बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत के थारू गाँवों को जोड़ने के लिये कार्य किया जा रहा है।

- इसका उद्देश्य पर्यटकों को थारू जनजाति के प्राकृतिक निवास स्थान (जैसे- जंगलों से एकत्रित घास से बनी पारंपरिक झोपड़ियों आदि) में रहने का अनुभव प्रदान करना है।
- इस योजना के माध्यम से जनजातीय आबादी के लिये रोज़गार सृजन और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

- थारू का शाब्दिक अर्थ: ऐसा माना जाता है कि 'थारू' शब्द की उत्पत्ति 'स्थविर' (Sthavir) से हुई है जिसका अर्थ होता है बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा/परंपरा को मानने वाला।
- निवास स्थान: थारू समुदाय शिवालिक या निम्न हिमालय की पर्वत शृंखला के बीच तराई क्षेत्र से संबंधित है।
  - तराई उत्तरी भारत और नेपाल के बीच हिमालय की निचली श्रेणियों के सामानांतर स्थित क्षेत्र है।
  - थारू समुदाय के लोग भारत और नेपाल दोनों देशों में पाए जाते हैं, भारतीय तराई क्षेत्र में ये अधिकाशंत: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में रहते हैं।
- अनुसूचित जनजाति: थारू समुदाय को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में एक अनुसूचित जनजाति के रूप में चिह्नित किया गया है।
- आजीविका: इस समुदाय के अधिकांश लोग अपनी आजीविका के लिये वनों पर आश्रित रहते हैं हालाँकि समुदाय के कुछ लोग कृषि भी करते हैं।

संस्कृति:

- इस समुदाय के लोग थारू भाषा (हिंद-आर्य उपसमूह की एक भाषा) की अलग-अलग बोलियाँ और हिंदी, उर्दू तथा अवधी भाषा के भिन्न रूपों/संस्करणों का प्रयोग बोलचाल के लिये करते हैं।
- थारू समुदाय के लोग भगवान शिव को महादेव के रूप में पूजते हैं और वे अपने उपनाम के रूप में 'नारायण' शब्द का प्रयोग करते हैं, उनकी मान्यता है कि नारायण धूप, बारिश और फसल के प्रदाता हैं।
- उत्तर भारत के हिंदू रीति-रिवाजों की अपेक्षा थारू समुदाय की महिलाओं को संपत्ति में ज़्यादा मज़बूत अधिकार प्राप्त हैं।
- थारू समुदाय के मानक पकवानों में दो प्रमुख 'बगिया या ढिकरी' तथा घोंघी हैं। बगिया (ढिकरी) चावल के आटे का उबला हुआ एक पकवान है, जिसे चटनी या सालन के साथ खाया जाता है। वहीं घोंघी एक खाद्य घोंघा है, जिसे धनिया, मिर्च, लहसुन और प्याज से बने सालन में पकाया जाता है।

थेरवाद बौद्ध परंपरा:

नोट :

- बौद्ध धर्म की यह शाखा श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस और म्याँमार में अधिक प्रचलित है। कई बार इसे 'दक्षिणी बौद्ध धर्म' के नाम से भी संबोधित किया जाता है।
- इसका शाब्दिक अर्थ है 'बड़ों/बुज़ुर्गों का सिद्धांत' जहाँ बुज़ुर्गों से आशय वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं से है।
- बौद्ध धर्म की इस परंपरा के लोगों का मानना है कि यह परंपरा बुद्ध की मूल शिक्षाओं के सबसे करीब है। हालाँकि इसके तहत कट्टरपंथी तरीके से इन शिक्षाओं की मान्यता पर अधिक ज़ोर नहीं दिया जाता है, इन्हें अपनी श्रेष्ठता या योग्यता के लिये नहीं बल्कि लोगों को सत्य की पहचान करने में सहायता हेतु एक माध्यम/उपकरण के रूप में देखा जाता है ।
- इस परंपरा में अपने स्वयं के प्रयासों से 'आत्म-मुक्ति' प्राप्त करने पर ज़ोर दिया जाता है। इसके अनुयायियों से 'सभी प्रकार की बुराइयों से दूर रहने, जो भी अच्छा है उसे संचित करने और अपने मन को शुद्ध करने' की अपेक्षा की जाती है।
- थेरवाद बौद्ध धर्म का आदर्श वह अर्हत या सिद्ध संत है, जो अपने प्रयासों के परिणामस्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करता है।
- थेरवाद बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिये स्वयं में बदलाव लाने के लिये 'ध्यान' को एक प्रमुख माध्यम माना जाता है और इसलिये एक भिक्षु अपना बहुत समय ध्यान में ही बिता देता है।

अनुसूचित जनजाति:

- संविधान के अनुच्छेद 366 (25) में अनुसूचित जनजाति को उन समुदायों के रूप में संदर्भित किया गया है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत सूचीबद्ध किया गया है।
- अनुच्छेद 342 के अनुसार, अनुसूचित जनजातियाँ वे समुदाय हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना या संसद द्वारा संबंधित अधिनियम में संशोधन के पश्चात् इस प्रकार घोषित किया गया है।
- अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य/केंद्रशासित प्रदेश से संबंधित होती है, ऐसे में एक राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित एक समुदाय को दूसरे राज्य में भी यह दर्जा प्राप्त होना अनिवार्य नहीं है।
- भारतीय संविधान में एक अनुसूचित जनजाति के रूप में चिह्नित किसी समुदाय की विशिष्टता के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई है। आदिमता, भौगोलिक अलगाव और सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक पिछड़ापन ऐसे लक्षण हैं जो अनुसूचित जनजाति के समुदायों को अन्य समुदायों से अलग करते हैं।
- देश में कुछ ऐसी जनजातियाँ [विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (Particularly Vulnerable Tribal GroupS -PVTG) के रूप में ज्ञात 75] हैं, जिन्हें (i)प्रौद्योगिकी के पूर्व-कृषि स्तर, (ii) स्थिर या घटती जनसंख्या, (iii) अत्यंत कम साक्षरता और (iv) आर्थिक निर्वाह स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।
- सरकार के प्रयास: अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' या 'वन अधिकार अधिनियम' (ForeSt RightS Act- FRA), 'पंचायत के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996', अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं जनजातीय उप-योजना रणनीति आदि जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण पर केंद्रित हैं।

त्वरित उपयोग अनुमोदन: COVID-19 टीका

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में तीन वैक्सीन निर्माताओं ने अपने COVIID -19 टीकों के लिये त्वरित उपयोग की मंज़ूरी हेतु केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drug Standard Control OrganiSation- CDSCO) को आवेदन किया है।

- निर्माता जिस वैक्सीन के लिये अनुमोदन की मांग कर रहे हैं वे अभी परीक्षण के अधीन है।

प्रमुख बिंदु:

COVID -19 टीकों के लिये निर्माता:

- कोविशील्ड: पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया।
  - तीसरे चरण का परीक्षण चल रहा है।

नोट :

- कोवैक्सीन: हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक।
  - तीसरे चरण का परीक्षण चल रहा है।
- BNT162b2: BioNTech के सहयोग से अमेरिकी कंपनी फाइज़र द्वारा।
  - भारत में अब तक कोई परीक्षण नहीं हुआ।

भारत में टीकों के अनुमोदन के लिये विनियामक प्रावधान:

- नई दवाओं और टीकों के नैदानिक परीक्षण तथा उनके अनुमोदन का कार्य औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम, 2019 (Drugs and Clinical Trials Rules, 2019) द्वारा नियंत्रित होते हैं।

आपातकालीन प्रावधान:

- भारतीय नियमों में आपातकालीन उपयोग अनुमोदन का प्रावधान नहीं है, हालाँकि 2019 के नियम कई परिस्थितियों में जैसे- मौजूदा महामारी के लिये "त्वरित अनुमोदन प्रक्रिया" प्रदान करते हैं।
- ऐसी स्थितियों में नैदानिक परीक्षणों के तहत रहने वाली एक औषधि को मंजूरी देने का प्रावधान है, बशर्ते औषधि का सार्थक चिकित्सीय लाभ की हो।
- किसी नई औषधि को उस स्थिति में त्वरित अनुमोदन प्रदान किया जा सकता है यदि वह एक गंभीर या जीवन को खतरे में डालने वाले रोग या देश के लिये विशेष रूप से प्रासंगिक रोग और चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करती हो।
- एक नई औषधि या टीके के लिये अनुमोदन हेतु विचार किया जा सकता है यदि इसके चरण- II परीक्षण से भी असाधारण प्रभावशीलता की सूचना मिलती है।
- ऐसे मामलों में चरण- II परीक्षण के बाद भी अतिरिक्त अध्ययन की आवश्यकता हो सकती है।
- नैदानिक परीक्षणों के अंतर्गत रहने वाली औषधियों या टीकों को दी गई मंज़ूरी अस्थायी होती है, और केवल एक वर्ष के लिये वैध है।

नैदानिक परीक्षण:

- नैदानिक परीक्षण का अभिप्राय किसी भी दवा की नैदानिक विशेषताओं की खोज करने अथवा मानवीय स्वास्थ्य पर उस विशिष्ट दवा के प्रभावों को स्पष्ट करने का एक व्यवस्थित अध्ययन है।

नैदानिक परीक्षण के चरण:

- इसका उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या नया यौगिक रोगी के शरीर द्वारा सहन और अनुमानित तरीके से व्यवहार कर सकता है।
- प्रथम चरण या नैदानिक फार्माकोलॉजी परीक्षण या "पहले मनुष्य में" अध्ययन: इस चरण में औषधि को किसी डॉक्टर की देख-रेख में वालंटियर की न्यूनतम संख्या (प्रत्येक खुराक के लिये सूचीबद्ध वालंटियर में से कम-से-कम 2) को दिया जाता है।
- नैदानिक परीक्षण चार चरणों में किये जाते हैं।
- द्वितीय चरण या समन्वेशी परीक्षण: इस चरण के दौरान औषधि को इसके प्रभाव को निर्धारित करने और अस्वीकार्य दुष्प्रभावों की जाँच करने के लिये 3 से 4 केंद्रों में लगभग 10-12 सूचित रोगियों के समूह को दिया जाता है।.
- तृतीय चरण या पुष्टिकरण परीक्षण: इसका उद्देश्य एक बड़ी संख्या में रोगियों में दवा की प्रभावकारिता और सुरक्षा के बारे में पर्याप्त प्रमाण प्राप्त करना है, आमतौर पर एक मानक दवा की तुलना में। इस चरण में समूह 1000-3000 विषयों के मध्य होता है।
- चतुर्थ चरण या विपणन के बाद का चरण: औषधि को डॉक्टरों को उपलब्ध कराने के बाद निगरानी का चरण है, जो इसे निर्धारित करना शुरू करते हैं। किसी भी अप्रत्याशित दुष्प्रभाव की पहचान करने में मदद करने के लिये हजारों रोगियों पर औषधि के प्रभावों की निगरानी की जाती है।

भारत में नियामक तंत्र:

- भारत में नैदानिक परीक्षणों को निम्नलिखित अधिनियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है: ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, 1956 और सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन एक्ट, 1970।
- भारत में नैदानिक परीक्षण करने के लिये आवश्यक शर्तें हैं:

नोट :

- ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) से अनुमति।
- संबंधित नीति समिति (Ethics Committee) का अनुमोदन जहाँ अध्ययन की योजना बनाई गई है।
- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा संचालित वेबसाइट पर अनिवार्य पंजीकरण।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO)

- CDSCO स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण (NRA) है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- देश भर में इसके छह ज़ोनल कार्यालय, चार सब-ज़ोनल कार्यालय, तेरह पोर्ट ऑफिस और सात प्रयोगशालाएँ हैं।
- विज़न: भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना।
- मिशन: दवाओं, सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा, प्रभावकारिता तथा गुणवत्ता बढ़ाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करना।
- ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 एंड रूल्स 1945 (The Drugs & Cosmetics Act,1940 and rules 1945) के तहत CDSCO दवाओं के अनुमोदन, क्लिनिकल परीक्षणों के संचालन, दवाओं के मानक तैयार करने, देश में आयातित दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण और राज्य दवा नियंत्रण संगठनों को विशेषज्ञ सलाह प्रदान करके ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के प्रवर्तन में एकरूपता लाने के लिये उत्तरदायी है।

मानवाधिकार दिवस

चर्चा में क्यों ?

- विश्व भर में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस का आयोजन किया जाता है। ज्ञात हो कि इसी दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) को अपनाया था।
- मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) के तहत मानवीय दृष्टिकोण और राज्य तथा व्यक्ति के बीच संबंध को लेकर कुछ सामान्य बुनियादी मूल्यों का एक सेट स्थापित किया है।
- वर्ष 2020 की थीम: रिकवर बेटर- स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स

प्रमुख बिंदु

मानवाधिकार

- सरल शब्दों में कहें तो मानवाधिकारों का आशय ऐसे अधिकारों से है जो जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किये बिना सभी को प्राप्त होते हैं।
- मानवाधिकारों में मुख्यत: जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तथा काम एवं शिक्षा का अधिकार, आदि शामिल हैं।
- मानवाधिकारों के संबंध में नेल्सन मंडेला ने कहा था, 'लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है।'

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कन्वेंशन और निकाय

मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR)

- इसके अंतर्गत अधिकारों और स्वतंत्रताओं से संबंधित कुल 30 अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और गोपनीयता जैसे नागरिक और राजनीतिक अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल हैं।
  - भारत ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) के प्रारूपण में सक्रिय भूमिका अदा की थी।
- यह किसी भी प्रकार की संधि नहीं है, अत: यह प्रत्यक्ष तौर पर किसी भी देश के लिये कानूनी दायित्त्व निर्धारित नहीं करता है।

नोट :

- मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR), इंटरनेशनल कान्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कान्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट तथा इसके दो वैकल्पिक प्रोटोकॉल्स को संयुक्त रूप से 'अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक' (International Bill of Human RightS) के रूप में जाना जाता है।

अन्य कन्वेंशन

- इसमें शामिल हैं:
  - कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ़ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड (वर्ष 1948)
  - इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉम ऑफ रेसियल डिस्क्रिमिनेशन (वर्ष 1965)
  - कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेन्सट विमेन (वर्ष 1979)
  - बाल अधिकारों पर कन्वेंशन (वर्ष 1989)
  - विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन (वर्ष 2006)
- ध्यातव्य है कि भारत इन सभी कन्वेंशन्स का हिस्सा है।

मानवाधिकार परिषद

- मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर-सरकारी निकाय है जो कि मानव अधिकारों के संवर्द्धन और संरक्षण की दिशा में कार्य करती है। यह संयुक्त राष्ट्र के 47 सदस्य देशों से मिलकर बनी है, जिनका चयन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है।
- सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (UPR) प्रकिया को मानवाधिकार परिषद का सबसे अनूठा प्रयास माना जाता है। इस अनूठे तंत्र के अंतर्गत प्रत्येक चार वर्ष में एक बार संयुक्त राष्ट्र के सभी 192 सदस्य देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा की जाती है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल

- यह मानवाधिकारों की वकालत करने वाले कुछ स्वयंसेवकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संगठन पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर स्वतंत्र रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1961 में पीटर बेन्सन नामक एक ब्रिटिश वकील द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है।

भारत में मानवाधिकार

संवैधानिक प्रावधान

- मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) में उल्लिखित लगभग सभी अधिकारों को भारतीय संविधान में दो हिस्सों (मौलिक अधिकार और राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत) में शामिल किया गया है।
- मौलिक अधिकार: संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है।
- राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत: संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक। इसमें सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, रोज़गार चयन का अधिकार, बेरोज़गारी के विरुद्ध सुरक्षा, समान काम तथा समान वेतन का अधिकार, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार तथा मुफ्त कानूनी सलाह का अधिकार आदि शामिल हैं।

सांविधिक प्रावधान

- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में केंद्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की बात कही गई है, जो कि संविधान में प्रदान किये गए मौलिक अधिकारों के संरक्षण और उससे संबंधित मुद्दों के लिये राज्य मानवाधिकार आयोगों और मानवाधिकार न्यायालयों का मार्गदर्शन करेगा।

हालिया घटनाक्रम

- अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू-कश्मीर की मौजूदा स्थिति और नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के कारण भारत पुन: मानवाधिकार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ गया है।
- वर्ष 2014 से अब तक सरकार विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (Foreign Contribution Regulation Act) के तहत 14,000

नोट :

से अधिक गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) का पंजीकरण रद्द कर चुकी है और इस कार्यवाही के तहत मुख्य तौर पर सरकार के आलोचकों को लक्षित किया गया है।

- बीते कई वर्षों से मुस्लिमों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के साथ-साथ दलितों तथा आदिवासियों के विरुद्ध बड़ी संख्या में लिंग व जाति आधारित अपराध की घटनाएँ दर्ज की जा रही हैं।
- 'फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020' रिपोर्ट में भारत को तिमोर-लेस्ते (Timor-LeSte) और सेनेगल (Senegal) के साथ 83वें स्थान पर रखा गया है। इस वर्ष भारत का स्कोर चार अंक गिरकर 71 हो गया, जो इस वर्ष विश्व के 25 सबसे बड़े लोकतंत्रों के स्कोर में सबसे अधिक गिरावट है।

सरकार द्वारा किये गए उपाय:

- कोरोना वायरस महामारी के दौरान सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के लिये आवश्यक भोजन सुनिश्चित करने का प्रयास किया है, ताकि कोई भी भूखा न रहे।
- इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के सशक्तीकरण के लिये मनरेगा के तहत किये गए काम की मज़दूरी दर में भी वृद्धि की गई है। सरकार ने महामारी से प्रभावित प्रवासी मज़दूरों के अधिकारों को सुनिश्चित करने और जीवनयापन में उनकी सहायता करने के लिये उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष धन हस्तांतरण की व्यवस्था की है।

आगे की राह

- मानवाधिकारों को सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) का केंद्रबिंदु माना जाता है, क्योंकि मानवीय गरिमा के अभाव में कोई भी व्यक्ति सतत् विकास की उम्मीद नहीं कर सकता है।
- कोरोना वायरस संकट के कारण गरीबी तथा असमानता को कम करने और मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने की दिशा में हो रहे प्रयासों पर गहरा प्रभाव पड़ा है तथा गरीबी, असमानता, भेदभाव जैसे मुद्दों ने और भी गंभीर रूप धारण कर लिया है। इन अंतरालों को कम करने तथा मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के प्रयासों के माध्यम से ही अधिक बेहतर और सतत् विश्व का निर्माण सुनिश्चित किया जा सकता है।

वैश्विक स्वास्थ्य अनुमान 2019

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO) ने वैश्विक स्वास्थ्य अनुमान (Global Health EStimateS) 2019 जारी किया है।

- WHO का वैश्विक स्वास्थ्य अनुमान दुनिया के सभी क्षेत्रों में बीमारियों और चोटों के कारण होने वाली मौतों तथा स्वास्थ्य की हानि का व्यापक व तुलनात्मक मूल्यांकन करता है।
- वैश्विक स्वास्थ्य अनुमान का नवीनतम आँकड़ा वर्ष 2000 से 2019 के बीच की अवधि का है।
- यह अनुमान WHO के टेन थ्रेट्स टू ग्लोबल हेल्थ (Ten ThreatS to Global Health) रिपोर्ट 2019 के अनुरूप है।

प्रमुख बिंदु

वैश्विक स्वास्थ्य अनुमान 2019 के प्रमुख बिंदु:

- मृत्यु के शीर्ष दस कारण: इसमें इस्केमिक (ISchaemic) हृदय रोग, आघात, चिरकालिक अवरोधी फुप्फुस (Chronic ObStructive Pulmonary) रोग, निचला श्वसन तंत्र संक्रमण (Lower ReSpiratory Tract Infection), नवजात में होने वाला पीलिया, श्वास नलिका, श्वसन और फेफड़ों का कैंसर, अल्ज़ाइमर रोग और मनोभ्रंश (DementiaS), डायरिया, डायबिटीज़ मेलिटस (MellituS) और किडनी संबंधी रोग शामिल हैं।
- गैर-संचारी रोग: विश्व में शीर्ष 10 में से 7 मौतें इसके कारण होती हैं। इसने वर्ष 2000 की अवधि में मौजूद 10 प्रमुख कारणों में से 4 कारणों की वृद्धि की है।

नोट :

- हृदय रोग: यह अब सभी कारणों से होने वाली कुल मौतों का 16% हो गया है और हृदय रोग से होने वाली मौतों की संख्या वर्ष 2000 के बाद से 2 मिलियन से अधिक बढ़कर 2019 में लगभग 9 मिलियन हो गई है।
- अल्ज़ाइमर रोग और मनोभ्रंश के अन्य रूप: इस मामले में अमेरिका और यूरोप दोनों सयुंक्त रूप से वर्ष 2019 में तीसरे स्थान पर रहे।
  - महिलाओं पर प्रभाव: विश्व स्तर पर अल्ज़ाइमर और मनोभ्रंश के विविध रूपों से लगभग 65% महिलाएँ प्रभावित हैं।
- डायबिटीज़: वर्ष 2000 - 2019 के बीच वैश्विक स्तर पर डायबिटीज़ से होने वाली मौतों में 70% की वृद्धि हुई, जिसमें 80% मौत का आँकड़ा पुरुषों का है।
  - पूर्वी भूमध्य सागरीय देशों में मधुमेह से होने वाली मौतें दोगुनी से अधिक हो गई हैं जो WHO द्वारा कवर किये जाने वाले सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक वृद्धि को दर्शाता है।
- संचारी रोग: निम्न आय वाले देशों में मृत्यु के शीर्ष 10 कारणों में से 6 का कारण अभी भी संचारी रोग हैं, जिनमें मलेरिया (6वाँ), तपेदिक (8वाँ) और एड्स (9वाँ) शामिल हैं।
- निमोनिया और निचला श्वसन तंत्र संक्रमण: ये संचारी रोगों के सबसे घातक समूह में से एक थे और दोनों ही एक साथ मृत्यु के प्रमुख कारण के रूप में चौथे स्थान पर सूचीबद्ध थे।
  - हालाँकि वर्ष 2000 की तुलना में निचला श्वसन तंत्र संक्रमण के करण होने वाली मौतों के मामलों में गिरावट (वैश्विक स्तर पर मौतों की संख्या में लगभग 5 लाख की कमी) देखी गई।
  - यह कमी संचारी रोगों से होने वाली मौतों के प्रतिशत में सामान्य वैश्विक गिरावट के अनुरूप है।
- एड्स (AIDS): यह वर्ष 2000 में मृत्यु का 8वाँ प्रमुख कारण था जो 2019 में 19वें स्थान पर पहुँच गया, यह पिछले दो दशकों में इसके संक्रमण को रोकने, वायरस के परीक्षण और इस बीमारी के उपचार के प्रयासों की सफलता को दर्शाता है।
  - यह अफ्रीका में मृत्यु का चौथा प्रमुख कारण है, हालाँकि इससे होने वाली मौतों की संख्या में आधे से अधिक की कमी आई है, जो कि अफ्रीका में वर्ष 2000 में 1 मिलियन से अधिक थी परंतु यह आँकड़ा वर्ष 2019 में घटाकर 4,35,000 हो गया है।
- तपेदिक: तपेदिक वर्तमान में विश्व की शीर्ष 10 बीमारियों में शामिल नहीं है। तपेदिक से होने वाली मौतों के मामलों में 30% की गिरावट के साथ यह वर्ष 2000 के 7वें स्थान से गिरकर 2019 में 13वें स्थान पर पहुँच गई।
  - हालाँकि अफ्रीका और दक्षिण-पूर्वी एशिया में मृत्यु के शीर्ष 10 कारकों में अभी भी इसका क्रमश: 8वाँ और 5वाँ स्थान है।
- वर्तमान में गैर-संचारी रोग विश्व भर में अधिक मौतों का कारण बन रहे हैं, जबकि संचारी रोगों से होने वाली मौत के आँकड़ों में वैश्विक स्तर पर गिरावट आई है, हालाँकि संचारी रोग अभी भी निम्न और मध्यम आय वाले देशों में एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं।
- जीवन प्रत्याशा में वृद्धि: कई अनुमान वर्ष 2019 में दीर्घायु (वर्ष 2000 की तुलना में 6 वर्ष अधिक) की बढ़ती प्रवृत्ति की पुष्टि करते हैं।
- वर्ष 2000 में दीर्घायु का वैश्विक औसत 67 वर्ष था जबकि यह वर्ष 2019 में यह 73 वर्ष देखा गया।
- नए अनुमानों से यह स्पष्ट है कि लोग अधिक वर्षों तक जीवित रह रहे हैं परंतु दिव्यांगता के मामलों में वृद्धि हुई है।

सुझाव:

- वर्तमान में हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह और श्वास संबंधी बीमारियों की रोकथाम और उपचार के लिये सामूहिक रूप से और गहनता के साथ वैश्विक स्तर पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
- सतत् विकास लक्ष्यों के एजेंडे के अनुरूप विश्व के सभी हिस्सों में बीमारियों और चोट (Injury) का उपचार और नियंत्रण सुनिश्चित करना।
- विश्व को गैर-संचारी रोगों की रोकथाम, निदान और उपचार सुनिश्चित करने की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाने की ज़रूरत है।
- साथ ही वर्तमान में तात्कालिक रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में भी समान और समग्र रूप से सुधार की आवश्यकता है।
- स्पष्ट है कि मज़बूत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल वह आधार है जिसके सहारे ही गैर-संचारी रोगों का मुकाबला करने से लेकर वैश्विक महामारी के प्रबंधन तक के प्रयासों को दिशा दी जा सकती है
- समय पर और प्रभावी निर्णय लेने में सहायता के लिये सरकार एवं अन्य हितधारकों द्वारा शीघ्र ही स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े डेटा और सूचना प्रणालियों में निवेश किया जाना चाहिये।

नोट :

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हेतु भारतीय पहल:

- आयुष्मान भारत: यह केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य क्षेत्र की एक प्रमुख योजना है, यह योजना सेवा वितरण के क्षेत्रीय और विभिन्न दृष्टिकोणों से हटकर ज़रूरत-आधारित व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सेवा उपलब्ध कराने का प्रयास करती है।
- लक्ष्य: इस योजना को सरकार द्वारा देश में सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है।
- पोषण अभियान: इसका उद्देश्य तकनीकी के उपयोग के माध्यम से सेवाओं की आपूर्ति और अन्य आवश्यक हस्तक्षेप सुनिश्चित करना है। साथ ही इसके तहत अलग-अलग निगरानी मापदंडों के अंतर्गत प्राप्त किये जाने वाले विशिष्ट लक्ष्यों को रेखांकित किया गया है।
- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन: यह एक पूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थि।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज़ के लिये लैंसेट सिटिज़न्स कमीशन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत में दस वर्षों की अवधि में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज़ (UniverSal Health Coverage) और प्रत्येक नागरिक के लिये गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने हेतु रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से लैंसेट सिटिज़न्स कमीशन (Lancet CitizenS' CommiSSion) के साथ मिलकर एक पैनल का गठन किया गया है।

मुख्य बिंदु

भारत की स्वास्थ्य प्रणाली पर लैंसेट सिटिज़न्स कमीशन:

- प्रतिभागी: यह दुनिया की प्रमुख स्वास्थ्य पत्रिका द लैंसेट, लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली साउथ एशिया इंस्टीट्यूट और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग से शुरू की गई अपनी तरह की एक पहली देशव्यापी पहल थी।
- उद्देश्य: सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज़ (UHC) के कार्यान्वयन में सार्वजनिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु एक नागरिक रूपरेखा विकसित करना।
- मिशन:
  - भारत में आगामी दशक में सभी हितधारकों के साथ मिलकर UHC को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करना।
  - भारत में अनुकूल स्वास्थ्य प्रणाली को साकार करने हेतु एक रोडमैप तैयार करना जो सभी नागरिकों के लिये व्यापक, जवाबदेह, सुलभ, समावेशी एवं सस्ती गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करे।
  - पूरे भारत से ज़मीनी स्तर का सर्वेक्षण, सार्वजनिक परामर्श और ऑनलाइन चर्चा के माध्यम से संपूर्ण जानकारी एकत्रित करना।
  - सभी क्षेत्रों में संवाद एवं ज्ञान को साझा करने के लिये शैक्षिक संस्थानों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर सहभागिता विकसित करना।
- फोकस: यह पूरी तरह से भारत की स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण अथवा संरचना पर केंद्रित होगा।
- सिद्धांत: आयोग को चार सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाएगा:
  - UHC के तहत सभी स्वास्थ्य चिंताओं को कवर किया जाए।
  - रोकथाम और दीर्घकालिक देखभाल पर प्रमुखता से ध्यान दिया जाए।
  - सभी स्वास्थ्य लागतों के लिये वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाए।
  - एक ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली की आकांक्षा जो सभी को समान गुणवत्ता का लाभ दे सके।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज़:

- UHC का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों और समुदायों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बिना वित्तीय कठिनाई की हो सके। इसमें स्वास्थ्य संवर्द्धन, रोकथाम, उपचार, पुनर्वास और उपशामक देखभाल से आवश्यक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी श्रृंखला शामिल है।
- UHC का लक्ष्य: सभी के लिये समान गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों (SuStainable Development GoalS 3) में सबसे महत्त्वपूर्ण है।

नोट :

UHC के लाभ:

- यह उन सभी सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाता है जो बीमारी और मृत्यु के सबसे महत्त्वपूर्ण कारणों में से एक हैं। इसके अलावा UHC यह सुनिश्चित करता है कि लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता अच्छी रहे।
- यह लोगों पर पड़ने वाले स्वास्थ्य सेवाओं के वित्तीय भार को कम करता है और लोगों को गरीबी की स्थिति में जाने के जोखिम को कम करता है क्योंकि अप्रत्याशित बीमारी से स्वयं के जीवन की रक्षा करने के लिये कभी-कभी अपनी जीवन भर की बचत को लगा देना पड़ता है या संपत्ति को बेचना पड़ता है अथवा उधार लेना पड़ता है। इन परिस्थितियों के कारण इनका भविष्य खराब होने के साथ ही इनके बच्चों का भी भविष्य भी प्रभावित होता है।

अन्य संबंधित पहल:

आयुष्मान भारत:

- यह एक प्रमुख पहल है जो सेवा वितरण के क्षेत्रीय और खंडित दृष्टिकोण की जगह एक व्यापक आवश्यकता-आधारित स्वास्थ्य देखभाल सेवा वितरित पर केंद्रित है।
- इसकी शुरुआत सरकार द्वारा देश में सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।
- पोषण अभियान: इसे राष्ट्रीय पोषण मिशन के रूप में भी जाना जाता है, यह बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं हेतु पोषण परिणामों में सुधार करने के लिये भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है।

आगे की राह

- सरकारी वित्तपोषित कार्यक्रमों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि वित्तीय बाधाओं के कारण लोगों की आवश्यक सेवाओं तक पहुँच प्रभावित न हो। UHC के विकास से गरीब और निकट-गरीबों को पूरी लागत का कवरेज़ मिलना चाहिये जबकि अन्य नियोक्ता वित्तपोषित योजनाओं या निजी तौर पर खरीदे गए बीमा के माध्यम से अपनी स्वास्थ सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं।
- कम समय में लोगों की क्षमता निर्माण की चुनौती को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private PartnerShipS) के माध्यम से पूरा करने की आवश्यकता है, जिससे ई-लर्निंग मॉडल को विकसित करने तथा अपनाने का एक और अवसर मिल सके।
- एक समावेशी UHC मॉडल के लिये स्वास्थ्य सेवाओं की लागत, गुणवत्ता और पहुँच के बीच एक समझौताकारी समन्वय को कायम रखना महत्त्वपूर्ण है। अभिनव साझेदारी के साथ रोगियों, दाताओं और प्रदाताओं को संरेखित करने वाला एक सहयोगी दृष्टिकोण जोखिमों तथा प्रतिकूल प्रभावों को कम करने, मज़बूत सामाजिक प्रतिफल प्रदान करने तथा समावेशी UHC लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास करेगा।

बाल विवाह और महामारी

चर्चा में क्यों ?

- चाइल्डलाइन इंडिया द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक महामारी और उसके कारण लागू किया गया देशव्यापी लॉकडाउन मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह के नए कारक साबित हुए हैं।

प्रमुख बिंदु

चाइल्डलाइन इंडिया रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- रिपोर्ट की मानें तो मध्य प्रदेश में नवंबर 2019 से मार्च 2020 के बीच बाल विवाह के 46 मामले दर्ज किये गए थे, जबकि अप्रैल 2020 से जून 2020 तक देशव्यापी लॉकडाउन के केवल तीन महीनों में यह आँकड़ा 117 तक पहुँच गया।
- मार्च 2020 से जून 2020 के बीच लॉकडाउन के पहले चार महीनों में समग्र भारत में बाल विवाह के कुल 5,214 मामले दर्ज हुए थे।

कारण

- आयु घटक
  - शिक्षा का अधिकार अधिनियम केवल 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा को नि:शुल्क और अनिवार्य बनाता है। शोध से ज्ञात होता है कि यदि किसी बच्चे को 15 वर्ष की आयु में स्कूल छोड़ना पड़ता है तो कम उम्र में उसकी शादी होने की संभावना काफी प्रबल हो जाती है।
    - कम आयु की लड़कियों के लिये लड़कों की तुलना में बाल विवाह का खतरा अधिक होता है।

नोट :

- असुरक्षा
  - भारत की कानून व्यवस्था अभी भी लड़कियों और महिलाओं के लिये एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं, जिसके कारण कई माता-पिता कम उम्र में ही अपनी लड़की की शादी करवा देते हैं।
- शिक्षा का अभाव
  - लड़कियों को प्राय: सीमित आर्थिक भूमिका में देखा जाता है। महिलाओं का काम घर तक ही सीमित रहता है और उसे भी कोई विशेष महत्त्व नहीं दिया जाता है।
  - इसके अलावा दहेज भी एक बड़ी समस्या है। इस तथ्य के बावजूद कि भारत में दहेज को पाँच दशक पूर्व ही प्रतिबंधित कर दिया गया है, दूल्हे और/या उसके परिवार द्वारा दहेज की मांग करना एक आम प्रथा बनी हुई है।

महामारी के दौरान बाल विवाह में वृद्धि क्यों ?

- महामारी के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक संकट ने गरीब अभिभावकों को अपने बच्चों खासतौर पर लड़कियों का विवाह जल्द-से-जल्द करने के लिये मजबूर कर दिया है।
- स्कूल बंद होने के कारण बच्चों मुख्यत: लड़कियों की सुरक्षा का मुद्दा भी उनके विरुद्ध हिंसा और बाल विवाह का एक प्रमुख कारण है।

प्रभाव

- बाल विवाह ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या HIV जैसे यौन संचारित संक्रमणों की उच्च दर से जुड़ा हुआ है।
- बाल विवाह प्रजनन क्षमता को बढ़ाकर जनसंख्या वृद्धि में योगदान देता है और ऐसी स्थिति में यदि शिक्षा गुणवत्ता परक न हो, रोज़गार के अवसर सीमित हों, स्वास्थ्य एवं आर्थिक सुरक्षा के साधन उपलब्ध न हों तो अत्यधिक आबादी एक अभिशाप का रूप धारण कर सकती है।
- कम आयु में विवाह करने वाले बच्चे प्राय: विवाह के दायित्त्वों को समझने में असमर्थ होते हैं जिसके कारण प्राय: परिवार के सदस्यों के बीच समन्वय का अभाव देखा जाता है।

बाल वधू पर प्रभाव

अधिकारों का हनन

- कम आयु में विवाह करने से लड़कियाँ अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित हो जाती हैं। 'बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन' (UNCRC) में उल्लिखित बुनियादी अधिकारों में शिक्षा का अधिकार और दुष्कर्म तथा यौन शोषण जैसे मानसिक अथवा शारीरिक शोषण से सुरक्षा का अधिकार आदि शामिल हैं।

सामाजीकरण का आभाव

- घरेलू ज़िम्मेदारियों के कारण प्राय: बाल वधुओं को अपनी शिक्षा छोड़नी पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि यदि घर की महिला शिक्षित होती है तो वह अपने पूरे परिवार को शिक्षित करती है, किंतु यदि वह अशिक्षित है तो उसके बच्चों को भी शिक्षा प्राप्ति के अवसर कम ही मिलते हैं।

महिला सशक्तीकरण में बाधा

- चूँकि बाल वधू अपनी शिक्षा पूरी करने में सक्षम नहीं होती हैं, वह प्राय: परिवार के अन्य सदस्यों पर आश्रित रहती है, जो लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ी बाधा है।

स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे

- बाल विवाह का बाल वधुओं के स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे न तो शारीरिक रूप से और न ही मानसिक रूप किसी की पत्नी अथवा किसी की माता बनने के लिये तैयार होती हैं।
- शोध के मुताबिक, 15 वर्ष से कम आयु की लड़कियों में मातृ मृत्यु का जोखिम सबसे अधिक रहता है।
- इसके अलावा बाल वधुओं पर हृदयाघात, मधुमेह, कैंसर, और स्ट्रोक आदि का खतरा 23 प्रतिशत अधिक होता है। साथ ही वे मानसिक विकारों के प्रति भी काफी संवेदनशील होती हैं।

नोट :

बाल विवाह रोकने हेतु सरकार के प्रयास

- वर्ष 1929 का बाल विवाह निरोधक अधिनियम भारत में बाल विवाह की कुप्रथा को प्रतिबंधित करता है।
- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत महिलाओं और पुरुषों के लिये विवाह की न्यूनतम आयु क्रमश: 18 वर्ष और 21 वर्ष निर्धारित की गई है।
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 को बाल विवाह निरोधक अधिनियम (1929) की कमियों को दूर करने के लिये लागू किया गया था।
- केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मातृत्व की आयु, मातृ मृत्यु दर और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार से संबंधित मुद्दों की जाँच करने के लिये एक समिति का गठन किया है। यह समिति गर्भावस्था, प्रसव और उसके पश्चात् माँ और बच्चे के चिकित्सीय स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर के साथ विवाह की आयु और मातृत्व के सहसंबंध की जाँच करेगी। यह समिति जया जेटली की अध्यक्षता में गठित की गई है।
- बाल विवाह जैसी कुप्रथा का उन्मूलन सतत् विकास लक्ष्य-5 (SDG-5) का हिस्सा है। यह लैंगिक समानता प्राप्त करने तथा सभी महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त बनाने से संबंधित है।

चाइल्डलाइन फाउंडेशन

- यह भारत में एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) है जो बच्चों के लिये चाइल्डलाइन नामक एक टेलीफोन हेल्पलाइन संचालित करता है।
- यह भारत में बच्चों की मदद के लिये नि:शुल्क आपातकालीन फोन सेवा है, जो चौबीसों घंटे उपलब्ध है।
- चाइल्डलाइन फाउंडेशन 18 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के अधिकारों के संरक्षण की दिशा में कार्य करता है। यह गैर-सरकारी संगठन मुख्य तौर पर गरीब वर्ग के बच्चों और लड़कियों के हित में कार्य करता है।
- यह बच्चों की सुरक्षा में शामिल एजेंसियों का सबसे बड़ा नेटवर्क भी है।

The Vision

नोट :

कला एवं संस्कृति

हम्पी मंदिर में अवस्थित पत्थर के रथ

चर्चा में क्यों ?

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India- ASI) ने हम्पी के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर विट्ठल मंदिर परिसर के अंदर पत्थर के रथ की सुरक्षा के लिये कदम उठाए हैं।

- ASI, पुरातात्त्विक अनुसंधान और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख संगठन है।

प्रमुख बिंदु:

हम्पी रथ:

- यह भारत में पत्थर से निर्मित तीन प्रसिद्ध रथों में से एक है, अन्य दो रथ कोणार्क (ओडिशा) और महाबलीपुरम (तमिलनाडु) में हैं।
- इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में विजयनगर शासक, राजा कृष्णदेवराय के आदेश पर हुआ था।
  - विजयनगर शासकों ने 14वीं से 17वीं शताब्दी तक शासन किया।
- यह भगवान विष्णु के आधिकारिक वाहन गरुड़ को समर्पित एक मंदिर है।

विट्ठल मंदिर:

- इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासकों में से एक देवराय द्वितीय के शासन के दौरान हुआ था।
- यह विट्ठल को समर्पित है और इसे विजया विट्ठल मंदिर भी कहा जाता है।
  - विट्ठल को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है।
- विट्टल मंदिर दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में निर्मित है।

हम्पी:

- चौदहवीं शताब्दी के दौरान मध्यकालीन भारत के महानतम साम्राज्यों में से एक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है।
  - इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने वर्ष 1336 में की थी।
- यूनेस्को (वर्ष 1986) द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में वर्गीकृत, यह "विश्व का सबसे बड़ा ओपन-एयर संग्रहालय" भी है।
- हम्पी, उत्तर में तुंगभद्रा नदी और अन्य तीन ओर से पथरीले ग्रेनाइट के पहाड़ों से घिरा हुआ है। हम्पी के चौंदहवीं शताब्दी के भग्नावशेष यहाँ लगभग 26 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं।
- विजयनगर शहर के स्मारक जिन्हें विद्या नारायण संत के सम्मान में विद्या सागर के नाम से भी जाना जाता है, को वर्ष 1336-1570 ईस्वी के बीच हरिहर-I से लेकर सदाशिव राय आदि राजाओं ने बनवाया था। यहाँ पर सबसे अधिक इमारतें तुलुव वंश (Tuluva DynaSty) के महान शासक कृष्णदेव राय (1509 -30 ईस्वी) ने बनवाई थीं।
- हम्पी के मंदिरों को उनकी बड़ी विमाओं, पुष्प अलंकरण, स्पष्ट नक्काशी, विशाल खम्भों, भव्य मंडपों एवं मूर्ति कला तथा पारंपरिक चित्र निरुपण के लिये जाना जाता है, जिसमें रामायण और महाभारत के विषय शामिल किये गए हैं।
- हम्पी में मौजूद विठ्ठल मंदिर विजय नगर साम्राज्य की कलात्मक शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एक पत्थर से निर्मित देवी लक्ष्मी, नरसिंह तथा गणेश की मूर्तियाँ अपनी विशालता एवं भव्यता के लिये उल्लेखनीय हैं। यहाँ स्थित जैन मंदिरों में कृष्ण मंदिर, पट्टाभिराम मंदिर, हजारा राम चंद्र और चंद्र शेखर मंदिर प्रमुख हैं।

नोट :

विजयनगर साम्राज्य:

- विजयनगर या "विजय का शहर" एक शहर और साम्राज्य दोनों का नाम था।
- साम्राज्य की स्थापना चौदहवीं शताब्दी (1336 ईस्वी) में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने की थी।
- यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के दूरतम दक्षिण तक फैला हुआ है।
- विजयनगर साम्राज्य पर चार महत्त्वपूर्ण राजवंशों का शासन था जो इस प्रकार हैं:
  - संगम
  - सुलुव
  - तुलुव
  - अराविदु
- तुलुव वंश का कृष्णदेवराय (शासनकाल 1509-29) विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उनके शासन में विस्तार और समेकन की विशेषता थी।
  - उन्हें कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण और कई महत्त्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रभावशाली गोपुरम जोड़ने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने विजयनगर के पास एक उपनगरीय बस्ती की भी स्थापना की, जिसे नागालपुरम कहा जाता था।
  - उन्होंने तेलुगु में अमुक्तमलयद (Amuktamalyada) के नाम से जाने जाने वाले शासन कला के ग्रंथ की रचना की।
- विजयनगर शासकों के संरक्षण में फैले दक्षिण भारत के हिस्सों में द्रविड़ वास्तुकला संरक्षित है।
- विजयनगर वास्तुकला को 'रानी का स्नान' और हाथी अस्तबल जैसी धर्मनिरपेक्ष इमारतों में इंडो इस्लामिक वास्तुकला के तत्त्वों को अपनाने के लिये भी जाना जाता है, जो एक अत्यधिक विकसित बहु-धार्मिक और बहु-जातीय समाज का प्रतिनिधित्त्व करते हैं।

द्रविड़ वास्तुकला

- छठी शताब्दी ई. तक उत्तर और दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला शैली लगभग एक समान थी, लेकिन छठी शताब्दी ई. के बाद प्रत्येक क्षेत्र का भिन्न-भिन्न दिशाओं में विकास हुआ। इस प्रकार आगे ब्राह्मण हिंदू धर्म मंदिरों के निर्माण में तीन प्रकार की शैलियों- नागर, द्रविड़ और बेसर शैली का प्रयोग किया।

मंदिरों के नागर और द्रविड़ शैली की विशेषताएँ:

नागर शैली-

- 'नागर' शब्द नगर से बना है। सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इसे नागर शैली कहा जाता है।
- यह संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक शैली है जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में प्रचलित थी।
- इसे 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में मौजूद शासक वंशों ने पर्याप्त संरक्षण दिया।
- नागर शैली की पहचान-विशेषताओं में समतल छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता पाई जाती है। इसे अनुप्रस्थिका एवं उत्थापन समन्वय भी कहा जाता है।
- नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं।
- ये मंदिर उँचाई में आठ भागों में बाँटे गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं- मूल (आधार), गर्भगृह मसरक (नींव और दीवारों के बीच का भाग), जंघा (दीवार), कपोत (कार्निस), शिखर, गल (गर्दन), वर्तुलाकार आमलक और कुंभ (शूल सहित कलश)।
- इस शैली में बने मंदिरों को ओडिशा में 'कलिंग', गुजरात में 'लाट' और हिमालयी क्षेत्र में 'पर्वतीय' कहा गया।

द्रविड़ शैली-

- कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं।
- द्रविड़ शैली की शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुई और सुदूर दक्षिण भारत में इसकी दीर्घजीविता 18वीं शताब्दी तक बनी रही।
- द्रविड़ शैली की पहचान विशेषताओं में- प्राकार (चहारदीवारी), गोपुरम (प्रवेश द्वार), वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह (रथ), पिरामिडनुमा शिखर, मंडप (नंदी मंडप) विशाल संकेन्द्रित प्रांगण तथा अष्टकोण मंदिर संरचना शामिल हैं।
- द्रविड़ शैली के मंदिर बहुमंजिला होते हैं।

नोट :

- पल्लवों ने द्रविड़ शैली को जन्म दिया, चोल काल में इसने उँचाइयाँ हासिल की तथा विजयनगर काल के बाद से यह ह्रासमान हुई।
- चोल काल में द्रविड़ शैली की वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का संगम हो गया।
- यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल तंजौर का वृहदेश्वर मंदिर (चोल शासक राजराज- द्वारा निर्मित) 1000 वर्षों से द्रविड़ शैली का जीता-जागता उदाहरण है।
- द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही आगे नायक शैली का विकास हुआ, जिसके उदाहरण हैं- मीनाक्षी मंदिर (मदुरै), रंगनाथ मंदिर (श्रीरंगम, तमिलनाडु), रामेश्वरम् मंदिर आदि।

सिंधु घाटी सभ्यता का आहार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस (Journal of Archaeological Science) में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आहार में मांस का प्रभुत्व था, जिसमें गोमांस व्यापक रूप में शामिल था।

प्रमुख बिंदु

- सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तनों पर पाए गए चर्बी के अवशेषों पर यह शोध किया गया। इनमें सुअरों, मवेशियों, भैंसों, भेड़ों और बकरियों के मांस की अधिकता मिली। प्राचीन उत्तर-पश्चिमी भारत के शहरी और ग्रामीण इलाकों में मिले पुरातन बर्तनों में दूध से बनी कई चीजों के अवशेष भी पाए गए। वर्तमान में यह इलाका हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पड़ता है।
  - आलमगीरपुर (मेरठ), उत्तर प्रदेश
  - हरियाणा:
    - मसूदपुर, लोहारीराघो, राखीगढ़ी शहर (हिसार)
    - खानक (भिवानी), फरमाना शहर (रोहतक)

निष्कर्ष:

- अध्ययन में सिंधु घाटी सभ्यता के ग्रामीण और शहरी बस्तियों से पशु उत्पाद जैसे कि सूअर का मांस, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी के साथ-साथ डेयरी उत्पादों का प्रभुत्व पाया गया है।
- घरेलू पशुओं में मवेशी/भैंस प्रचुर मात्रा में पाई जाती थीं क्योंकि इस समय के प्राप्त कुल जानवरों की हड्डियों में से 50-60% इन्ही के हैं और शेष 10% हड्डियाँ भेड़/बकरी से संबंधित हैं।
  - सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मवेशी की हड्डियों का उच्च अनुपात भोजन के रूप में गोमांस का इस्तेमाल किये जाने की पुष्टि करता है।
- हड़प्पा में 90% मवेशियों को तब तक जीवित रखा जाता था जब तक कि वे तीन या साढ़े तीन साल के नहीं हो जाते थे। मादा का उपयोग डेयरी उत्पादन के लिये किया जाता था, जबकि नर का इस्तेमाल गाड़ी खीचने के लिये किया जाता था।
- सिंधु घाटी सभ्यता में भोजन की आदत पर पहले भी कई अध्ययन हुए हैं लेकिन इन अध्ययनों का मुख्य ध्यान फसलों पर केंद्रित था।

सिंधु घाटी सभ्यता

समयसीमा:

- हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3000 ई.पू के समय का मिलता है। 2600 ई.पू. तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था

नोट :

में प्रवेश कर चुकी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ 1800 ई.पू. से माना जाता है,1700 ई.पू. तक आते-आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुके थे।

- हड़प्पा नामक स्थान पर पहली बार यह संस्कृति खोजी गई थी, इसलिये इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है।

भौगोलिक विस्तार:

- भौगोलिक रूप से यह सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैली थी।
  - इनमें सुत्काग्गोर (बलूचिस्तान में) से पूर्व में आलमगीरपुर (पश्चिमी यूपी) तक तथा उत्तर में मांडू (जम्मू) से दक्षिण में दायमाबाद (अहमदनगर, महाराष्ट्र) तक के क्षेत्र शामिल थे।
  - कुछ सिंधु घाटी स्थल अफगानिस्तान में भी पाए गए हैं।

महत्त्वपूर्ण स्थल:

- भारत में: कालीबंगा (राजस्थान), लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, सुरकोटदा (गुजरात), बनावली (हरियाणा), रोपड़ (पंजाब)।
- पाकिस्तान में: हड़प्पा (रावी नदी के तट पर), मोहनजोदड़ो (सिंध में सिंधु नदी के तट पर), चन्हुदड़ो (सिंध में)।

कुछ महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ:

- सिंधु घाटी के शहरों में परिष्करण और उन्नति का स्तर देखा जा सकता है जो उसके समकालीन अन्य सभ्यताओं में नहीं देखा जाता।
- नगर योजना:
  - अधिकांश शहरों का स्वरूप समान था। इसमें दो भाग थे: एक गढ़ और एक निचला शहर जो समाज में पदानुक्रम की उपस्थिति को दर्शाता है।
  - अधिकांश नगरों में एक महान स्नानागार था।
  - यहाँ से पकी ईंटों से बने 2-मंजिला घर, बंद जल निकासी नालियाँ, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, माप के लिये वज़न, खिलौने, बर्तन आदि के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
  - इसके अलावा बड़ी संख्या में मुहरों की खोज भी की गई है।
- कृषि:
  - यह कपास की खेती करने वाली पहली सभ्यता थी।
  - हड़प्पाई लोग बहुत सारे पशु पालते थे, वे भेड़, बकरी और सूअर आदि से परिचित थे।
  - यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूँ, जौ, कपास, रागी, खजूर और मटर थीं।
  - व्यापार तथा वाणिज्य:
  - सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार और वाणिज्य का बड़ा महत्त्व था इसकी पुष्टि हड़प्पा, लोथल और मोहनजोदड़ों से हुई है।
  - सिंधु और मेसोपोटामिया के मध्य व्यापार उन्नत अवस्था में था।
- धातु उत्पाद:
  - इन्हें तांबा, काँसा, टिन और सीसा का ज्ञान था इसके अलावा सोने और चाँदी से भी परिचित थे।
  - इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था।
- धार्मिक आस्था:
  - मंदिरों या महलों जैसी कोई संरचना नहीं पाई गई है।
  - पुरुष और महिला देवताओं की पूजा की जाती थी।
  - यहाँ से प्राप्त 'पशुपति शिव की मुहर' विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस मुहर में एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है।
- मृद्भांड:
  - यहाँ पाए गए मृद्भांड अधिकांशत: लाल अथवा गुलाबी रंग के हैं, इन पर प्राय: काले रंग से अलंकरण किया गया है।
  - काँचली मृदा (फायंस) का उपयोग मनकों, चूड़ियों, बालियों और जहाज़ों के निर्माण में किया जाता था।

नोट :

- कला के रूप:
  - मोहनजोदड़ो से 'नर्तकी' की एक लघु प्रतिमा मिली है, माना जाता है कि यह 4000 वर्ष पुरानी है।
  - मोहनजोदड़ो से एक दाढ़ी वाले पुरोहित- राजा की मूर्ति भी मिली है।
- लोथल एक डॉकयार्ड (जहाज़ बनाने का स्थान) था।
- मृतकों को लकड़ी के ताबूतों में दफनाया जाता था।
- सिंधु घाटी लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है।

अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के वनाविल कल्चरल सेंटर द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020 को संबोधित किया।

- यह कार्यक्रम तमिल भाषा के कवि और लेखक महाकवि सुब्रह्मण्य भारती की 138वीं जयंती (11 दिसंबर 2020) के उपलक्ष में आयोजित किया गया है।
- इस कार्यक्रम के दौरान विद्वान सीनी विश्वनाथन को वर्ष 2020 के भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु:

सुब्रह्मण्य भारती

- जन्म: सुब्रह्मण्य भारती का जन्म 11 दिसंबर, 1882 को तमिलनाडु के तिरूनेलवेल्ली ज़िले में एट्टियापुरम गाँव (तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी) में हुआ था।
- संक्षिप्त परिचय: वे राष्ट्रवादी काल (1885-1920) के एक उत्कृष्ट भारतीय लेखक थे, जिन्हें आधुनिक तमिल शैली का जनक भी माना जाता है। इन्होंने तमिल साहित्य में एक नए युग का सूत्रपात करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।
  - सुब्रह्मण्य भारती को 'महाकवि भारतियार' के नाम से भी जाना जाता है।
  - सामाजिक न्याय के प्रति उनकी दृढ़ भावना ने उन्हें स्वाधीनता के लिये लड़ने हेतु प्रेरित किया।

राष्ट्रवादी काल के दौरान भागीदारी

- वर्ष 1904 के बाद वे तमिल भाषा के दैनिक समाचार पत्र 'स्वदेशमित्रन' में बतौर पत्रकार शामिल हो गए।
  - इस दौरान उन्हें तत्कालीन भारत की दयनीय स्थिति और स्वाधीनता के लिये किये जा रहे प्रयासों के बारे में जानने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के अतिवादी हिस्से यानी गरमदल में शामिल हो गए।
- सुब्रह्मण्य भारती ने स्वाधीनता आंदोलन में अपने क्रांतिकारी आगमन की घोषणा करते हुए मई 1906 में 'इंडिया' नाम से एक तमिल साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन आरंभ किया।
  - ज्ञात हो कि यह राजनीतिक कार्टून प्रकाशित करने वाला तमिलनाडु का पहला अखबार था।
  - इसके अलावा उन्होंने 'विजया' जैसी कुछ अन्य पत्रिकाओं का प्रकाशन और संपादन भी किया।
- उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में हिस्सा लिया और इस दौरान बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और सुब्रमण्य अय्यर जैसे कई अन्य अतिवादी नेताओं के साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर वार्ता की।
  - भारती ने जब भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के बनारस अधिवेशन (1905) और सूरत अधिवेशन (1907) में हिस्सा लिया तो कॉन्ग्रेस के कई बड़े और प्रमुख नेता उनसे काफी प्रभावित हुए।
  - वर्ष 1908 में इनकी एक क्रांतिकारी रचना 'स्वदेश गीतांगल' प्रकाशित हुई।
  - वर्ष 1917 की 'रूसी क्रांति' को लेकर लिखी गई सुब्रह्मण्य भारती की कविता 'नया रूस' (हिंदी अनुवादित) उनके राजनीतिक दर्शन

नोट :

का एक प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत करती है।

- उनको अपने क्रांतिकारी स्वभाव के कारण पांडिचेरी (वर्तमान पुदुचेरी) जाना पड़ा, जहाँ वे वर्ष 1910 से वर्ष 1919 तक निर्वासन में रहे।
  - इस समय तक भारती की राष्ट्रवादी कविताएँ और निबंध काफी लोकप्रिय हो चुके थे।

- महत्त्वपूर्ण कृतियाँ: सुब्रह्मण्य भारती की प्रसिद्ध रचनाओं में शामिल हैं- कन्नम पट्टू (वर्ष 1917- कृष्ण गीत), पांचाली सबतम (वर्ष 1912- पांचाली का स्वर), कुयिल पट्टु (वर्ष 1912- कोयला का गीत) और पुडिया रूस (नया रूस) आदि शामिल हैं।
- मृत्यु: 11 सितंबर, 1921

मौजूदा समय में महत्त्व

- प्रगति को लेकर सुब्रह्मण्य भारती की परिभाषा में महिलाओं को केंद्रीय भूमिका में रखा गया है। उन्होंने लिखा है कि 'महिलाओं को अपना सर उठाकर, लोगों से नज़र मिलाते हुए चलना चाहिये।' इससे महिला अधिकारों और लैंगिक समानता के प्रति उनके दृष्टिकोण का पता चलता है।
- सरकार इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर महिला सशक्तीकरण की दिशा में कई महत्त्वपूर्ण कदम उठा रही है।
- वे प्राचीन और आधुनिक मान्यताओं के संतुलित मिश्रण पर विश्वास करते थे, जो कि समाज की प्रगति के लिये वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता को इंगित करता है।

भारती पुरस्कार

- भारती पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1994 में वनाविल कल्चरल सेंटर द्वारा की गई थी।
- प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार एक ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है, जिसने सामाजिक प्रासंगिकता के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य करते हुए सुब्रह्मण्य भारती के सपनों को पूरा करने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया हो।

The Vision

नोट :

आंतरिक सुरक्षा

राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता केंद्र

चर्चा में क्यों ?

- वर्ष 2008 के 26/11 मुंबई हमले के बाद स्थापित नौसेना के 'सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र' (IMAC), जो समुद्री डेटा संलयन के लिये नोडल एजेंसी है, को शीघ्र ही 'राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता (NDMA) केंद्र' के रूप में बदल दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

पृष्ठभूमि:

- समुद्री डोमेन जागरूकता (Maritime Domain AwareneSS-MDA) तटीय सुरक्षा बढ़ाने से जुड़े महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, हालाँकि यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि भारत विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री यातायात क्षेत्रों में से एक पर स्थित है।
- इसी वर्ष भारत हिंद महासागर आयोग (IOC) में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ, गौरतलब है कि यह आयोग पश्चिमी/अफ्रीकी हिंद महासागर में एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय संस्थान है।
- इससे पहले 2018 में समुद्री सुरक्षा पर क्षेत्रीय देशों के साथ समन्वय स्थापित करने और समुद्री डेटा के क्षेत्रीय भंडार के रूप में कार्य करने के लिये IMAC परिसर में 'सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र' (IFC-IOR) की स्थापना की गई थी। वर्तमान में विश्व के 21 साझेदार देशों और 22 बहु-राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ इसका संपर्क है।
- हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) एशिया के बहुत से देशों को वैश्विक बाज़ार से जोड़ने के लिये एक वाणिज्यिक राजमार्ग का कार्य करता है और यह कई देशों की समृद्धि के लिये बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। ऐसे में इस क्षेत्र की हर समय समुद्री आतंकवाद, समुद्री डकैती, तस्करी, अवैध मछली शिकार आदि जैसे खतरों से रक्षा करना आवश्यक है।

समुद्री डोमेन जागरूकता (Maritime Domain Awareness- MDA):

- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के अनुसार, MDA से आशय समुद्री डोमेन से जुड़ी उन सभी चीज़ों की प्रभावी समझ से है जो सुरक्षा, अर्थव्यवस्था या पर्यावरण को प्रभावित कर सकती हैं।
- समुद्री डोमेन से आशय उन सभी क्षेत्र और वस्तुओं से है जो समुद्र, महासागर या अन्य नौगम्य जलमार्ग के अंतर्गत आते हों, सीमा साझा करते हों या अन्य किसी प्रकार से संबंधित हों।
- इसमें सभी समुद्री गतिविधियाँ, बुनियादी ढाँचे, लोग, मालवाहक जहाज़ और अन्य संप्रेषण आदि शामिल हैं।
- प्रस्तावित 'राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता केंद्र':
- यह एक बहु-एजेंसी केंद्र होगा जो मत्स्य विभाग से लेकर स्थानीय पुलिस अधिकारियों सहित विभिन्न हितधारकों को समुद्री क्षेत्र में प्राकृतिक, मानवीय तथा अन्य गतिविधियों की जानकारी देगा।
- यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी जोखिम, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय जोखिम को रोका जा सकता है।

सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र (Information Management and Analysis Centre- IMAC)

- IMAC तटीय निगरानी के लिये भारतीय नौसेना का मुख्य केंद्र है। यह गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थित है और इसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था।
- IMAC भारतीय नौसेना (Indian Navy), तटरक्षक (CoaSt Guard) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की एक संयुक्त पहल है तथा

नोट :

यह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) के तहत कार्य करता है।

- यह राष्ट्रीय कमान नियंत्रण संचार और खुफिया नेटवर्क (NC3I नेटवर्क) का नोडल केंद्र है।

कार्य:

- IMAC अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में जहाज़ों की आवाजाही की निगरानी करता है तथा यह तटीय रडार, वाइट शिपिंग समझौते (White Shipping AgreementS), स्वचालित पहचान प्रणाली (एआईएस) व्यापारी जहाज़ों पर लगाए गए ट्रांसपोंडर, वायु और यातायात प्रबंधन प्रणालियों तथा वैश्विक शिपिंग डाटाबेस से महत्त्वपूर्ण डेटा प्राप्त करता है। यह सागर पहल (Security and Growth for All in the Region-SAGAR) में सूचीबद्ध सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करता है।

IMAC द्वारा की गई हालिया पहलें:

- वर्ष 2019 में इसने बिम्सटेक (BIMSTEC) देशों के लिये एक तटीय सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया।
- श्रीलंका के तट से दूर एमटी न्यू डायमंड (पोत) में आग लगने की घटना के दौरान IFC-IOR ने संसाधनों के त्वरित संघटन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप घटना के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया की जा सकी।

नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क (National Command Control Communication and Intelligence Network- NC3IN)

- भारतीय नौसेना ने नोडल सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र (IMAC) के साथ नौसेना के 20 और तटरक्षक बल के 31 स्टेशनों सहित कुल 51 स्टेशनों को जोड़ने वाले NC3IN की स्थापना की है।
- NC3IN सभी तटीय रडार (RADAR) श्रृंखलाओं को जोड़ने वाला एकल बिंदु है और लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्र तट की एक समेकित तथा वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करता है।
- 'वाइट शिपिंग' समझौता
- 'वाइट शिपिंग' समझौता व्यापारिक और गैर-सैन्य जहाज़ों की पहचान तथा आवाजाही पर प्रासंगिक अग्रिम सूचनाओं के आदान-प्रदान को संदर्भित करता है।
- समुद्री जहाज़ों को मुख्यत: 'व्हाइट' (व्यापारिक और गैर-सैन्य जहाज़), 'ग्रे' (सैन्य जहाज़) और 'ब्लैक' (अवैध जहाज़) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- स्वचालित पहचान प्रणाली (Automatic Identification SyStem- AIS): यह विशिष्ट भार (टन में) के सभी वाणिज्यिक जहाज़ों पर स्थापित एक स्वचालित ट्रैकिंग प्रणाली है।
- 26/11 के आतंकी हमले के बाद 20 मीटर से अधिक लंबे सभी मछली पकड़ने वाले जहाज़ों के लिये AIS ट्रांसपोंडर स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया था। वर्तमान में 20 मीटर या उससे कम लंबाई वाले मछली पकड़ने के जहाज़ों के लिये भी इस तरह की व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है।

माओवादी खतरे से निपटने हेतु आवश्यक कदम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार से उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 'सड़क आवश्यकता योजना' (Road Requirement Plan-RRP) के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के लिये शेष बचे हुए अनुबंधों को छोटे पैकेटों में विभाजित करने का सुझाव दिया है जिससे स्थानीय ठेकेदार कार्यों को पूरा कर सकें।

प्रमुख बिंदु:

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिये सड़क आवश्यकता योजना:

- इस योजना का कार्यान्वयन देश के 8 राज्यों के 34 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित ज़िलों में सड़क संपर्क को मज़बूत करने के लिये केंद्रीय

नोट :

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

- इन 8 राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।
- इस योजना के तहत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में 5422 किमी. लंबी सड़कों के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

वर्तमान मुद्दा:

- कुल 4 राज्यों में बचे हुए 419 किमी. सड़क में से 360 किमी. छत्तीसगढ़ में ही है।
- इसके तहत प्रस्तावित 5422 किमी. सड़क आवश्यकता योजना के 90% कार्य को पूरा कर लिया गया है परंतु छत्तीसगढ़ में इन परियोजनाओं की प्रगति एक बड़ी चुनौती रही है।

प्रस्तावित समाधान:

- छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र को बचे हुए अनुबंधों को छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित करने का सुझाव दिया है, जिससे स्थानीय ठेकेदार इन कार्यों को पूरा कर सकें।
- छत्तीसगढ़ सरकार का मत है कि स्थानीय लोग अनुबंध/ठेके लेकर कार्य को पूरा कराने के लिये बेहतर स्थिति में होंगे।

वामपंथी अतिवाद (Left Wing Extremism- LWE):

- LWE संगठन ऐसे समूह हैं जो हिंसक क्रांति के माध्यम से बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। वे लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ होते हैं और ज़मीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को खत्म करने के लिये हिंसा का इस्तेमाल करते हैं।
- ये समूह देश के अल्प विकसित क्षेत्रों में विकासात्मक प्रक्रियाओं को रोकते हैं और लोगों को मौजूदा घटनाओं से अनभिज्ञ रखकर गुमराह करने की कोशिश करते हैं।
- वामपंथी उग्रवादी संगठन दुनिया भर में माओवादी और भारत में नक्सलियों के रूप में जाने जाते हैं।

वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिये सरकार के अन्य प्रयास:

- ग्रेहाउंड्स: इसकी स्थापना वर्ष 1989 में एक सर्वोत्कृष्ट नक्सल विरोधी बल के रूप में की गई थी।
- ऑपरेशन ग्रीन हंट: 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' (Operation Green Hunt) की शुरुआत वर्ष 2009-10 के दौरान की गई थी, इसके तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई थी।
- वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टॉवर परियोजना: वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल संपर्क को बेहतर बनाने के लिये वर्ष 2014 में सरकार ने LWE प्रभावित राज्यों में मोबाइल टॉवरों की स्थापना को मंज़ूरी दी।
- आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम: इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी, इसका उद्देश्य देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े ज़िलों की पहचान कर उनके समग्र विकास में सहायता करना है।

समाधान (SAMADHAN):

- S- स्मार्ट नेतृत्त्व (Smart LeaderShip)
- A- आक्रामक रणनीति (AggreSSive Strategy)
- M- प्रेरणा और प्रशिक्षण (Motivation and Training)
- A- एक्शनेबल इंटेलिजेंस (Actionable Intelligence)
- D- डैशबोर्ड आधारित 'मुख्य प्रदर्शन संकेतक' (Key Performance IndicatorS- KPI) और मुख्य परिणाम क्षेत्र (Key ReSult AreaS- KRAS)
- H- प्रौद्योगिकी का सदुपयोग (HarneSSing Technology)
- A- एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर (Action plan for each Theatre)
- N- वित्तीय पहुँच (उग्रवादी समूहों के संदर्भ में) को रोकना (No acceSS to Financing)
- यह सिद्धांत वामपंथी उग्रवाद की समस्या के लिये वन-स्टॉप समाधान है। इसमें विभिन्न स्तरों पर तैयार की गई सरकार की पूरी रणनीति (

नोट :

(अल्पकालिक नीति से लेकर दीर्घकालिक नीति तक) को शामिल किया गया है।

आगे की राह:

- यद्यपि हाल के वर्षों में वामपंथी उग्रवादी समूहों से जुड़ी हिंसा की घटनाओं में कमी आई है, परंतु ऐसे समूहों को खत्म करने के लिये निरंतर प्रयासों पर और ध्यान देने की आवश्यकता है।
- सरकार को दो चीज़ें सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है; (i) शांतिप्रिय लोगों की सुरक्षा और (ii) नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का विकास।
- केंद्र और राज्यों को विकास तथा सुरक्षा में अपने समन्वित प्रयासों के साथ आगे बढ़ना चाहिये,
- सरकार को सुरक्षा कर्मियों के जीवन की क्षति को कम करने के लिये ड्रोन जैसे तकनीकी समाधानों के प्रयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिये।

■ ■ ■

दृष्टि The Vision

नोट :